VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जुलाई 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

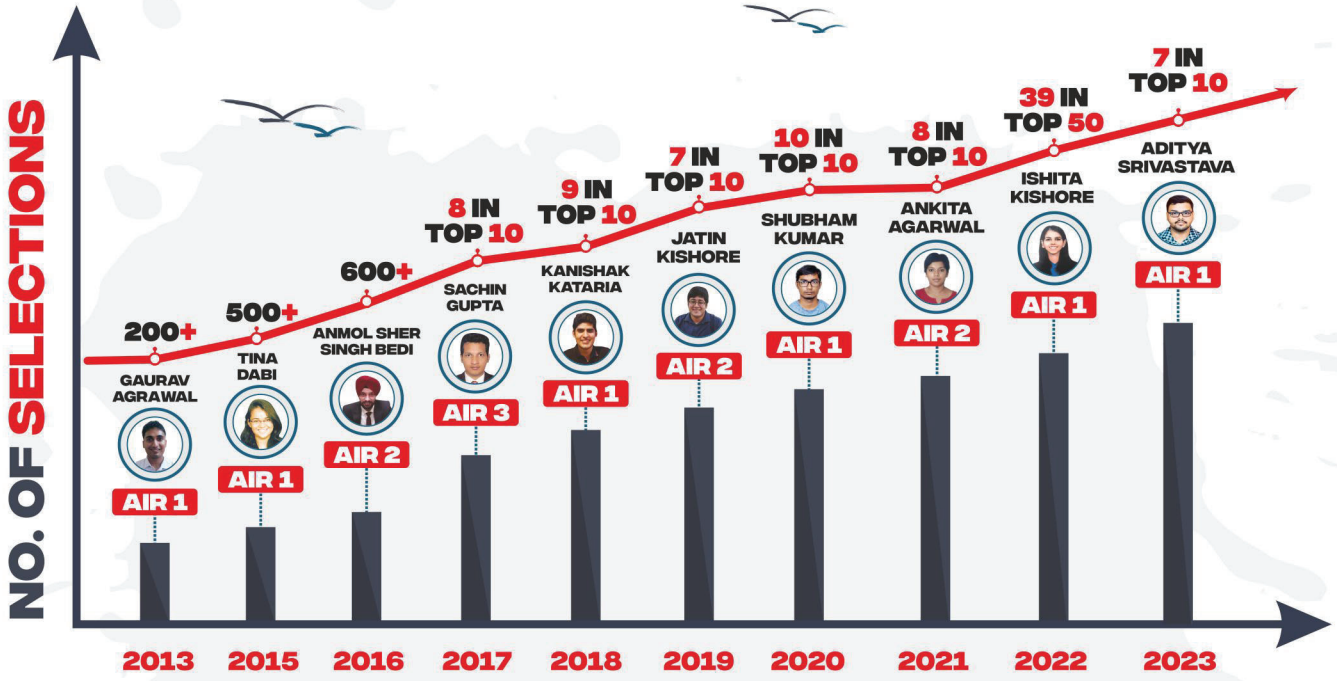

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 21 AUG | BHOPAL: 5 SEPT | CHANDIGARH: 9 SEPT

HYDERABAD: 29 AUG | JAIPUR: 2 SEPT | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 5 SEPT | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 5 सितंबर | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 5

1.1. विशेष पैकेज ____ 5

1.2. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा ____ 7

1.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ____ 10

1.4. भारत और फ्रांस का संविधान ____ 12

1.5. नेपाल में प्रधान मंत्री का चुनाव ____ 13

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 15

1.6.1. कैबिनेट समितियां ____ 15

1.6.2. संवैधानिक नैतिकता ____ 15

1.6.3. नीति आयोग का पुनर्गठन ____ 16

1.6.4. अनुच्छेद 341 ____ 16

1.6.5. राष्ट्रपति ने पंजाब विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना किया ____ 17

1.6.6. खनिज पर कर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ____ 17

1.6.7. विदेशी विषयक अधिकरण ____ 18

1.6.8. केंद्रीय सूचना आयोग ____ 18

1.6.9. कॉमन सर्विस सेंटर्स ____ 18

1.6.10. संपूर्णता अभियान ____ 19

1.6.11. त्रुटि सुधार ____ 20

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 21

2.1. भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता ____ 21

2.2. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून ____ 23

2.3. शंघाई सहयोग संगठन ____ 26

2.4. भारत-रूस संबंध ____ 30

2.5. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध ____ 34

2.6. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध ____ 36

2.7. पश्चिमी हिंद महासागर ____ 39

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 41

2.8.1. दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में भारत शामिल हुआ ____ 41

2.8.2. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ____ 41

2.8.3. कोलंबो पॉसेस ____ 41

2.8.4. मर्कोसुर ____ 42

2.8.5. वैश्विक शक्तियों के उदय में शिक्षा/ अनुसंधान की भूमिका ____ 42

2.8.6. तिब्बत-चीन विवाद ____ 43

2.8.7. मॉरीशस में जन औषधि केंद्र (JAK) खोला गया ____ 43

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 45

3.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ____ 45

3.2. एंजेल टैक्स ____ 48

3.3. गिग इकॉनमी ____ 50

3.4. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ____ 53

3.5. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन ____ 55

3.6. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ____ 58

3.7. सतत विकास लक्ष्य ____ 61

3.8. ई-मोबिलिटी ____ 63

3.9. सिटी गैस वितरण नेटवर्क ____ 66

3.10. भारत में कोयला क्षेत्र ____ 69

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 72

3.11.1. विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म ____ 72

3.11.2. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क ____ 72

3.11.3. ऋण-जमा अनुपात ____ 73

3.11.4. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर RBI के निर्देश 74

3.11.5. अर्थोपाय अग्रिम योजना ____ 75

3.11.6. घरेलू धन अंतरण ____ 75

3.11.7. वित्तीय समावेशन सूचकांक ____ 75

3.11.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए नए दिशा-निर्देश ____ 75

3.11.9. इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ____ 76

3.11.10. सी-हर/SEHER कार्यक्रम ____ 76

3.11.11. भारत में अनिगमित उद्यमों का सर्वेक्षण ____ 76

4. सुरक्षा (Security) ____ 78

4.1. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ____ 78

4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ____ 81

4.3. भारत के गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा ____ 83

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 84

4.4.1. विंडो आउटेज से कई महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हुईं 84

4.4.2. अर्बन नक्सलवाद ____ 85

4.4.3. SEBEX 2- नया गैर-परमाणु विस्फोटक ____ 85

4.4.4. रुद्रम-1 ____ 86

4.4.5. जोरावर टैंक 86
4.4.6. सुर्ख़ियों में रहे "अभ्यास" 86
5. पर्यावरण (Environment) 88
5.1. खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि 88
5.2. शहरी विकास और आपदा प्रतिरोध 92
5.3. भूस्खलन 95
5.4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 97
5.5. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 99
5.6. मृदा स्वास्थ्य 102
5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 104
5.7.1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'स्टेट ऑफ द वर्ल्डस फॉरेस्ट्स 2024' रिपोर्ट जारी की 104
5.7.2. संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन 105
5.7.3. नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स- ए ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट शीर्षक से UNEP ने रिपोर्ट जारी की 105
5.7.4. जलवायु परिवर्तन और सीमांत किसान 105
5.7.5. स्प्रिंग इनिशिएटिव 106
5.7.6. फंड फॉर रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज 106
5.7.7. एक स्टडी के अनुसार, वायु प्रदूषण से परागण करने वाले कीटों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है 106
5.7.8. ग्लेशियल जियोइंजीनियरिंग पर श्वेत-पत्र 107
5.7.9. डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट 108
5.7.10. रोजवुड पर CITES की रिपोर्ट 108
5.7.11. एक्विलारिया मैलाकेंसिस (अगरवुड) 109
5.7.12. मेगाफौना 109
5.7.13. जेरडॉन्स कोर्सर 109
5.7.14. वोल्बाचिया बैक्टीरिया 109
5.7.15. सिंट्रिचिया कैनिनर्विस 110
5.7.16. अराकू कॉफी 110
5.7.17. उमलिंग ला दर्रा 110
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 111
6.1. भारत में खेल इकोसिस्टम 111
6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 114
6.2.1. भारत में टीकाकरण 114
6.2.2. WHO तंबाकू उपयोग समाप्ति दिशा-निर्देश 114
6.2.3. खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 115
6.2.4. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 115
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 116
7.1. आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें 116
7.2. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 119
7.3. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी 122
7.4. भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम 124
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 127
7.5.1. ग्लोबल INDIAai समिट 2024 127
7.5.2. क्वांटम गवर्नेंस 127
7.5.3. स्नोब्लाइंड मैलवेयर 127
7.5.4. प्राकृतिक रूप से विद्यमान DNA एडिटिंग टूल 128
7.5.5. माइटोकॉन्ड्रियल रोग 128
7.5.6. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज 128
7.5.7. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी 129
7.5.8. आदित्य-L1 ने हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की 129
7.5.9. ग्रहीय रक्षा 130
7.5.10. मार्स ओडिसी ऑर्बिटर 130
7.5.11. लूनर केव (गुफा) 130
7.5.12. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 131
7.5.13. टोकामक फ्यूजन रिएक्टर 131
7.5.14. Li-Fi तकनीक 132
7.5.15. स्टील स्लैग 133
7.5.16. डार्क ऑक्सीजन 133
7.5.17. डेनिसोवन 133
7.5.18. लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर 133
7.5.19. अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 134
8. संस्कृति (Culture) 135
8.1. असम के चराइदेव मोइदम्स 135
8.2. तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजनाएं 138
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 141
8.3.1. श्री जगन्नाथ मंदिर 141
8.3.2. विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला 141
8.3.3. अपातानी जनजाति 142
8.3.4. मास्को पीरो (रहस्यमय जनजाति) 142
8.3.5. इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी 142

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____________________ 143

9.1. अच्छा जीवन: कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाने की कला ____________________ 143

9.2. सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण _ 145

9.3. लोक प्राधिकारियों के हितों का टकराव __________ 148

9.4. ऑनलाइन गेमिंग की नैतिकता ______________ 151

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _____ 156

10.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन ____________________ 156

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) __________ 158

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ___ 159

13. परिशिष्ट: SDGs की वर्तमान स्थिति (Appendix: Current Status of SDGs) ____________________ 162

स्मार्ट कंटेंट

इस मैगज़ीन की कलर प्रिंटेड कॉपी ऑर्डर करने के लिए, दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

आर्थिक समीक्षा 2023-24 का सारांश डाउनलोड करने के लिए, दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट 2024-25 का सारांश डाउनलोड करने के लिए, दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
QUIZ	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
NEWS	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

स्मरणीय तथ्य

Mains 365: स्मरणीय तथ्य (क्विक फैक्ट्स) मुख्य परीक्षा से पहले उन अंतिम क्षणों के लिए एकदम सटीक स्टडी मटीरियल है, जब आपको प्रमुख तथ्यों और उदाहरणों को जल्दी से रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक, फैक्ट्स, डेटा आदि के मामले में स्मरणीय तथ्य डॉक्यूमेंट यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास परीक्षा के दौरान उपयोग करने के लिए तैयार उच्च-प्रभाव वाली जानकारी आपकी उंगलियों पर हो।

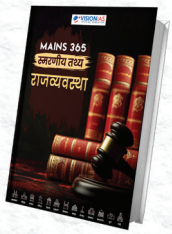

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य राजव्यवस्था

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य सुरक्षा

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध

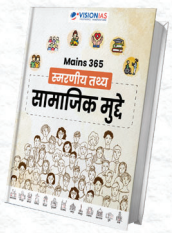

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य सामजिक मुद्दे

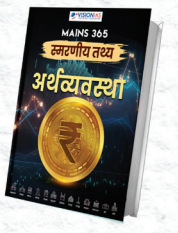

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य अर्थव्यवस्था

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

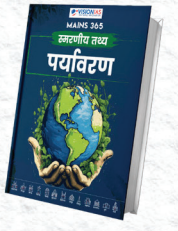

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य पर्यावरण

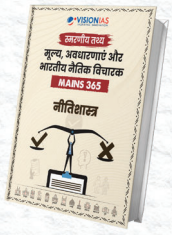

Scan to Read

Mains 365: स्मरणीय तथ्य नीतिशास्त्र (मूल्य और भारतीय नैतिक विचारक)

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. विशेष पैकेज (Special Packages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बिहार और आंध्र प्रदेश** के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की।

अन्य संबंधित तथ्य

- उल्लेखनीय है कि **केंद्रीय बजट 2024-25** में बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की गई थी।
- **केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाएं:**
  - **सिंचाई और बाढ़ शमन:** इन घोषणाओं में **बिहार** में सिंचाई और बाढ़ शमन परियोजनाओं जैसे **कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक** और अन्य योजनाओं के लिए **11,500 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता शामिल है।
  - **पूर्वोदय: विकास भी विरासत भी-** केंद्र सरकार ने इस बजट में **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** जैसे पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए **'पूर्वोदय'** नाम से एक योजना बनाने की घोषणा की है।
    - 'पूर्वोदय योजना' का उद्देश्य **खनिज संपदा से संपन्न इन राज्यों का सर्वांगीण विकास** करना है। इसके तहत विशेष तौर पर **मानव संसाधन विकास, अवसंरचना के विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन** पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार, इस क्षेत्र को **विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का इंजन** बनाया जा सकेगा।
  - **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 पर मुख्य अपडेट:**
    - केंद्र सरकार ने **वित्त वर्ष 2024-2025 में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता** की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई है।
    - **पोलावरम सिंचाई परियोजना** पर प्रगति जारी है, जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
    - **विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पर्थी नोड और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल नोड** में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं (जैसे- पानी, बिजली, रेलवे और सड़क) के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्यों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज के बारे में

- विशेष पैकेज से तात्पर्य **भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता** है। इसके तहत इन राज्यों को **अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ** प्रदान किए जाते हैं।
- संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो **विशेष राज्यों** या संविधान में उल्लिखित कुछ मामलों के संबंध में **विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की समस्याओं का समाधान** करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 371, 371A से 371H और 371J**
- दूसरी ओर, **विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन** होते हैं। **ये पैकेज आवश्यकता-आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है।**
  - यह संविधान के **अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान **'विविध वित्तीय प्रावधानों'** के अंतर्गत आता है।
  - **अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान):** यह केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो।

राज्यों को विशेष पैकेज देने के निहितार्थ

- **राजकोषीय विवेक:** विशेष पैकेज प्रदान करने से केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य राज्यों पर भी **राजकोषीय बोझ बढ़** सकता है।
- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** इन विशेष पैकेजों का प्रभावी उपयोग इन्हें प्राप्त करने वाले राज्यों की प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है। खराब प्रशासन **कुप्रबंधन, धन के अकुशलतापूर्वक उपयोग और रिसाव** का कारण बन सकता है। अंततः अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का पूर्ण लाभ हासिल नहीं होगा।
- **निर्भरता:** विशेष पैकेजों से प्राप्त **अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को हतोत्साहित** कर सकते हैं और राज्यों को केंद्रीय सहायता पर निर्भर बना सकते हैं।
- **संघवाद से जुड़े मुद्दे:** विशेष पैकेजों का **असमान या राजनीतिक रूप से प्रेरित वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को खराब** कर सकता है।
  - इसके अलावा, विशेष पैकेज न मिलने वाले राज्य उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। इससे अंतर-राज्य और केंद्र-राज्य संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सामाजिक अशांति:** लाभों के असमान या अनुचित वितरण की धारणा राज्य के विविध समुदायों के बीच सामाजिक अशांति और असंतोष को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- **फ्रेमवर्क:** मापने योग्य मानदंडों, **जैसे- गरीबी का स्तर, बुनियादी ढांचे का अभाव, आपदाओं का प्रभाव** आदि के आधार पर राज्यों को विशेष पैकेजों का आवंटन करना चाहिए। इसके अलावा, इस कार्य के लिए एक स्पष्ट व उद्देश्यपूर्ण फ्रेमवर्क विकसित करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, विशेष पैकेजों का राजनीतिक लॉबिंग के प्रभाव में आकर आवंटन करने से भी बचना चाहिए।
- **अनुकूलित विकास योजनाएं:** बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही पहलें या योजनाएं बनानी चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** अतिरिक्त निधि व विशेषज्ञता जुटाने और केंद्र पर राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए निजी क्षेत्रक को भी राज्यों के विकास में शामिल करना चाहिए।
- **निगरानी:** राज्य की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, धन के दुरुपयोग को रोकने तथा राज्य के राजस्व और केंद्रीय अनुदानों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **सख्त निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र** लागू किया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण:** अधिक राजकोषीय स्वायत्तता और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर खर्च को प्राथमिकता देकर, विशेष पैकेजों की मांग को कम किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को उन योजनाओं में सीधे शामिल होना चाहिए जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं या जिनका देश के विभिन्न हिस्सों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

1.2. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गुजरात के राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL)[1]"** का उद्घाटन किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- **स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग** की स्थापना **1880** में की गई थी, ताकि **नगरपालिकाओं एवं अन्य स्थानीय निधियों के खातों का लेखा परीक्षा** किया जा सके। लेखा परीक्षा का कार्य **वित्त विभाग के अधिकारी** द्वारा किया जाता था। इस अधिकारी को **अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय से जुड़े एग्जामिनर ऑफ़ लोकल एकाउंट्स** यानी **स्थानीय लेखा परीक्षक** के रूप में जाना जाता था।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य **स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वैश्विक मानक** निर्धारित करना है।
- **स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL) के बारे में:**
  - यह **नीति-निर्माताओं और लेखा परीक्षकों (Auditors) के बीच सहयोग के एक मंच** के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह लेखा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए **"उत्कृष्टता केंद्र" (Centre of excellence)** के रूप में भी कार्य करेगा।
  - यह स्थानीय शासन के **लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य** करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के **वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार** होगा।
  - यह जमीनी स्तर पर **शासन से जुड़ी समस्यायों को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक-टैंक** के रूप में कार्य करेगा।

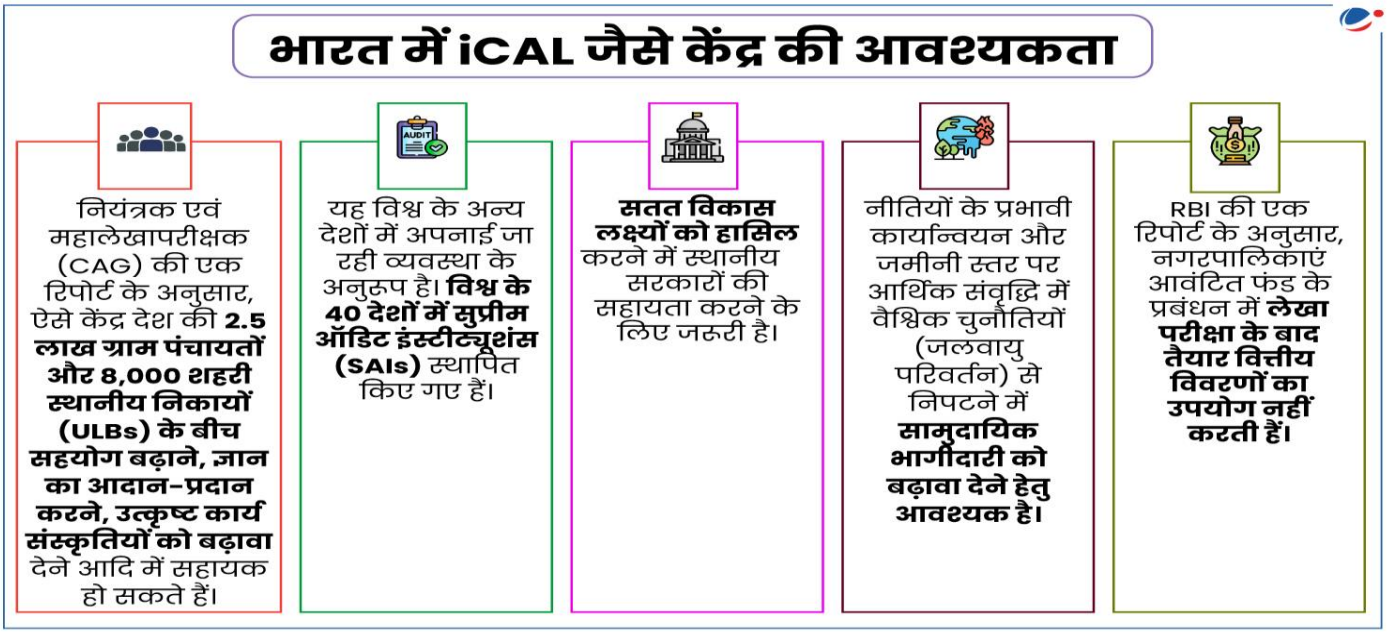

स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा-परीक्षण के बारे में

- **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के द्वारा संविधान में **भाग IX (11वीं अनुसूची) तथा भाग IX-A (12वीं अनुसूची)** जोड़े गए थे। इनमें **स्थानीय शासन** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - इन संविधान संशोधनों द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में **पंचायतों** (गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर) तथा **नगरपालिकाओं** (नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के रूप में) का गठन करें।

[1] International Centre for Audit of Local Governance

- **2020 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट** करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन** विकसित की थी।
  - इस एप्लीकेशन को **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसायटी पुरस्कार, 2023** से सम्मानित किया गया है।

- **स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली**
  - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार **CAG (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971** से प्राप्त होता है।
    - **CAG** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है व उनका पर्यवेक्षण करता है।
  - अधिकतर राज्यों में **स्थानीय निधि खातों के परीक्षक (ELFA) या स्थानीय निधि खातों के निदेशक (DLFA)** लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं।
    - ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा **स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा** करती हैं।
    - **CAG स्थानीय निधि खातों के परीक्षक (ELFA) या स्थानीय निधि खातों के निदेशक (DLFA)** को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। CAG इन संस्थाओं का **निरीक्षण** भी करता है।

स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का महत्त्व

- **वित्तीय जवाबदेही:** लेखा-परीक्षा द्वारा सरकारी निधि के व्यय की सूक्ष्मता से जांच की जाती है। साथ ही, वित्तीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार लेखा-परीक्षा के जरिये **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन का पता लगाकर और उसे रोककर लोक निधियों की सुरक्षा** की जाती है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन:** लेखा-परीक्षा वित्तीय लेन-देन की जांच करने और स्थानीय निकायों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह यह सुनिश्चित करती है कि वे स्थापित मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं।
- **सेवा वितरण:** लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों व सिफारिशों में सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने, स्थानीय निकायों को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की क्षमता होती है।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी:** लेखा-परीक्षा गतिविधियां **नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर शासन व्यवस्था को मजबूत** करती हैं। उदाहरण के लिए- मिड-डे मील योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
- **लोक विश्वास:** लेखा परीक्षक **सरकारी संगठनों को जवाबदेह और सत्यनिष्ठ बनाने, वित्तीय परिचालनों में सुधार करने तथा नागरिकों एवं हितधारकों के बीच विश्वास पैदा** करने में सहायता करते हैं।
- **विकेंद्रीकरण:** कार्यों के हस्तांतरण, निधियों के अंतरण और पदाधिकारियों के स्थानांतरण की स्थिति के संबंध में लेखा-परीक्षा पर्यवेक्षण/ निष्कर्ष मुद्दों की पहचान करने एवं विकेंद्रीकरण को और मजबूत बनाने में सहायता करते हैं।

विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास

- **भागीदारी:** विकेंद्रीकरण हाशिए पर रहे समूहों सहित स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना मत प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।
  - उदाहरण के लिए- **बैक टू विलेज प्रोग्राम (J&K)** का उद्देश्य पंचायतों को सक्रिय करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विकास प्रयासों को निर्देशन प्रदान करना है।
- **अनुकूलित समाधान:** स्थानीय सरकारें समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं।
  - उदाहरण के लिए- व्यारा (गुजरात) जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस और अस्पतालों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सड़कों का विकास।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** विकेंद्रीकरण समाज के हाशिए पर रहे और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करता है।
  - उदाहरण के लिए- पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग **46% महिला प्रतिनिधि हैं।**
- **विकास:** विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर शक्तियों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करके विकास को बढ़ावा देता है। इससे ठोस परिणाम सामने आते हैं।
  - उदाहरण के लिए- दिसंबर 2022 तक, मनरेगा के तहत 5.17 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का जियो-टैग कर उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।
- **स्वास्थ्य सेवा में समानता:** उदाहरण के लिए- **1978 के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO अल्मा अता घोषणा-पत्र** ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में अधिक समानता प्राप्त करने के लिए समुदायों के बीच सेवाओं के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है।
- **जल प्रबंधन:** विकेंद्रीकरण सरकार को लोगों के करीब लाता है। साथ ही, संसाधनों को संधारणीय रूप से प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान/ प्रथाओं का उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए- **अटल भूजल योजना** का उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में संधारणीय तरीके से भू-जल का प्रबंधन करना है।

इस प्रकार, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर, उनके संसाधन आधार को विस्तृत कर, अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि कर, निगरानी तंत्र को मजबूत कर तथा विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित कर, समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा से जुड़े मुद्दे

- **रिकॉर्ड रखने का खराब तरीका:** कई स्थानीय निकायों के वित्तीय रिकॉर्ड अधूरे हैं और सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हैं। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों एवं स्थानीय निकायों में **एक समान लेखा-परीक्षा मानकों का अभाव** भी है। इससे लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता आती है।
- **कुशल कर्मियों का अभाव:** स्थानीय निकायों को अक्सर खातों को बनाए रखने के लिए **योग्य लेखा परीक्षकों की कमी** का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, अपर्याप्त या सतही लेखा-परीक्षा हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
- **अधिकार-क्षेत्र का ओवरलैप होना:** विविध एजेंसियों (जैसे राज्य लेखा-परीक्षा विभाग), स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षकों और CAG के बीच लेखा-परीक्षा जिम्मेदारियों का विभाजन भ्रम एवं अक्षमता पैदा कर सकता है।
- **पुरानी प्रक्रियाएं:** 11वें वित्त आयोग के अनुसार कई राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए **प्रारूप और प्रक्रियाएं** दशकों पहले तैयार की गई थीं तथा उनकी बढ़ी हुई शक्तियों, संसाधनों और जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें **अपडेट नहीं** किया गया है।
- **कम जागरूकता:** आम जनता और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं व उनके महत्त्व के बारे में जागरूकता कम है। इससे सार्वजनिक जांच और जवाबदेही कम हो जाती है।

आगे की राह (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें)

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **पंचायतों के लिए लेखा-परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप** इस तरह से तैयार किए जाएं कि वे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल एवं समझने योग्य हों।
- स्थानीय निकायों के लेखाओं (खातों) की लेखा-परीक्षा के लिए जिम्मेदार **DLFA या किसी अन्य एजेंसी की स्वतंत्रता को राज्य प्रशासन से स्वतंत्र बनाकर संस्थागत** बनाया जाना चाहिए।
  - इस निकाय के प्रमुख को CAG द्वारा अनुमोदित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के समक्ष** रखी जानी चाहिए। साथ ही, इन रिपोर्ट्स पर लोक लेखा समिति की तर्ज पर राज्य विधान-मंडल की अलग समिति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए।

- स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके **DLFA/ लेखा-परीक्षा करने के लिए नामित प्राधिकारी या CAG तक प्रासंगिक जानकारी/ रिकॉर्ड तक पहुंच** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **स्थानीय निकायों में लेखांकन और लेखा-परीक्षा मानकों को पूरा करने की क्षमता** है।

नोट: *PRIs के वित्त-पोषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.2 देखें।*

1.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार **(पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ वाद, 2024)** की है। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर **राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का आरोप** लगाया है। ज्ञातव्य है कि **पश्चिम बंगाल** ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में **CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस** ले ली थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत दायर किया है। राज्य के अनुसार **राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है।**
  - **अनुच्छेद 131** के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार-क्षेत्र है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **1963** में हुई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश **भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-64)** द्वारा की गई थी।
- **मंत्रालय:** यह **कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय** के अधीन कार्यरत है।
- **स्थिति:** यह एक **गैर-वैधानिक एवं गैर-संवैधानिक संस्था** है। यह **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** द्वारा शासित होती है।
- **कार्यप्रणाली:** CBI भारत में **प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी** है। यह **इंटरपोल** के सदस्य देशों की ओर से **जांच का समन्वय** करती है।
- **आदर्श वाक्य (Motto):** उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा (Industry, Impartiality and Integrity)।
- **विज़न: सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना;** सावधानीपूर्वक जांच और अभियोजन के माध्यम से आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना; **साइबर व उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराध से लड़ना** आदि।
- **संरचना (Composition):** निदेशक (विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्राप्त), संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य रैंक के पुलिस कर्मी।
  - 2021 में, राष्ट्रपति ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकालों को **दो साल के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर पांच साल तक बढ़ाने** के लिए दो अध्यादेश जारी किए थे।
- **CBI द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के प्रकार:** भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वत: संज्ञान।
- **CBI के लिए राज्य की सहमति**
  - **"सामान्य सहमति"** मिलने पर CBI को राज्य में प्रत्येक या अलग-अलग मामले की जांच के लिए **हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं** होती है।
    - **DSPE अधिनियम की धारा 6** राज्य सरकार को **CBI अधिकारी को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार** प्रदान करती है।
    - उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के अलावा, **पंजाब, तेलंगाना** जैसे अन्य राज्यों ने भी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।
  - **केस विशेष के संबंध में सहमति के तहत** CBI को प्रत्येक केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

CBI से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2019:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार **निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर CBI निदेशक की नियुक्ति करेगी-**
  - प्रधान मंत्री (अध्यक्ष);
  - लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त या जहां विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता (सदस्य); तथा
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश (सदस्य)।
- **CBI बनाम डॉ. आर.आर. किशोर, 2023:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **'सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई और अन्य' मामले** में उसके 2014 के फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसका अर्थ यह है कि **DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6A को इसके अधिनियम में जोड़े जाने की तिथि से लागू होना नहीं माना** जाएगा। ज्ञातव्य है कि 'सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई और अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6A को **असंवैधानिक घोषित** कर दिया था।
- **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी, 2024:** दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि **RTI अधिनियम की धारा 24 मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति** देती है। इसके अलावा, इस धारा के तहत अनुसूचित संगठनों को प्रदान की गई छूट **CBI को RTI अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं** करती है।
- **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997):** इसे आमतौर पर **जैन हवाला केस** कहा जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के **1969 के "एकल निर्देश" को खारिज** कर दिया था। एकल निर्देश में यह उपबंध था कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ CBI द्वारा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (संबंधित मंत्रालय/ विभाग) की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। साथ ही, इसमें CBI द्वारा मामले दर्ज करने के तौर-तरीकों पर अलग-अलग मंत्रालयों व विभागों द्वारा CBI को जारी निर्देशों का एक समेकित सेट भी शामिल था।

CBI से जुड़ी चिंताएं

- **रिक्त पद:** CBI में एग्जीक्यूटिव रैंक, लॉ ऑफिसर आदि के रिक्त पड़े पदों को **समयबद्ध तरीके से नहीं भरा** जा रहा है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप, CBI की **परिचालन दक्षता** (operational efficiency) एवं **जांच क्षमताओं में बाधा उत्पन्न** हो रही है।
  - उदाहरण के लिए- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक CBI में **कुल स्वीकृत पदों की संख्या 7295** थी, जिनमें से **1709 पद रिक्त** हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव:** CBI में दर्ज मामलों के विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और संबंधित अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं।
- **राज्यों द्वारा सहमति वापस लेना:** DSPE अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, किसी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति एक पूर्व शर्त है। इसके कारण CBI द्वारा की जाने वाली जांच राज्य की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है।
  - **9 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है,** जिससे विविध मामलों की जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **CBI के प्रति विश्वास में कमी:** देश के कई नामी राजनेताओं से जुड़े मामलों के कुप्रबंधन तथा कई संवेदनशील मामलों, जैसे- बोफोर्स घोटाले, हवाला घोटाले आदि को सही से न संभाल पाने के लिए CBI की आलोचना की जाती रही है।
- **प्रशासनिक बाधाएं: संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर** के केंद्र सरकार के अधिकारियों से पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था के कारण नौकरशाही के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने की इसकी क्षमता में बाधा आती है।
- **वित्त संबंधी मुद्दे:** कार्मिक, प्रशिक्षण, उपकरण या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश और निधियों का कम उपयोग, CBI की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रूप से बाधित करता है।
- **स्वायत्तता का अभाव:** CBI **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम** करती है। साथ ही, CBI के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, इस एजेंसी की स्वतंत्रता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें**
  - CBI के निदेशक को **त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी** करनी चाहिए।
  - एक **केस प्रबंधन प्रणाली** विकसित करनी चाहिए। यह एक **केंद्रीकृत डेटाबेस** (आम जनता के लिए सुलभ) होगा, जिसमें CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण और उनके निपटान में हुई प्रगति संबंधी सारी जानकारी शामिल होगी।
  - **एक नया कानून बनाने एवं CBI के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, इसके कामकाज में ईमानदारी एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करने की भी जरूरत है।
  - पुलिस निरीक्षक स्तर पर **प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का प्रतिशत 10% तक सीमित किया जाना चाहिए तथा 40% अधिकारियों की भर्ती, सीधी भर्ती/ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** के माध्यम से की जा सकती है।
  - CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस संबंधी आंकड़ो और वार्षिक रिपोर्ट** को प्रकाशित करना चाहिए।
  - जिन मामलों में **राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो रहा है, ऐसे मामलों में **सामान्य सहमति के प्रावधान को लागू नहीं** करना चाहिए।

नोट: *सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर, 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.4 देखें।*

1.4. भारत और फ्रांस का संविधान (Constitution of India and France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से वहां के प्रधान मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे अगली सरकार की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार चलाने का आग्रह किया।

क्या आप जानते हैं?

- फ्रांस **14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस** मनाता है, जिसे **बैस्टिल दिवस** के रूप में भी जाना जाता है।
  - **14 जुलाई, 1789** को पेरिस के लोगों ने **बैस्टिल जेल की दीवारें तोड़ दी थी और कैदियों को मुक्त** कर दिया था। यह घटना **फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की प्रतीक** है।
- यह **फेटे डे ला फेडरेशन की वर्षगांठ** भी है, जो **1790** में फ्रांसीसी लोगों की एकता का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम था।

भारत और फ्रांस के संविधान के बीच समानताएं

- 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने राजशाही को त्याग दिया और एक **गणतंत्र** की स्थापना की।
  - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर के शासक **टीपू सुल्तान** ने अपनी राजधानी **श्रीरंगपट्टनम** में **'स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया'** और खुद को **'नागरिक टीपू'** कहा।
- तब से, पिछली दो शताब्दियों में फ्रांस में कई संविधानों को अपनाया गया। **फ्रांस का वर्तमान संविधान 1958** में अंगीकृत किया गया। इसे प्रायः **'फिफ्थ रिपब्लिक यानी पांचवें गणतंत्र'** के नाम से जाना जाता है।
  - **पहला रिपब्लिक** 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, दूसरा 1848 में, तीसरा 1875 में और चौथा 1946 में अस्तित्व में आया।
- **दोनों देशों के पास लिखित संविधान है** जो **फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर आधारित है।
- दोनों देशों में जनता सर्वोच्च है और नागरिकों को 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अधिकार प्राप्त है।
- भारत और फ्रांस दोनों देशों में **द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था** है।
  - फ्रांस में, **निचले सदन** (नेशनल असेंबली) के **सदस्यों को पांच साल के लिए प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार** द्वारा चुना जाता है। यहां के **उच्च सदन** (सीनेट) **के सदस्यों को अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से चुना जाता है** और **प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च सदन के आधे सदस्य बदल जाते हैं।** दूसरे शब्दों में, फ्रांस में नेशनल असेंबली के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि सीनेट के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- दोनों देशों के संविधान में **आपातकाल का प्रावधान** है।

भारत और फ्रांस के संविधान की विरोधाभासी विशेषताएं

विशेषताएं	भारत	फ्रांस
लोकप्रिय संप्रभुता को व्यक्त करने का तंत्र	• लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं	• लोग अपने प्रतिनिधियों और साथ ही, जनमत संग्रह (Referendum) के माध्यम से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं।
'राष्ट्रपति' राष्ट्र प्रमुख के रुप में	• राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से **पांच वर्ष** के कार्यकाल के लिए होता है। • राष्ट्रपति के **कार्यकाल की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं** है।	• राष्ट्रपति का चुनाव **प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार** द्वारा **पाँच वर्ष की अवधि** के लिए किया जाता है। • कोई भी व्यक्ति **लगातार दो कार्यकाल से अधिक** पद पर नहीं रह सकता।
शासन प्रणाली या पद्धति	• **संसदीय प्रणाली:** सरकार का स्वरूप संसदीय है, जो संरचना में **संघीय** है, लेकिन साथ ही इसमें **कुछ एकात्मक विशेषताएं** भी हैं।	• **अर्द्ध-अध्यक्षीय प्रणाली अथवा अर्द्ध-राष्ट्रपति प्रणाली[2]:** इस प्रणाली में **राष्ट्रपति (सार्वभौमिक प्रत्यक्ष मताधिकार** द्वारा निर्वाचित) और **प्रधान मंत्री** दोनों होते हैं तथा **राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां** होती हैं।
प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया होता है	• संविधान में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान** किया गया है। • **मंत्रिपरिषद की शक्ति, भूमिका और जिम्मेदारी का संविधान में उल्लेख किया गया है।**	• राष्ट्रपति, **प्रधान मंत्री** और **सरकार के सदस्यों** (प्रधान मंत्री की सिफारिश पर) **की नियुक्ति** करता है। • **प्रत्येक मंत्री का कार्यक्षेत्र, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां आदि निश्चित नहीं** हैं। उन्हें **प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता** है।
न्याय प्रणाली	• **एकीकृत न्यायिक प्रणाली,** जिसका अर्थ है कि उच्चतर न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। • इसके अलावा, **भारत में अपीलीय प्रणाली** भी मौजूद है।	• न्यायिक प्राधिकारियों को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसके तहत व्यक्तियों के बीच विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी **कानूनी न्यायिक संस्थान** (Legal jurisdictions) के पास होती है तथा नागरिकों एवं सार्वजनिक प्राधिकारियों के बीच विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी **प्रशासनिक न्यायिक संस्थान** (Administrative jurisdictions) के पास होती है।
नागरिक समाज की भागीदारी	• कोई प्रावधान नहीं	• संविधान में **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण परिषद** (CESE)[3] का प्रावधान किया गया है। यह एक परामर्शदात्री सभा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक समाज को सरकार की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण नीतियों में शामिल करना है।

1.5. नेपाल में प्रधान मंत्री का चुनाव (Election of Prime Minister in Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **श्री के.पी. शर्मा ओली** को चौथी बार **नेपाल का प्रधान मंत्री** नियुक्त किया गया। वह नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे।

[2] Semi-Presidential System

[3] Economic, Social and Environmental Council

अन्य संबंधित तथ्य

- 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद से नेपाल में 14 सरकारें गठित की जा चुकी हैं। यह स्थिति यहां की राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करती है।
- भारत के अर्ध-संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत, नेपाल के 2015 के संविधान ने इसे एक **संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य** के रूप में स्थापित किया है। हालांकि, दोनों देशों के संविधान में कई समान विशेषताएं भी हैं।

भारत और नेपाल के बीच संवैधानिक समानताएं

- **धर्मनिरपेक्ष राज्य:** दोनों धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- **मौलिक अधिकार:** नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक अधिकारों सहित व्यापक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
- **द्वि-सदनीय संसद:** कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह है।
- **सरकार का प्रमुख: राष्ट्रपति** देश का **औपचारिक प्रमुख** होता है, जबकि **प्रधान मंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख** होता है।
- **सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action):** इसमें सामाजिक व्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हाशिए पर पड़े समूहों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- **अन्य विशेषताएं:** प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, बहुदलीय-राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता, आदि।

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण

- **बहुदलीय प्रणाली:** नेपाल में विभिन्न नृजातीय, क्षेत्रीय और वैचारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल मौजूद हैं। ये राजनीतिक दल किसी एक पार्टी के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल बना देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें कमजोर हो जाती हैं।
- **मिश्रित चुनावी प्रणाली:** भारत में लोक सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPPS) का पालन किया जाता है। दूसरी ओर, नेपाल **फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)[4], दोनों** का पालन करता है।
    - आनुपातिक प्रतिनिधित्व से व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित होता है। यह छोटे दलों के प्रसार में भी योगदान देता है। लेकिन इसके चलते गठबंधन सरकारें कमजोर हो जाती हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
    - नेपाल में भी मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित है। कई बार इसके चलते भी गठबंधन सरकारें कमजोर हो जाती हैं।

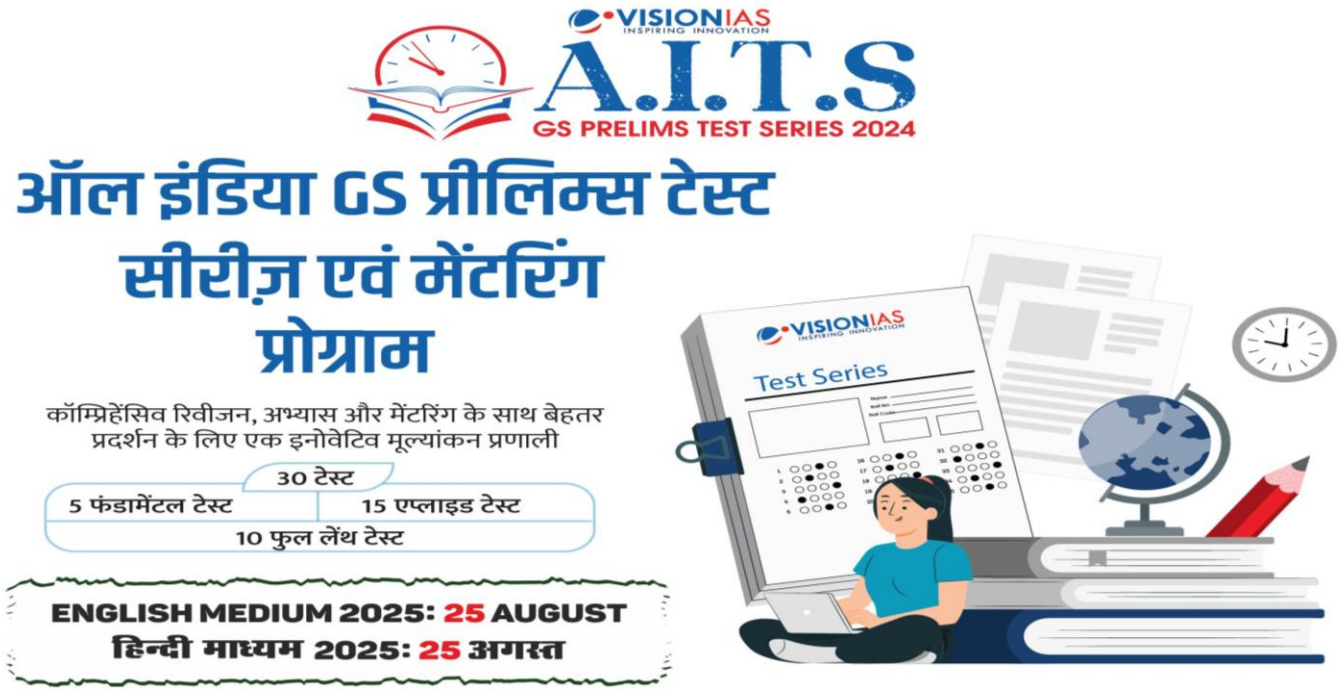

[4] Proportional Representation

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.6.1. कैबिनेट समितियां (Cabinet Committees)

केंद्र सरकार ने **8 कैबिनेट समितियों** का गठन किया है।

कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में

- ये समितियां **भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961** के तहत गठित की जाती हैं।
- कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए **समिति प्रणाली** का उपयोग करती है।
- **निम्नलिखित विषयों पर कैबिनेट समितियां गठित की जाती हैं:**
  - नियुक्ति;
  - आवास;
  - आर्थिक मामले;
  - संसदीय मामले;
  - राजनीतिक मामले;
  - सुरक्षा;
  - निवेश और संवृद्धि; तथा
  - कौशल, रोजगार और आजीविका।
- **राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति** और **नियुक्ति समिति** की अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** करता है तथा **संसदीय मामलों की समिति** की अध्यक्षता **गृह मंत्री** करता है।

1.6.2. संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि **भारत में विविधता को बनाए रखने के लिए 'संवैधानिक नैतिकता'** आवश्यक है।

- संवैधानिक नैतिकता (Constitutional morality) में **संवैधानिक मानदंडों का पालन करना** शामिल होता है। यहां संवैधानिक मानदंडों का आशय **केवल संविधान में लिखे गए शब्दों का ही पालन नहीं है, बल्कि इनके उद्देश्यों यानी इनकी वास्तविक भावना** का भी पालन करना है।
  - संवैधानिक नैतिकता, वास्तव में संविधान की शाब्दिक व्याख्या से आगे जाकर संप्रभुता, सामाजिक न्याय एवं समानता जैसे **संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता** को भी शामिल करती है।
- संवैधानिक नैतिकता यानी **कांस्टीट्यूशनल मोरैलिटी** शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार **जॉर्ज ग्रोट** ने किया था।
  - उन्होंने **स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बीच संतुलन** पर जोर दिया था। इसके तहत नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने के साथ-साथ उनकी आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार:**
  - लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान के **सुचारू रूप से काम करने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक** है। हालांकि, यह कोई **स्वाभाविक या प्राकृतिक भावना** नहीं है, बल्कि यह एक **सतत प्रक्रिया द्वारा विकसित** होनी चाहिए।
  - **प्रशासन के स्वरूप और संविधान के स्वरूप** के बीच एक **मजबूत संबंध** मौजूद होता है।
    - जैसे कि-**संविधान के स्वरूप को बदले बिना**, केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर संविधान की भावना की उपेक्षा की जा सकती है। इस तरह **संविधान को कमजोर** किया जा सकता है।
    - इसलिए, उन्होंने **संविधान में ही प्रशासन के स्वरूप को तय करने का समर्थन** किया था।
- **संवैधानिक नैतिकता से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान**
  - **मूल अधिकार:** ये **राज्य द्वारा अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकार** हैं।
  - **मूल कर्तव्य:** ये देश के नागरिकों के **राष्ट्र के प्रति 11 कर्तव्य हैं।**
  - **शक्तियों का पृथक्करण:** इसमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की **न्यायिक समीक्षा** करना, **विधायिका** द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की **निगरानी** करना आदि शामिल हैं।

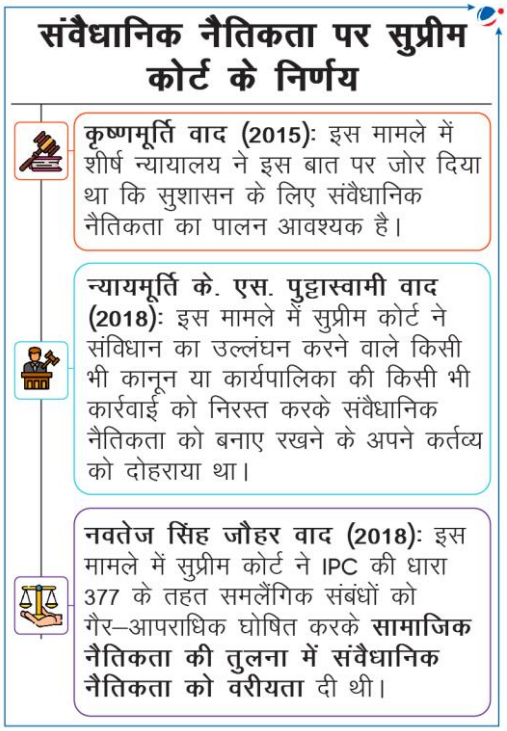

संवैधानिक नैतिकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #21 (अंग्रेजी में): संवैधानिक नैतिकता

1.6.3. नीति आयोग का पुनर्गठन (Reconstitution of Niti Aayog)

नीति आयोग का पुनर्गठन इस साल जून में नई सरकार के गठन के बाद किया जाना प्रस्तावित था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग के **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को छोड़कर आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार के कार्यकाल** के साथ समाप्त हो जाता है।

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति/ NITI) आयोग के बारे में

- यह सरकार का एक **थिंक-टैंक** है। इसका गठन **2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए** किया गया था। इसका गठन **योजना आयोग की जगह** किया गया है।
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष:** भारत का प्रधान मंत्री।
  - **इसके शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - प्रधान मंत्री;
    - सभी राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री;
    - अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/ प्रशासक;
    - पदेन सदस्य;
    - उपाध्यक्ष, नीति आयोग;
    - पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग;
    - विशेष आमंत्रित सदस्य, आदि।
- **पदेन सदस्यों** में प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम **4 सदस्य** शामिल होते हैं।
- **विशेष आमंत्रित सदस्यों** में प्रधान मंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्रक का ज्ञान रखने वाले **एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स** शामिल हैं।
  - **क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils):** इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आकस्मिकताओं का समाधान करना है।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** इस पद पर भारत सरकार के **सचिव रैंक** के अधिकारी को प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- **नीति आयोग के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं:**
  - देश में **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने का पर्यवेक्षण और निगरानी** करना, तथा
  - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा** देना।

1.6.4. अनुच्छेद 341 (Article 341)

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य संविधान के **अनुच्छेद 341 के तहत जारी अनुसूचित जाति (SC) सूची में बदलाव नहीं** कर सकते।

- शीर्ष न्यायालय ने **आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय** को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के **बिहार सरकार** के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

अनुच्छेद 341 के बारे में

- **राष्ट्रपति** आधिकारिक तौर पर कुछ समूहों को किसी राज्य विशेष या केंद्र शासित प्रदेश के लिए **अनुसूचित जाति (SC) के रूप में नामित** कर सकते हैं।
  - राज्यों के मामले में, **राज्यपाल से परामर्श के बाद** किसी समूह को SC सूची में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में **संपूर्ण जाति, मूलवंश, जनजाति या उपसमूह** शामिल हो सकते हैं।
  - **संसद कानून बनाकर** अनुसूचित जातियों की सूची में **नए समूह को शामिल** कर सकती है या किसी **समूह को सूची से हटा** सकती है।

1.6.5. राष्ट्रपति ने पंजाब विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना किया (President Returns Bill Passed by Punjab Legislative Assembly)

पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख लिया था।

- विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना

- संविधान के **अनुच्छेद 200** में राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में **राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख** किया गया है।
    - इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल या तो किसी विधेयक पर **अपनी अनुमति दे देता है या अनुमति को रोक सकता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रख सकता है।
- आरक्षित विधेयक का कानून बनना राष्ट्रपति की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर करता है, इसमें **राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं** रह जाती है।
- यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान-मंडल को लौटाने का निर्देश देता है, तो **राज्य विधान-मंडल को 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना होगा और इसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष** प्रस्तुत करना होगा।
    - हालांकि, इसके बाद भी राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचारित विधेयक पर स्वीकृति देना **अनिवार्य नहीं** है।

राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की अन्य शक्तियां

- एक बार जब कोई विधेयक राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित हो जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में राज्यपाल के पास **निम्नलिखित चार विकल्प होते हैं:**
    - **सहमति देना:** वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जिससे विधेयक कानून बन जाता है।
    - **सहमति रोकना:** वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है।
    - **पुनर्विचार के लिए लौटाना:** यदि कोई विधेयक **धन विधेयक नहीं** है, तो राज्यपाल विधेयक पर या उसके किन्हीं विशेष प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए उसे राज्य विधान सभा या विधान-मंडल को वापस भेज सकता है।
        - यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल **अनुमति देने के लिए बाध्य** है।
    - वह विधेयक को **राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित** रख सकता है।

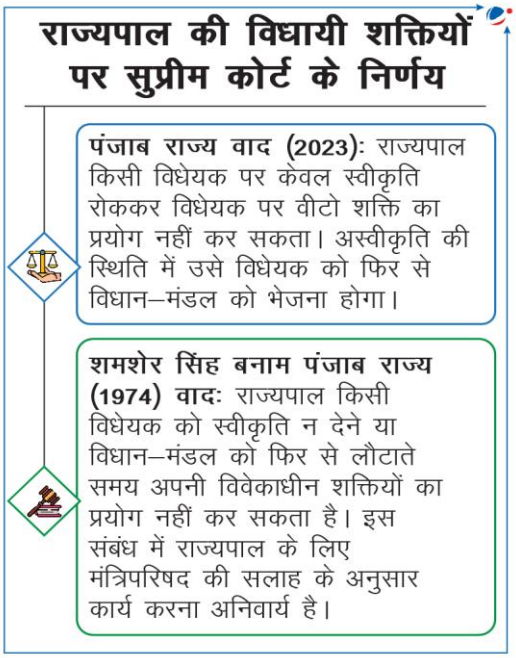

1.6.6. खनिज पर कर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court's Judgment on Mineral Taxation)

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि **राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है।**

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की **संविधान पीठ** ने 8-1 के बहुमत से अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय में कहा गया है कि **राज्यों को खदानों, खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है।**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का राज्य विधान-मंडलों का अधिकार संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून (MMDRA), 1957 द्वारा सीमित नहीं** है।
    - हालांकि, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में से एक न्यायाधीश ने असहमति वाला फैसला सुनाया। उन्होंने **राज्यों को खनिज भूमि पर कर लगाने का अधिकार देने के प्रतिकूल परिणामों के बारे में चेतावनी** दी।
- **सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा?**
    - खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार का उल्लेख संविधान की **7वीं अनुसूची की सूची-II यानी राज्य सूची की प्रविष्टि (एंट्री)-50** में है। संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए अपनी **अवशिष्ट शक्ति (Residuary power)** का उपयोग नहीं कर सकती है।
        - हालांकि, प्रविष्टि-50 में कहा गया है कि संसद खनिज विकास पर कानून बनाकर खनिज पर कर लगाने के **राज्य के अधिकार को सीमित** कर सकती है। लेकिन, **MMDRA कानून में राज्यों के अधिकार को सीमित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं** किया गया है।

        - 7वीं अनुसूची की **सूची-I यानी संघ सूची की प्रविष्टि-54** में खनिजों के मामले में केंद्र सरकार की जिस शक्ति का उल्लेख किया गया है वह **विनियामक प्रकृति** की है। इसमें केंद्र को **कर लगाने का अधिकार देना शामिल नहीं** है।
    - इसके अलावा, **सूची-II यानी राज्य सूची की प्रविष्टि-49 में "भूमि" शब्द में खनिज वाली भूमि** भी शामिल है। इस तरह यह प्रावधान **राज्यों को खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार** देता है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने **1989 के फैसले को खारिज कर दिया और माना कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और इसकी प्रकृति भी टैक्स जैसी नहीं** है। यह **MMDRA कानून के अंतर्गत नहीं** आता है।
- **MMDRA, 1957 कानून के बारे में**
    - यह कानून भारत में **खनन क्षेत्रक को शासित** करता है। **यह निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है:**
        - खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण (Reconnaissance) हेतु परमिट;
        - पूर्वेक्षण लाइसेंस (खनिज की खोज और खनिज भंडार की पुष्टि के लिए);
        - खनन पट्टा (खनिज निकालने के लिए) देना; और
        - संयुक्त लाइसेंस (खनिज की खोज और खनिज निकालने, दोनों के लिए)।

MMDRA कानून में 2023 में किए गए संशोधन

- संशोधन के जरिए कानून में **गहराई में स्थित खनिजों और महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस** देने संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। जिन कार्यों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, उनमें **खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण (Reconnaissance) और खनिज भंडार के सटीक अनुमान एवं पुष्टि (prospecting)** के कार्य भी शामिल हैं।
- यह कानून केंद्र सरकार को कुछ **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस देने हेतु नीलामी** आयोजित करने का अधिकार देता है।
    - **नीलामी केंद्र सरकार** द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन **खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस केवल राज्य सरकारों** द्वारा दिया जाएगा।
- **लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम** जैसे कुछ खनिजों को **परमाणु खनिजों की सूची से हटा** दिया गया है।

1.6.7. विदेशी विषयक अधिकरण (Foreigners Tribunals)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **असम** के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के **विदेशी विषयक अधिकरण** ने विदेशी करार दिया था।

विदेशी विषयक अधिकरणों के बारे में

- **स्थापना:** ये **अर्ध-न्यायिक निकाय** हैं। इन्हें **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3** के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964** के तहत स्थापित किया गया है।
- **अधिकार क्षेत्र:** भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
    - इसका अर्थ है कि असम के **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)** में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है।
- **शक्ति:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।
- **स्थापना अधिकार:** राज्यों के पास है।

1.6.8. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC)

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास बेंचों को गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में:

- **उत्पत्ति:** यह **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** के तहत गठित एक **वैधानिक संस्था** है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सरकार के पास उपलब्ध साझा करने योग्य सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।
- **कार्य:** RTI अधिनियम के बारे में किसी भी नागरिक से शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना, द्वितीय अपील का निपटारा करना, आदि।
- **सदस्य:** आयोग में एक **मुख्य सूचना आयुक्त** (CIC) और अधिकतम **10 सूचना आयुक्त** होते हैं।
- **नियुक्ति:** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
    - प्रधान मंत्री (समिति के अध्यक्ष),
    - लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष,
    - प्रधान मंत्री द्वारा नामित **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।**
- **कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति **तीन साल की अवधि के लिए** की जाती है।

1.6.9. कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres)

कॉमन सर्विस सेंटर्स-स्पेशल पर्पज व्हीकल (CSC-SPV) की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए। CSC-SPV, **कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी** करता है।

- **कॉमन सर्विस सेंटर्स-स्पेशल पर्पज व्हीकल (CSC-SPV) के बारे में**
  - इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत स्थापित किया था।
  - यह कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक **केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।
  - **विज़न:** कॉमन सर्विस सेंटर्स को नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित करना।

- **कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के बारे में**
  - ये 2006 में शुरू की गई **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तीन स्तंभों** में से एक हैं।
    - NeGP के अन्य दो स्तंभ हैं- **कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक/ राज्य डेटा केंद्र।**
  - कॉमन सर्विस सेंटर्स भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को **एकीकृत तरीके** से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्रक की **सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र** हैं।
  - ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए **अखिल भारतीय नेटवर्क** हैं।
  - **कॉमन सर्विस सेंटर्स से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **सरकार से नागरिक सेवाएं (G2C):** जैसे-आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आदि;
    - **व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं (B2C):** जैसे-भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, आदि;
    - **वित्तीय सेवाएं:** बैंकिंग, बीमा, पेंशन, आदि।
- **कॉमन सर्विस सेंटर्स का महत्त्व**
  - **डिजिटल समावेशन:** कॉमन सर्विस सेंटर्स देश के दूरदराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके **शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल डिवाइड को कम** करते हैं।
  - **रोजगार के अवसर उत्पन्न करना:** कॉमन सर्विस सेंटर्स नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने, रोजगार योग्य बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं।
  - **अन्य महत्त्व:** ये केंद्र वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं; ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देते हैं; ई-कॉमर्स एकीकरण में मदद करते हैं आदि।

1.6.10. संपूर्णता अभियान (Sampoornata Abhiyan)

- यह **आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में भी 6 प्रमुख संकेतकों** में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने का अभियान है। इसे **3 महीनों** के लिए शुरू किया गया है।
  - ये जिले और ब्लॉक्स क्रमशः **आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम** के अंतर्गत शामिल हैं।
  - **आकांक्षी जिलों के प्रमुख संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं-**
    - वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या;
    - माध्यमिक स्तर पर निरंतर आपूर्ति वाले बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों का प्रतिशत;
    - पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत आदि।
  - **आकांक्षी ब्लॉक्स के प्रमुख संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं-**
    - मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत;
    - रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का प्रतिशत आदि।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में**

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme)
इसे **नीति आयोग** के तहत **2018 में शुरू** किया गया था।	इसे **नीति आयोग** के तहत **2023 में शुरू** किया गया।
यह देश भर के **112 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य** पर केंद्रित है।	देश भर के **500 ब्लॉक्स (329 जिले) में आवश्यक सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता** प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है।

यह निम्नलिखित पांच विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है:	यह भी निम्नलिखित पांच विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है:
• स्वास्थ्य और पोषण; • शिक्षा; • कृषि और जल संसाधन; • वित्तीय समावेशन और कौशल विकास; तथा • बुनियादी ढांचा।	• स्वास्थ्य और पोषण; • शिक्षा; • कृषि और संबद्ध सेवाएं; • बुनियादी ढांचा; तथा • सामाजिक विकास।
विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है।	**विकास के 40 संकेतकों** पर प्रगति को मापा जाता है।

1.6.11. त्रुटि सुधार (Errata)

जून, 2024 मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 1.2 "नए राज्यों की मांग" में गलती से 'तेलंगाना की नई राजधानी (अमरावती)' का उल्लेख किया गया था। *सही जानकारी "**आंध्र प्रदेश** की नई राजधानी (अमरावती)" है।*

QUIZ

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता (Instability in India's Neighbourhood)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधान मंत्री के इस्तीफे के कुछ समय बाद, बांग्लादेश में एक **अंतरिम सरकार** का गठन हुआ। इसका नेतृत्व **बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस** कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश के **ग्रामीण बैंक के संस्थापक** के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में **सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट)** और **सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस)** का विचार दिया था।
- **बांग्लादेश में अशांति** और पड़ोसी देशों में अस्थिरता सहित **दक्षिण एशिया की हालिया राजनीतिक उथल-पुथल** का **भारत के रणनीतिक हितों तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव** पड़ा है।

बांग्लादेश में घटित हालिया घटनाक्रम के संभावित प्रभाव

- **भारत-बांग्लादेश भागीदारी में अवरोध:** बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री के पद से हटने का अर्थ है कि भारत दक्षिण एशिया में एक विश्वसनीय भागीदार से वंचित हो गया है।
  - **बांग्लादेश की पिछली सरकार के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध थे** और दोनों देशों ने बांग्लादेश से संचालित होने वाले **आतंकवादी समूहों से निपटने** के लिए मिलकर कार्य किया था।
- **अवैध प्रवासन और जबरन विस्थापन में वृद्धि:** बांग्लादेश में अतिवाद (Extremism) के बढ़ने से वहां की अल्पसंख्यक आबादी के समक्ष खतरा बढ़ सकता है। इससे वे भारत की ओर प्रवास करने पर मजबूर हो सकते हैं। यह भारत के सीमावर्ती राज्यों पर दबाव डाल सकता है, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है।
- **बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप:** यदि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान या चीन के साथ गठबंधन करती है, तो इससे भारत के लिए सीधा खतरा पैदा सकता है।
- **आर्थिक और निवेश संबंधी खतरे:** वर्ष 2016 से भारत द्वारा बांग्लादेश में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 8 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है।
  - **अखौरा-अगरतला रेल लिंक और खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन** जैसी प्रमुख परियोजनाओं को खतरा हो सकता है।

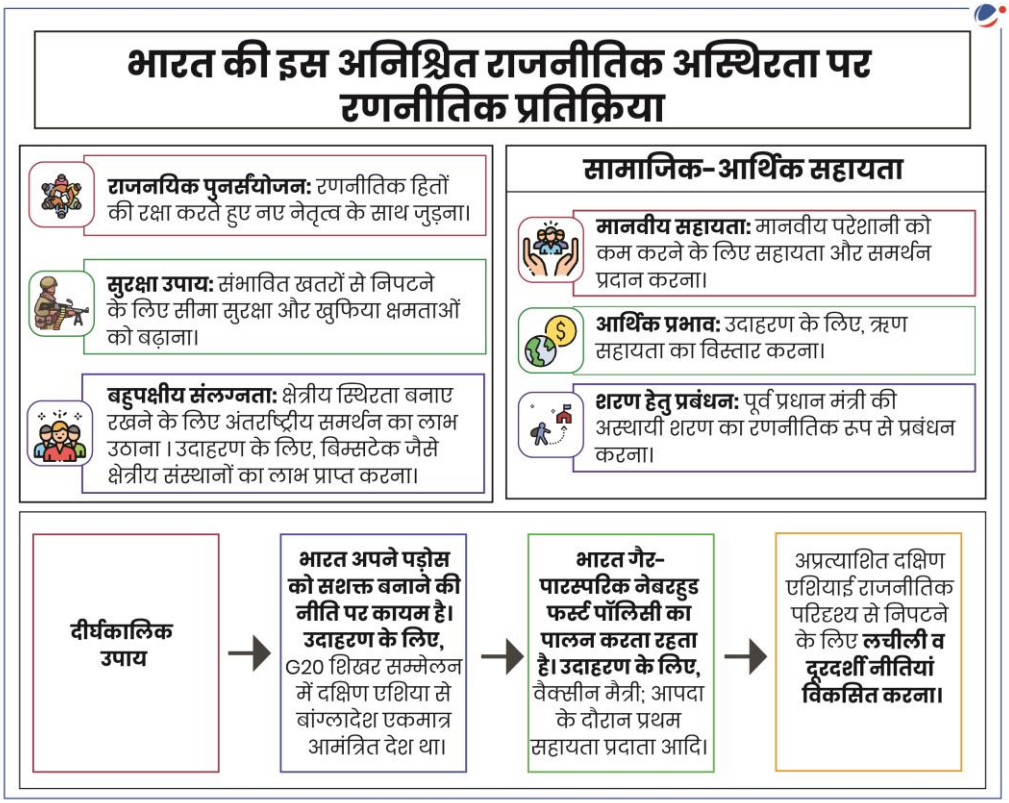

पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव

- **म्यांमार:** म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों की साझा सीमा है। इससे विद्रोही गतिविधियों और शरणार्थियों के आगमन की संभावना बढ़ सकती है।
    - पहले से ही, **32,000 से अधिक नृजातीय चिन समुदाय के लोग भारत के मिजोरम राज्य में शरण** ले चुके हैं। साथ ही, हजारों लोग **मणिपुर में प्रवेश कर गए हैं, जहां उनके आगमन ने हिंसक नृजातीय संघर्ष को बढ़ावा** दिया है।

- **अफगानिस्तान:** भारत अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। साथ ही, यह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से जुड़े सुरक्षा संबंधी निहितार्थों को लेकर भी चिंतित है।
    - यह स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि चरमपंथी समूह इस क्षेत्र में अपना आधार बना सकते हैं। इससे सीमा-पार आतंकवाद की संभावना बढ़ सकती है।
- **श्रीलंका:** भारत के लिए श्रीलंका की अवस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।
    - भारत को **संभावित शरणार्थी आगमन, आर्थिक प्रभाव और चीनी प्रभाव को लेकर रणनीतिक चिंताओं का सामना** करना पड़ता है।
- **मालदीव:** यहां भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। इनमें शामिल हैं- **कट्टरपंथ का मुकाबला करना, मालदीव के हर क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से निपटना, हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मालदीव की अस्थिर आंतरिक राजनीति के बीच राजनयिक संबंधों को संतुलित करना,** आदि।
- **नेपाल:** सरकार में बार-बार बदलाव तथा बढ़ते चीनी प्रभाव से भारत के क्षेत्रीय हित और संबंध जटिल बन गए हैं।
    - हाल ही में, नेपाल में 16 वर्षों में 14वीं सरकार का गठन हुआ है।

आगे की राह

- भारत हमेशा से **तर्कपूर्ण वार्ता करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक** रहा है। इसलिए, भारत ने **सामान्य रूप से वैश्विक मुद्दों और विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों** पर अपने दृष्टिकोण में **संवाद, परामर्श एवं निष्पक्षता** का समावेश किया है।
- इस संदर्भ में, भारत ने **5 'स' जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोण को अपनाया** है।

नोट: *भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जून 2024 मासिक समसामयिकी में आर्टिकल 2.2 "भारत-बांग्लादेश संबंध" देखें।*

2.2. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (International Humanitarian Law: IHL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

12 अगस्त 2024 को **1949 के जिनेवा कन्वेंशंस की 75वीं वर्षगांठ मनाई** जाएगी। ध्यातव्य है कि जिनेवा कन्वेंशन में ही **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) की आधारशिला** रखी गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- जिनेवा कन्वेंशंस निम्नलिखित के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर संधियों की एक श्रृंखला है-
  - **स्थल पर घायल और बीमार सैनिक;**
  - **समुद्र में घायल और बीमार सैनिक तथा क्षतिग्रस्त जहाज के सैन्यकर्मी;**
  - **युद्धबंदी; तथा**
  - **नागरिक, जिनमें कब्जे वाले क्षेत्र के नागरिक भी शामिल हैं।**
- रूस और यूक्रेन के बीच के संघर्ष तथा गाजा में चल रहे संघर्ष ने मानवतावादी कानूनों के दुखद उल्लंघन को प्रदर्शित किया है। साथ ही ये घटनाएं अत्याचारों को रोकने में IHL की विफलताओं को भी उजागर करती हैं।

क्या आप जानते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (IHRLs) **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (International Humanitarian Law: IHL)** से अलग हैं।

- **IHL केवल सशस्त्र संघर्ष में लागू** होता है, जबकि IHRL **शांतिकाल और सशस्त्र संघर्ष दोनों स्थितियों में** लागू होता है।
- **IHL सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी** होता है तथा राज्य और गैर-राज्य पक्षकारों के बीच अधिकारों एवं दायित्वों की समानता स्थापित करता है।
  - IHRL, यद्यपि, स्पष्ट रूप से **एक राज्य और उसके क्षेत्र में रहने वाले और/ या उसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्तियों** के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के बारे में

- IHL को **युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून** के रूप में भी जाना जाता है। यह नियमों का एक सेट है, जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने और उन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए मानवीय कारणों की तलाश करता है, जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं या अब तक उसमें शामिल नहीं हुए हैं।

- **1949 के 4 जिनेवा कन्वेंशंस (जिनेवा कन्वेंशंस- I, II, III और IV) तथा इसके 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स** आधुनिक IHL के आधार हैं।
  - विश्व के सभी देशों ने इन्हें **सार्वभौमिक रूप से स्वीकार** कर लिया है या इनका **अनुसमर्थन** कर दिया है।
  - ये **घोषित युद्ध के सभी मामलों में या राष्ट्रों के बीच किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष** में लागू होते हैं। ये कन्वेंशंस उन मामलों में भी लागू होते हैं, **जहां किसी राष्ट्र पर किसी अन्य राष्ट्र के सैनिकों का आंशिक या पूर्णतः कब्जा हो, भले ही उस कब्जे के खिलाफ कोई सशस्त्र प्रतिरोध न** हो रहा हो।
- **IHL से संबंधित अन्य संधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए **हेग कन्वेंशन, 1954;**
  - **जैविक हथियार कन्वेंशन, 1972;**
  - **रासायनिक हथियार कन्वेंशन, 1993;** तथा
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए **रोम संविधि, 1998**

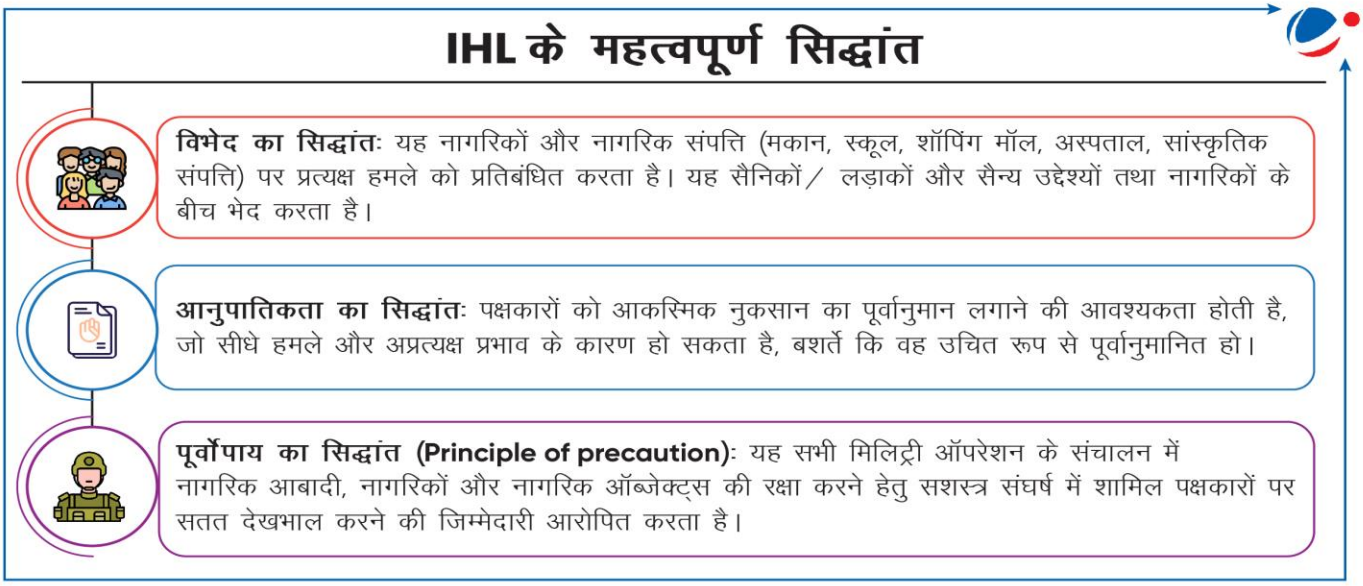

IHL के प्रभावी प्रवर्तन में चुनौतियां

- **राजनीतिक**
  - **राज्य हित बनाम मानवतावाद संबंधी चिंताएं:** राज्य अक्सर मानवतावादी दायित्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, IHL का चयनात्मक अनुपालन होता है।
  - **गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-State Actors): गैर-राज्य सशस्त्र समूहों** का उदय IHL के कार्यान्वयन के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करता है। ये समूह अक्सर IHL को मान्यता नहीं देते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं।
- **कानूनी**
  - **प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण के अभाव के कारण IHL के उल्लंघनों पर अक्सर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
    - **उदाहरण के लिए-** सीरियाई गृहयुद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग सहित IHL के कई प्रावधानों के प्रलेखित उल्लंघनों के बावजूद, की गई कार्रवाई युक्तिसंगत नहीं थी।
  - **क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे: राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार को सीमित** कर सकता है। इससे उल्लंघनकर्ताओं (विशेष रूप से म्यांमार में रोहिंग्या संघर्ष जैसे गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के मामले में) को जवाबदेह ठहराने के प्रयास जटिल हो सकते हैं।
- **वैश्विक गवर्नेंस**
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वीटो शक्ति:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अक्सर उसके पांच स्थायी सदस्यों (P5) को प्राप्त वीटो शक्ति के कारण गतिरोध का सामना करना पड़ता है। इससे IHL के उल्लंघन के मामलों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है।
    - **उदाहरण के लिए-** सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान होने वाले युद्ध अपराधों का समाधान निकालने के उद्देश्य से कई संकल्प लाए गए थे। इन संकल्पों को अवरुद्ध करने के लिए रूस और चीन ने बार-बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था।

- **सीमित समर्थन एवं संसाधन:** शांति स्थापना मिशनों के पास अक्सर विश्व के अलग-अलग राष्ट्रों का सीमित समर्थन होता है। इसके अलावा, इन मिशनों के लिए आवश्यक संसाधन भी सीमित होते हैं। इससे नागरिकों की सुरक्षा करने और IHL को लागू करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
    - उदाहरण के लिए- दारफुर में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMID) को अपर्याप्त संसाधनों और सूडान की सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जूझना पड़ा था।

- **तकनीकी**
    - **स्वचालित एवं लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले हथियार[5]:** घातक ऑटोनोमस ड्रोन जैसी स्वचालित हथियार प्रणाली का उपयोग, IHL के संदर्भ में जवाबदेही और अनुपालन के संबंध में नैतिक एवं कानूनी सवाल उत्पन्न करता है।
    - **साइबर युद्ध:** साइबरस्पेस में IHL को किस तरह से लागू किया जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। साथ ही, इस संबंध में अनिश्चितता है कि मौजूदा कानून साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों पर किस प्रकार लागू होते हैं।

आगे की राह

- **वैश्विक गवर्नेंस:**
    - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार:** इसे और अधिक प्रतिनिधिक बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर अत्याचारों और IHL के गंभीर उल्लंघनों से जुड़े मामलों में वीटो शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसा कि हाल ही में G-4 राष्ट्रों द्वारा मांग की गई है।
    - **क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जैसी संस्थाओं को IHL को लागू करने में क्षेत्रीय संगठनों {जैसे- अफ्रीकी संघ (AU), यूरोपीय संघ (EU), आसियान आदि} को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **राजनीतिक**
    - **राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों को मजबूत करना:** राष्ट्रों को अपनी घरेलू कानूनी प्रणालियों में IHL को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे राष्ट्रीय स्तर पर IHL के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा।
    - **गैर-राज्य अभिकर्ताओं को शामिल करना:** गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा मानवतावादी मानदंडों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 'औपचारिक मानवतावादी प्रतिबद्धता' (Deeds of Commitment)' पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
        - **डीड्स ऑफ़ कमिटमेंट** एक औपचारिक मानवतावादी प्रतिबद्धता है। इस पर सशस्त्र गैर-राज्य अभिकर्ता औपचारिक रूप से मानवतावादी मानदंडों का पालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने हेतु हस्ताक्षर करते हैं।

[5] Autonomous and remote weapons

- **शांति समझौतों में IHL अनुपालन को अनिवार्य बनाना:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शांति समझौतों में स्पष्ट रूप से IHL का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल हो तथा निगरानी और प्रवर्तन के लिए स्पष्ट तंत्र भी समाविष्ट हो।

- **तकनीकी अनुकूलन**
  - **साइबर सुरक्षा में IHL:** साइबर युद्ध में IHL को लागू करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल्स विकसित करने चाहिए। असैन्य और सैन्य लक्ष्यों के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि सिविल महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की रक्षा की जा सके।
  - **स्वचालित हथियारों का विनियमन:** स्वचालित हथियार प्रणालियों के विकास और उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे IHL सिद्धांतों, विशेष रूप से विभेदीकरण और आनुपातिकता[6] से संबंधित सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

2.3. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization: SCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित** किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में **अस्ताना घोषणा-पत्र (Astana Declaration)** को अपनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **शिखर सम्मेलन का शीर्षक था:** "बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना- एक स्थायी शांति एवं समृद्धि की दिशा में प्रयास करना[7]।"

[6] Distinction and proportionality

[7] Strengthening Multilateral Dialogue—Striving Towards a Sustainable Peace and Prosperity

- **पहली बार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव** ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- **शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष:**
  - 2025-2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु सहयोग कार्यक्रम;
  - SCO के सदस्य देशों ने **कजाकिस्तान** द्वारा प्रस्तावित **'न्यायपूर्ण शांति, सद्भाव और विकास के लिए विश्व एकता '** पहल का समर्थन किया।
  - **मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना:** 2024-2029 के लिए SCO की मादक पदार्थों के खिलाफ रणनीति।
- **बेलारूस SCO के 10वें सदस्य** के रूप में शामिल हुआ।

SCO की वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को नया आकार देने में भूमिका

- **SCO का वैश्विक धुरी के रूप में उभरना:** SCO मध्य एशिया से परे विस्तार करके और अपनी भौगोलिक एवं भू-राजनीतिक पहुंच का विस्तार करके 'बहुपक्षवाद को नया आकार दे रहा है'।
  - उदाहरण के लिए- इसके सदस्य देश पहले से ही विश्व के आर्थिक उत्पादन के लगभग 23 प्रतिशत और वैश्विक आबादी के 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे SCO मास्को और बीजिंग के भू-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी बन जाता है।
- **SCO द्वारा पश्चिम की संस्थाओं को चुनौती:** SCO वैकल्पिक बहुपक्षीय संस्थाओं को बढ़ावा देकर वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया आकार देने के लिए अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।
  - उदाहरण के लिए- नाटो का सदस्य तुर्किये SCO का वार्ता भागीदार है और इसका पूर्ण सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है।
- **सुरक्षा संबंधी शून्यता को भरना:** 2021 में नाटो गठबंधन (अमेरिका के नेतृत्व में) द्वारा अफगानिस्तान को छोड़कर जाने से जो सुरक्षा शून्यता उत्पन्न हुई है SCO उसे भरने का प्रयास कर रहा है।
  - **SCO ने 2005** में काबुल के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए **अफगानिस्तान संपर्क समूह** (ACG)[8] **की स्थापना** की थी।

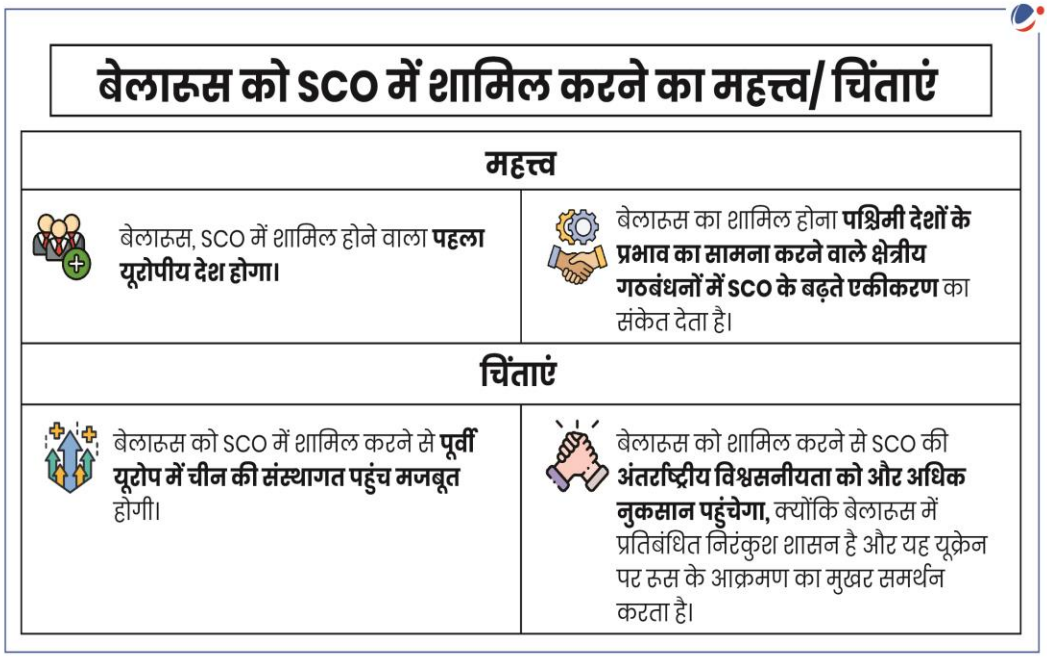

- **आतंकवाद-रोधी संरचना:** SCO ने सदस्य देशों के बीच आतंकवाद-रोधी प्रयासों में समन्वय के लिए **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)** की स्थापना की है।
- **SCO चीन की रणनीतिक योजना को पूरा कर रहा है:** चीन स्वयं को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए SCO का उपयोग करता है और अमेरिका के नेतृत्व वाली संस्थाओं के लिए विकल्प प्रदान करता है। साथ ही, वह स्वयं को ग्लोबल साउथ के समर्थक के रूप में भी प्रस्तुत करता है।
  - यहां तक कि रूस भी **पश्चिम के प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करने के लिए SCO को एक उपयोगी मंच के रूप में देखता है।

[8] Afghanistan Contact Group

- **मध्य एशिया में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए:** SCO ऐतिहासिक रूप से इस अलग-थलग क्षेत्र में गलियारों एवं अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
    - जैसे- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), चाबहार परियोजना आदि।

SCO के समक्ष मौजूद चुनौतियां

इसकी विस्तृत भूमिका से जुड़ी हुई चुनौतियां:

- **विस्तार संबंधी दुविधा:** SCO का विस्तार (जिसमें बेलारूस की सदस्यता भी शामिल है) इसकी वैश्विक छवि को तो विस्तृत करता है, लेकिन क्षेत्रीय फोकस को कमजोर करता है।
- **एशिया पर कम ध्यान केंद्रित करना:** SCO की स्थापना केवल मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। इस तरह का विस्तार, संभावित रूप से सदस्यों को वैकल्पिक सहयोग संरचनाओं की तलाश करने के लिए बाध्य कर सकता है।
- **विस्तार से चीन के आक्रामक रुख को बल मिलता है:** चीन समान विचारधारा वाले सदस्यों की संख्या को बढ़ाने और उनकी भागीदारी के दावे को इस बात का सबूत मानता है कि बड़ी संख्या में देश उसके वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

अन्य चुनौतियां

- **स्वार्थ से प्रेरित अफगानिस्तान नीति:** SCO सदस्य अपने-अपने हितों के लिए **तालिबान के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ते** जा रहे हैं। यह जुड़ाव संभावित रूप से अफगानिस्तान संबंधी चुनौतियों से निपटने में SCO के सामूहिक दृष्टिकोण और प्रभावशीलता को कमजोर कर रहा है।
    - इस तरह की भागीदारी भारत के **"स्थायी शांति और सुलह के लिए एक अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित प्रक्रिया"** मत के खिलाफ है।

- **चीन का बहुपक्षीय स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन:** चीन का लक्ष्य इस समूह को अपने क्षेत्रीय भू-आर्थिक और सामरिक हितों के लिए चीन के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय मंच में बदलना है।
    - **उदाहरण के लिए-** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को क्षेत्रीय प्रमुखता दिलवाने में मदद करना।
- **SCO में "पहचान का संकट":** यह आलोचना की जाती है कि SCO के निर्णयों में **आवश्यक कार्यकारी गारंटी का अभाव है।** परिणामस्वरूप, **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की तरह यह संगठन भी केवल चर्चा करने और मत एवं विचारों की घोषणा करने का मंच** बन गया है।
- **अलग-अलग हित:** सदस्य राष्ट्रों के अपने अलग-अलग हित हैं, जिससे संगठन में आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
    - उदाहरण के लिए- भारत ने घोषणा की है कि **'पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है'।**

भारत और SCO

- वर्ष **2005** में भारत को **SCO में पर्यवेक्षक** का दर्जा दिया गया था। **2017** में भारत आधिकारिक तौर पर **पूर्ण सदस्य** के रूप में SCO में शामिल हो गया था।
- SCO के 24वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से भेंट की। उन्होंने दोहराया कि भारत-चीन संबंधों को तीन पारस्परिक पहलुओं **(परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हितों)** को ध्यान में रखकर ही बेहतर बनाया जा सकता है।

- ब्रिक्स की तरह ही SCO भी अधिक प्रभाव हासिल करने के लिए विस्तार करना चाहता है, ताकि **चीन और रूस के वैश्विक दृष्टिकोण को अधिक से अधिक महत्त्व** प्राप्त हो सके।
- हालांकि, भारत SCO मंच को पश्चिम विरोधी एजेंडे की बजाय **विकास-केंद्रित संगठन** के रूप में फिर से संरचित करना चाहता है।
    - इस संबंध में, भारत एक संतुलन निर्मित करता है और SCO को चीन के प्रभाव के अधीन आने से रोकता है।

SCO के सदस्य के रूप में भारत के संतुलनकारी कार्य एवं प्राथमिकताएं

- ज्ञातव्य है कि **भारतीय प्रधान मंत्री अस्ताना में आयोजित हुए 24वें SCO शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं** हुए थे।
    - इसके अलावा, भारत ने **SCO की अपनी पहली अध्यक्षता के तहत** 2023 में वर्चुअल प्रारूप में बैठक की मेजबानी की थी।
- **अवसंरचना:** भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं में चीनी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करता है। यह मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs)[9] के साथ संबंधों को बेहतर बनाने हेतु SCO मंच का रणनीतिक रूप से उपयोग करता है और उसे प्राथमिकता देता है।
- **आतंकवाद:** SCO में शामिल होने का भारत का मुख्य उद्देश्य अपनी उत्तर-पश्चिमी सीमा से आतंकवाद एवं आतंकवादी समूहों को खत्म करना है।
- **भारत के विज़न को अस्ताना घोषणा-पत्र में शामिल किया गया।** उदाहरण के लिए, भारत की G-20 प्रेसीडेंसी थीम, 'वसुधैव कुटुंबकम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'; स्टार्ट-अप फोरम और पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) पहल आदि।
- SCO में भारत की प्राथमिकताएं प्रधान मंत्री के **'सिक्योर/ SECURE' SCO** के दृष्टिकोण से आकार लेती हैं।
    - **'सिक्योर/ SECURE' का अर्थ है:** सुरक्षा; आर्थिक सहयोग; कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता को सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता; तथा पर्यावरण संरक्षण।

निष्कर्ष

प्रासंगिक बने रहने के लिए, SCO को क्षेत्रीय फोकस के साथ अपने विस्तार को संतुलित करना चाहिए; अफगानिस्तान से संबद्ध चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए तथा चीन के प्रभुत्व को नियंत्रित करते हुए सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। SCO की भविष्य की प्रभावशीलता के लिए आम सहमति-निर्माण तंत्र को मजबूत करना और साझा लक्ष्यों की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।

[9] Central Asian Republics

2.4. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** संपन्न हुआ। भारत के प्रधान मंत्री ने मास्को में रूसी राष्ट्रपति के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **22वां सम्मेलन** भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के फिर से शुरू होने का प्रतीक है, क्योंकि **पिछला वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 में नई दिल्ली** में आयोजित हुआ था।
- प्रधान मंत्री की इस रूस यात्रा को भारत की **संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की रणनीतिक क्षमता की पुष्टि** और पश्चिम को अपनी **रणनीतिक स्वायत्तता** का संकेत देने के रूप में देखा जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?

> हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री की रूस यात्रा पर उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल** से सम्मानित किया गया।
>
> यह पुरस्कार देने की घोषणा 2019 में **"रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधान मंत्री मोदी के विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है।"**

भारत-रूस संबंधों के प्रमुख घटनाक्रम

1947	**भारत और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध स्थापित** किए।
1962	**सोवियत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मिग-21 लड़ाकू विमान** को स्थानीय स्तर पर मिलकर उत्पादन करने पर सहमति बनी।
1971	**शांति, मित्रता और सहयोग की संधि** पर हस्ताक्षर किए गए।
1975	भारत का पहला उपग्रह **'आर्यभट्ट' सोवियत प्रक्षेपण यान 'सोयुज'** से लॉन्च किया गया।
1988	दोनों देशों ने **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते** पर हस्ताक्षर किए।
1993	**मित्रता एवं सहयोग की संधि संपन्न हुई।**
2000	**भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए गए।
2010	रणनीतिक साझेदारी को **विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी** तक बढ़ाया गया।
2021	**पहली भारत-रूस 2+2 (रक्षा और विदेश मंत्री) मंत्रिस्तरीय वार्ता संपन्न हुई।**

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- **व्यापार और आर्थिक साझेदारी:** आर्थिक क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करते हुए **'स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी'** पर बल दिया गया।
  - **2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय मुद्राओं** का उपयोग करके द्विपक्षीय लेन-देन निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
  - **2024-2029** तक की अवधि के लिए **रूसी सुदूर पूर्व** में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में **भारत-रूस सहयोग कार्यक्रम** समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, **रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग सिद्धांतों से संबंधित समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए गए।

- **सैन्य सहयोग:** मेक इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी सैन्य हथियारों और रक्षा उपकरणों के रख-रखाव के लिए **स्पेयर पार्ट्स एवं कंपोनेंट के भारत में संयुक्त विनिर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त** की गई।
- **यूक्रेन मुद्दे पर:** यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों देशों से **वार्ता और कूटनीति के माध्यम** से समाधान निकालने पर बल दिया गया।
- भारत दोनों देशों के बीच बढ़ते आवागमन और व्यापार में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए **कज़ान और यकातेरिनबर्ग में दो नए वाणिज्य दूतावास** खोलेगा।

भारत-रूस संबंधों का समकालीन महत्त्व

दोनों देशों के लिए महत्त्व

- **रणनीतिक:** भारत और रूस दोनों ही अपने पड़ोस में चीन के उदय के बारे में साझा चिंता रखते हैं और **चीन को क्षेत्रीय आधिपत्य** स्थापित करने से रोकना चाहते हैं।
- **वैश्विक व्यवस्था के प्रति साझा दृष्टिकोण:** दोनों देश **बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था** की वकालत करते हैं और किसी भी एक देश द्वारा एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं।
- **सैन्य सहयोग:** यह क्रेता-विक्रेता के संबंध से संयुक्त अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन में बदल गया है। उदाहरण के लिए- **ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और कलाश्निकोव AK203 असॉल्ट राइफलों का दोनों देश मिलकर उत्पादन** कर रहे हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता की रक्षा:** भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों को क्रमशः **अमेरिका एवं चीन पर उनकी बढ़ती निर्भरता को संतुलित करने में मदद** करते हैं। साथ ही, ये संबंध दोनों देशों की स्वतंत्र विदेश नीति को भी अभिव्यक्त करते हैं।
    - रूस ने **फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी** दे दी है। फिलीपींस **दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए इन मिसाइलों को खरीद** रहा है। उल्लेखनीय है कि बढ़ते रूस-चीन संबंधों के बावजूद रूस ने **ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को अनुमति** प्रदान की है।

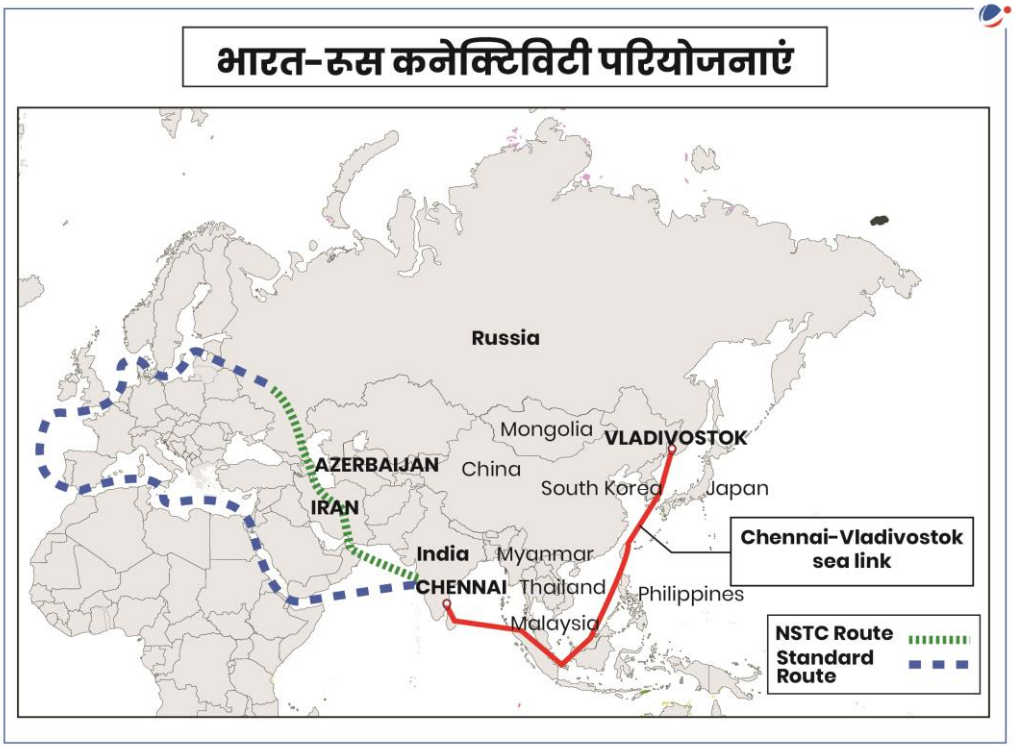

- **आतंकवाद से निपटना:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते** को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने की इच्छा रखते हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, NSG और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
    - उदाहरण के लिए- दोनों देशों ने विस्तारित ब्रिक्स में नए सदस्य राष्ट्रों को शामिल करने का समर्थन किया है।

रूस के लिए महत्त्व	भारत के लिए महत्त्व

• **भू-राजनीतिक:** भारत **पश्चिम से मित्रता रखने वाला विश्व का एकमात्र ऐसा प्रमुख लोकतंत्र** हो सकता है, जो रूस को पश्चिम के साथ वार्ता की राह पर लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
  ○ उदाहरण के लिए- भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से आलोचना नहीं की है और वार्ता के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है।
	• **राजनीतिक:** स्वतंत्र भारत के इतिहास में रूस ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहां तक कि भारत-चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों में भी रूस ने **तटस्थता की स्थिति बनाए** रखी है।
	• **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** रूस एक प्रतिनिधित्वकारी एवं विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
	• **रक्षा:** रूस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए **रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता** है। देश के कुल रक्षा आयात का **36% हिस्सा** रूस से ही आता है।
	  ○ रूस भारत को **S400 एयर डिफेंस सिस्टम** जैसे प्लेटफ़ॉर्म की आपूर्ति कर रहा है और **'तुशील' फ्रिगेट** जैसे आधुनिक फ्रिगेट की भी आपूर्ति करेगा।

• **आर्थिक: पश्चिम द्वारा रूस के बहिष्कार के बीच भारत का विशाल बाजार रूसी रक्षा सामग्री एवं कच्चे तेल** की बिक्री के लिए बेहतर स्थान है।
  ○ रूस, **भारत के सभी व्यापारिक साझेदारों में चौथे स्थान** पर है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग 65.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है।
• रूस द्वारा समर्थित **गैर-पश्चिमी संगठनों** (ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन) में **भारत की सदस्यता इन संगठनों की विश्वसनीयता को मजबूत** करती है।
	• **कनेक्टिविटी:** रूस विविध परियोजनाओं के माध्यम से **मध्य एशिया एवं यूरेशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने** का प्रयास कर रहा है। ये परियोजनाएं हैं- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा।**
	• **आर्थिक:** भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियां **जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए रूस में शीर्ष दवा आपूर्तिकर्ता** के रूप में उभरी हैं।
	• **ऊर्जा:** रूस भारत को **कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता** बन गया है। रियायती कीमतों पर रूसी तेल और उर्वरकों की खरीद ने भारत की मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत लगातार संवृद्धि की राह पर अग्रसर है।
	• **तकनीकी सहयोग:** उदाहरण के लिए- **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गगनयान मिशन** आदि।
	  ○ **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र** वर्तमान में 2000 मेगावाट ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है। अब संयंत्र 4000 मेगावाट की ऊर्जा आपूर्ति पर काम कर रहा है।
	• **क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साझेदारी:** उदाहरण के लिए- रूस अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत-रूस संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **भारत की रूस नीति के समक्ष चुनौतियां:** प्रधान मंत्री की रूस यात्रा की टाइमिंग और उद्देश्य को लेकर **यूक्रेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने आलोचना** की है।
- **रक्षा संबंधी चुनौतियां:** भारतीय और रूसी सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालनीयता का स्तर काफी कम है। इसका प्रमाण **2022 और 2023 में भारत-रूस के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र** का स्थगित होना है।
  - **CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए** S-400 सैन्य सौदे के बाद से भारत-रूस के बीच **कोई भी बड़ा सैन्य सौदा नहीं** हुआ है।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां:**
  - **भारत-अमेरिका के बीच सहयोग:** भारत अपनी **आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं और चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए** पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ा रहा है।
    - **उदाहरण के लिए-** क्वाड जैसे सुरक्षा संगठन में शामिल होना।
  - **रूस-चीन के बीच बढ़ते संबंध:** रूस व चीन के बीच **240 बिलियन डॉलर** से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार है।
  - **पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध:** रूस पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और गहरा करने का इच्छुक है। इसका स्पष्ट उदाहरण रूस द्वारा **पाकिस्तान को रियायती दरों पर तेल की आपूर्ति** करना है। इसके अलावा, **रूस ने पाकिस्तान को INSTC में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित** किया है।
- **आर्थिक चुनौतियां:** रूस के साथ भारत का **व्यापार घाटा बढ़ रहा है,** जबकि रूस बहुत ज्यादा व्यापार अधिशेष में है। 2023-24 में भारत ने रूस को 4.3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि रूस से 61.4 बिलियन डॉलर का आयात किया गया था।
  - इसने रुपया-रूबल सौदे को जटिल बना दिया है, क्योंकि आयात स्थिर होने के कारण रूस के भारतीय बैंक खातों में भारतीय रुपयों की बहुत अधिक मात्रा शेष है।
- **कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियां:** रूसी सुदूर पूर्व और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को पुनर्जीवित करने से व्यापार में सीमित लाभ ही मिल सकेगा। ऐसा इस कारण क्योंकि **जापान और दक्षिण कोरिया के प्रतिबंधों की वजह से विदेशी बाजारों तक रूस की पहुंच सीमित** हो गई है, जिससे व्यापार बाधित हो रहा है।
  - **नागोर्नो-काराबाख** में उत्पन्न हुए हालिया संघर्ष से INSTC परियोजना के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो गया है।

आगे की राह

- **आपसी विश्वास को बढ़ाना: रूस-चीन एवं भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी** के साथ गहराती शंकाओं के मद्देनजर दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है।
- **व्यापार में विविधता लाना:** भारत-रूस व्यापार को क्रूड ऑयल व्यापार से आगे भी बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापार में धातुकर्म, रासायनिक उद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रकों और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रकों के उत्पादों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - **व्यापार में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से** दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक व्यापक हो सकते हैं।

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** भारत को रूस के नेतृत्व वाले **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन** के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- **रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) को लागू करना:** यह समझौता सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, पोर्ट कॉल तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रयासों के लिए **परस्पर सैन्य विनिमय** को सरल बनाएगा।
- **रक्षा वार्ता:** दोनों देशों को **डिफेंस स्पेयर पार्ट्स एवं उनके रख-रखाव संबंधी मुद्दों पर भारत की चिंताओं को हल करने** के लिए सैन्य वार्ता करनी चाहिए।
- **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाना:** बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सहयोग के साथ-साथ मध्य एशिया में विकासात्मक साझेदारी दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देगी।
- **टियर II कूटनीति को मजबूत करना:** नई पीढ़ी के साथ-साथ शिक्षाविदों के साथ भी संपर्क को मजबूत करना और रूस में भारतीय कॉरेस्पोंडेंट्स को तैनात करना।

संबंधित सुर्खियां

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने **उत्तर कोरिया और वियतनाम** की आधिकारिक यात्राएं की।

- **रूसी राष्ट्रपति की यात्राओं के महत्वपूर्ण परिणाम**
  - **उत्तर कोरिया:** रूस और उत्तर कोरिया के बीच **व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि** पर हस्ताक्षर किए गए।
  - **वियतनाम:** वियतनाम और रूस ने **वियतनाम-रूस संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों पर 1994 की संधि की 30वीं वर्षगांठ मनाई,** लेकिन किसी नई गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- **इन यात्राओं के संभावित निहितार्थ**
  - **पूर्वोत्तर एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरण:** इस क्षेत्र में **दो रणनीतिक त्रिकोण** उभर रहे हैं, एक ओर **संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान हैं,** तो दूसरी ओर **रूस, उत्तर कोरिया और चीन** हैं।
  - **एशिया-प्रशांत सुरक्षा गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव:** इन यात्राओं से चिंतित परमाणु शक्ति विहीन देश **दक्षिण कोरिया और जापान,** परमाणु शक्ति संपन्न अमेरिका के साथ अपने राजनयिक एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, पूर्वी एशियाई क्षेत्र का सैन्यीकरण हो सकता है।
  - **वैश्विक सुरक्षा को खतरा: रूस और चीन से सुरक्षा गारंटी के साथ, उत्तर कोरिया अपनी सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं** को आगे बढ़ा सकता है।
    - भारत लंबे समय से उत्तर कोरिया की सैन्य विस्तार गतिविधियों, विशेषकर **पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण** को लेकर आशंकित रहा है।

2.5. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-United Kingdom Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम (UK) के विदेश सचिव ने भारत की यात्रा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए **'प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI)**[10]' शुरू की है।
  - इन महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में **दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम** जैसे क्षेत्रक शामिल हैं।
  - इस पहल का समन्वय दोनों देशों के **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** करेंगे।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों के बीच बढ़ता सहयोग

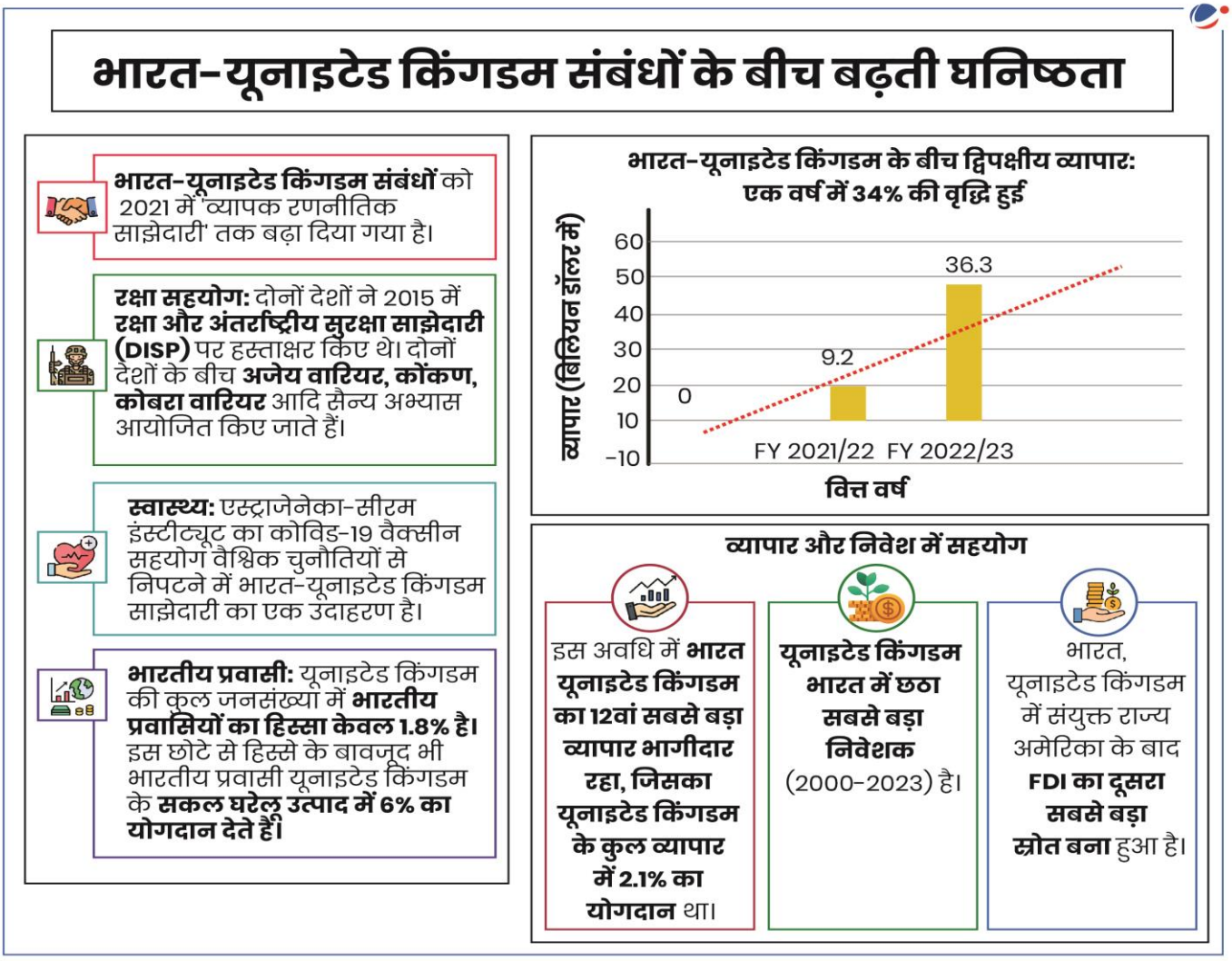

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों का बढ़ता महत्त्व

- **बहु-स्तरीय संबंधों का गहन होना:** भारत व यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में आयोजित भारत-यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अपने संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए **रोडमैप 2030** लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों को **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** (CSP)[11] तक ले जाना है।

[10] Technology Security Initiative

- साथ ही, यूनाइटेड किंगडम **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में सदस्यता का समर्थन** करता है।

- **भारत और यूनाइटेड किंगडम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'समग्र सुरक्षा प्रदाता' की भूमिका निभा रहे हैं:** यूनाइटेड किंगडम की "हिंद-प्रशांत के प्रति झुकाव" वाली नीति इस क्षेत्र में भारत के हितों के साथ मेल खाती है।
  - उदाहरण के लिए- दोनों देश **ग्रे और डार्क शिपिंग के बारे में जानकारी साझा** कर रहे हैं। इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में भी शामिल** हो गया है।

क्या आप जानते हैं?

> **डार्क शिपिंग:** ऐसे जहाज जो **स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS)** बंद रखकर संचालन करते हैं। ये अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए ऐसा करते हैं। ये "अंधेरे में" या बिना निगरानी के संचालित होते हैं।
>
> - वहीं **"ग्रे शिपिंग"** सैन्य संचालन वाले जहाजों का वर्णन करती है।

- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) पर ध्यान केंद्रित करना:** QUAD देशों का अधिक ध्यान **प्रशांत महासागर** पर है, ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के पास हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने की क्षमता है। उल्लेखनीय है कि IOR में **भारत के सामरिक हित** निहित हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** इस क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम के कम-से-कम **7 स्थायी सैन्य अड्डे हैं।**

- **भारत-यूनाइटेड किंगडम रक्षा सहयोग:** दोनों देश 2+2 मंत्रीस्तरीय वार्ता द्वारा उच्च स्तरीय कूटनीतिक और सैन्य संवाद के माध्यम से रक्षा सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** दोनों देशों ने एक **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय नौसैनिक जहाजों को **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन** से लैस करना है।

"हमारी मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता हमारी साझी क्षमता को उजागर करने और बेंगलुरु से बर्मिंघम तक विकास करने की हमारी महत्वाकांक्षाओं की का आधार है न कि सीमा।" भारत के विदेश मंत्री की अभी भी जारी FTA वार्ता पर टिप्पणी।

- **भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच मौजूद आर्थिक विषमता एक अवसर प्रदान करती है:** उदाहरण के लिए- भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था (4 ट्रिलियन डॉलर) है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति आय (50,000 डॉलर) भारत की प्रति व्यक्ति आय (3,000 डॉलर) से अधिक है।
  - भारत यूनाइटेड किंगडम के **एडवांस क्षेत्रकों और विशेषज्ञता** का लाभ उठा सकता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को भारत के **विशाल बाजार और कार्यबल तक पहुंच** प्राप्त होती है।

- **ब्रेक्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम-भारत व्यापार भागीदारी में तेजी आई:** ब्रेक्जिट के बाद **यूनाइटेड किंगडम अपनी 'ग्लोबल ब्रिटेन' रणनीति के तहत** भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है।
  - भारत-यूनाइटेड किंगडम **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता** भी ब्रेक्जिट का ही परिणाम है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस FTA से **द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचाया जा सकता है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक **द्विपक्षीय व्यापार समझौता** है। इसके लिए वार्ता **2022** में शुरू हुई थी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मौजूदा 90% टैरिफ लाइनों** को फिर से व्यवस्थित करना है।

- **FTA के संभावित लाभ**
  - **टैरिफ में कटौती:** भारत फैशन, होमवेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल आदि के लिए कम टैरिफ की मांग कर रहा है।
  - **आयात शुल्क में छूट:** आयात शुल्क हटाने से वस्त्र, परिधान, रत्न एवं आभूषण क्षेत्रक के छोटे और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा।
  - **दोहरे कराधान से बचाव:** भारत दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA) को जारी रखने का प्रयास कर रहा है।
  - **वित्त-पोषण तक पहुंच:** भारतीय व्यवसायों को यूनाइटेड किंगडम के वित्त-पोषण तक और हरित एवं संधारणीय अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त होगी।
  - **चीन से बाहर कंपनियों की स्थापना:** ब्रिटिश कंपनियों का भारत में प्लांट लगाना, विनिर्माण कार्य करना एवं निर्यात करना काफी आसान हो जाएगा। इससे **चीन को प्रतिसंतुलित** करने में मदद मिलेगी।

[11] Comprehensive Strategic Partnership

- **FTA को अंतिम रूप देने के समक्ष बाधाएं**
  - **उत्पत्ति के नियम (Rules Of Origin: ROO) से संबंधित मुद्दे: उदार ROO नियमों** को अपनाने से **यूरोपीय संघ के उत्पादों** को गलत तरीके से यूनाइटेड किंगडम के उत्पादों के रूप में दिखाया जा सकता है।
  - **द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT):** भारत ने **BIT** के लिए जो **नया मॉडल** तैयार किया है, उसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जाने से पहले **स्थानीय उपायों से मामले को निपटाना** होगा। इसे दोनों देशों के बीच **BIT के मार्ग में बाधक** माना जा रहा है।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPRs):** यूनाइटेड किंगडम **IPRs** को और मजबूत बनाने के लिए **WTO के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते से इतर अन्य उपायों को अपनाने की भी वकालत** कर रहा है। दूसरी ओर, भारत ने ट्रिप्स समझौते के दायरे से बाहर जाने का विरोध किया है।
  - **प्रशुल्क (Tariff) से जुड़े मुद्दे:** यूनाइटेड किंगडम **स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाइल, लैंब मीट, प्रसंस्कृत चांदी, तांबा, चॉकलेट, कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों** आदि पर आयात शुल्क में पर्याप्त कटौती की मांग कर रहा है। यह भारत के व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों में चुनौतियां

- **औपनिवेशिक प्रभाव: "भारत में उपनिवेशवाद-विरोधी रुख भारत को ब्रिटेन के साथ संभावनाओं की पूरी श्रृंखला का लाभ उठाने से रोकता है"**- सी. राजा मोहन।
- यूनाइटेड किंगडम में प्रदर्शनकारियों द्वारा भारतीय ध्वज के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से **निपटने में यूनाइटेड किंगडम की विफलता।**
  - यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में हुए दंगों में भारतीय आप्रवासियों (Immigrants) को निशाना बनाया गया था।
- **यूनाइटेड किंगडम की भारत-पाकिस्तान को एक समान साथ रखने की नीति** भारत के हितों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एक मुद्दे के रूप में उठाना।
- FTA पर वार्ता को पूरा करने के लिए **विशिष्ट समय सीमा का अभाव।**

आगे की राह

- **भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द-से-जल्द** अंतिम रूप देना चाहिए। विशेष रूप से, वार्ताओं को **लक्षित तरीके से पूरा करने के लिए एक तिथि निर्धारित** की जा सकती है।
- **लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- **जनरेशन यू.के.-इंडिया पहल, इंडिया-यू.के. यंग प्रोफेशनल्स योजना।**
- यूनाइटेड किंगडम को यू.के.-पाकिस्तान संबंधों की बजाय भारत-यू.के. संबंधों के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, **दोनों देशों के साथ अलग-अलग मानदंडों के आधार पर अपने संबंधों को निर्धारित** करना चाहिए।
- विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **आतंकवाद-रोधी, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) और समुद्री सुरक्षा में सहयोग** को प्राथमिकता देना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- विशेष रूप से **लाल सागर और स्वेज नहर** में सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो भारत-यूनाइटेड किंगडम के मुख्य व्यापार मार्ग हैं।

निष्कर्ष

भारत और यूनाइटेड किंगडम अपने ऐतिहासिक संबंधों एवं पूरक बलों का लाभ उठाते हुए अलग-अलग क्षेत्रकों में मजबूत संबंध स्थापित कर रहे हैं। यह भगीदारी दोनों देशों के लिए पारस्परिक आर्थिक लाभ, रणनीतिक जुड़ाव और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि की संभावना को अभिव्यक्त करती है।

2.6. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध (India-Pacific Islands Nations Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने प्रशांत द्वीपीय देश **पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता** भेजी है। पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) भेजना **फोरम ऑफ इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन (FIPIC) साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पापुआ न्यू गिनी को हाल ही में एक **विनाशकारी भूस्खलन का सामना करना पड़ा** है। इससे वहां भारी तबाही हुई है और जान माल का काफी नुकसान हुआ है।
  - यह प्रशांत द्वीपीय देशों में **क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है।**
- 'प्रशांत द्वीपीय देश' **प्रशांत महासागर** में अवस्थित हैं। ये द्वीपीय देश **तीन प्रमुख द्वीप समूहों** अर्थात् **मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया** का हिस्सा हैं।

भारत के लिए प्रशांत द्वीपीय देशों का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:**
  - **हिंद-प्रशांत रणनीति:** प्रशांत द्वीपीय देश **भारत की व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण** हैं। भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का उद्देश्य एक **स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र** सुनिश्चित करना है।
  - **भू-सामरिक अवस्थिति:** ये भारत को व्यापक समुद्री रणनीतियों और सैन्य गठबंधनों के लिए संभावित मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि हिंद-प्रशांत अब **ग्रेट वार गेम (Great War Game)** तथा चीन और अमेरिका जैसी **महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता (Great Power Rivalry)** का नया केंद्र बनता जा रहा है।
  - **भारत की ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता संबंधी विश्वसनीयता को बढ़ाना:** ये भारत को G-20 और G-7 जैसे वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही, ये **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को भी मजबूत** करते हैं।

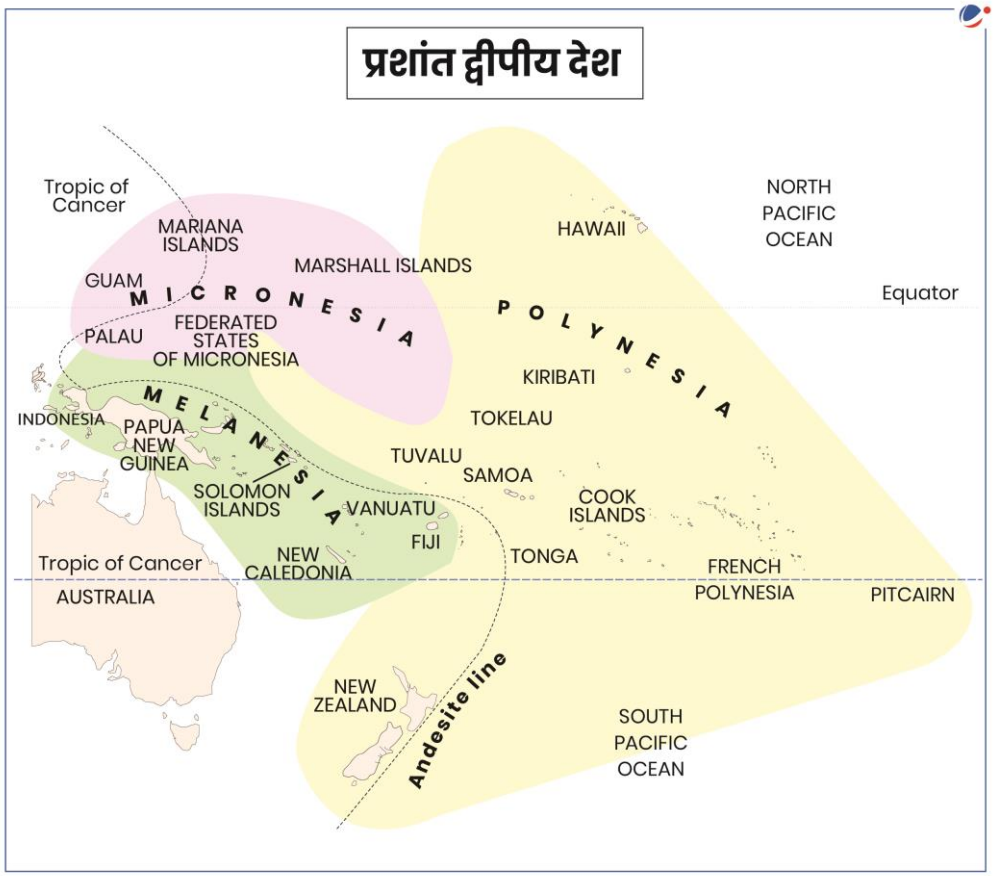

- **भारत की आर्थिक क्षमता को मजबूत करते हैं:**
  - **समुद्री व्यापार को सुरक्षित करना:** 2021-22 में भारत और FIPIC के बीच कुल 571.66 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
  - **भारत की संसाधन सुरक्षा की खोज:** प्रशांत द्वीपीय देशों के **विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[12] ब्लू इकोनॉमी** के संदर्भ में पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- **बहुपक्षवाद में सुधार:** ये राष्ट्र वैश्विक स्तर पर साझा चिंताओं पर सामूहिक रुख बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता।
- **जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** उदाहरण के लिए- इनमें से कुछ राष्ट्र **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल** हो गए हैं और भारत ने अन्य देशों को **आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन** (CDRI)[13] में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है।

[12] Exclusive Economic Zones

- **मजबूत भारतीय प्रवासी उपस्थिति और ऐतिहासिक संबंध:**
    - **पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स** जैसे देशों के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, क्योंकि ये पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश थे।
    - **फिजी** की एक तिहाई से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।

भारत की प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी?

- **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI, 2019):** यह एक मुक्त व बिना संधि वाली वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत में समुद्री क्षेत्र का प्रबंधन, संरक्षण, सततता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **अनुदान सहायता और रियायती ऋण:** भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और वहनीय (concessional) ऋण प्रदान किए हैं।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[14]:** उदाहरण के लिए- कोविड-19 के दौरान वैक्सीन की आपूर्ति।
- **चुनाव प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद:** उदाहरण के लिए- पापुआ न्यू गिनी को अमिट स्याही (indelible ink) की आपूर्ति।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)[15]:** उदाहरण के लिए- FIPIC में 1000 प्रशिक्षण अवसरों के लिए सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना।

फोरम ऑफ इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन (FIPIC) के बारे में

- यह एक **बहुराष्ट्रीय समूह** है। इसे **भारत और प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों** के बीच आपसी सहयोग के लिए **2014** में गठित किया गया था।
    - प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों में **कुक द्वीप, फिजी, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन द्वीप, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु** शामिल हैं।
    - **आयोजित शिखर सम्मेलन:** पहला 2014 (सुवा, फिजी), दूसरा 2015 (जयपुर, भारत) तथा तीसरा 2023 (पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी)।

- **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष (2017):** इसे अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS)[16] को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **सामुदायिक विकास:**
    - उदाहरण के लिए- **भारत और मार्शल द्वीप ने समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - इसका उद्देश्य मार्शल द्वीप समूह में **सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त-पोषित** करना है।
    - **स्वास्थ्य सेवा सहायता के लिए भारत का 12-स्टेप एक्शन प्लान:** उदाहरण के लिए- **फिजी** में सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना।

प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ सहयोग में चुनौतियां

- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** चीन की बढ़ती सामरिक उपस्थिति इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए चुनौती बन गई है।
    - उदाहरण के लिए- **2022 में चीन ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **संसाधन संबंधी सीमाएं:** भारत की घरेलू निवेश की आवश्यकता इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करने और गहन वैश्विक संलग्नता की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- **भौगोलिक दूरी:** भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है। यह दूरी नियमित राजनयिक संलग्नता और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन को कठिन बना देती है।
- **बढ़ती सुभेद्यता:** इन देशों को प्राकृतिक आपदाओं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों आदि के कारण तटीय और वाणिज्यिक केंद्रों की सुभेद्यता के मामले में असमान प्रभाव का सामना करना पड़ता है।
- **वैश्विक स्तर पर नीतिगत चर्चाओं से बाहर:** हालांकि, ये देश महाशक्तिओं की प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं, किंतु इन देशों को अक्सर क्षेत्र के बारे में होने वाली वैश्विक नीतिगत चर्चाओं से बाहर रखा जाता है। उदाहरण के लिए- क्वाड (QUAD), ऑकस (AUKUS) आदि।

आगे की राह

- **राजनयिक संलग्नता को मजबूत करना:** राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने और निरंतर संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय वार्ता एवं लगातार आउटरीच नीतियों को अपनाना चाहिए।

---

[13] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[14] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

[15] Indian Technical and Economic Cooperation

[16] Small Island Developing States

- **जलवायु अनुकूल परियोजनाओं पर सहयोग:** भारत प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की पेशकश करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करने में अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है।
- **समुद्री सहयोग:** भारत अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सहयोग कर सकता है। इस तरह से भारत क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में अपना योगदान दे सकता है।
- **आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना:** अवसंरचनाओं एवं सतत विकास में रणनीतिक संसाधन आवंटन के साथ-साथ नियमित समीक्षा तंत्र के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है और प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ होंगे। इससे दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण होगा।
- **मांग आधारित सहयोग मॉडल:** भारत सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, विलवणीकरण और डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे क्षेत्रकों में मांग-आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे भारत प्रशांत द्वीपीय देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

2.7. पश्चिमी हिंद महासागर (Western Indian Ocean: WIO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पश्चिमी हिंद महासागर **संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत हिंद-प्रशांत सहयोग** के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र (WIOR)[17] के बारे में

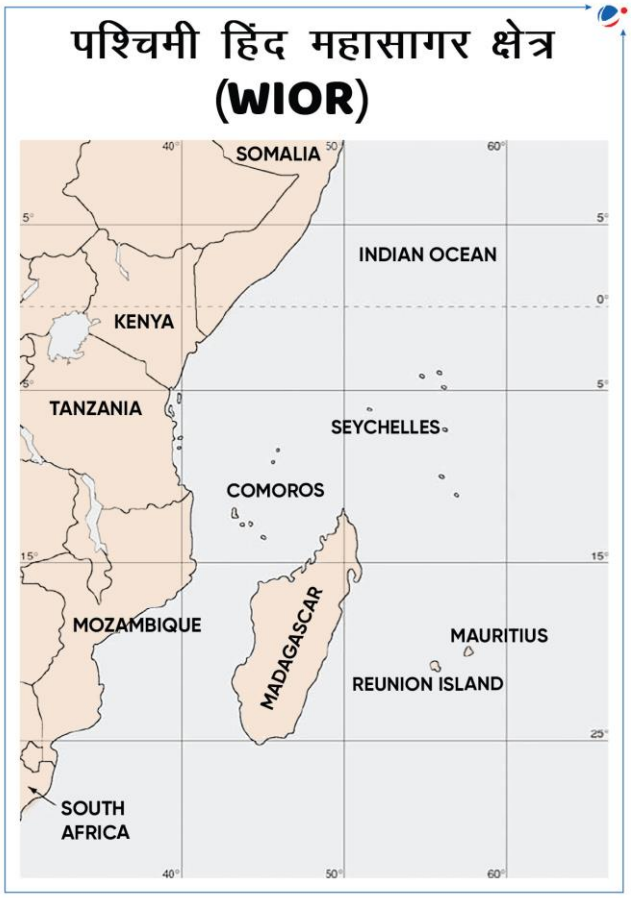

- यह **अफ्रीका के पूर्वी तटों से लेकर भारत के पश्चिमी तटों** तक फैला हुआ है।
- इसमें **केन्या, मोजाम्बिक, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया** (पूर्वी अफ्रीकी तटीय देश); **कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस एवं सेशेल्स** (द्वीपीय देश) तथा **फ्रांसीसी क्षेत्र** (मायोटे व रीयूनियन) शामिल हैं।

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व

- **व्यापार और परिवहन:** पश्चिमी हिंद महासागर में प्रमुख व्यापार मार्ग और चोक पॉइंट अवस्थित हैं। जैसे- **केप ऑफ गुड होप, मोजांबिक चैनल** आदि।
  - उदाहरण के लिए- वैश्विक तेल व्यापार का लगभग **30 प्रतिशत हिस्सा मोजांबिक चैनल** से गुजरता है।
- **हिंद-प्रशांत सहयोग के लिए महत्वपूर्ण:** इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) के माध्यम से रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान तथा क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र को हिंद-प्रशांत सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं।
- **महासागरीय परिसंपत्तियां:** यह क्षेत्र **अपतटीय तेल और गैस भंडार तथा मात्स्यिकी** जैसी आर्थिक संभावनाएं प्रदान करता है।
  - पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र से जुड़ी गतिविधियों का आर्थिक मूल्य प्रतिवर्ष **20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की संभावना है। समुद्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मूल्य को **"सकल समुद्री उत्पाद"** कहा जाता है।
- **भारत के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व**
  - **रणनीतिक अवस्थिति:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक अवस्थिति हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्व के बीच की दूरी को कम कर सकती है। ऐसा **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** (IMEEC)[18] जैसी पहलों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

[17] Western Indian Ocean Region

- **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** भारत ने **मेडागास्कर में एक सैन्य अड्डा** स्थापित किया है। इसके अलावा, वह **मॉरीशस के साथ मिलकर अगालेगा द्वीप पर भी एक सैन्य अड्डा** स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार भारत के ये कदम पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **ब्लू इकोनॉमी:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक संसाधन **भारत के डीप ओशन मिशन और ब्लू इकोनॉमी 2.0 पहल** की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र **स्वेज नहर** जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह कनेक्टिविटी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
  - वैश्विक ऊर्जा व्यापार का **90 प्रतिशत हिस्सा** हिंद महासागर से (मुख्यतः स्वेज नहर के माध्यम से) होता है।
- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की संलग्नता एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की छवि और प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियां

- **उभरते समुद्री खतरे:** जैसे समुद्री डकैती (पायरेसी), विदेशी पादप प्रजातियों और जीवों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, अनधिकृत मत्स्यन, मानव तस्करी आदि।
  - उदाहरण के लिए- हाल ही में, **सोमालिया के तट पर** समुद्री डकैतों के हमलों में वृद्धि हुई है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। जैसे- समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, समुद्री जल का अम्लीकरण और चरम मौसमी घटनाएं।
- **चीन की ऋण जाल कूटनीति:** चीन की ऋण जाल कूटनीति ने **केन्या** जैसी पूर्वी अफ्रीका की कई नाजुक अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष डिफ़ॉल्ट का बढ़ता जोखिम उत्पन्न कर दिया है। इससे चीनी प्रभाव में अनुचित बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **सैन्यीकरण:** पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की उपस्थिति **क्षेत्रीय स्थिरता** को कमजोर कर सकती है, तनाव को बढ़ा सकती है और समुद्र में सुरक्षा प्रदान करने के सामूहिक प्रयासों को बाधित कर सकती है।
  - उदाहरण के लिए- **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के क्रमशः डिएगो गार्सिया एवं जिबूती** में सैन्य अड्डे हैं।

भारत-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र संलग्नता

- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR/ सागर) मिशन:** मिशन सागर के तहत, भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को **कोविड-19 से संबंधित सहायता** प्रदान की है। इसमें **खाद्य सहायता, दवाएं और चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती** आदि शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण:** भारत, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के तटरक्षक बलों और नौसेनाओं को **प्रशिक्षण एवं उपकरण** प्रदान करता है, ताकि उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
  - उदाहरण के लिए- **मॉरीशस में तैनात भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण दल मॉरीशस की पुलिस** को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** उदाहरण के लिए, **अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (AFINDEX-19) पुणे** में 2019 में आयोजित किया गया था। इसमें **17 अफ्रीकी देशों** ने भाग लिया था।
- **ऑपरेशन संकल्प:** भारतीय नौसेना ने **अदन की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों तथा अरब सागर एवं सोमालिया के पूर्वी तट जैसे क्षेत्रों** में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए हैं।
- **इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR):** यह हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए एक प्रमुख केंद्र है।
- **साझे बहुपक्षीय मंचों में सदस्यता:** उदाहरण के लिए- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)[19] आदि।

निष्कर्ष

पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र तेजी से भू-राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण जैसे उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर आगे भविष्य में संयुक्त शोध किया जा सकता है और अनुकूलन रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं। भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर सकता है।

---

[18] India-Middle East-Europe Economic Corridor

[19] Indian Ocean Naval Symposium

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.8.1. दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में भारत शामिल हुआ (India Joins UN Led Conference on Afghanistan in Doha)

- यह अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित **तीसरा सम्मेलन** था। इस सम्मेलन में **भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया।** इस सम्मेलन का उद्देश्य **तालिबान शासन** के तहत **अफगानिस्तान के लोगों** के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना है।
    - यह अफगानिस्तान पर **दिल्ली रीजनल सिक्यूरिटी डायलॉग, मॉस्को फॉर्मेट कन्सल्टेशन्स** जैसे पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।
- इस सम्मेलन के चलते **तालिबान** को खुद को **अफगानिस्तान का एकमात्र प्रतिनिधि** बताने का अवसर मिला है।
    - 2001 से शासन कर रही अमेरिका द्वारा समर्थित अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह के बाद **तालिबान 2021 में सत्ता में लौट आया था।**
- **शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान: भारत और एशियाई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?**
    - **रीजनल कनेक्टिविटी:** अफगानिस्तान को **मध्य एशियाई क्षेत्र का प्रवेश द्वार** माना जाता है। इस तरह भारत, अफगानिस्तान से होकर मध्य एशिया तक पहुंच सकता है।
    - **सुरक्षा:** उग्रवाद और सीमा-पार आतंकवाद में कमी से भारत की उत्तरी एवं पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अधिक सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित हो सकती है।
        - जबकि, **अस्थिर अफगानिस्तान** आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है।
    - **ऊर्जा और अन्य संसाधन:** अफगानिस्तान में स्थिरता **"तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत" यानी तापी (TAPI) पाइपलाइन** का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
    - **मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक:** अफगानिस्तान में स्थिर सरकार मादक पदार्थों की तस्करी से बेहतर तरीके से निपट सकती है।
        - गौरतलब है कि **अफगानिस्तान** पाकिस्तान और ईरान के साथ **डेथ क्रिसेंट का हिस्सा** है। ये मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र हैं।
        - भारत में **पंजाब** जैसे राज्य मादक पदार्थों की तस्करी से अत्यधिक प्रभावित हैं।

तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत-अफगान संबंध

- भारत ने तालिबान को **आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं** दी है। हालांकि, भारत विभिन्न माध्यमों से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है:
    - **मानवीय सहायता:** अफगानिस्तान में **गेहूँ भेजना, चिकित्सा सहायता** और **भूकंप के दौरान राहत सहायता सहित मानवीय सहायता** पहुंचाई गई है।
    - **शिक्षा:** अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** ने छात्रवृत्ति योजना को जारी रखा है।
- दोनों देशों के बीच **व्यापार और वाणिज्य** चाबहार बंदरगाह से भी जारी है।
- भारत की तकनीकी टीम अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित परियोजनाओं की स्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी कर रही है।

2.8.2. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (Colombo Security Conclave: CSC)

हाल ही में, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) ने आधिकारिक तौर पर **बांग्लादेश** को अपने **पांचवें सदस्य** के रूप में शामिल किया।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) के बारे में:

- यह एक **क्षेत्रीय सुरक्षा समूह** है।
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में **समुद्री सुरक्षा,** समुद्री प्रदूषण से निपटने और समुद्री खोज और बचाव अभियान को प्राथमिकता बनाना।
- **उत्पत्ति:** यह 2011 में **भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह** के रूप में गठित हुआ था। बाद में **मॉरीशस** इसमें शामिल हुआ था।
    - 2020 में इसे **कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन** नाम दिया गया था
- **सेशेल्स** इसका **पर्यवेक्षक** देश है।

2.8.3. कोलंबो पॉसेस (Colombo Process)

भारत ने कोलंबो पॉसेस के अध्यक्ष के रूप में इसकी **पहली बैठक की अध्यक्षता** की।

कोलंबो पॉसेस के बारे में

- यह क्षेत्रीय सदस्यों के बीच **'विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम' पर आपसी परामर्श** के लिए एक फोरम या प्रोसेस है।
- इसके **12 सदस्य देश (सभी एशिया से) हैं।** ये देश हैं: **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम।**
- **भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक** है।
- इसके **प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्र हैं:** कौशल और योग्यता की मान्यता प्रक्रियाएं; भर्ती प्रक्रियाओं में नैतिकता को बढ़ावा देना आदि।
- **संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन** कोलंबो प्रोसेस को **तकनीकी और प्रशासनिक सहायता** प्रदान करता है।

2.8.4. मर्कोसुर (Mercosur)

बोलीविया मर्कोसुर का **पूर्ण सदस्य** बन गया है।

मर्कोसुर के बारे में

- यह लैटिन अमेरिका में **दक्षिणी साझा बाजार (साउदर्न कॉमन मार्केट)** है। मर्कोसुर इसका **स्पेनिश** में संक्षिप्त नाम है।
- इसकी स्थापना **1991 में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे** ने मिलकर की थी। बाद में **वेनेजुएला** भी इसमें शामिल हो गया था।
  - हालांकि, **वेनेजुएला 1 दिसंबर 2016** से इस समूह से निलंबित है।
- **उद्देश्य:** अपने सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाना।
- भारत का मर्कोसुर के साथ **अधिमान्य व्यापार समझौता** (Preferential Trade Agreement) है।

2.8.5. वैश्विक शक्तियों के उदय में शिक्षा/ अनुसंधान की भूमिका (Role of Education/Research in the Rise of Global Powers)

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने **"WIPO पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट ऑन जेनरेटिव AI"** जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2014-2023 के बीच प्रकाशित होने वाले सभी जेनरेटिव AI (GenAI) पेटेंट में से **70.3% के साथ चीन पहले स्थान पर है,** जबकि **2.5% प्रकाशित GenAI पेटेंट के साथ भारत 5वें स्थान** पर है।
  - विशेष रूप से **वैश्विक राजनीति** के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में **उच्च-स्तरीय अनुसंधान-आधारित शिक्षा में** प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शिक्षा और अनुसंधान का महत्त्व:**
  - **समग्र राष्ट्रीय शक्ति (CNP)[20]:** शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी **किसी देश को अपनी समग्र राष्ट्रीय शक्ति बनाने के लिए उसकी सॉफ्ट पावर** के महत्वपूर्ण घटक हैं।
    - समग्र राष्ट्रीय शक्ति एक उन्नत अवधारणा है, जो किसी देश की ऐसी **व्यापक क्षमता होती है, जिससे वह अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठा सके।**
  - **आर्थिक संवृद्धि:** शिक्षा के माध्यम से **मानव पूंजी का विकास श्रम बल भागीदारी और उत्पादकता** के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **तकनीकी प्रभुत्व: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर स्पेस जैसे रणनीतिक पहलुओं की बदलती प्रकृति** के साथ शिक्षा और नवाचार महत्वपूर्ण हैं।
- **भारत के लिए अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा में विकास संबंधी मुद्दे**
  - **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश:** भारत ने 2020-21 में अपने **सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% ही R&D** पर खर्च किया था। इसके विपरीत, अधिकांश विकसित देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का **2%** से अधिक R&D पर निवेश किया था।
  - **निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी:** कुल **राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय में निजी क्षेत्रक का योगदान केवल 36.4%** है। हालांकि, अधिकांश विकसित देशों में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय में निजी क्षेत्रक का **योगदान 50% से अधिक** है।
  - **कुशल शोधकर्ताओं की कमी:** भारत में **प्रति 10 लाख जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या 262 (2020)** है, जो कि लगातार बढ़ रही है। लेकिन **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन** जैसे अन्य देशों की तुलना में यह **अभी भी अपर्याप्त** है।
  - **अनुसंधान की निम्न गुणवत्ता और उद्योग द्वारा अनुसंधान को अनुप्रयोग में बदलने के सीमित प्रयास।** इससे भारत से उच्च स्तर पर **'ब्रेन ड्रेन'** होता है।
- **आगे की राह**
  - **अधिक नवाचार** की आवश्यकता है, जो आधुनिक विश्व में **भू-राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व** के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **अनुसंधान और शिक्षा** महान शक्तियों के उत्थान एवं पतन में निर्धारक कारक हैं।

[20] Comprehensive National Power

- **निवेश, अवसंरचना और मानव पूंजी** पर ध्यान देने के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग **भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा** को बढ़ा सकते हैं।

2.8.6. तिब्बत-चीन विवाद (Tibet-China Dispute)

संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने **'तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देना' अधिनियम पारित किया।**

- अमेरिकी संसद (कांग्रेस) का यह अधिनियम तिब्बत और चीन के बीच विवाद को वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर जोर देता है। अधिनियम के अनुसार यह अमेरिकी नीति है कि **तिब्बत व चीन के बीच विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी पूर्व शर्त** के होना चाहिए।
- यह अधिनियम दलाई लामा के **"मध्यम मार्ग दृष्टिकोण"** का भी समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के तहत तिब्बत **पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन तिब्बतियों को सार्थक स्वायत्तता प्राप्त** होगी।

तिब्बत-चीन विवाद के बारे में

- 20वीं सदी की शुरुआत में **चीन और तिब्बत के बीच एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष** हुआ था। इस संघर्ष के बाद **तिब्बत ने 1912 में स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र** घोषित कर दिया था और **1950 तक एक स्वायत्त क्षेत्र** के रूप में बना रहा।
- **1951** में, दलाई लामा के प्रतिनिधियों ने एक **17-सूत्री समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने **पहली बार चीन को तिब्बत पर संप्रभुता** प्रदान की थी।
  - चीन का दावा है कि यह दस्तावेज **तिब्बत पर चीनी संप्रभुता का प्रमाण** है। इसके विपरीत, **तिब्बत** का कहना है कि उसे इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए **मजबूर** किया गया था।

तिब्बत पर भारत का रुख

- 1959 में दलाई लामा ने चीन के खिलाफ एक विद्रोह किया था, जो असफल रहा था। इस विद्रोह के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी।
- 2003 में भारत और चीन ने **"संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर घोषणा"** पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा के तहत भारत सरकार ने **तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता** दी थी।

2.8.7. मॉरीशस में जन औषधि केंद्र (JAK) खोला गया (Jan Aushadhi Kendra Inaugurated in Mauritius)

भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र (JAK) मॉरीशस में खोला गया।

- यह पहल भारत और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के **तटीय एवं द्वीपीय देशों के बीच घनिष्ठ होते संबंधों का एक उदाहरण है।**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में **36 तटीय देश और 11 भीतरी (तट से दूर) देश शामिल हैं।**
- **भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय और द्वीपीय देशों का महत्त्व:**
  - **सामरिक अवस्थिति:** मलक्का जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री पोत परिवहन मार्गों से ऐसे देशों की निकटता **वैश्विक व्यापार को बढ़ाने, समुद्री डकैती को रोकने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित** करने के लिए बहुत जरूरी है।
    - भारत का **80% विदेश व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार** हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से होता है।
  - **क्षेत्रीय नेतृत्व का विज़न:** हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए नए क्षेत्र के रूप में महत्त्व हासिल कर रहा है।
    - इसलिए, भारत द्वारा स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र के **समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करने के विज़न को आगे बढ़ाने और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।**
  - **नीली अर्थव्यवस्था:** FAO की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मत्स्यन **विश्व की लगभग 15% मछली की आपूर्ति** करता है। हिंद महासागर क्षेत्र **गहरे समुद्र में संधारणीय खनन के लिए भी महत्वपूर्ण है।**
  - **जलवायु सुरक्षा:** IPCC की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, **1950 के दशक के बाद से हिंद महासागर किसी भी अन्य महासागर की तुलना में तेजी से गर्म** हुआ है।
    - तीव्र जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती जलवायु आपदाओं को देखते हुए **मानवीय संकट तथा क्षेत्रीय असुरक्षा से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई** की आवश्यकता है।

हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:

- भारत ने गुरुग्राम में **इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर–इंडियन ओशन रीजन (IFC–IOR)** की स्थापना की है। इसका संचालन **भारतीय नौसेना** द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ाना है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR):** भारत ने **वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन करुणा** जैसे मानवीय सहायता अभियान संचालित किए हैं।
- भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल MAHASAGAR / महासागर (मेरीटाईम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्युरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन / Maritime Heads for Active Security And Growth for All in the Region) संचालित की जा रही है।
- **भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा** (SAGAR / सागर) सिद्धांत को अपनाया है। साथ ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अमल में लाया जा रहा है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

8 अगस्त

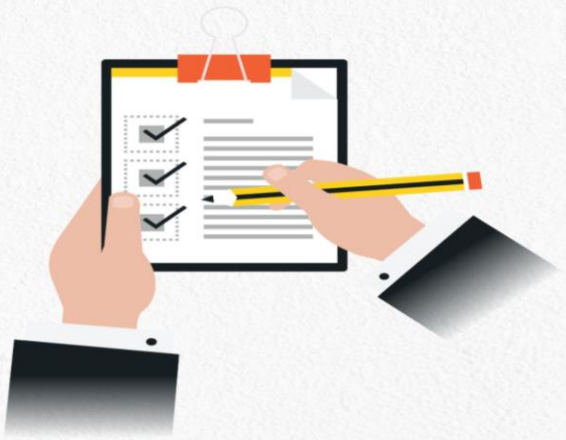

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2025

20 सितम्बर
5 PM

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

- इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय–वार समझ विकसित करना है।
- तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अपडेटेड प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- इस कोर्स (35–40 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे– द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन किया जाएगा।
- "टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श हेतु अवसर।
- प्रत्येक पंद्रह दिनों में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय–समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

ENGLISH MEDIUM also Available

CSAT क्लासेस 2025

ऑफलाइन / ऑनलाइन

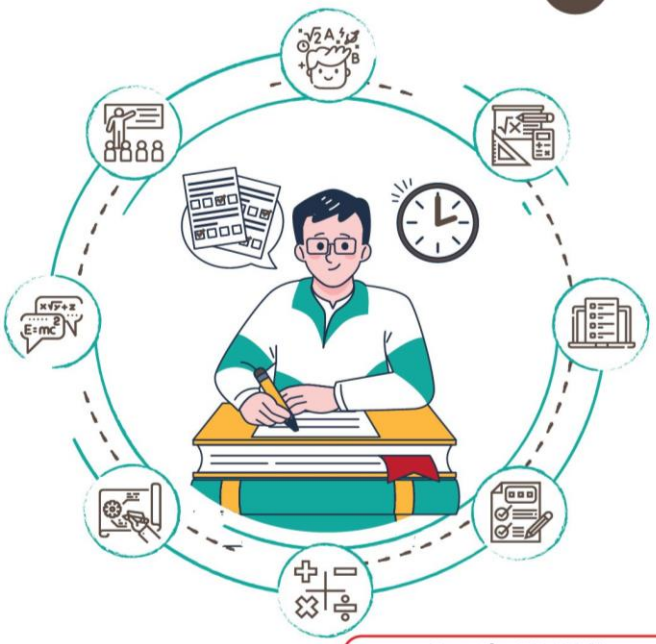

ENGLISH MEDIUM	हिन्दी माध्यम
25 SEPT, 5 PM	25 सितंबर, 5 PM

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट' जारी की गई है। यह रिपोर्ट **'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स'** ने जारी की है।

रिपोर्ट के बारे में

- इस टास्क फोर्स का गठन 2023 में भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य **DPI और वित्तीय समावेशन पर प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में मदद** करना तथा वैश्विक स्तर पर DPI को अपनाने की दिशा में प्रयासों को मजबूती प्रदान करना है।
- रिपोर्ट में **DPI को परिभाषित** किया गया है। इसमें **वैश्विक स्तर पर DPI की दिशा में आगे बढ़ने के लिए** तीन हिस्सों वाले फ्रेमवर्क का भी उल्लेख किया गया है।

अलग-अलग क्षेत्रकों में और क्षेत्रकों के भीतर 5 प्रमुख डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणियां

सत्यापन योग्य पहचान एवं पंजीकरण	डेटा शेयरिंग, क्रेडेंशियल और मॉडल	हस्ताक्षर एवं सहमति	खोज और पूर्ति	भुगतान
आई.डी. सत्यापित करना तथा व्यक्तियों, संस्थाओं और ऑब्जेक्ट्स के प्रोफाइल डेटा को प्राप्त करना	पीयर-टू-पीयर या सार्वजनिक रूप से डेटा (हिस्ट्री, प्रोफाइल और विशेषताएं) शेयर करना	यह सुनिश्चित करना कि डेटा/ एग्रीमेंट्स स्रोत से अनुमति लेकर प्राप्त किए गए हैं	खुले प्रोटोकॉल्स/ APIs के जरिए व स्तुओं और सेवाओं तक पहुंच	आसानी से वित्तीय लेन-देन करना
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ID नंबर (नाइजीरिया), DNI (पेरू) आदि।	**उदाहरण के लिए,** भारत का डिजिलॉकर	**उदाहरण के लिए,** आधार ई-साईन	**उदाहरण के लिए,** भारत का 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)'	**उदाहरण के लिए,** ब्राज़ील का पिक्स, सिंगापुर का पे-नाउ आदि।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- यह **साझा डिजिटल सिस्टम्स** का एक सेट है, जो-
  - **सुरक्षित और इंटर-ऑपरेबल** होना चाहिए,

- **खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना** चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके।
- **लागू कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों द्वारा शासित** होना चाहिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके तथा मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके।

*सरल शब्दों में, **DPI** एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो लोगों को डिजिटल सेवाओं जैसे कि इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट, ई-गवर्नेंस आदि तक पहुंचने में मदद करता है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न डिजिटल सेवाएं बनाई और चलायी जा सकती हैं। **DPI की मुख्य विशेषताएं:** DPI आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं के स्वामित्व में होता है; खुला और पारदर्शी होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी इसे उपयोग कर सकता है; इंटर-ऑपरेबल होता है, जिसका मतलब है कि DPI विभिन्न सिस्टम और प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकता है; आदि। **DPI के उदाहरण:** भारत में UPI इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ई-गवर्नेंस पोर्टल, स्वास्थ्य डेटाबेस आदि इसके अन्य उदाहरण हैं।*

DPI क्या 'नहीं' है?

- **ऐसे उपाय जो DPI के पूरक** हैं: उदाहरण के लिए- **कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर** जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है।
- **ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती:** उदाहरण के लिए- सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक प्रक्रियाओं या वर्कफ्लो को डिजिटल रूप देना।

DPI का महत्त्व

- **विकास में तेजी लाना:** इसका आर्थिक विकास पर काफी असर पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने DPI की मदद से एक दशक से भी कम समय में वित्तीय समावेशन का वह स्तर हासिल कर लिया है, जिसे DPI के बिना हासिल करने में पांच दशक लग जाते।
- **नवाचार को बढ़ावा:** DPI लेन-देन की लागत कम करता है, एक-दूसरे के बीच समन्वय के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है तथा निजी पूंजी को आकर्षित करता है। इसके परिणामस्वरूप नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए, **फोन-पे (फिनटेक कंपनी)** की 12 बिलियन डॉलर की कंपनी बनना काफी हद तक DPI के कारण संभव हुआ है।
- **समावेशी विकास:** DPI विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, महिलाएं, SMEs जैसे कमजोर समूहों की विभिन्न सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इससे समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिए- भारत में खोले गए बैंक खातों की संख्या 2015 की 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर 2023 में 508.7 मिलियन हो गई। इनमें 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- **प्रभावी तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण:** उदाहरण के लिए- DPI ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत प्रभावी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को संभव बनाया है। इससे सरकार को लगभग 41 बिलियन डॉलर की बचत हुई है।
- **संकट में भी कारगर:** उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों को टीकाकरण का डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करके महामारी से निपटने में DPI की मदद ली।
- **व्यक्तियों को सशक्त बनाना:** DPI **व्यक्तियों की आर्थिक प्रगति** सुनिश्चित करके तथा उनके पैसे और डेटा पर नियंत्रण जैसे प्रमुख **डिजिटल अधिकारों** की रक्षा करके व्यक्तियों को सशक्त बनाता है।
- **अन्य वजहें जो DPI के महत्त्व को उजागर करती हैं:**
  - यह **वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण** है क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों के वित्त-पोषण के मिश्रण का उपयोग किया जाता है।
  - यह **महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) राष्ट्रीय अवसंरचना** पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में

- **इंडिया स्टैक:** यह भारत का अपना मूलभूत DPI है। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल हैं:
  - **आइडेंटिटी लेयर-** (जैसे, आधार नंबर, e-KYC आदि),
  - **पेमेंट लेयर-** (जैसे, UPI, आधार पेमेंट ब्रिज आदि) और
  - **डेटा गवर्नेंस लेयर-** (जैसे, डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर आदि)।

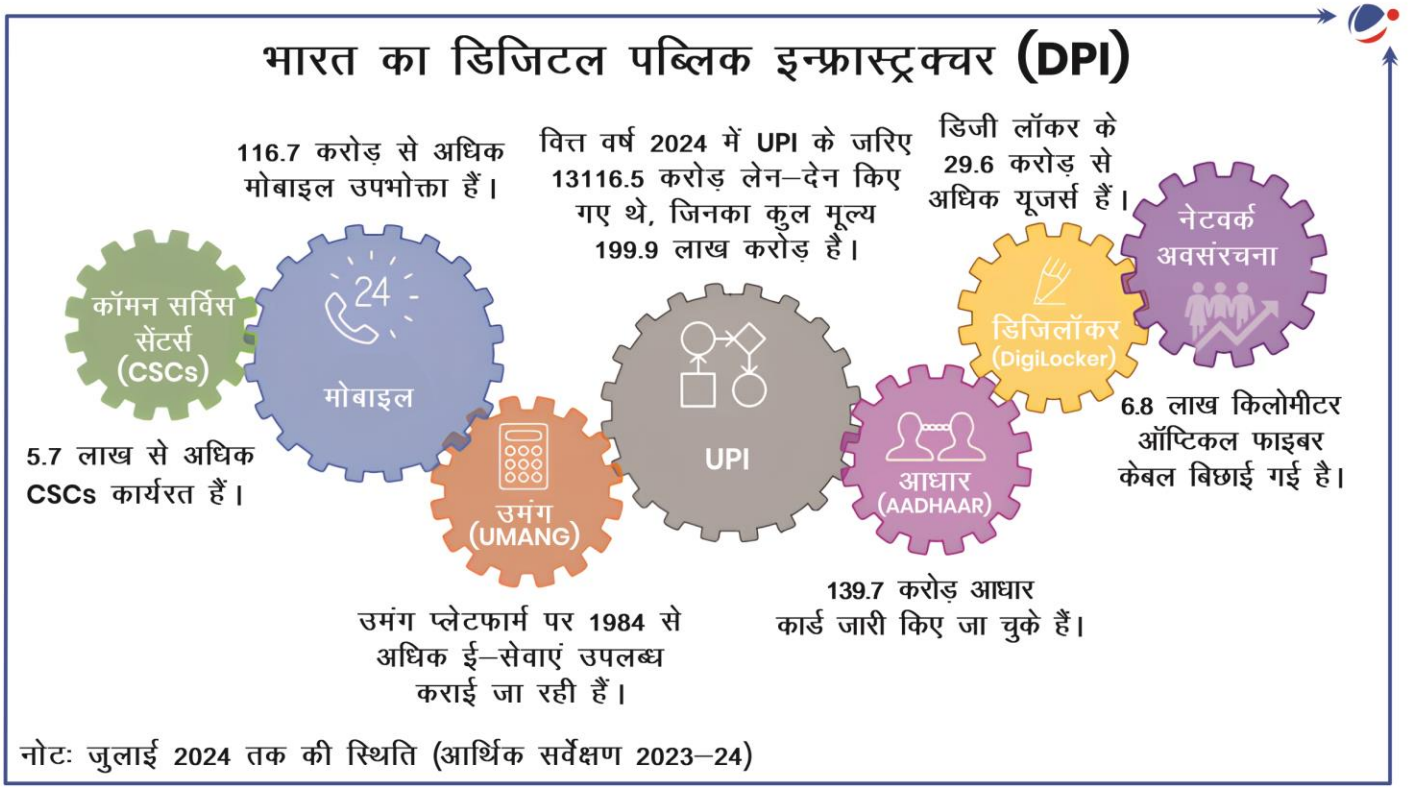

DPI के लिए वैश्विक प्रयास

- **डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG):** यह **DPI एप्रोच पर** किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर देशों द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की गई **पहली आम सहमति** है।
- **वन फ्यूचर अलायंस:** यह **G20 इंडिया प्रेसीडेंसी** द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य **क्षमता निर्माण करना तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI** को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान करना है।

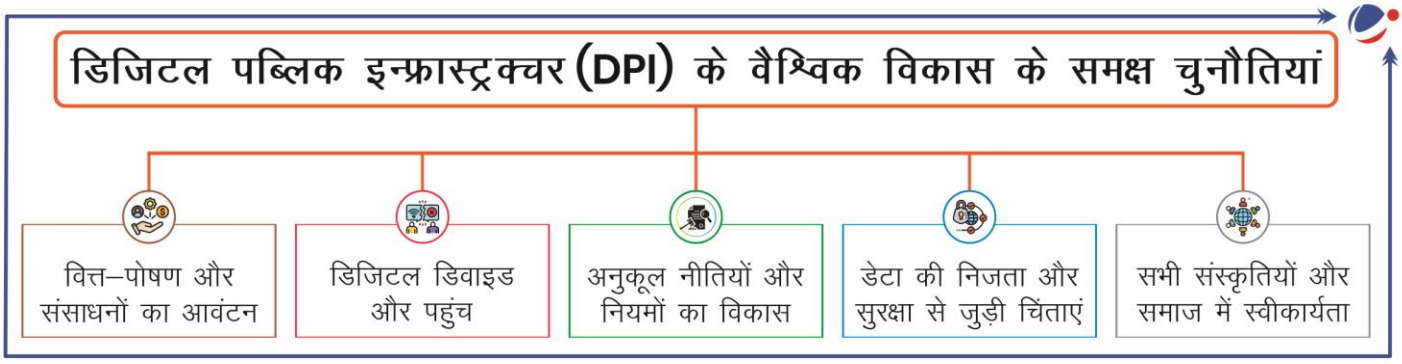

- **ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी (GDPIR):** इसकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसे DPI पर एक केंद्रित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
    - ग्लोबल साउथ के देशों में DPI कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए **सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF)** की भी घोषणा की गई।
- **यूरोपीय संघ 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)':** भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों में DPI के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए है।

आगे की राह

- रिपोर्ट में सिफारिश की गई "**3 पिलर्स DPI एप्रोच"** को अपनाया जाना चाहिए (इमेज देखें)।
- ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के गहन शोध और विश्लेषण आधारित **व्यापक तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण** को अपनाने की आवश्यकता है।
- **खुले और रीयूजेबल प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क का समर्थन करना चाहिए।**
    - उदाहरण के लिए- **देशों की संप्रभुता और डेटा स्वामित्व सुनिश्चित** करते हुए, कुछ तरह की DPI का उपयोग करने के लिए देशों को प्लग एंड प्ले करने की अनुमति देने हेतु **रीयूजेबल** प्रबंधित सर्विस मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए।
- DPI के उपयोग से जुड़े अपने अनुभव साझा करने के लिए **वार्षिक DPI फोरम** आयोजन के जरिए संवाद और क्रियान्वयन को बढ़ावा देना चाहिए।
    - ग्लोबल साउथ के देशों को विशेष रूप से अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं हेतु DPI पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए **ग्लोबल साउथ फोरम** की स्थापना करनी चाहिए।
- DPI प्राप्तकर्ता देश के भीतर संयुक्त रूप से DPI स्थापना हेतु देशों के बीच **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संपर्क को बढ़ावा देना** चाहिए।
- DPI पर **केंद्रित संस्थान** की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्थान उचित तकनीक और शैक्षणिक विशेषज्ञता के साथ नीतिगत पहलुओं और रणनीतियों के निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन पर कार्य करेगा।
- **DPI को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाना चाहिए।**
    - जैसे कि AI, भारतीय भाषाओं में कम डेटा उपलब्ध होने की चुनौती को दूर करने हेतु भारत की **भाषिणी** की मदद से "भाषा स्थानीयकरण" (language localization) को बढ़ावा दे सकता है। भाषिणी वास्तव में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) मॉडल है।

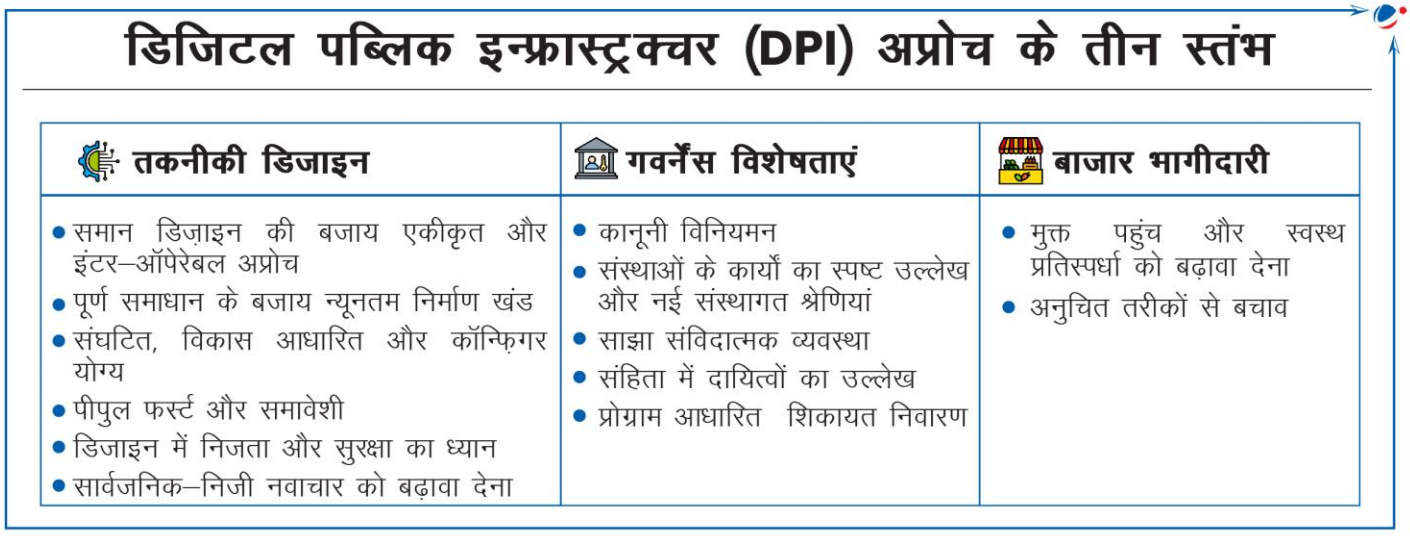

3.2. एंजेल टैक्स (Angel Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2024-25 में, सरकार ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। ऐसा उद्यमशीलता के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वाणिज्य और **उद्योग मंत्रालय** के तहत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** ने बजट से पहले एंजेल टैक्स को खत्म करने की सिफारिश की थी।
    - इससे पहले, **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)**[21] ने भी इसी तरह की सिफारिश की थी।

एंजेल टैक्स क्या है?

- **परिभाषा:** एंजेल टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर है। इसके तहत स्टार्ट-अप का उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू) और उसके द्वारा इससे अधिक जुटाई गई राशि को आय माना जाता है और इस अतिरिक्त आय पर एंजेल टैक्स लगाया जाता है।
    - उदाहरण के लिए- यदि किसी स्टार्टअप का उचित बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपये है, और वह एंजेल निवेशकों से 1.5 करोड़ रुपये जुटाता है तो वैल्यूएशन की अतिरिक्त 50 लाख रुपये की राशि पर कर लगेगा।
- **उद्देश्य:** इसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।
- **कानूनी प्रावधान:** यह **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (II) (viib) के तहत** लगाया जाता था।
- **कवरेज:** पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन बजट 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए विदेशी निवेश (कुछ अपवादों के साथ) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

शब्दावली को जानें

- **उचित बाजार मूल्य (FMV):** उचित बाजार मूल्य वह मूल्य है, जिस पर कोई परिसंपत्ति वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत बेची जाती है, यह मानते हुए कि क्रेता और विक्रेता, दोनों अपने-अपने हिसाब से सर्वोत्तम संभव मूल्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत

- वेंचर कैपिटल/ प्राइवेट इक्विटी/ एंजेल फंड, नवीन और उभरते स्टार्टअप में निवेश करते हैं।
    - वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित) को वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)[22] माना जाता है।
    - AIFs स्टार्ट-अप्स और अन्य कंपनियों में निवेश के लिए निजी फंड जुटाते है। इन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:
        - **श्रेणी I:** इसमें वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित), सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आदि शामिल हैं।
        - **श्रेणी II:** इसमें वे फंड शामिल हैं जो श्रेणी I और श्रेणी III में नहीं आते हैं और जो उधारी लेने के कार्य में शामिल नहीं हैं। इसमें डेब्ट्स फंड्स आदि शामिल हैं।
        - **श्रेणी III:** इसमें विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करना शामिल है और इसमें उधारी को निवेश के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। इस श्रेणी में हेज फंड आदि शामिल हैं।
- **वेंचर कैपिटलिस्ट:** वे संस्थागत निवेशकों से जुटाए गए फंड का प्रबंधन करते हैं और बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं।
    - वे आम तौर पर ऐसे स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं जिनकी बाजार में पहले से ही अच्छी पैठ है, जिनके पास एक मान्य बिजनेस मॉडल है और वे व्यापक तौर पर व्यवसाय करने के लिए तैयार हैं।
    - वे स्टार्ट-अप में अधिक स्वामित्व चाहते हैं ताकि रणनीतिक निर्णय लेने में उनकी अधिक भूमिका हो सके।
- **एंजेल निवेशक:** वे आम तौर पर अपने व्यक्तिगत फंड की लघु मात्रा को शुरुआती चरण वाले ऐसे स्टार्टअप में निवेश करते हैं जो व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया में है।
    - एंजेल निवेशकों के निवेश को अधिक अनिश्चितता और जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

[21] Confederation of Indian Industry

[22] Alternative Investment Funds

एंजेल टैक्स क्यों खत्म किया गया?

- **व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए:** एंजेल टैक्स ने स्टार्ट-अप पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और नियमों के पालन का बोझ बढ़ा दिया था। इससे उनकी विकास करने की क्षमता के साथ-साथ सुगम तरीके से व्यवसाय करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।
  - एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्ट-अप की **रिवर्स फ़्लिपिंग** को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश को व्यवस्थित करना:** भारतीय स्टार्ट-अप में 2023 में वैल्यू के स्तर पर फंडिंग में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
  - इसके अलावा, विदेशी निवेशकों पर एंजेल टैक्स लगाने से फंडिंग के अवसर कम हो गए। गौरतलब है कि स्टार्ट-अप्स का वैल्यूएशन बढ़ाने में विदेशी निवेशकों ने अहम भूमिका निभाई थी।
    - उदाहरण के लिए- टाइगर ग्लोबल नामक विदेशी निवेशक ने 1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन वाले एक-तिहाई भारतीय स्टार्ट-अप (यूनिकॉर्न) में निवेश किया हुआ है।

शब्दावली को जानें

- **यूनिकॉर्न:** यह एक ऐसी स्टार्ट-अप कंपनी होती है, जिसका कुल मूल्य (वैल्यू) **1 बिलियन डॉलर से अधिक** होता है।
- **रिवर्स फ़्लिपिंग:** इसमें वे भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जो शुरू में विदेश में स्थापित हुई थीं, लेकिन बाद में रणनीतिक रूप से उन कंपनियों ने अपने **कानूनी मुख्यालय को वापस भारत में स्थानांतरित कर लिया।** उदाहरण के लिए; फ़ोन पे, ग्रो आदि।

एंजेल टैक्स खत्म करने से जुड़ी चिंताएं

- इसे खत्म करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। साथ ही, स्टार्ट-अप का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है या फर्जी स्टार्ट-अप बनाए जा सकते हैं।

स्टार्ट-अप्स की वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है?

- वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट "फाइनेंसिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम" में निम्नलिखित तरीकों की सिफारिश की है:
  - **यूनिकॉर्न का विस्तार:** स्टार्टअप्स को अधिक फंड प्रदान करने में मदद करने के लिए **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) फंड-ऑफ-फंड्स के दायरे** का विस्तार करना चाहिए।
    - सिडबी फंड-ऑफ-फंड्स वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) जैसे अन्य फंड्स में निवेश करता है।
  - **AIFs की लिस्टिंग:** पूंजी के सतत स्रोत तक पहुंचने के लिए AIFs को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **FVCI के लिए क्षेत्रों का विस्तार:** विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCI)[23] को उन सभी क्षेत्रकों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  - **घरेलू संस्थागत फंड जुटाना:** बड़े बैंकों को फंड-ऑफ-फंड्स स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और श्रेणी-III AIF में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

डेटा बैंक

भारत में स्टार्ट-अप की स्थिति

- भारत दुनिया में **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** है।
- **भारत में 1 लाख से अधिक** मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स हैं।
- **100 से अधिक** स्टार्ट-अप्स ने **यूनिकॉर्न** का दर्जा हासिल कर लिया है।

निष्कर्ष

एंजेल टैक्स की समाप्ति से उद्यमियों के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी न हो, सरकार एंजेल निवेशकों के पंजीकरण और निजी इक्विटी/ वेंचर कैपिटलिस्ट/ एंजेल फंड में लाभकारी स्वामित्व के डिस्क्लोजर पर बल दे सकती है। इससे स्टार्ट-अप के किसी अन्य उद्देश्य से दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी।

3.3. गिग इकॉनमी (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने '**कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक' का मसौदा** जारी किया।

[23] Foreign venture capital investors

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **कल्याण बोर्ड:** यह विधेयक राज्य-स्तरीय **'कल्याण बोर्ड' की स्थापना का प्रावधान** करता है। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स का कल्याण सुनिश्चित करना है।
- **कल्याण निधि की स्थापना:** इसमें **कल्याण शुल्क** (कर्मचारी और एग्रीगेटर के बीच लेनदेन पर या कंपनी के समग्र टर्नओवर पर लगाया गया शुल्क) तथा **संघ और राज्य** सरकारों से मिलने वाले अंशदान शामिल होंगे।
- **अधिकार-आधारित विधेयक:** यह विधेयक गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ एग्रीगेटर्स पर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, व्यवसाय की प्रकृति से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम और सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों को वहन करने का प्रावधान करता है।
- **अन्य विशेषताएं:** इसमें **अनुचित तरीके से बर्खास्तगी से सुरक्षा**, **दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र** और प्लेटफॉर्म्स (जैसे- जोमाटो) द्वारा इस्तेमाल स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाले सिस्टम में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- वर्तमान में, **राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य** है जहां **गिग वर्कर्स के कल्याण से संबंधित कानून लागू है।**

डेटा बैंक

भारत में गिग वर्कर्स (नीति आयोग के अनुसार)

- **7.7** मिलियन वर्कर्स गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं (2020–21)।
- गैर–कृषि क्षेत्रक कार्य-बल में **2.6%** या कुल कार्य–बल में **1.5%** हिस्सेदारी गिग वर्कर्स की है।
- भारत में **2029–30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन** होने की संभावना है।

विधेयक से जुड़ी चिंताएं

- एल्गोरिदम निगरानी का डिस्क्लोजर करने और बर्खास्तगी के कारणों को सार्वजनिक करने से **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' प्रभावित हो सकता है।**
- विधेयक में गिग श्रमिकों के लिए **न्यूनतम वेतन या कार्य के घंटे को परिभाषित नहीं किया गया है।**
- **कल्याण बोर्ड मॉडल** गिग वर्कर्स के लिए कुछ कल्याण योजनाओं का उल्लेख जरूर करता है, लेकिन यह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, या मातृत्व हितलाभ लाभ जैसे संस्थागत सामाजिक सुरक्षा लाभों की जगह नहीं ले सकता है।
- यह विधेयक केवल **प्लेटफार्म-आधारित गिग वर्कर्स के एक उपसमूह को विनियमित** करता है। वहीं **सामाजिक सुरक्षा संहिता (COSS)[24], 2020** 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफार्म वर्कर्स', दोनों को अलग-अलग परिभाषित और विनियमित करती है।

गिग श्रमिक

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध** से बाहर की कार्य-दशाओं में काम करता है और उससे आय अर्जित करता है।
- **आम तौर पर इनकी दो श्रेणियां हैं:**
  - **प्लेटफार्म आधारित:** ये आमतौर पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े होते हैं।
  - **नॉन-प्लेटफॉर्म आधारित:** इसमें सामान्य कंपनियों में पार्ट-टाइम या फुल-टाइम आधार पर कार्य करने वाले अस्थाई वेतन-भोगी कर्मचारी शामिल हैं।
- **गिग श्रमिक को बढ़ावा देने वाले कारक हैं:**
  - तकनीकी प्रगति,
  - शहरीकरण,
  - मध्यम वर्ग की बढ़ती उपभोग संबंधी मांग,
  - मांग आधारित सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती रूचि, तथा
  - वर्कर द्वारा अपने पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच बेहतर संतुलन रखने की इच्छा।

गिग वर्कर्स के लिए चुनौतियां:

- **डिजिटल डिवाइड:** इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक की सभी क्षेत्रों तक बराबर पहुंच नहीं होने से गिग वर्कर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा भी सीमित है।

[24] Code on Social Security

- **डेटा संरक्षण:** गिग वर्कर्स के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने, संग्रहीत करने और साझा करने के संबंध में **प्लेटफॉर्म कंपनियों के नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण** गिग वर्कर्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- **'कर्मचारी' का दर्जा न मिलना:** इसकी वजह से वे अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके, शोषणकारी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आवाज उठा सके, आदि।
- **नौकरी की अनिश्चित प्रकृति:** गिग वर्कर्स के लिए नौकरी की सुरक्षा, वेतन मिलने में अनियमितता और रोजगार की अनिश्चितता जैसी कुछ बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा का कवरेज नहीं मिलना:** इन्हें स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- **एल्गोरिदमिक प्रबंधन: एल्गोरिदमिक प्रबंधन प्रथाओं** और कस्टमर की रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन से उत्पन्न दबाव के कारण गिग वर्कर्स को तनाव का सामना करना पड़ता है।

भारत में गिग इकॉनमी के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- **वेतन संहिता, 2019:** यह गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन (यूनिवर्सल मिनिमम वेज) और फ्लोर पारिश्रमिक का प्रावधान करता है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग वर्कर्स भी पंजीकृत हो सकते हैं।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों सहित गिग वर्कर्स को एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
- **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSUI), बेंगलुरु के सेंटर फॉर लेबर स्टडीज** को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई योजना तैयार करने में सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।
    - **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने** NLSUI के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

- **गिग वर्कर्स की संख्या का उचित आकलन**: इनकी अलग से गणना करने की आवश्यकता है।

- **प्लेटफार्माइजेशन को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप इंडिया की तरह ही 'प्लेटफार्म इंडिया' पहल की शुरुआत करनी चाहिए।
  - यह प्लेटफॉर्म स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को अपने उत्पाद को कस्बों और शहरों के अन्य बाजारों में बेचने में मदद कर सकता है; किराये का भुगतान करके यात्रियों को लाने-ले जाने आदि में भी मदद कर सकता है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी लाना:** फिनटेक उद्योग का लाभ उठाकर प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए वित्तीय उत्पादों के माध्यम से कमजोर वर्ग को बैंकों से ऋण प्रदान किया जा सकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा:** महिला श्रमिकों, दिव्यांगजनों जैसे श्रमिकों के अलग-अलग वर्गों का कौशल विकास करके और ऋण उपलब्ध कराकर उनकीप्लेटफॉर्म क्षेत्र में **रोजगार प्राप्ति में मदद की जा सकती है।**
- **प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए कौशल विकास:** कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए **आउटकम** आधारित, प्लेटफॉर्म-आधारित मॉडल का अनुसरण करना चाहिए।
  - ई-श्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल या उद्यम पोर्टल जैसे रोजगार और कौशल विकास पोर्टल्स को असीम (ASEEM) पोर्टल के साथ एकीकृत करना चाहिए।
- **सभी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना:** साझेदारी मोड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार करना चाहिए, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रावधान किया गया है।
  - सामाजिक सुरक्षा लाभों में **सवेतन बीमारी अवकाश**, कार्य की प्रकृति से उत्पन्न बीमारी और **कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में बीमा**, सेवानिवृत्ति/ पेंशन योजनाएं और अन्य आकस्मिक लाभ शामिल हैं।

क्या आप जानते है?

नियोक्ता और व्यवसाय सदस्यता संगठन (EBMOs): ये संगठन कंपनियों के व्यवसाय वाले क्षेत्र में उनके लिए अनुकूल परिवेश निर्माण करके कंपनियों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। साथ ही, ये ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उन कंपनियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं।

- **त्रिपक्षीय संवाद:** प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी मुद्दों और श्रमिक कल्याण पर सरकारों, प्लेटफार्म यूनियन तथा नियोक्ता और व्यावसायिक सदस्यता संगठन (EBMO)[25] के बीच संवाद स्थापित करना चाहिए।

3.4. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने केरल के **विझिनजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज सी-पोर्ट** में नवनिर्मित अर्ध-स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का स्वागत किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विझिनजाम बंदरगाह का स्वामित्व **केरल सरकार** के पास है।
- इसे मुख्य रूप से बहुउद्देशीय एवं ब्रेक-बल्क कार्गो के अलावा **कंटेनर ट्रांसशिपमेंट** संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
- इस बंदरगाह को वर्तमान में **"लैंडलॉर्ड मॉडल"** के आधार पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही, इसे **"डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT)"** के आधार पर **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** घटक के तहत विकसित किया जा रहा है।
  - "लैंडलॉर्ड मॉडल" के अंतर्गत **पोर्ट अथॉरिटी 'विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड'** के रूप में कार्य करती है, जबकि **बंदरगाह के संचालन (विशेष रूप से कार्गो हैंडलिंग) का दायित्व निजी कंपनियों** के पास होता है।

[25] Employer and Business Membership Organizations

ट्रांसशिपमेंट पोर्ट

- **ट्रांसशिपमेंट हब** ऐसे बंदरगाह होते हैं, जिनका मालवाहक जहाज के स्रोत और उसके गंतव्य बंदरगाहों से कनेक्शन होता है। इसका आशय है कि **एक जहाज से माल या कार्गो को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले ट्रांसशिपमेंट हब में दूसरे जहाज में लादा** जाता है।
    - **छोटे कार्गो के पार्सल को एक बड़े जहाज पर लादा जाता है,** जो दूसरे देशों के दूर के बंदरगाहों तक यात्रा करते हैं।

ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत का महत्त्व

- **राजस्व सृजन:** ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग सुविधा नहीं होने की वजह से देश के बड़े बंदरगाहों को लगभग **200-220 मिलियन डॉलर का राजस्व घाटा** होता है। इस घाटे से बचा जा सकता है। साथ ही, ट्रांसशिपमेंट हब होने से बंदरगाहों पर **आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि** होगी।
    - **भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है।
        - **कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग (मलेशिया) बंदरगाह इनमें से 85% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को हैंडल करते हैं।

क्या आप जानते है?

टर्नअराउंड टाइम: किसी जहाज द्वारा बंदरगाह पर अपना माल उतारने, नया माल जहाज पर लोड करने तथा अन्य संचालन संबंधी आवश्यक कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को टर्नअराउंड टाइम कहा जाता है।

- **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना:** देश का अपना ट्रांसशिपमेंट हब होने से विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बचत होगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा और व्यापार में वृद्धि होगी।
    - बंदरगाह के आसपास जहाजों से जुड़े व्यवसायों का विकास होगा, जैसे- **जहाज़ की मरम्मत, वेयरहाउसिंग, बंकरिंग आदि**।
- **आत्मनिर्भरता:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर में बंदरगाह संबंधी अवसंरचनाओं में **चीन का बढ़ता प्रभाव** एवं विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता **देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा** है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण:** शिपिंग कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का एकीकरण बाधित हुआ है।
    - **विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2%** ही है।

ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के विकास में मौजूद समस्याएं

- **भारतीय बंदरगाहों के पास जल की प्राकृतिक गहराई अपेक्षाकृत कम है:** मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर और तूतीकोरिन जैसे बड़े भारतीय बंदरगाहों की प्राकृतिक गहराई केवल 10-14 मीटर है।
    - एक अच्छे ट्रांसशिपमेंट हब के लिए **20-मीटर गहराई की आवश्यकता** होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों से दूरी:** उदाहरण के लिए- पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर मौजूद हमारे देश के बड़े बंदरगाह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से काफी दूरी पर अवस्थित हैं।

- **श्रम संबंधी मुद्दे:** बड़े भारतीय बंदरगाह अपने-अपने बंदरगाहों पर लगातार श्रमिक हड़तालों, भीड़भाड़, दक्षता की कमी एवं कर्मियों की कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
  - **बंदरगाहों का संचालन आधुनिक तरीके** से करने के लिए **आवश्यक कौशल स्तर** एवं **उपलब्ध कार्यबल** में कौशल में अक्सर काफी कमी दिखती है।
- **अन्य समस्याएं:** फंडिंग की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अक्षमताएं, **विदेशी बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना** (जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, जबेल अली, पोर्ट केलांग, आदि)।

भारत में बंदरगाहों के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

- **मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047:** यह भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा है। इसके तहत शामिल प्रमुख पहलें हैं:
  - **गहरे ड्राफ्ट (Deeper Drafts):** बड़े जहाजों को आकर्षित करने एवं हैंडलिंग क्षमताओं में सुधार करने के लिए ड्राफ्ट यानी बंदरगाह के पास जल की गहराई को बढ़ाकर 18-23 मीटर करना।
  - **ट्रांसशिपमेंट हब:** वैश्विक शिपिंग यातायात के बड़े हिस्से को आकर्षित करने के लिए एक विशाल ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करना।
  - **पोत शुल्क में कमी:** बंदरगाह संचालन को अधिक किफायती बनाने के लिए पोत-संबंधी शुल्क में कमी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
  - **निजी क्षेत्रक की भागीदारी बढ़ाना:** पी.एम. गति शक्ति- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)[26] एवं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत PPP मोड में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - **नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास:** इनका विकास अंडमान और निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार की गैलाथिया खाड़ी तथा कोचीन के वल्लारपदम में किया जा रहा है (मानचित्र देखिए)।
  - **टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021:** ये दिशा-निर्देश PPP ऑपरेटर्स को बाजार द्वारा निर्धारित टैरिफ को तय करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** मौजूदा बंदरगाहों **(विशेष रूप से ड्राई कार्गो के मामले में)** की क्षमता बढ़ाने के लिए **आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकों** में निवेश बढ़ाने की जरुरत है।
- **सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के आधार पर परियोजनाएं शुरू करना:** विदेशी शिपिंग कंपनियों को **आकर्षित करने** के लिए करों को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए तथा **PPP परियोजनाओं को मंजूरी देने** के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- **कौशल विकास पहल:** स्थानीय कार्यबल को कुशल बनाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए।
  - प्रायोगिक अनुसंधान और विकास में अवसर प्रदान करने के लिए IITs/ NITs/ IIMs के सहयोग से **तटीय और अंतर्देशीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्रों** (CMICT)[27] की स्थापना की जानी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा:** भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के समकक्ष लाने के लिए लागत दक्षता, टर्नअराउंड समय एवं ग्राहक सेवा से जुड़ी प्रमुख समस्यायों की पहचान करनी होगी एवं इन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा।
- **तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)[28] तैयार करना:** बंदरगाहों को पूर्व में जारी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर भविष्य की निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए CZMP तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.5. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन (India's Structural Transformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **'एडवांसिंग इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच-अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर'** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है।

---

[26] National Monetisation Pipeline

[27] Centers for Coastal and Inland Maritime Technology

[28] Coastal Zone management Plan

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्किंग पेपर में भारत में अब तक हुई आर्थिक संवृद्धि की चर्चा** की गई है। साथ ही, इसमें **अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार** करने का सुझाव दिया गया है जिससे भारत की संवृद्धि दर में और वृद्धि हो सके।
- भारत ने पिछले कुछ दशकों में मजबूत आर्थिक संवृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2000 के बाद से भारत के रियल टर्म सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में औसतन 6% से अधिक की संवृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, **यह संवृद्धि सभी क्षेत्रकों में समान रूप से नहीं** हुई है।

संरचनात्मक परिवर्तन: किसी अर्थव्यवस्था का निम्न-उत्पादकता और श्रम-गहन आर्थिक गतिविधियों से उच्च-उत्पादकता और कौशल-गहन गतिविधियों की ओर बढ़ना ही संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है।

संरचनात्मक परिवर्तन के संकेतक

- **कृषि पर कम निर्भरता:** अर्थव्यवस्था में संसाधन (श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी) कम उत्पादकता वाली प्राथमिक गतिविधियों (जैसे, कृषि) से आधुनिक और उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रकों (जैसे सेवाएं) की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं।
- **अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का योगदान:** किसी देश की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों की हिस्सेदारी अधिक हो जाती है।
    - आम तौर पर इसका मापन **रोजगार में हिस्सेदारी, मूल्य वर्धित में हिस्सेदारी और अंतिम उपभोग व्यय में हिस्सेदारी** के माध्यम से किया जाता है।
- **पूंजी संचय:** भौतिक और मानव पूंजी का संचय हो, तथा मांग, उत्पादन, रोजगार और व्यापार की संरचना में बदलाव हो गया हो।
- **प्रवासन:** ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन जो ग्रामीण और शहरी विकास के स्तर पर आधारित हो।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव:** जन्म और मृत्यु की उच्च दर **(अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों की आम विशेषताएं)** से जन्म और मृत्यु की निम्न दर **(विकसित और शहरी क्षेत्रों की सामान्य विशेषताएं)** में परिवर्तन हो गया हो।

डेटा बैंक

- कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए **बेरोजगारी दर (UR) 3.1%** थी।
- कुल रोजगार में **सेवा क्षेत्रक** का योगदान **32.3%** (2018–19) है, जबकि देश की समग्र अर्थव्यवस्था में इसका योगदान **55%** है।
- 2023–24 में **सकल मूल्य वर्धित (GVA)** में तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी क्रमशः **54.7%**, **27.6%** और **17.7%** रही।
- कुल कार्यबल में **उद्योग क्षेत्रक** का योगदान **23.9%** (2020–21) है।

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन पर IMF वर्किंग पेपर में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे:

- **क्षेत्रक असंतुलन:** अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में कृषि की हिस्सेदारी 1980 में 40% थी, जो घटकर 2019 में 15% हो गई, हालांकि अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है।
- **उद्योगों में तकनीकों को अपनाने की दर एक समान नहीं होना:** टेक्नोलॉजी को अपनाने में सेवा क्षेत्रक ने विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **कम कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि:** 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्रक में संलग्न थे। इस प्रकार निर्माण क्षेत्रक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता क्षेत्रक बन गया है।
- **कम उत्पादकता:** विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि धीमी बनी हुई है। आधे से अधिक वर्कर्स कृषि, निर्माण और व्यापार जैसे निम्न उत्पादकता वाले रोजगार में संलग्न हैं।
    - 2019-20 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में **श्रम की उत्पादकता कृषि की तुलना में 4.5 गुना अधिक** थी।
- वर्किंग पेपर का अनुमान है कि भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए **कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे**।

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन की स्थिति:

- **आउटपुट में संरचनात्मक परिवर्तन:**
    - अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में **कृषि और संबद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी** 1972-73 की 42% से घटकर 2019-20 में 15% रह गई।
    - **उद्योग क्षेत्रक** (खनन, निर्माण, विनिर्माण और यूटिलिटीज को मिलाकर) **की हिस्सेदारी** 1972-73 की 24% से बढ़कर 2020-21 में 25.9% हो गई।
    - आउटपुट में **सेवा क्षेत्रक की हिस्सेदारी** 1970 की 34.5 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 55.3% हो गई।

- **रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन:**
  - **रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी** 1972-73 की 73.9% से घटकर 2018-19 में 42% हो गई।
  - पांच दशकों में **रोजगार में उद्योग की हिस्सेदारी** 1972-73 की 11.3% से बढ़कर 2019-20 में 24% हो गई।
  - रोजगार में **सेवा क्षेत्रक की हिस्सेदारी** 1972-73 की 14.8% से बढ़कर 2019-20 में 30.7% हो गई।
- **अनौपचारिक क्षेत्रक की उपस्थिति:** 1983 और 2019 के बीच, रोजगार में गैर-कृषि क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% बढ़ी है, परन्तु ऐसी अधिकांश नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित हुई हैं।
- **शहरीकरण:** भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। 2036 तक, भारत के कस्बों और शहरों में 600 मिलियन (60 करोड़) लोग या यानी कुल आबादी का 40 प्रतिशत निवास कर रहा होगा। 2011 में देश की 31 प्रतिशत और 1971 में 20% आबादी शहरों में रह रही थी।

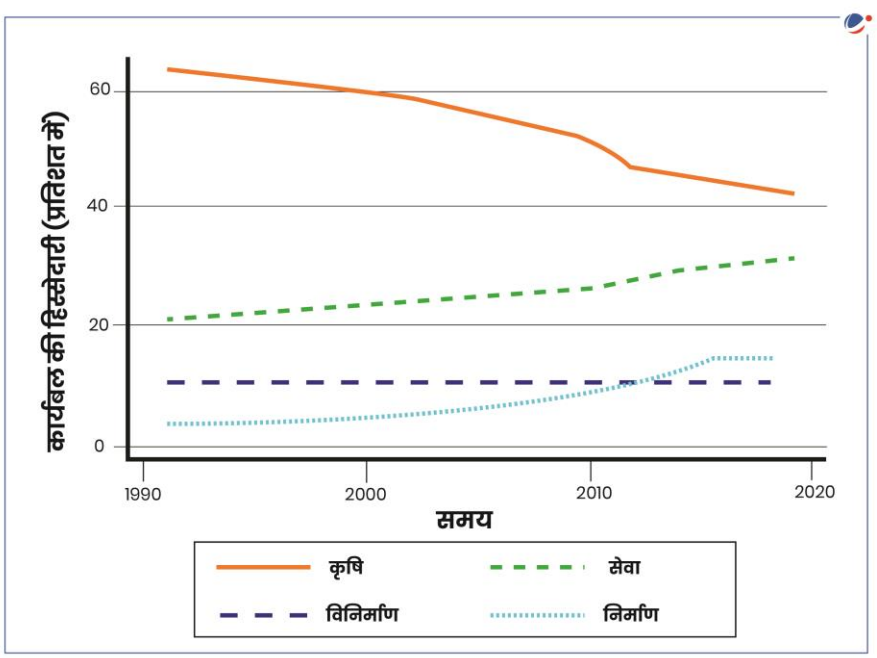

IMF वर्किंग पेपर में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना:** शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने से वर्कर्स को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रकों में रोजगार पाने में मदद मिल सकती है।

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 (ASER)[29] के अनुसार **भारत की श्रम शक्ति ने** अन्य देशों की तुलना में **औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए** हैं। साथ ही, भारत में **शिक्षा की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की** बनी हुई है।

- **श्रम बाजार सुधारों को लागू करना:** श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए किसी राज्य में अन्य राज्यों के लोगों के रोजगार करने पर तरह- तरह के प्रतिबंधों को कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
- **व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना:** व्यापार नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण करने के लिए **द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर** करना चाहिए तथा **शुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों को हटाया** जाना चाहिए।
- **लालफीताशाही को समाप्त करना:** नियमों को सरल बनाने और नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने से निजी क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- **निरंतर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा:** भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत भौतिक सार्वजनिक अवसंरचना, दोनों निजी क्षेत्रक की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **अन्य उपाय:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना चाहिए; **लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्ति में मदद** करने की आवश्यकता है।

संरचनात्मक बदलाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #115: भारत में सामाजिक पहचान एवं संरचनात्मक बदलाव

3.6. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि देश में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड" स्थापित किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **'वेंचर कैपिटल फंड'** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्ट-अप तथा लघु से लेकर मध्यम आकार तक के उद्यमों को उनकी संचालन अवधि के अलग-अलग चरणों में आवश्यकता के अनुसार फंड प्रदान करेगा।
- यह फंड 2023 में **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)**[30] द्वारा शुरू की गई **सीड फंड योजना** जैसी पहलों का पूरक होगा।

[29] Annual Status of Education Report

[30] Indian National Space Promotion and Authorization Centre

अंतरिक्ष क्षेत्रक में स्पेस टेक स्टार्ट-अप एवं निजी क्षेत्रक को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है?

- **आयात पर निर्भरता कम करना:** 2021-22 में अंतरिक्ष से जुड़े प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में भारत की आयात लागत, निर्यात से होने वाली आय से 12 गुना अधिक थी।
    - प्रमुख आयातित वस्तुओं में शामिल हैं- **इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण, अधिक क्षमता वाले कार्बन फाइबर, अंतरिक्ष-में कार्य करने वाले सौर सेल आदि।**
- **इसरो को अन्य सहायक गतिविधियों से मुक्त करना:** अंतरिक्ष क्षेत्रक में उद्यमशीलता के विकास से, इसरो अपना पूरा फोकस **अनुसंधान एवं विकास कार्यों** पर करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, जिससे वह अन्य ग्रहों पर खोज मिशन और सामरिक महत्त्व के उपग्रहों के प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
- **आपूर्ति आधारित मॉडल की जगह मांग आधारित मॉडल को अपनाना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एकीकरण से अर्थव्यवस्था के लगभग हर प्रमुख क्षेत्रक को लाभ होगा। उदाहरण के लिए- शहरी विकास में उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, एरियनस्पेस जैसी विदेशी निजी अंतरिक्ष-कंपनियों ने लागत और टर्नअराउंड समय में कटौती करके वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है।
    - हालांकि, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजी उद्यमियों ने **सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से वेंडर्स या आपूर्तिकर्ता के रूप में काम किया** है।
    - इसलिए, निजी क्षेत्रक के उद्यमियों को **समान अवसर प्रदान करने के लिए,** केंद्र सरकार ने उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में **शुरू से लेकर अंत तक की गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी** है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास से मिलने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभ:** स्पेस टेक स्टार्ट-अप **कृषि, आपदा प्रबंधन** या **संचार** जैसे क्षेत्रकों में मौजूद गंभीर चुनौतियों के अभिनव समाधान ढूंढने में सहायक हो सकते हैं।
    - इसके अलावा, ऐसा अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक **अगले पांच वर्षों में** लगभग 48% की CAGR[31] की दर से बढ़कर **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।**

अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी

- भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 2024 में लगभग 200 हो गई है।
- 2022 में, **निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट** विक्रम-S **'मिशन प्रारंभ'** के तहत लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने विकसित किया है।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने PSLV रॉकेटों का निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। L&T ने इस कंसोर्टियम में HAL के साथ साझेदारी की है।
- IIT मद्रास द्वारा संचालित स्टार्ट-अप **अग्निकुल कॉसमॉस** ने स्वदेशी रूप से तैयार एवं विकसित किए गए **दुनिया के पहले ऐसे रॉकेट** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसमें **सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड इंजन** लगा था।
- हाल ही में, वनवेब इंडिया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष विनियामक IN-SPACe से मंजूर प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में स्टार्ट-अप एवं निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में चुनौतियां

- **विनियमन संबंधी समस्याएं:**
    - **बहुत सारे नियम-कानून एवं संस्थाओं की मौजूदगी** है। उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष विभाग, ISRO, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन आदि से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
    - **अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए समर्पित और स्वतंत्र विनियामक का अभाव** है। इसरो इस क्षेत्रक में विनियामक और संचालक, दोनों की भूमिका निभाता है।

[31] Compound annual growth rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

- **अंतरिक्ष उद्योग की जोखिमपूर्ण प्रकृति:** सुनिश्चित बाजार का अभाव तथा निवेश एवं उससे लाभ मिलने में अधिक समय लगने के कारण प्राइवेट संगठन बहुत सोच-समझकर कदम बढ़ाते हैं।
- **वित्त-पोषण संबंधी बाधाएं:** भारतीय निवेशक अंतरिक्ष से जुड़ी प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक तथा उच्च जोखिम वाले निवेश की बजाय 5G जैसे सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं।
  - स्वदेशी सामग्रियों की कमी तथा आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण **लागत बढ़ती है** और **उत्पादन में देरी होती है**।
- **सुरक्षा और सामरिक चिंता:** निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी संस्थाओं के संभावित हस्तक्षेप बढ़ने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों की कमी, बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के साथ अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि, आदि।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें

- **प्रमुख संगठन**
  - **IN-SPACe:** यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है।
    - इसके कार्यों में शामिल हैं- भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPEs)[32] की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना आदि।
  - **एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (ACL):** यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है।
  - **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** यह अंतरिक्ष विभाग के तहत अनुसूची 'A' श्रेणी की कंपनी है। इसे 2019 में ISRO की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालने के लिए स्थापित किया गया था।
  - **भारतीय अंतरिक्ष संघ** (ISpA)[33]: इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। ISpA एक शीर्ष और गैर-लाभकारी उद्योग संगठन है जो भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **प्रमुख पहलें**
  - **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संस्थाओं की शुरू से अंत तक भागीदारी को बढ़ावा देती है।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** FDI नीति में हाल ही में संशोधन करके उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% FDI तथा प्रक्षेपण वाहनों, स्पेस पोर्ट और संबंधित प्रणालियों आदि में 49% तक FDI की अनुमति दी गई है।
  - **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN/ स्पिन),** अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्ट-अप तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग।
  - **कर छूट:** सैटेलाइट लॉन्च को GST से छूट दी गई है।
  - **अटल इनोवेशन मिशन (AIM)**
    - **ATL स्पेस चैलेंज:** AIM ने इसरो और CBSE के साथ मिलकर **अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्पेस चैलेंज** लॉन्च किया। यह चैलेंज छात्रों को स्पेस सेक्टर में विशिष्ट तथा वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए दक्ष और अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) योजना:** AIM ने भारत भर में अंतरिक्ष तकनीक और संबंधित उद्योग में काम करने वाले 15 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है। इन स्टार्ट-अप्स का फोकस क्षेत्र मानव रहित हवाई वाहन (UAV), ड्रोन और निगरानी उपकरण, एयरो-टेक, एयर टैक्सी, अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और निगरानी सेवा, अंतरिक्ष शिक्षा आदि है।
  - **मेंटरिंग**: ISRO के सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों की सूची IN-SPACe डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (IDP) पर जारी की गई है। गैर-सरकारी कंपनियां विशेषज्ञ सलाह आदि के लिए सीधे इन मेंटर्स से संपर्क कर सकती हैं।

आगे की राह

- **अंतरिक्ष गतिविधियां अधिनियम बनाना:** यह अधिनियम अंतरिक्ष उद्योग में कार्य की स्पष्टता, फोकस और प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र के सब-सेग्मेंट्स की वर्तमान मूल्य श्रृंखला की मैपिंग:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए बाजार निर्माण से जुड़ी समस्या को समझने हेतु चुनौतियों (प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और अपनाने संबंधी), ग्लोबल ट्रेंड और वैश्विक बेंचमार्किंग को पहचानने की आवश्यकता है।

[32] Non-Governmental Private Entities

[33] Indian Space Association

- इसके अलावा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार की मांग को बढ़ावा देने के लिए निजी स्टार्ट-अप के लिए सरकारी अनुबंधों की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

- **क्षमता निर्माण:** इसमें व्यवस्थागत विकास के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों पर जोर देना शामिल है। उदाहरण के लिए- सिस्टम इंजीनियरिंग से जुड़े कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में तालमेल बनाना:** विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच के लिए स्टार्ट-अप, इसरो और विदेशी कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
- **अन्य उपाय:** प्रौद्योगिकी विकास निधि कोष में वृद्धि करनी चाहिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग की संभावना पर विचार करनी चाहिए, आदि।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #112: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग: जिज्ञासा से वास्तविकता तक

3.7. सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA)[34] द्वारा जारी की गई है।

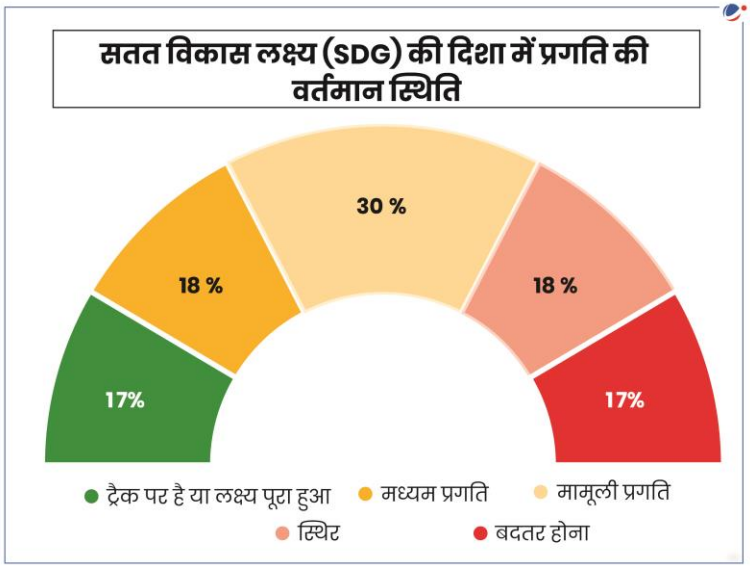

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **2015-2024** के वैश्विक समग्र डेटा के आधार पर सभी लक्ष्यों में समग्र प्रगति दर्ज की गई है।
- दुनिया निर्धारित समय सीमा में SDGs को हासिल करने से पीछे रह जाएगी, क्योंकि 20% से भी कम लक्ष्य ट्रैक पर हैं। आधे से ज़्यादा लक्ष्यों पर प्रगति कमज़ोर है और 30% लक्ष्य रुके हुए हैं या हम इनमें पीछे चले गए हैं, जिनमें ग़रीबी, भुखमरी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुख्य लक्ष्य शामिल हैं।

नोट: *प्रत्येक SDG में प्रगति की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, इस पत्रिका के अंत में परिशिष्ट देखिए।*

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** सतत विकास की अवधारणा को **1987 की ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट** में परिभाषित किया गया है। इस रिपोर्ट में सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।
- इसके बाद, 2000 में **संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs)**[35] पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें वैश्विक नेतृत्व ने गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरणीय क्षरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - **प्रत्येक MDG में 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित** थे। इन लक्ष्यों में प्रगति की निगरानी के लिए 1990 को आधार बनाकर संकेतकों का उल्लेख भी था।

[34] United Nations Department of Economic and Social Affairs

[35] Millennium Development Goals

- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** वास्तव में सभी के लिए **बेहतर और अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट** है।
    - ये लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का क्षरण, शांति और न्याय आदि से जुड़ी मौजूदा **वैश्विक चुनौतियों** के समाधान प्रस्तुत करते हैं।
- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने **"सतत विकास के लिए एजेंडा 2030"** को अपनाया। इसमें लक्ष्यों (Goals) और उनसे संबंधित उप-लक्ष्यों (Targets) को प्राप्त करने के लिए 15-वर्षीय योजना तय की गई है।
    - **SDGs** में **17 लक्ष्य** और 169 उप-लक्ष्यों का उल्लेख है जिन्हें **2030** तक प्राप्त किया जाना है।

SDG लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में पिछड़ने के कारण

- **कोविड-19 महामारी:** इसने **SDG-1** के चरम गरीबी उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रयासों में बाधा उत्पन्न की। महामारी ने जीवन प्रत्याशा में विगत 10 वर्षों में हासिल की गई प्रगति को नष्ट कर दिया। इसकी वजह से वैश्विक शिक्षा भी प्रभावित हुई जिससे **SDG-3** और **SDG-4** की दिशा में हुई प्रगति को भी नुकसान पहुंचा।
    - कोविड महामारी की वजह से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए विकासशील देशों को प्राप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में भी कमी आई। इससे **SDG-7** प्रभावित हुआ।
- **संघर्षों में वृद्धि:** यूक्रेन, गाजा, सूडान जैसी जगहों पर संघर्षों के बढ़ने से **120 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित** होना पड़ा है।
- **वित्तीय बाधाएं:** UNFCCC का अनुमान है कि 2030 तक विकासशील देशों की जलवायु कार्य योजनाओं के लिए लगभग **6 ट्रिलियन** डॉलर की आवश्यकता होगी। इसमें कमी होने पर **SDG-13** की प्रगति प्रभावित होगी।
- **पर्यावरण क्षरण और उनसे जुड़ी चुनौतियां** जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई से भी SDGs को प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।
    - उदाहरण के लिए- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)[36] ने चेतावनी दी है कि **1.5 डिग्री सेल्सियस की तापवृद्धि से 2050 तक 90% प्रवाल** (कोरल्स) नष्ट हो सकते हैं और **2 डिग्री सेल्सियस** की तापवृद्धि से 99% तक प्रवाल नष्ट हो जाएंगे। इससे **SDG-14** को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।
- **आपदाएं:** लू, बाढ़ के विशाल प्रकोप, सूखा, वनाग्नि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं ने **करोड़ों लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त** कर दिया है।
    - 2015 से 2022 तक, आपदाओं से होने वाले **कुल** वैश्विक दर्ज आर्थिक नुकसानों में **6.9% नुकसान अल्प विकसित देशों (LDCs)** को हुआ है। इससे भी **SDG-1** की प्रगति प्रभावित हुई है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में भारत की स्थिति

- **प्रगति:**
    - **SDG-3:** मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 के प्रति **1,00,000 जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2018-20 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 97** हो गया है।
    - **SDG-4:** उच्च माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात **2015-16 के 48.32 से बढ़कर 2021-22 में 57.60 हो गया** है।
    - **SDG-6:** ग्रामीण क्षेत्रों में **साफ पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत 2015-16 के 94.57% से बढ़कर 2023-24 में 99.29%** हो गया है।
    - **SDG-7:** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता 2014-15 की 63.25 वाट प्रति व्यक्ति से बढ़कर **2023-24 में 136.56 वाट प्रति व्यक्ति** हो गई है।
    - **SDG-9:** स्वीकृत पेटेंट आवेदनों की संख्या **2015-16 की 6,326 से बढ़कर 2023-24 में 1,03,057 हो गई।**
- **प्रगति की वजहें:** प्रधान मंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधान मंत्री-मुद्रा योजना के चलते भारत ने SDG की दिशा में बेहतर प्रगति हासिल करने में सफल रही है ।

[36] Intergovernmental Panel on Climate Change

- **मुख्य चिंताएं:**
  - **पुरुष और महिला कैजुअल मजदूरों के बीच औसत पारिश्रमिक में अंतर** 2017-18 के 96 रुपये से बढ़कर **2022-23 में 178 रुपये** हो गया। इस प्रकार SDG-5 (लैंगिक समानता) की दिशा में प्रगति सही दिशा में नहीं है।
  - **प्रति व्यक्ति उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट** की मात्रा 2017-18 की 7.19 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 9.28 मीट्रिक टन हो गई। इससे SDG-12 की दिशा में प्रगति बाधित हुई है।

आगे की राह

- **शांति की स्थापना:** वार्ता और कूटनीति के जरिए मौजूदा सशस्त्र संघर्षों का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, **संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हुए** भविष्य में संघर्षों को टालने का प्रयास करना चाहिए।
- **वित्तपोषण:** अधिक न्यायसंगत, समावेशी प्रतिनिधित्व वाली और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है।
  - **समिट ऑफ द फ्यूचर, G20, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, UNFCCC के COP-29** जैसे फोरम्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में ठोस बदलाव लाने पर बल देना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन:** राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)[37] का आगामी 2025 चक्र अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाओं के लिए अवसर प्रस्तुत करता है।
- **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप:** देशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, अपनी क्षमताओं और तात्कालिक जरूरतों के आधार पर **SDGs के सबसेट** को हासिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **अलग-अलग लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित करना:** उदाहरण के लिए- गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को शिक्षा के अवसरों और लैंगिक समानता में सुधार के प्रयासों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

3.8. ई-मोबिलिटी (E-Mobility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **"ई-मोबिलिटी R&D रोडमैप फॉर इंडिया" रिपोर्ट जारी की है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट में उन **तकनीकी क्षेत्रकों** और **अनुसंधान परियोजनाओं को रेखांकित किया गया है जिन पर अगले पांच वर्षों में तत्काल कार्रवाई की** आवश्यकता है। इससे देश आत्मनिर्भर हो सकेगा और आवागमन यानी मोबिलिटी से जुड़े इनोवेटिव समाधानों में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकेगा।

प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास (R&D) रोडमैप	
क्षेत्र	**आवश्यक उपाय**
ऊर्जा भंडारण सेल	• अधिक लिथियम भंडार खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाना, लिथियम निकालने हेतु विश्व स्तर पर उपलब्ध और सफल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, लिथियम-आयन बैटरी/ सेल उत्पादन की मौजूदा आपूर्ति-श्रृंखला रणनीतियों का उपयोग करना।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एग्रीगेट्स	• हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (HESS)[38] पर जोर देना, बैटरी और सुपरकैपेसिटर जैसी अलग-अलग ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को संयोजित करना।

[37] Nationally determined contributions

[38] Hybrid Energy Storage Systems

मटेरियल और रीसाइक्लिंग	• रीसाइक्लिंग वैल्यू चेन की आर्थिक उपयोगिता का विश्लेषण करना, पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी और रिपोर्टिंग के तरीकों को लागू करना, आदि।
चार्जिंग और रिफ्यूलिंग	• सड़क के नीचे ट्रांसमिटिंग पैड लगाने के लिए उपयुक्त सड़क अवसंरचना, गतिशील वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करना, एडाप्टिव चार्जिंग तकनीकों का डिजाइन और विकास करना, आदि।

देश में ई-मोबिलिटी की/के लिए आवश्यकता

- **पर्यावरण संधारणीयता:** परिवहन क्षेत्रक से प्रतिवर्ष लगभग 142 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन होता है। इनमें से 123 मिलियन टन अकेले सड़क परिवहन क्षेत्रक से उत्सर्जित होता है।
  - ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने से **पार्टिकुलेट मैटर** और **नाइट्रोजन ऑक्साइड** (NO_X) के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रमुख कारण हैं।
  - यह कदम **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** तथा **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के **COP26 (ग्लासगो)** में प्रस्तुत **पंचामृत जलवायु कार्य योजना** जैसी **वैश्विक प्रतिबद्धताओं** के अनुरूप होगा।

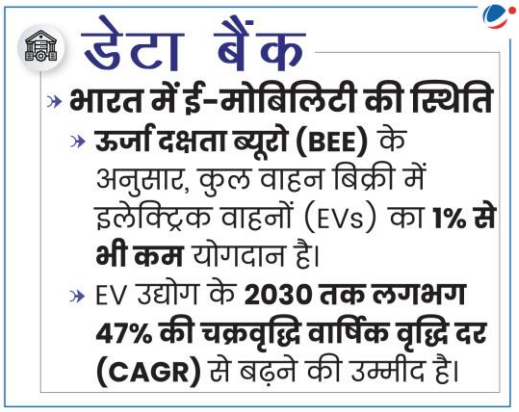

- **आयात पर निर्भरता कम करना:** भारत में कुल ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्रक का योगदान 18% है। इस मांग को मुख्य रूप से आयातित कच्चे तेल के जरिए पूरा किया जा रहा है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से कच्चे तेल की अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- **निर्यात क्षमता:** भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार है। इस ताकत और क्षमता को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात की दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **अन्य:** इस क्षेत्र में 10 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 50 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की क्षमता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के कम रख-रखाव में लागत कम आती है, आदि।

ई-मोबिलिटी को अपनाने में चुनौतियां

- **उच्च लागत: आंतरिक दहन इंजन** (ICE)[39] **वाले पारंपरिक वाहनों** की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है।
  - महंगी बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को बढ़ाती है।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर**: नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, भारत में करीब 2000 चार्जिंग स्टेशन हैं। चार्जिंग स्टेशनों की कमी से **रेंज एंग्जायटी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं**।
  - **रेंज एंग्जाइटी** का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों को इस बात की चिंता रहती है कि उनकी गाड़ी बैटरी चार्ज नहीं होने की स्थिति में अपने गंतव्य या चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच पाएगी या नहीं।
- **स्वच्छ ऊर्जा का अभाव:** यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए प्रयुक्त बिजली जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, तो फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना पूर्णतः संधारणीय या स्वच्छ नहीं कहा जाएगा।
  - केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार, **कोयला (लिग्नाइट सहित)** भारत में कुल बिजली उत्पादन में लगभग 50% का योगदान देता है।
- **मानकीकरण का अभाव:** इलेक्ट्रिक वाहनों के अलग-अलग विनिर्माता अलग-अलग तरह की बैटरियां, चार्जिंग कनेक्टर और पावरट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।
- **ई-अपशिष्ट प्रबंधन:** इस्तेमाल की गई लगभग 90% बैटरियों को या तो असंगठित उद्योग द्वारा प्रोसेस किया जाता है या फिर लैंडफिल और कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है।

[39] Internal Combustion Engine

- **ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2024** के अनुसार, **चीन और अमेरिका के बाद भारत ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में तीसरे नंबर पर है।**

- **जटिल/ कमजोर आपूर्ति श्रृंखला:** ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे प्रमुख तत्वों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - लिथियम संसाधन मुख्य रूप से **लिथियम ट्रायंगल** (अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली) में केंद्रित हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024):** इसे भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने शुरू किया है।
- **PLI योजनाएं:** भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[40] योजना शुरू की गई है, ताकि एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
  - एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के विनिर्माण के लिए PLI योजना शुरू की गई है, ताकि देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाई जा सके।
- **फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) इंडिया:** फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत "चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP)[41]" शुरू किया गया है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को कम किया गया है:**
  - इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% किया गया है;
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/ चार्जिंग स्टेशनों पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया है।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना:** विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर – दिशानिर्देश और मानक" जारी किए हैं।
  - विद्युत मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय स्तर पर चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
- **राज्यों की पहलें:** कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने अपनी-अपनी राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां जारी की हैं।
- **अन्य पहलें हैं:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020, EV30@30 अभियान (2030 तक नए वाहनों की बिक्री का कम-से-कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो), राष्ट्रीय ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी और स्टोरेज मिशन आदि।

आगे की राह

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने **'देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का संवर्धन'** शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तरीकों की सिफारिश की है:

- **बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग नीति तैयार करना:** बैटरी स्वैपिंग से आशय बैटरी स्वैपिंग ऑपरेटर (BSO) के नेटवर्क के भीतर किसी स्वैपिंग स्टेशन पर खाली बैटरी को पूरी तरह चार्ज की गई बैटरी से बदलना है।
- **मानकीकरण:** सभी हितधारकों को चार्जिंग पोर्ट आदि के क्षेत्र में सामान्य मानक अपनाने के लिए एक साथ आना होगा, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके।
- **बुनियादी ढांचे पर ध्यान:**
  - **व्यक्तिगत निवेशकों**, **महिला स्वयं सहायता समूहों** और **सहकारी समितियों को** सुनिश्चित रिटर्न का प्रस्ताव करके चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - बैटरी, सेल और EV ऑटो घटकों के विनिर्माण के लिए **समर्पित विनिर्माण केन्द्र** और **औद्योगिक पार्क** स्थापित करना चाहिए।
- **वित्त की उपलब्धता:** इलेक्ट्रिक वाहनों को **प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग** के दायरे में लाना चाहिए।
- **सार्वजनिक परिवहन:** ई-बसों पर निर्भर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।
- **विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तंत्र:** लिथियम के खनन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा पहलें शुरू की जानी चाहिए।

---

[40] Production Linked Incentive

[41] Phased Manufacturing Programme

3.9. सिटी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फिक्की (FICCI) ने PWC के साथ मिलकर 'चार्टिंग द पार्थ फॉरवर्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन: इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

सिटी गैस वितरण के बारे में

- **पाइपलाइन नेटवर्क:** सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की आपूर्ति के लिए भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है।
  - प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ-दहन वाला जीवाश्म ईंधन है। इसमें मीथेन (CH4) की अधिक मात्रा तथा अन्य हायर हाइड्रोकार्बन की आंशिक मात्रा प्राप्त होती है।
- **4 अलग-अलग सेग्मेंट्स:** CNG का उपयोग मुख्य रूप से ऑटो-ईंधन के रूप में किया जाता है। PNG का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सेग्मेंट्स में किया जाता है।
- **विनियमन:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम (PNGRB Act), 2006 के तहत, PNGRB[42] निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने वाली संस्थाओं को मंजूरी प्रदान करता है।
- **कवरेज:** देश में 33,753 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइनें अधिकृत हैं। इनमें से लगभग 24,623 किलोमीटर पाइपलाइन वर्तमान में चालू हैं।
  - नवीनतम बोली के दौर (12वें) के बाद, केवल अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को छोड़कर, जल्द ही 100% कवरेज पहुंचने की उम्मीद है।

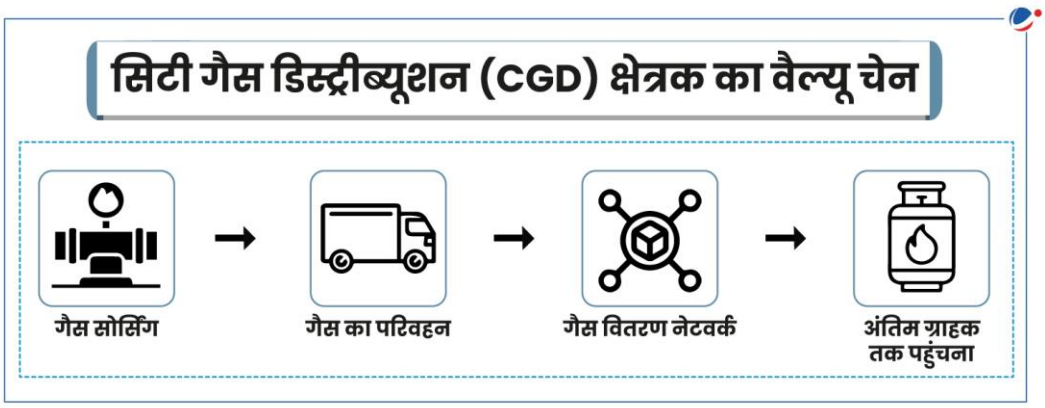

- **विकास:** भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बनाई है।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क की प्रासंगिकता

- **क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन:** प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने से भारत की निम्नलिखित जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है:
  - 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन,
  - उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना और
  - 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन मीट्रिक टन की कटौती करना।
- **ट्रांजिशन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस:** प्राकृतिक गैस भारत में पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बीच एक सेतु का काम करती है।
  - यह स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। साथ ही, यह नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद करती है।
- **समान ऊर्जा पहुंच:** यह पूरे देश में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करेगा।
- **किफायती और सुरक्षित: प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना** उत्पादन स्रोतों से उपभोग बाजारों तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक किफायती और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है।

[42] Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

- **CNG के लाभ:** उत्सर्जन का स्तर बहुत कम है, उच्च तापमान पर प्रज्वलन गुण के कारण आग लगने की संभावना नहीं है, प्रति वाहन प्रति मील सबसे कम दुर्घटना घायल और मृत्यु दर होना, आदि।
- **PNG के लाभ:** सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति, उपयोग में सुविधाजनक, ऊर्जा की बर्बादी नहीं, सिलेंडर बदलने या सिलेंडर बुकिंग आदि का कोई झंझट नहीं।

सिटी गैस वितरण क्षेत्रक में चुनौतियां

- **जटिल नीतिगत फ्रेमवर्क:** सिटी गैस वितरण क्षेत्रक की कंपनियों को जटिल विनियमों को समझने और सुरक्षा मानदंडों के साथ नवाचार को संतुलित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- सुरक्षा मानकों की निगरानी में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय जैसी कई एजेंसियों की भागीदारी है।
- **बुनियादी ढांचा:** उच्च लागत, जटिल प्रौद्योगिकी एकीकरण और विनियामक मंजूरी में देरी सिटी गैस वितरण विकास में मुख्य बाधक हैं।
- **प्रतिस्पर्धा:** प्राकृतिक गैस विद्युत उत्पादन में केवल 2% का योगदान करती है, जबकि इसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे किफायती और स्वच्छ विकल्पों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **आयात पर निर्भरता:** देश की कुल मांग का 48% LNG आयात किया जाता है। इसलिए महंगे आयात पर निर्भरता इसके विकास में बाधा डालती है। देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कम होना इस चुनौती को और बढ़ा देता है।
  - आयात पर अधिक निर्भर होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अस्थिरता से प्रभावित होता है।
- **तकनीकी और डिजिटलीकरण में पिछड़ापन:** प्राकृतिक गैस उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए आधुनिक तकनीकों का अभाव है। साथ ही, बड़ी मात्रा में डेटा को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण भंडारण और प्रसंस्करण क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए बाजार निर्धारित करना:** सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को 8 साल की अवधि के लिए एक निर्धारित भौगोलिक बाजार प्रदान किया जाना चाहिए। इस अवधि को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है।

- **गैस पाइपलाइन को अवसंरचना का दर्जा देना:** RBI से अवसंरचना का दर्जा प्राप्त होने से वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में आसानी हो रही है।
- **गैस सोर्सिंग के लिए प्राथमिकता:** सरकार घरों (PNG) और परिवहन (CNG) के लिए घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देती है।
- **एकीकृत प्रशुल्क सुधार:** यह "एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक प्रशुल्क" के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- **वित्तपोषण:** सरकार ने अगले छह वर्षों में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा है।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

- **सरकार और विनियामक:** सिटी गैस वितरण क्षेत्रक को व्यवस्थित करने के लिए एकीकृत विनियामक रणनीति विकसित करना जरूरी है।
  - कुशल वर्कर्स की कमी, मंजूरी मिलने में देरी और गैस की अस्थिर कीमतों जैसी समस्याओं का समाधान करने से विश्वास का निर्माण हो सकता है व प्रक्रियाओं में सुधार हो सकता है।
- **सिटी गैस वितरण कंपनियां:** कंपनियों को बाजार की माँगों को पूरा करने और विश्वसनीयता बनाने के लिए ग्राहक-अनुकूल रणनीतियां अपनानी चाहिए।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के आने से बाजार में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाकर भविष्य में मांग में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- **प्रौद्योगिकी कंपनियां:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को स्मार्ट मीटर और GIS मैपिंग जैसे अत्याधुनिक समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - इन तकनीकों को एकीकृत करने तथा दक्षता और सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए सिटी गैस वितरण कंपनियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- **वित्तीय संस्थान और निवेशक:** निवेशकों को लाभकारी सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए और बाजार के उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां तैयार करनी चाहिए।
  - बुनियादी ढांचे के विस्तार, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (SCADA)[43], क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग (ML) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।
  - सभी पहलों को संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए।

[43] Supervisory Control and Data Acquisition

3.10. भारत में कोयला क्षेत्र (Coal Sector In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयातित कोयले की हिस्सेदारी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 13.94% (2004-05 से 2013-14) से घटकर -2.29% (2014-15 से 2023-24) हो गई है।

डेटा बैंक

- भारत के पास दुनिया में कोयले का **5वां सबसे बड़ा** भूगर्भीय भंडार है,
- भारत, दुनिया में कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है,**
- भारत, दुनिया में कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है,**
- भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का **50.7%** कोयला और लिग्नाइट पर निर्भर है (2023)।

कोयला क्षेत्र में आयात को कम करने में सहायक सुधार/पहलें

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015:** इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोयला खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी।
  - 2020 में, पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी शुरू की गई थी।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:** इसने खनन लाइसेंस के आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। कोयला के लिए विशेष रूप से **समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा (Composite Prospecting Licence-cum-Mining Lease: PL-cum- ML)** की अनुमति दी गई।
  - समग्र **PL-cum-ML** दो चरणों वाली रियायत है जो अन्वेषण कार्यों के बाद खनन कार्यों को निर्बाध तरीके से करने के लिए दी जाती है।
  - इसके अलावा, इसने कैप्टिव खनन कंपनियों को कोयले के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील दी।
- **नेशनल कोल इंडेक्स (NCI):** NCI सभी बिक्री चैनलों - अधिसूचित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयात मूल्य से कोयले की कीमतों को मिलाकर तैयार किया गया एक मूल्य सूचकांक है। यह बाजार में उतार-चढ़ाव के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है जो मूल्य में उतार-चढ़ाव की मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।
- **FDI और तकनीकी प्रगति:** कोयला खनन में 100% FDI की अनुमति देने से वैश्विक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीकों को आकर्षित करने में मदद मिली है।
- **नई कोयला वितरण नीति (NCDP) में संशोधन:** नई कोयला वितरण नीति, 2007 को संशोधित किया गया है ताकि बंद/परित्यक्त/खनन न हो रहे खदानों से कोयले की पारदर्शी तरीके से और उद्देश्यपूर्ण बिक्री की जा सके।

हाल ही में उठाए गए कदम जो घरेलू कोयला उत्पादन को और बढ़ावा देंगे

- **एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति, 2024:** यह योजना कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है जिसका उद्देश्य एक लचीली और किफायती कोयला निकासी लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करना है।
- **कोयला गैसीकरण में निवेश:** कैबिनेट ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
- कोयला क्षेत्रक में प्रधान मंत्री गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

कोयला क्षेत्रक में स्थायी समस्याएं/चुनौतियां

- **आयात पर अधिक निर्भरता:** इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में **उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (GCV) वाले कोयले की उपलब्धता कम** है। उच्च ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू वाले कोयले में राख (ऐश) और सल्फर की मात्रा कम होती है।
  - भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका से कोयला आयात करता है।
  - लौह और इस्पात जैसे क्षेत्रक कोकिंग कोयले के प्रमुख आयातक हैं।
    - देश में उत्पादित **कोकिंग कोयले** में 28 से 42% तक राख होती है। वहीं, **आयातित कोकिंग कोयले** में राख का प्रतिशत 10% से कम होता है।
- **कोल इंडिया लिमिटेड का प्रभुत्व:** कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है।
  - इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2017 में यह तर्क दिया था कि कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां बाजार की ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और भारत में गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति बाजार में उनका वर्चस्व है।

- यह पाया गया कि CIL उच्च कीमतों पर निम्न गुणवत्ता वाले आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति कर रही थी तथा आपूर्ति मापदंडों और गुणवत्ता के मामले में अनुबंध में अस्पष्ट शर्तें शामिल कर रही थी।

- **अपग्रडेशन की कमी:** अनुपयुक्त हो चुकी तकनीकों का इस्तेमाल जारी रहने से कम उत्पादकता, उच्च लागत और सुरक्षा संबंधी खतरे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **लॉजिस्टिक्स समस्या:** मल्टी-मॉडल परिवहन अप्रोच का सीमित स्तर पर पालन करने के कारण कोयला लॉजिस्टिक्स लागत उच्च है।
- **पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं: ओपन-कास्ट खनन से होने वाला नुकसान** अपूरणीय होता है, जिससे भूमि बेकार हो जाती है।
- **नई कोयला खदानों का विकास:** इसमें भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, कभी-कभी लोगों को विस्थापित होना पड़ता है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - बिजली के उपभोक्ताओं द्वारा **बकाया राशि का भुगतान न करना।**
  - कोयला क्षेत्रों में **श्रम/औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं।**
  - कोयला खनन क्षेत्रों में **कुसमय और लंबे समय तक बारिश** होना।

आगे की राह

- **संधारणीय कार्यों को बढ़ावा देना:** खदानों के पास ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर **मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति** का उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करना:** इससे कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, वे खनन में नई तकनीकों को भी बढ़ावा देंगे।
- **आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, अंतर-मंत्रालयी समिति** ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं -
  - **कोयला लिंकेज नीति को युक्तिसंगत बनाना।**
    - कोयला लिंकेज में सुधार करने का उद्देश्य कोयला खदानों से उपभोक्ताओं तक कोयले की परिवहन दूरी को कम करना है।
  - **कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों का शीघ्र संचालन।**
  - विद्युत मंत्रालय को **घरेलू कोयला बिजली संयंत्रों** को आयातित कोयले की बजाय घरेलू कोयले का उपयोग करना अनिवार्य करना चाहिए। इसके लिए, कोयला मंत्रालय को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को समाप्त करना चाहिए।
  - देश में **कोयला गैसीकरण** को बढ़ावा देना ताकि इस्पात क्षेत्र के लिए सिंथेटिक गैस का उत्पादन किया जा सके, जो मुख्य रूप से आयातित कोयले पर निर्भर है।

कोयले के बारे में

- कोयला आसानी से जलने वाली, काले या भूरे रंग की **तलछटी चट्टान** (Sedimentary Rock) है, जो मुख्य रूप से **कार्बन** से बना होता है।
    - कोयले का आरंभिक रूप 'पीट' है। **पीट** एक नरम, कार्बनिक पदार्थ है जिसमें आंशिक रूप से अपघटित वनस्पतियां और खनिज पदार्थ होते हैं।

भारत में पाई जाने वाली कोयले की किस्में:

- **एंथ्रेसाइट:** यह कोयले का उच्चतम ग्रेड है जिसमें उच्च प्रतिशत में स्थिर (फिक्स्ड) कार्बन होता है।
    - यह कठोर, भंगुर, काला और चमकदार होता है। यह जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में कम मात्रा में पाया जाता है।
- **बिटुमिनस:** यह मध्यम ग्रेड का कोयला है जिसमें उच्च हीटिंग क्षमता होती है। यह भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला है।
    - अधिकांश बिटुमिनस कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
- **सब-बिटुमिनस:** यह काले रंग का होता है और चमकदार नहीं होता। इसमें लिग्नाइट से अधिक उच्च हीटिंग गुण होता है।
- **लिग्नाइट:** यह सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है जिसमें सबसे कम कार्बन सामग्री होती है। यह राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाता है।

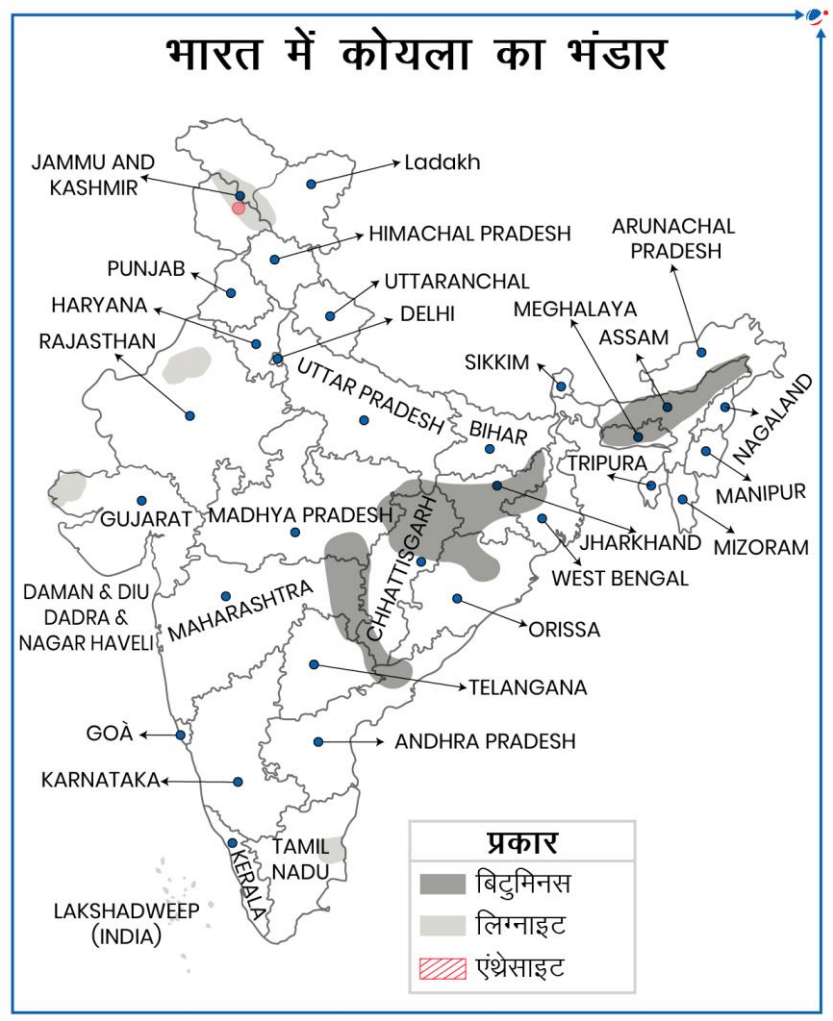

भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष तीन राज्य **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़** हैं। कुल कोयला संसाधनों में इनका योगदान लगभग 69% है।

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.11.1. विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म (World Bank Group Guarantee Platform: WBG-GP)

व्यवसाय के लिए "विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म (WBG-GP)" का संचालन शुरू हो गया है।

- **विश्व बैंक समूह गारंटी इसी वर्ष (2024)** शुरू की गई है। यह विश्व बैंक समूह के सभी गारंटी प्रदाता संस्थानों के **सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को "बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)"** से जोड़ती है।
- विश्व बैंक गारंटी **निजी ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण** के लिए प्रदान की जाती है। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्टर ऐसा क्षेत्र है, जहां **ऋण की अधिक जरूरत** होती है; **राजनीतिक और संप्रभु जोखिम** अधिक होते हैं; तथा किसी परियोजना को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने हेतु **लंबे समय के लिए ऋण जरुरी** होता है।
- इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च से पहले, विश्व बैंक समूह **20 ऋण गारंटी उत्पाद** उपलब्ध कराता था। हालांकि, इन सब उत्पादों की प्रक्रियाएं, नियम और मानक अलग-अलग होते थे। इससे ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म (WBG-GP) के बारे में

- **2030 तक 20 बिलियन डॉलर की WBG वार्षिक गारंटी** जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - WBG ने इस प्लेटफॉर्म के उत्पादों का उपयोग करके इस वर्ष लगभग **10.3 बिलियन डॉलर की नई गारंटी** जारी की।
- **यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित तीन प्रकार के कवरेज प्रदान करता है:**
  - सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी;
  - व्यापार वित्त गारंटी;
  - निजी क्षेत्रक की परियोजनाओं या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ राजनीतिक जोखिम बीमा।

WBG-GP का महत्त्व

- यह गारंटी ऋण विकल्पों का **बाजार-अनुकूल आसान उत्पाद** उपलब्ध कराता है। इस तरह विश्व बैंक के ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करता है।
- यह गारंटी ऋण उत्पादों की **प्रक्रियाओं को आसान** बनाता है। साथ ही, इसने **गैर-जरूरी प्रक्रियाओं को हटा** दिया है।
- यह विकासशील देशों में **निवेश को जोखिम मुक्त करके** ऋण प्राप्त करना आसान बनाएगा।
- यह **अधिक उपयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता** देता है और विकास को सुविधाजनक बनाता है।
- यह नवाचारी वित्त-पोषण के जरिए **संधारणीय और समावेशी विकास** को बढ़ावा देता है।

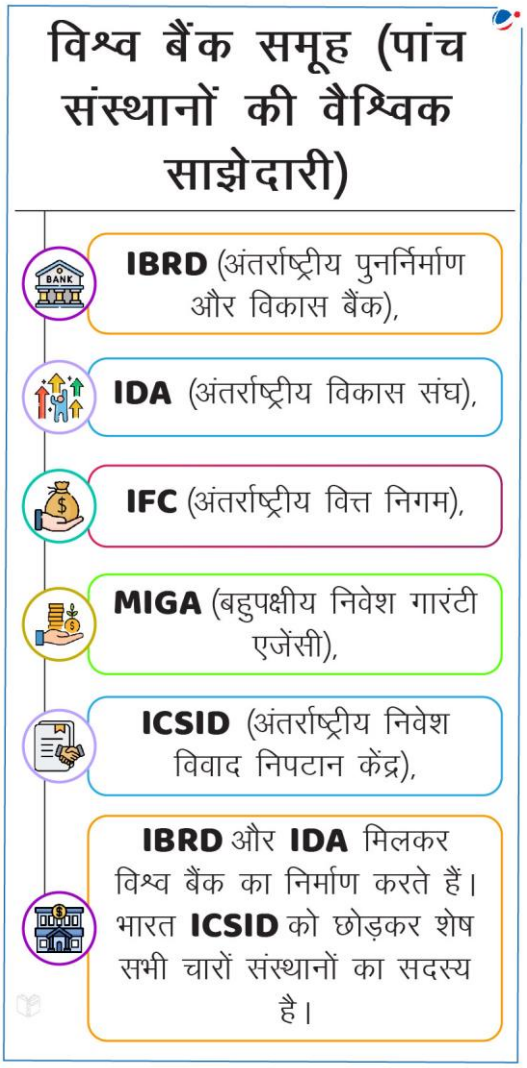

3.11.2. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क (SAARC Currency Swap Arrangement)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क" की घोषणा की।**

- RBI ने केंद्र सरकार की सहमति से **सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को संशोधित** किया है। इसके तहत RBI, सार्क देशों के उन केंद्रीय बैंकों के साथ **द्विपक्षीय स्वैप समझौता करेगा, जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।**
  - **करेंसी स्वैप एग्रीमेंट (CSA)** एक तरह का अनुबंध होता है। इसमें **दो पक्ष एक निर्धारित दर पर दो मुद्राओं का आदान-**

प्रदान करने तथा फिर भविष्य में एक निश्चित तिथि पर सहमत दर पर उन मुद्राओं की दोबारा अदला-बदली करने के लिए सहमत होते हैं।

- उदाहरण के लिए- एक अमेरिकी कंपनी A ब्रिटेन की कंपनी B को 10,000,000 पाउंड के बदले में 15,000,000 डॉलर देने के लिए सहमत हुई है। अनुबंध अवधि के अंत में, कंपनियां एक-दूसरे को देय मूल राशि का वापस भुगतान कर देंगी।

- इससे पहले, **2012 में भी सार्क देशों ने अल्प अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु मुद्रा स्वैप तंत्र** पर एक फ्रेमवर्क अपनाया था।

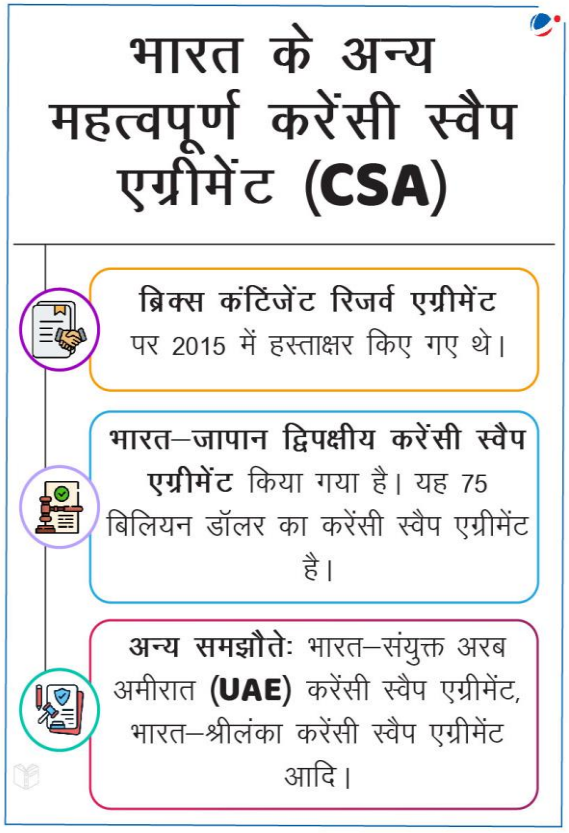

संशोधित फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- इस स्वैप फ्रेमवर्क के तहत, **भारतीय रुपये में एक अलग स्वैप विंडो** शुरू की गई है। यह विंडो अलग-अलग रियायतों के साथ भारतीय रुपये में स्वैप की सुविधा प्रदान करेगी। **भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन कोष की कुल राशि 250 बिलियन रुपये** (25000 करोड़ रुपये) है।
- RBI एक अलग **अमेरिकी डॉलर/ यूरो स्वैप विंडो** के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप सुविधा देना जारी रखेगा। इस विंडो में कुल **दो बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि** का प्रावधान किया गया है।

करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का महत्त्व

- यह **वित्तीय संकट के दौरान** विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक त्वरित विकल्प उपलब्ध कराता है। इससे देश में **वित्तीय स्थिरता बनाए रखने** में मदद मिलती है।
- यह भुगतान संतुलन के **अल्पकालिक संकट को दूर** करने में मदद करता है।

3.11.3. ऋण-जमा अनुपात {Credit-Deposit (CD) Ratio}

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को **ऋण वृद्धि दर और जमा वृद्धि दर के बीच के अंतर को पाटने तथा ऋण-जमा अनुपात को कम करने** की सलाह दी है।

- ऋण-जमा अनुपात वास्तव में **किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋणों के प्रतिशत** को दर्शाता है।

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार (ग्राफ देखिए):

- **सितंबर 2021** से ऋण-जमा अनुपात बढ़ रहा है और **दिसंबर 2023** में यह बढ़कर **78.8%** पर पहुंच गया था।
- **75% से अधिक** ऋण-जमा अनुपात वाले **75% से अधिक बैंक निजी क्षेत्र** के बैंक हैं।
- इसी तरह **ऋण वृद्धि 19.2 प्रतिशत रही,** जबकि **जमा वृद्धि 12.6 प्रतिशत** रही। यह **660 आधार अंकों (BPS) का अंतर** दर्शाता है।

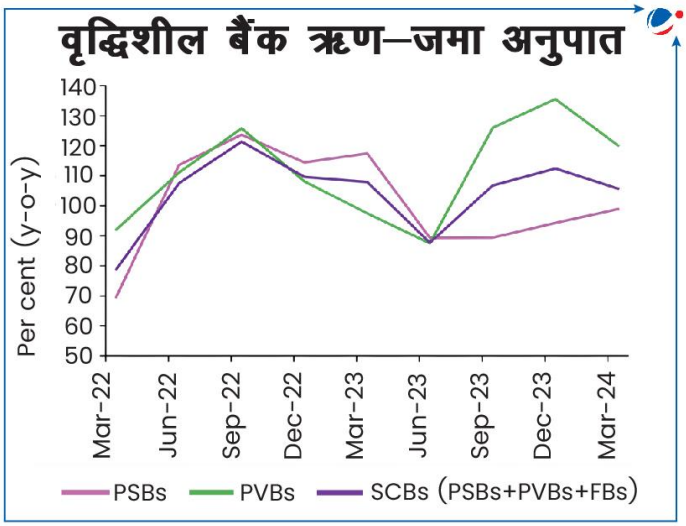

उच्च ऋण-जमा अनुपात के मुख्य कारण:

- **ऋण वितरण में उच्च वृद्धि**
  - **खुदरा ऋण में वृद्धि** जारी है, जिसमें वाहन खरीदने के लिए लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं।

- अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक खुदरा क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में **25.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ोतरी** हुई है।
  - **व्यवसायों और MSME क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि** जारी है।
- **बैंकों में नकद जमा में धीमी वृद्धि:**
  - बैंकों को ग्राहकों से नकद जमा आकर्षित करने के लिए **एक-दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना** करना पड़ रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, **ग्राहक अब बचतकर्ता की बजाय निवेशक** बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे धन को बैंकों में जमा करने में कम रुचि दिखा रहे हैं और वे इसे **पूंजी बाजारों में निवेश** करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उच्च ऋण-जमा अनुपात के प्रभाव

- **बैंक को निम्नलिखित का सामना करना पड़ सकता है:**
  - **नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIM) पर दबाव बढ़ेगा:** नेट इंटरेस्ट मार्जिन **प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति** जैसी बैंकों की आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर **वास्तविक रिटर्न की माप** है।
  - **नकदी का संकट:** पर्याप्त नकदी नहीं होने पर बैंक **समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्वों को पूरा नहीं कर** सकते हैं।
  - **ऋण जोखिम:** उधार लेने वाले कुछ व्यक्ति या संस्था समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इससे बैंकों का संकट बढ़ सकता है।

3.11.4. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर RBI के निर्देश (RBI Directions On Fraud Risk Management)

RBI ने विनियमित संस्थाओं के लिए **"वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम के प्रबंधन" पर तीन संशोधित मास्टर निर्देश** जारी किए हैं।

- **RBI द्वारा विनियमित संस्थाएं:**
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित **वाणिज्यिक बैंक** और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान;
  - **सहकारी (कोआपरेटिव) बैंक:** इनमें शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं;
  - **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)।** इनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं।

मास्टर निर्देशों पर एक नज़र

- किसी व्यक्ति/ संस्था को फ्रॉड श्रेणी में वर्गीकृत करने से पहले विनियमित संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन** सुनिश्चित करना होगा। यह निर्देश **"भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य"** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय के अनुरूप है।
- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए **डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट** की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है।
- विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और इसकी समय पर रोकथाम के लिए **"प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और खातों की रेड फ्लैगिंग पर फ्रेमवर्क"** को मजबूत किया गया है।
  - विनियमित संस्थाओं को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के बारे में **कानून लागू करने वाली एजेंसियों और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्ट** करना होगा।

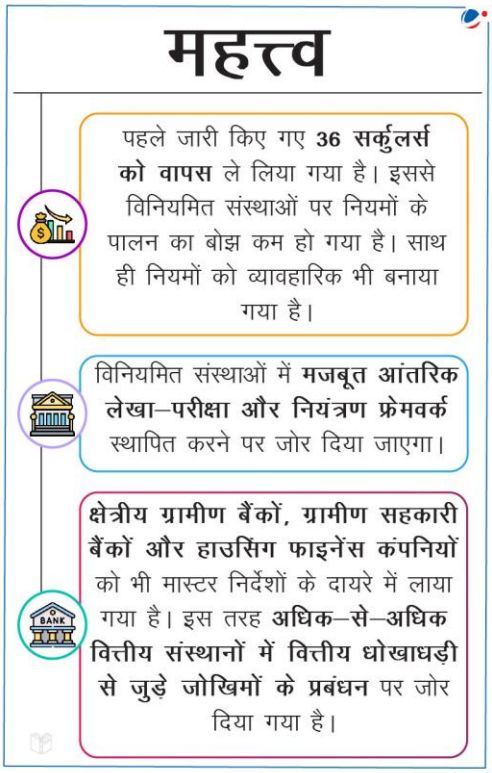

मास्टर निर्देशों का महत्त्व

- नियमों के पालन पर पहले जारी किए गए **36 सर्कुलर्स को वापस** ले लिया गया है। इससे विनियमित संस्थाओं पर **नियमों के पालन का बोझ कम** हो गया है। साथ ही **नियमों को व्यावहारिक** भी बनाया गया है।
- विनियमित संस्थाओं में **मजबूत आंतरिक लेखा-परीक्षा और नियंत्रण फ्रेमवर्क** स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों** को भी मास्टर निर्देशों के दायरे में लाया गया है। इस तरह **अधिक वित्तीय संस्थानों में वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम प्रबंधन** पर जोर दिया गया है।

3.11.5. अर्थोपाय अग्रिम योजना {Ways and Means (WMA) Advances Scheme}

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की **अर्थोपाय अग्रिम सीमा को मौजूदा 47,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपये** कर दिया है।

- इससे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपनी **राजकोषीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने** में मदद मिलेगी।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पास **अर्थोपाय अग्रिम** के अलावा ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन साधन भी मौजूद हैं। जैसे- **विशेष आहरण सुविधा (Special Drawing Facility: SDF) और ओवरड्राफ्ट (OD) की सुविधा।**
  - ये साधन यानी इंस्ट्रूमेंट्स **RBI अधिनियम, 1934 के तहत** शासित होते हैं।

अर्थोपाय अग्रिम (WMA) के बारे में

- ये **प्राप्तियों और व्यय** में तात्कालिक अंतर को पूरा करने के लिए **RBI द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले अग्रिम** (एडवांसेज) हैं।
  - इस सुविधा का लाभ **केंद्र सरकार** भी उठा सकती है।
- **प्रकार: सामान्य अर्थोपाय अग्रिम** और **विशेष अर्थोपाय अग्रिम।**
  - विशेष अर्थोपाय अग्रिम को अब **विशेष आहरण सुविधा (SDF)** के रूप में जाना जाता है।
  - **सबसे पहले,** किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा समाप्त होने के बाद, उसे **सामान्य अर्थोपाय अग्रिम** मिलता है।
  - विशेष अर्थोपाय अग्रिम की **ब्याज दर** सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर से कम होती है
- **ब्याज दरें रेपो दर से जुड़ी** होती हैं।

विशेष आहरण सुविधा (SDF) के बारे में

- **कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF), गारंटी रिडेम्पशन फंड (GRF), ऑक्शन ट्रेजरी बिल (ATB)** आदि को गिरवी (कोलेटरल) रखकर राज्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  - **CSF और GRF** कुछ राज्यों द्वारा **RBI के पास रखी गई आरक्षित निधियां** हैं।

ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में

- यह सुविधा तब प्रदान की जाती है, जब किसी राज्य को दी गई वित्तीय सहायता उसकी **विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिक** हो जाती है।
- आम तौर पर, राज्य सरकारें या संघ शासित प्रदेश **लगातार 14 दिनों तक** ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, RBI इसे बढ़ा भी सकता है।

3.11.6. घरेलू धन अंतरण (Domestic Money Transfer: DMT)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **घरेलू धन अंतरण के लिए संशोधित फ्रेमवर्क** की समीक्षा की है।

- **घरेलू धन अंतरण (DMT) फ्रेमवर्क 2011** में पेश किया गया था।
- RBI ने **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत इस फ्रेमवर्क को संशोधित किया है।
- यह समीक्षा इसलिए की गई है, क्योंकि **बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; धन के अंतरण के लिए भुगतान प्रणालियों का विकास** हुआ है आदि।
- संशोधित फ्रेमवर्क **1 नवंबर, 2024 से लागू** होगा।

3.11.7. वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया।

- मार्च 2024 के लिए सूचकांक का **मूल्य 64.2** है, जबकि मार्च 2023 में यह **60.1 था।**

वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में

- यह **बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रक** के विवरण को शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है।
- यह देश भर में **वित्तीय समावेशन के स्तर** को दर्शाता है।
- यह **एकल मूल्य यानी सिंगल वैल्यू सूचकांक (0 से 100)** है। 0 वैल्यू **पूर्ण अपवंचन (exclusion)** की स्थिति और 100 वैल्यू **पूर्ण समावेशन** की स्थिति है।
- इसमें **तीन व्यापक** पैरामीटर शामिल हैं- **पहुंच/ एक्सेस (35%), उपयोग (45%)** और **गुणवत्ता (20%)।**
- इसे **प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित** किया जाता है।

3.11.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए नए दिशा-निर्देश {New SEBI Guidelines for Credit Rating Agencies (CRAS)}

ये दिशा-निर्देश **सेबी अधिनियम (1992) और CRA विनियमन के विनियमन संख्या 20** के तहत जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए **व्यवसाय करना आसान बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा** करना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- **कंपनियों को रेटिंग के बारे में सूचित करना:** यह जिम्मेदारी **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों** की होगी। साथ ही, रेटिंग समिति की बैठक के **एक कार्य दिवस के भीतर** इसकी सूचना देनी होगी।

- **रेटिंग के खिलाफ अपील:** रेटिंग प्राप्त करने वाली कंपनियां रेटिंग समिति की बैठक के **तीन कार्य दिवसों** के भीतर रेटिंग एजेंसी के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध या इसके खिलाफ अपील कर सकती हैं।
- **रेटिंग को सार्वजनिक करना:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेटिंग निर्णय के बारे में अपनी वेबसाइट पर एक **प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित** करनी होगी। साथ ही, रेटिंग समिति की बैठक के **सात कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज/ डिबेंचर ट्रस्टी को इसके बारे में सूचित** करना होगा।
- **रिकॉर्ड रखना:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपने **निर्णयों को सार्वजनिक करने का रिकॉर्ड 10 साल तक** रखना होगा।

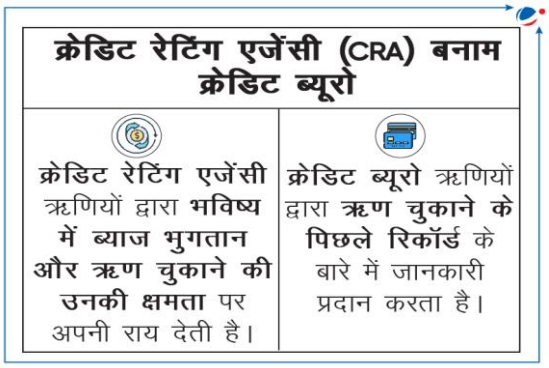

भारत में क्रेडिट रेटिंग के बारे में

- **क्रेडिट रेटिंग:** यह वास्तव में किसी कंपनी द्वारा **समय पर ऋण का भुगतान करने की संभावना तथा ब्याज और मूलधन के भुगतान में डिफॉल्ट की आशंका पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय** होती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी: सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999** में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को परिभाषित किया गया है।
    - इस परिभाषा के अनुसार "क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कॉर्पोरेट संस्था है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध या भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों (कंपनियों के शेयर) की रेटिंग करती है या ऐसा करने का प्रस्ताव करती है।
- **सेबी में सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं। ये हैं:** क्रिसिल, CARE, ICRA, एक्यूट, ब्रिकवर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग्स (Ind-Ra) एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।

3.11.9. इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Inverse ETF)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों के लिए एक नया **एसेट क्लास** शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह एसेट क्लास **लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड और इनवर्स ETF** सहित निवेश के कई विकल्प उपलब्ध कराएगा।

इनवर्स ETF के बारे में

- इसे **'शॉर्ट ETF' या 'बियर ETF'** भी कहा जाता है।
- यह एक प्रकार का **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** है। इसमें अलग-अलग प्रकार के **डेरिवेटिव्स** को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल होने वाली **एसेट्स यानी अंडरलाइंग बेंचमार्क के मूल्य में गिरावट से लाभ कमाया** जाता है।
    - **ETFs ऐसी प्रतिभूतियां** हैं, जिन्हें एक्सचेंज में खरीदा-बेचा जा सकता है। इनके मूल्य **इंडेक्स, कमोडिटी, बॉण्ड अथवा इंडेक्स फंड** जैसे एसेट्स समूह के मूल्य में बदलाव से निर्धारित होते हैं।
- इसमें **केवल अल्प अवधि** के लिए फंड को अपने पास रखा जाता है।

3.11.10. सी-हर/SEHER कार्यक्रम (SEHER Program)

महिला उद्यमिता मंच (WEP) और ट्रांसयूनियन CIBIL ने SEHER कार्यक्रम शुरू किया है।

- महिला उद्यमिता मंच एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्लेटफॉर्म** है। इसे **नीति आयोग** ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया है।

SEHER कार्यक्रम के बारे में

- यह **ऋण के बारे में एक शैक्षिक कार्यक्रम** है। यह महिला उद्यमियों को **वित्तीय साक्षरता कंटेंट और व्यावसायिक कौशल के साथ व्यवसाय विकास के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति में मदद** करेगा।
- यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच के **फाइनेंसिंग विमेन कोलैबोरेटिव (FWC)** का हिस्सा है। **FWC** महिला उद्यमियों के लिए शीघ्र वित्त प्राप्ति में मदद के उद्देश्य से शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है।
- वर्तमान में, **MSME क्षेत्रक पर कुल बकाया ऋणों का केवल 7% महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों (MSMEs) के ऊपर** बकाया है।
    - इसका अर्थ है कि महिला व्यवसायियों को कम ऋण मिला हुआ है। यह स्थिति महिला उद्यमियों की ऋण प्राप्ति बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है।

3.11.11. भारत में अनिगमित उद्यमों का सर्वेक्षण (Survey of Unincorporated Enterprises in India)

अनिगमित क्षेत्रक के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) के **2021-22 और 2022-23 वर्षों के परिणाम जारी** किए गए।

- इस वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) का आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** द्वारा किया गया था।

- ASUSE के तहत **अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों या कंपनियों** को कवर किया गया है। इनमें **प्रोपराइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म (सीमित देयता भागीदारी को छोड़कर), स्वयं सहायता समूह (SHGs), सहकारी समितियां, सोसायटी/ ट्रस्ट** आदि शामिल हैं।

अनिगमित उद्यम (Unincorporated Enterprise) के बारे में

- यह एक प्रकार की **उत्पादक इकाई** होती है। इसे इसके स्वामित्व से **अलग कानूनी इकाई के रूप में मान्यता** नहीं दी गई होती है।
- अनिगमित उद्यमों में उपयोग की जाने वाली **अचल और अन्य परिसंपत्तियां उन उद्यमों** की नहीं बल्कि उनके स्वामियों की होती हैं।
- ऐसे उद्यम अन्य **आर्थिक इकाइयों के साथ लेन-देन या संविदात्मक संबंध स्थापित नहीं** कर सकते हैं और **न ही उनकी देनदारियों का दायित्व अपने ऊपर** ले सकते हैं।

सर्वेक्षण (2022-23) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- अनिगमित क्षेत्रक में **प्रतिष्ठानों की संख्या 2021-22 की तुलना में 5.88% बढ़कर 2022-23 में 6.50 करोड़** हो गई। इनमें से लगभग **55% प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्रों** में हैं।
- सबसे अधिक अनिगमित प्रतिष्ठान **उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र** में हैं।
- इस क्षेत्रक के सकल मूल्य वर्धन **(GVA) में 2021-22 से 9.83%** की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **विनिर्माण क्षेत्रक के 54% अनिगमित प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठानों का स्वामित्व महिला उद्यमियों** के पास है।
- उद्यमशीलता के उद्देश्य से **इंटरनेट के उपयोग में 7.2% की वृद्धि के साथ डिजिटलीकरण की तीव्र वृद्धि दर** दर्ज की गई है ।
- 2022-23 में प्रति अनिगमित प्रतिष्ठान **बकाया ऋण बढ़कर 50,138 रुपये** हो गया था। इससे प्रकट होता है कि **ऋण प्राप्ति व उपलब्धता में सुधार** हुआ है।

अनिगमित उद्यमों का महत्त्व

- इस क्षेत्रक का **सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन** में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्रक में **2022–23 में 11 करोड़ कामगार** कार्य कर रहे थे।
- ये उद्यम आपूर्ति श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। ये आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता, दोनों प्रकार के कार्य करके निगमित क्षेत्रक **(incorporated sector)** का समर्थन करते हैं।

अनिगमित उद्यमों के समक्ष चुनौतियां

- **इन्हें बैंकिंग संस्थाओं से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में समस्या** आती है। ये उद्यम **पंजीकृत भी नहीं होते** हैं, जिससे वे कई प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं।
- उन पर विनियामक संस्थाओं की अधिक नजर भी नहीं रहती है। इस वजह से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और नीतियों में परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं।

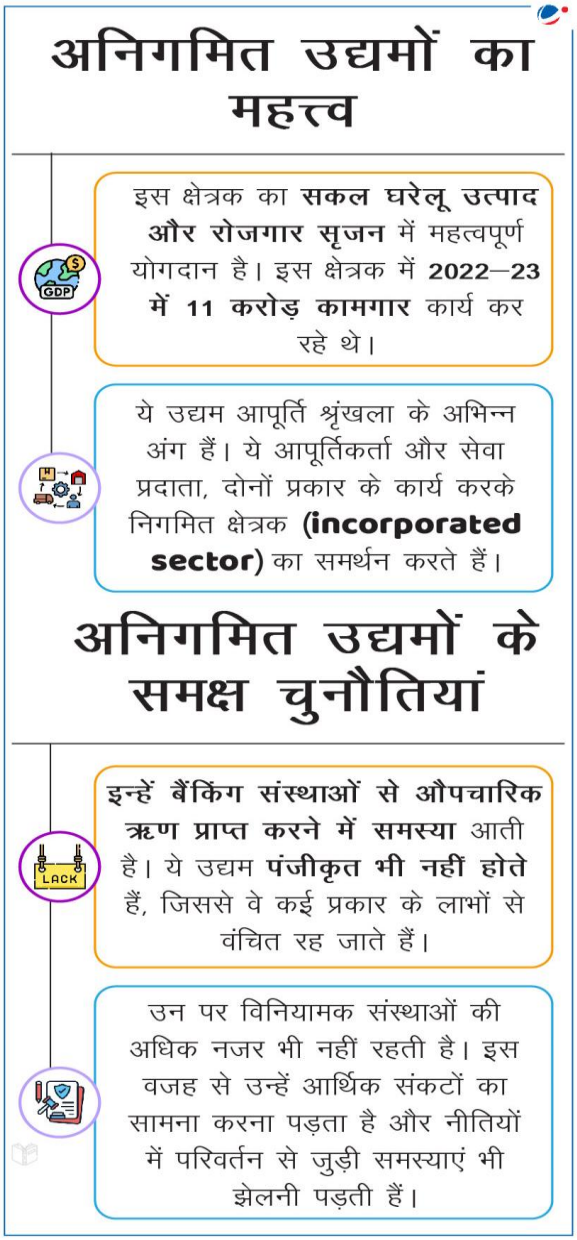

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024
प्रारंभ: 28 जून | दोपहर 1 बजे
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

4. सुरक्षा (Security)

4.1. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in J&K)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) के **जम्मू संभाग में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि** देखी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हालांकि, कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाएं अपेक्षाकृत सामान्य बात रही है, **लेकिन जम्मू क्षेत्र में पिछले दो दशकों में इस तरह की घटनाएं नहीं देखी** गई थीं। यद्यपि अब जम्मू क्षेत्र में **आतंकवादी गतिविधियों का फिर से उभरना,** सुरक्षा एजेंसियों के बीच चिंता का विषय बन गया है।
- कश्मीर घाटी की तुलना में **जम्मू में आतंकवादी घटनाएं बहुत होती** थीं, किंतु हाल फिलहाल में तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे **हमलों की बढ़ती आवृत्ति और उनका स्वरूप** चिंता उत्पन्न करता है।

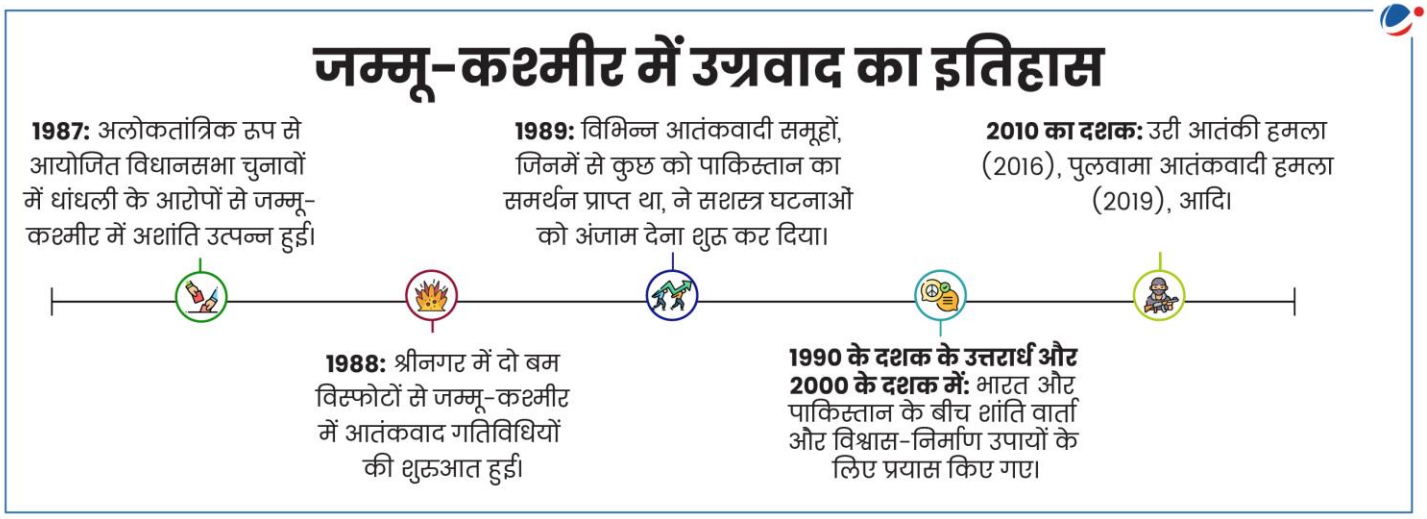

हाल ही में जम्मू में आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण

- **प्रॉक्सी युद्ध का फिर से सक्रिय होना:** पाकिस्तान अपनी प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना चाहता है, जो 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद द्वारा **अनुच्छेद 370 को निरस्त** करने के बाद काफी हद तक कम हो गई थी।
- **जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का कमजोर होना:** 2020 में पूर्वी लद्दाख के **गलवान विवाद** के बाद जम्मू से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को हटाकर चीन की सीमा पर तैनात किया गया था। इसके कारण यह क्षेत्र कुछ हद तक असुरक्षित हो गया है।
- **कश्मीर में सुरक्षा स्थिति:** कश्मीर घाटी में उच्च स्तर की सतर्कता के कारण आतंकवाद समर्थक देशों के लिए बहुत कम संभावना बचती है, जबकि जम्मू में आतंकवादी हमले करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर सुरक्षा अपेक्षाकृत कम है।
    - इससे आतंकवादियों को **कश्मीर घाटी में अपने कैडरों को स्थापित करने** के लिए भी अवसर मिल सकता है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के बने रहने के लिए उत्तरदायी कारण

- **बाह्य कारण**
    - **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद:** पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक सहायता, प्रशिक्षण एवं सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।
    - **छिद्रिल सीमाएं (Porous borders) घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं:** नियंत्रण रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भू-आकृति काफी चुनौतीपूर्ण एवं जटिल है। इसके कारण सीमाओं को पूरी तरह से सील करना मुश्किल है। इससे आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी आसान हो जाती है।

- **वैश्विक चरमपंथी समूहों से वैचारिक प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों ने स्थानीय समूहों को प्रभावित किया है। साथ ही, इन समूहों को वैचारिक रूपरेखा और परिचालन की रणनीतियां भी प्रदान की है।

- **आंतरिक कारण**
  - **राजनीतिक अस्थिरता:** शासन व्यवस्था में बार-बार परिवर्तन, लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन की मौजूदगी एवं लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोकप्रिय सरकारों की अनुपस्थिति ने सत्ता संबंधी शून्यता पैदा कर दी है, जिसका आतंकवादी समूह ने लाभ उठाया है।
  - **धार्मिक और नृजातीय तनाव:** मुस्लिम, हिंदू और अनेक जनजातीय समूहों सहित क्षेत्र की विविध धार्मिक एवं नृजातीय संरचना अक्सर आतंकवादी समूहों को सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का अवसर प्रदान करती है।
  - **राज्य की मनमानी और लोगों का अलगाव:** AFSPA लागू करने, इंटरनेट शटडाउन करने, मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने जैसी राज्य के मनमाने व्यवहार के कारण स्थानीय आबादी स्वयं को अलग-थलग महसूस करती है।
  - **ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs):** ये धन के प्रबंधन, भर्ती, प्रचार और गलत सूचना आदि के माध्यम से आतंकवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - OGWs ऐसे व्यक्ति/ समूह हैं, जो सशस्त्र गतिविधियों में सीधे भाग लिए बिना आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक सहायता, खुफिया जानकारी और अन्य गैर-लड़ाकू सहायता प्रदान करते हैं।
    - अग्रलिखित कारकों की वजह से OGWs से निपटना कठिन होता है- सामान्य नागरिकों और लड़ाकों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है; OGWs के सामुदायिक संबंध होते हैं; वे एन्क्रिप्टेड संचार का उपयोग करते हैं आदि।

आगे की राह

- **राजनीतिक:** लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्थानीय आबादी का विश्वास फिर से प्राप्त करने के लिए **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** सुनिश्चित करना चाहिए।
  - इस संदर्भ में, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा **जम्मू-कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर 2024 में विधान सभा चुनाव की हालिया घोषणा** एक सही दिशा में उठाया गया कदम है।

- **स्थानीय निकायों और पंचायतों को सशक्त बनाकर** स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने से प्रशासन की पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, संस्थानों में जन विश्वास फिर से स्थापित हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **2020 में जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों** का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।
- **सुरक्षा और खुफिया तंत्र:** सेना अपनी शक्ति का उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने, नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ाने और सीमा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए कर सकती है।
    - **TECHINT** (तकनीकी खुफिया/ Technological Intelligence) के पूरक के रूप में **HUMINT** (मानव खुफिया/ Human Intelligence) **को मजबूत बनाने** की रणनीतियां अपनानी चाहिए। साथ ही, खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए।
- **सीमा प्रबंधन:** घुसपैठ को रोकने के लिए **मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों** के अनुसार सीमा पर अवसंरचनात्मक कार्यों को मजबूत करना, सुरक्षा बलों की सामरिक तैनाती करना, सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना आदि कदम उठाने चाहिए।
- **विकास:** स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और अवसरों के सृजन हेतु अवसंरचना, शिक्षा, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निवेश में वृद्धि करनी चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- **जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30** में जम्मू-कश्मीर को एक आकांक्षी समाज से औद्योगिक समाज में बदलने की परिकल्पना की गई है।
- **विश्वास निर्माण उपाय और कट्टरपंथ विरोधी कदम:** नागरिक-सैन्य सहयोग, पूर्व आतंकवादियों का पुनर्वास, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जैसे कदम उठाने चाहिए।
    - **जम्मू क्षेत्र में विलेज डिफेंस गार्ड** प्रभावी नागरिक-सैन्य सहयोग का अच्छा उदाहरण है।
    - **स्थानीय धार्मिक नेताओं की भागीदारी के साथ समुदाय-आधारित कार्यक्रम संचालित** करने चाहिए। इससे चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों से निपटा जा सकेगा और **ऑनलाइन कट्टरपंथ** की सक्रिय रूप से निगरानी की जा सकेगी तथा उसे रोका जा सकेगा।
- **कूटनीतिक उपाय करना:** आतंकवादी समूहों और उनके समर्थक देशों को अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इससे आतंकवाद के वित्त-पोषण और सीमा-पार आतंकवाद पर अंकुश लगाने में सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
    - **उदाहरण के लिए-** सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने हेतु **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) में भारत द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयास।**

नोट: *आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2023 मासिक समसामयिकी में आर्टिकल 4.2 देखें।*

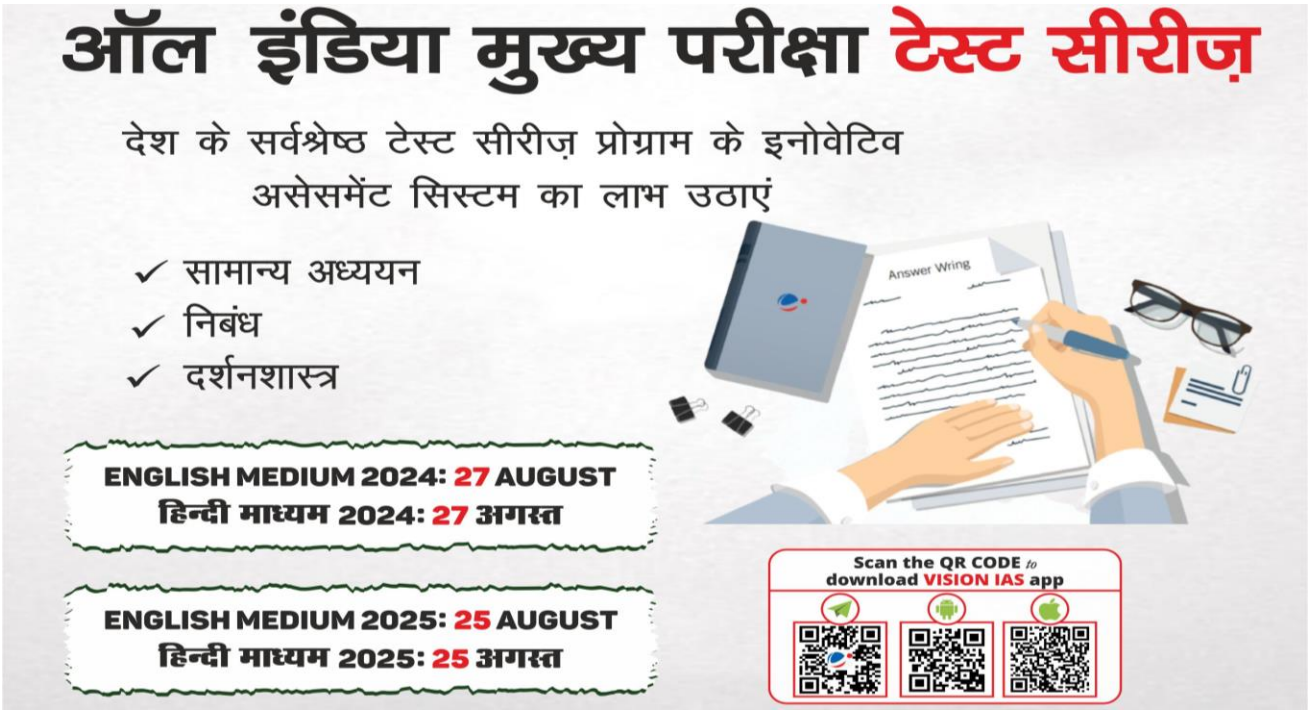

4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat: NSCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** (ANSA)[44] की नियुक्ति की।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के बारे में

- NSCS का गठन **1990 के दशक के अंत** में किया गया था। यह तब से **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के सचिवालय** के रूप में कार्य करता है। (NSC के बारे में अंत में बॉक्स देखें)
- यह **सभी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी मामलों पर शीर्ष सलाहकार निकाय** है। इसकी अध्यक्षता **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) यानी NSC का सचिव** करता है।
- इसका उद्देश्य **रणनीति, दिशा और दीर्घकालिक विज़न** प्रदान करना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **प्रत्येक मंत्रालय को सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार** किया जा सके।
- **अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Additional NSA) का पद मौजूद** तो था, लेकिन अभी तक रिक्त था।
  - ANSA की नियुक्ति से NSCS की कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- **NSCS में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **तीन डिप्टी NSA:** इन्हें **भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सशस्त्र बल** जैसी अलग-अलग सेवाओं से चुना गया है।
  - **सैन्य सलाहकार:** इसे **रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय** स्थापित करने और नई तकनीकों को शामिल करने के कार्य की निगरानी करने का कार्यभार सौंपा गया है।
  - **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)[45]:** यह **तटीय राज्यों में तटरक्षक बल एवं अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित** करने का प्रभारी है।
- अगस्त 2019 में, सरकार ने **1961 के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन** किया था और **NSCS को सरकारी विभागों की सूची में शामिल** किया था। उस संशोधन में, **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रमुख सलाहकार के रूप में परिभाषित** किया गया था।
  - इस प्रकार, **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा** प्राप्त है। इसके अलावा, NSA तथा NSCS **कैबिनेट नोट्स तैयार कर सकते हैं, महत्वपूर्ण कैबिनेट दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी अंतर-मंत्रालयी परामर्श में भाग ले सकते हैं।**

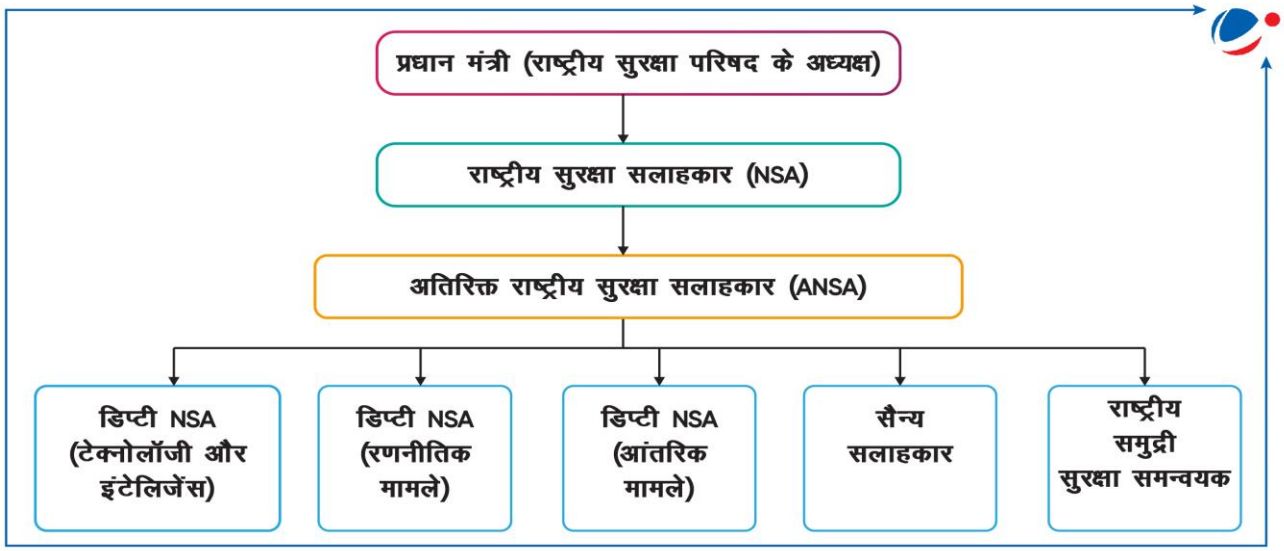

[44] Additional National Security Advisor

[45] National Maritime Security Coordinator

ANSA की नियुक्ति का महत्त्व

- **NSA की विशिष्ट भूमिका:** अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ANSA), **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और NSCS के अन्य सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य करेगा।
  - अब NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के प्रमुख सलाहकार निकायों की देखरेख पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इन निकायों में **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** (NSAB)[46] और **रणनीतिक नीति समूह** (SPG)[47] शामिल हैं।
- **निरंतरता सुनिश्चित करना:** ANSA द्वारा NSA के रूप में कार्य करने की संभावना बढ़ने से संगठन में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- **उभरती जरूरतों के अनुसार ढलना:** बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए निरंतर संस्थागत सुधार करना आवश्यक है।

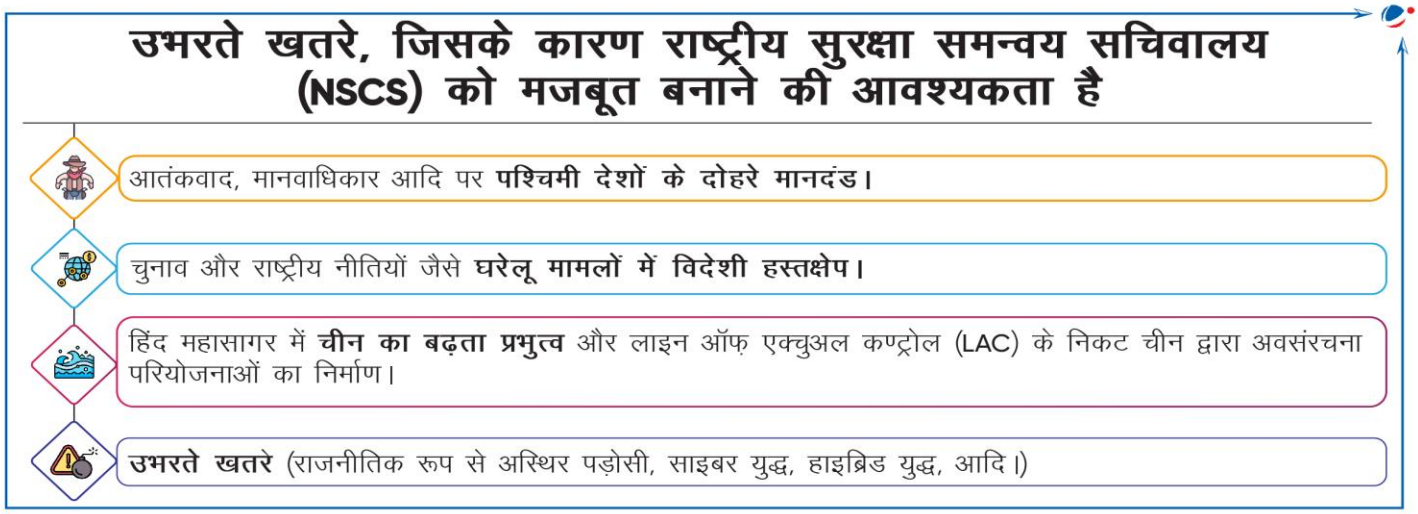

आगे की राह

- **NSA की भूमिका को मजबूत करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, पदों के लिए चयन करते समय स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। इन मानदंडों में उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताएं और अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क के भीतर पारदर्शी कमांड श्रृंखला को भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- **NSCS में संरचनात्मक बदलाव:** उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भर्ती करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाना ताकि जटिल राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में वृद्धि हो सके।
- **'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण को लागू करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक, सरकार के विभिन्न विभाग, निजी कंपनियां और सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर काम करें। उन्हें एक-दूसरे को जानकारी देनी चाहिए और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के तरीके खोजने चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council: NSC)

- इसका गठन 1999 में **के.सी. पंत** की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर 25 वर्ष पहले किया गया था।
- यह एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसकी **अध्यक्षता प्रधान मंत्री** करते हैं और इसमें **वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री** भी शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों और उद्देश्यों की रक्षा करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के संसाधनों के **समन्वित उपयोग और एकीकृत सोच** को बढ़ावा देना है।
- **यह एक त्रिस्तरीय संगठन है:**
  - **सामरिक नीति समूह (SPG)[48]:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्माण में अंतर-मंत्रालयी समन्वय और प्रासंगिक इनपुट के एकीकरण के लिए प्रमुख तंत्र है। इसकी अध्यक्षता NSA करते हैं।

[46] National Security Advisory Board

[47] Strategic Policy Group

- अन्य सदस्यों में **नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, RBI के गवर्नर, विदेश, गृह, रक्षा, वित्त, रक्षा उत्पादन, राजस्व, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष** और NSCS के सचिवों के अलावा रक्षा मंत्री के **वैज्ञानिक सलाहकार**, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (R) और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख शामिल हैं।
- **कैबिनेट सचिव** केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा **SPG के निर्णयों को लागू करवाने में सहयोग करता है।**

- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)[49]:** इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय **सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों का दीर्घकालिक विश्लेषण करना एवं NSC को सही गाइडेंस** प्रदान करना है। इसके अलावा, यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा चिह्नित मुद्दों पर सटीक उपायों/ समाधान और नीतिगत विकल्पों की सिफारिश भी करता है।** इसकी **अध्यक्षता NSA** करते हैं।
- **संयुक्त खुफिया समिति (JIC)[50]:** इसका कार्य इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) सहित अनेक खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी का आकलन करना है। यह **NSCS के अधीन कार्य करता है।**

4.3. भारत के गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा (Security of Indian Dignitaries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक सार्वजनिक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना ने उन गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, **जो सत्ता के पदों पर आसीन हैं,** क्योंकि वे अलग-अलग पक्षों/ क्षेत्रों से खतरों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं।

भारत के गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

भारत के गणमान्य व्यक्तियों एवं कुछ अन्य नागरिकों सहित विशिष्ट व्यक्तियों को निम्नलिखित **आधार पर** विशेष सुरक्षा कवर/ कवच प्रदान किया जाता है:

- **आधिकारिक पद:** कुछ विशेष श्रेणी के पद पर बैठे व्यक्तियों को क़ानूनी तौर पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है, जैसे- केंद्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि।
  - इस तरह के सुरक्षा कवर का उद्देश्य उन्हें **साहसिक और निष्पक्ष निर्णय लेने** में सहायता करना है। आमतौर पर जब वे अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाती है।
- **खतरे की धारणा:** अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  - किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की **जिम्मेदारी मुख्य रूप से उस राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की होती है** जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा व्यक्ति सामान्यत: निवास करता है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा

- किसी व्यक्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए **VVIP या VIP** जैसा **कोई आधिकारिक पद/ नाम नहीं** दिया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा **केंद्रीय गृह मंत्रालय** की **"ब्लू बुक"** और **"येलो बुक"** के तहत दिशा-निर्देशों के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  - **ब्लू बुक्स:** इनमें **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति** और **प्रधान मंत्री** की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इन सभी की अलग-अलग ब्लू बुक होती है।
  - **येलो बुक:** अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा '**व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था[51]**' शीर्षक वाली 'येलो बुक' में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।
    - ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था **केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा उनके खतरे की आशंका का सावधानीपूर्वक आकलन** करने के बाद की जाती है।
    - खतरे के स्तर के आधार पर सुरक्षा **Z+, Z, Y+, Y** और **X श्रेणियों** में प्रदान की जाती है। **प्राइवेट या आम नागरिक** भी इस सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं (उनमें से कुछ को इसके लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है)।

---

[48] Strategic Policy Group

[49] National Security Advisory Board

[50] Joint Intelligence Committee

[51] Security arrangements for the protection of individuals

प्रधान मंत्री के लिए सुरक्षा कवर

- **स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG):** विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम (1988) के तहत, SPG एक सशस्त्र बल है। इसे **प्रधान मंत्री** (सेवारत और पूर्व प्रधान मंत्री, दोनों) और **उनके परिवार के सदस्यों को प्रॉक्सिमेट सुरक्षा** प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
  - सड़क, रेल, विमान आदि से यात्रा के दौरान **साथ रहकर प्रदान की गई सुरक्षा** को "प्रॉक्सिमेट सुरक्षा" कहा जाता है। इसमें समारोह, कार्यस्थल, निवास या ठहराव के स्थान भी शामिल होते हैं।
- **अन्य प्राधिकृत अधिकारियों की जिम्मेदारियां:** हालांकि प्रधान मंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था के अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी SPG की होती है, लेकिन अन्य हितधारक भी प्रधान मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल हो सकते हैं।
  - जब प्रधान मंत्री किसी राज्य की यात्रा कर रहे होते हैं, तो **सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी राज्य पुलिस की भी होती है।**
    - प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान खुफिया जानकारी प्राप्त करने, मार्ग की स्वीकृति, स्थल की सफाई और भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है।
  - **केंद्रीय खुफिया एजेंसियां** सुरक्षा को लेकर किसी भी खतरे के बारे में **सूचनाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।**

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. विंडो आउटेज से कई महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हुईं (IT Disruptions and Impact on Critical Services)

- माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के लिए **फाल्कन सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट के दौरान लॉजिक एरर** के कारण आउटेज हुआ था। इस आउटेज की वजह से **सिस्टम क्रैश** हो गया और **"ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ" (BSOD)** की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसने स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की कार्य-प्रणाली को प्रभावित कर दिया था।
  - **ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ** यानी **BSOD**, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है। इसमें कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है और ब्लू स्क्रीन पर एरर का मैसेज दिखता है।
- **RBI के एक आकलन** के अनुसार भारत में **10 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** को इस वैश्विक आउटेज के कारण मामूली व्यवधान का सामना करना पड़ा था।
- **महत्वपूर्ण सेवाओं पर IT आउटेज का प्रभाव**
  - **आर्थिक व्यवधान:** वित्तीय बाजारों में लेन-देन में रुकावट आती है, क्लाउड सर्विसेज पर निर्भर व्यवसायों को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है, आदि।
    - उदाहरण के लिए- 2021 में **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)** में बड़े आउटेज के कारण लगभग 4 घंटे तक कारोबार रुका रहा था।
  - **स्वास्थ्य देखभाल सेवा पर प्रभाव:** टेलीमेडिसिन सेवाओं में व्यवधान आता है; डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से डेटा प्राप्त करने में परेशानी आती है, आदि।
    - उदाहरण के लिए- 2017 में यूनाइटेड किंगडम के अस्पतालों में सिस्टम्स पर **वानाक्राई रैनसमवेयर साइबर अटैक** के कारण लगभग 19000 अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई थीं।
  - **सरकार के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए- NPCIL द्वारा संचालित **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र** में 2020 में साइबर हमले के वजह से उसकी सुरक्षा प्रभावित हुई थी।
  - **अन्य क्षेत्रकों पर प्रभाव:** संचार नेटवर्क प्रभावित होता है; स्मार्ट ग्रिड में व्यवधान उत्पन्न होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है, आदि।
- **भारत में डिजिटल अवसंरचना के समक्ष खतरें**
  - **आयात पर अधिक निर्भर होना:** भारत IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। किन्हीं वजहों से इनके आयात में व्यवधान आने पर इनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।
  - **अधिक डिजिटल फुटप्रिंट लेकिन कम डिजिटल साक्षरता:** केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (CBWE) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में लोग **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़े हुए हैं।** हालांकि, भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं। इसका अर्थ है कि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से अनजान होने कारण इसके शिकार हो सकते हैं।
  - **डेटा कहीं अन्य सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होना:** डेटा के बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और एक ही सिस्टम में सभी डेटा स्टोर करने से खतरा बढ़ जाता है। सिस्टम फेलियर की स्थिति में उस डेटा को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
  - **अन्य प्रभाव:** कई देशों की सरकारें दुश्मन देशों के IT सिस्टम पर साइबर हमले करवाती हैं, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी है, आदि।

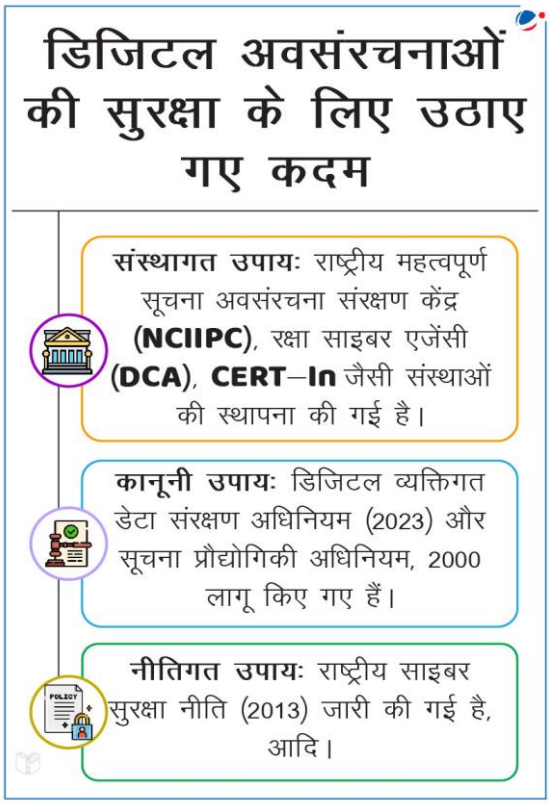

4.4.2. अर्बन नक्सलवाद (Urban Naxalism)

महाराष्ट्र विधान सभा में "महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024" पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य **'अर्बन-नक्सलवाद'** की गतिविधियों पर **अंकुश लगाना** है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की कई तरह की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। इन गतिविधियों में **कानून की अवज्ञा करने के लिए उकसाना या इसके लिए प्रचार करना** आदि शामिल हैं।
- संदिग्ध गतिविधियों में शामिल **संगठन को गैरकानूनी घोषित** करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, **जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्तों को मुकदमा चलाने** की अनुमति देने की शक्ति दी गई है।
  - किसी संगठन को **गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA)** के तहत भी गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है।
  - हालांकि, UAPA के तहत **मुक़दमा चलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी** आवश्यक है।

अर्बन नक्सलवाद क्या है?

- नक्सलवाद से आशय **वामपंथी उग्रवाद या माओवाद** से है। ये हिंसक साधनों के जरिए **राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास** रखते हैं।
  - भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति **1967** में **पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव** में हुए विद्रोह से मानी जाती है।
- **"अर्बन नक्सलवाद" की कोई मानक परिभाषा नहीं** है। यह टर्म आम तौर पर **शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की सक्रियता बढ़ाने के प्रयासों** के लिए उपयोग की जाती है।
  - ग्रामीण नक्सलवादी राज्य के खिलाफ हिंसा के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अर्बन नक्सली ऐसे **हिंसक साधनों के प्रयोग से परहेज** करते हैं।
    - अर्बन नक्सली मुख्यतः **भर्ती करने वाले एजेंट, प्रचारक, नक्सलियों के लिए धन के स्रोत** आदि के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये सशस्त्र नक्सली कैडरों को लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं और सुरक्षित पनाह भी देते हैं।
  - हालाँकि, ग्रामीण नक्सलवाद की तुलना में **अर्बन नक्सलवाद को कम जन-समर्थन प्राप्त** है।
    - इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में **शिक्षा के बेहतर अवसर और अवसंरचना** उपलब्ध हैं और **सरकार या प्रशासन तक पहुंच भी आसान** है।

4.4.3. SEBEX 2- नया गैर-परमाणु विस्फोटक (SEBEX 2 – New Explosive Formulation)

भारत ने शक्तिशाली **गैर-परमाणु विस्फोटक 'SEBEX 2'** बनाया।

- SEBEX 2 विस्फोटक को **सोलर इंडस्ट्रीज** की सहायक कंपनी **इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (EEL)** ने मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया है। इसे **भारतीय नौसेना** ने प्रमाणित किया है।
  - SEBEX 2 को नई विधि से तैयार किया गया है। यह विश्व में **सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु विस्फोटकों में से एक** है।
    - नई विधि से तैयार SEBEX 2 का परीक्षण **नौसेना की रक्षा निर्यात संवर्धन योजना (DEPS)** के तहत किया गया है।
    - कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय नौसेना ने **SITBEX 1 (थर्मोबेरिक विस्फोटक) और SIMEX 4 को भी प्रमाणित** किया है।
- **SEBEX 2, SITBEX 1 और SIMEX 4 के बारे में**
  - SEBEX 2 **हाई मेल्टिंग विस्फोटक (HMX)** पर आधारित है। यह एक **मानक ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन (TNT) की तुलना में लगभग 2.01 गुना घातक** है।
    - **ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन (TNT)** एक प्रकार का **विस्फोटक** है। इसका उपयोग सैन्य गोले, बम और ग्रेनेड में; औद्योगिक उपयोग में तथा पानी के नीचे चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ने में किया जाता है।

- **डेंटेक्स/ टॉरपेक्स** जैसे पारंपरिक विस्फोटक **TNT की तुलना में 1.25-1.30 गुना** घातक होते हैं।
- **डेंटेक्स/ टॉरपेक्स** जैसे पारंपरिक विस्फोटक का उपयोग आम तौर पर पारंपरिक वारहेड्स, हवाई बम और अलग-अलग प्रकार के गोला-बारूद में किया जाता है।

- **SITBEX 1** यानी थर्मोबेरिक विस्फोटक गहन ऊष्मा के साथ अधिक अवधि का विस्फोट उत्पन्न करता है। यह दुश्मन के बंकरों, सुरंगों और अन्य किलेबंद स्थानों को निशाना बनाने में अधिक उपयोगी है।
  - **थर्मोबेरिक विस्फोटक संरचना** में फ्यूल प्रचुर मात्रा में होता है। यह अधिक क्षमता वाले **पारंपरिक विस्फोटकों की तुलना में** अधिक समय तक उच्च तापमान और अधिक दबाव बनाने में सक्षम है।
- **SIMEX 4** ऐसा गोला-बारूद या म्युनिशन है, जिसे मानक विस्फोटकों की तुलना में **भंडारित करना, किसी अन्य जगह ले जाना और हैंडलिंग करना अधिक सुरक्षित** है। मानक विस्फोटकों के गलती से विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है।

4.4.4. रुद्रम-1 (Rudram-1)

भारत ने पहली **स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम-1' का सफल परीक्षण** किया।

रुद्रम-1 के बारे में

- यह मिसाइल **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय वायु सेना (IAF)** के लिए विकसित की है। यह **हवा-से-सतह पर मार** करने में सक्षम है।
- **विशेषताएं:**
  - **लॉन्च प्लेटफॉर्म:** सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान।
  - इसमें अंतिम हमले के लिए **इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स (INS)-GPS नेविगेशन और पैसिव होमिंग हेड** शामिल हैं। यह मिसाइल को **विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीक रूप से हमला करने में सक्षम** बनाता है।
  - **सीमा:** यह मिसाइल **500 मीटर से 15 कि.मी. की ऊंचाई तक और 250 कि.मी. क्षेत्र** के भीतर विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों को अपना निशाना बना सकती है।
- **महत्त्व:** इसकी मदद से भारतीय वायु सेना शत्रु के महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रतिष्ठानों को निष्क्रिय बना सकती है। इसके अलावा, **दुश्मन के इलाके में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस (SEAD) अभियान** चला सकती है।

4.4.5. जोरावर टैंक (Zorawar Tank)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक 'जोरावर' के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है।

जोरावर टैंक के बारे में

- इसे DRDO और निजी क्षेत्रक की फर्म L&T ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- इसका नाम **महान जनरल जोरावर सिंह** के नाम पर रखा गया है। उन्होंने तिब्बत में कई सैन्य सफलताएं अर्जित की थी।
- **टैंक की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - यह कई तरह की उन्नत तकनीकों यथा- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सामरिक निगरानी ड्रोन** आदि से लैस है।
  - इसे पहाड़ी क्षेत्रों में **तेजी से तैनाती और कार्य-कुशलता के लिए डिजाइन** किया गया है। इसकी मारक क्षमता परम्परागत टैंकों के समान है। हालांकि, उनकी तुलना में **जोरावर टैंक में गतिशीलता और स्थितिजन्य अवेयरनेस** अधिक है।
  - यह टैंक **जल और थल, दोनों जगह सेवाएं** दे सकता है। यह विशेषता उसे नदी क्षेत्रों में संचालन के लिए सक्षम बनाती है।

4.4.6. सुर्ख़ियों में रहे "अभ्यास" (Exercises in News)

- **नोमेडिक एलीफैंट**
  - यह **भारत और मंगोलिया** की सेनाओं के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष यह **मेघालय** में आयोजित हो रहा है।
- **मैत्री अभ्यास**
  - यह **भारत और थाईलैंड** के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष यह अभ्यास **थाईलैंड में आयोजित** हो रहा है।
- **रिमपैक अभ्यास : रिम ऑफ द पेसिफिक (रिमपैक)** अभ्यास के **29वें संस्करण** का उद्घाटन समारोह **संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई** में आयोजित किया गया। इसका आयोजन **हर दो साल यानी द्विवार्षिक** रूप से किया जाता है।
  - **रिमपैक के बारे में**
    - यह विश्व का **सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास** है। इसमें **भारत भी हिस्सा** लेता है।
    - **उद्देश्य:** देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना; अंतर-सहयोग बढ़ाना; हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता में योगदान देना आदि।"
- **फ्रीडम एज अभ्यास: दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान** ने अपना पहला **त्रिपक्षीय बहु-क्षेत्रीय अभ्यास "फ्रीडम एज"** शुरू किया।
  - **फ्रीडम एज अभ्यास के बारे में**
    - यह अभ्यास **दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप 'जेजू' में** आयोजित हो रहा है।
    - हाल ही में, **उत्तर कोरिया और रूस ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए "व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि"** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अभ्यास इसी संधि के खिलाफ **प्रतिक्रिया** में आयोजित हो रहा है।

- इस अभ्यास में **बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा, एंटी-सबमरीन युद्ध, खोज व बचाव, समुद्री अवरोध और रक्षात्मक साइबर प्रशिक्षण** पर जोर दिया जा रहा है।

- **पिच ब्लैक अभ्यास:** भारतीय वायु सेना का एक दल **पिच ब्लैक अभ्यास 2024** में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास **ऑस्ट्रेलिया में** आयोजित हो रहा है।
  - यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन **हर दो साल** में किया जाता है।

- **सागर कवच- 01/24 अभ्यास**
  - यह **तटीय सुरक्षा** अभ्यास है। इसका आयोजन **आंध्र प्रदेश के तट** पर किया गया है।
  - इसका उद्देश्य **समुद्र से गैर-परम्परागत खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता** की जांच करना है।
  - इसमें **भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मात्स्यिकी, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों** के अलग-अलग हितधारक शामिल होते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि (High Seas Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को **"राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों की जैव विविधता** (BBNJ)[52] **समझौते"** पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इसे **खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी** के नाम से भी जाना जाता है। **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व** करेगा।

खुला सागर या हाई सी या उच्च सागर क्या है?

- **परिभाषा:** खुला सागर किसी भी देश के **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र** होता है।
  - आमतौर पर, किसी देश का **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र** उसके समुद्र तट से समुद्र की ओर **200 समुद्री मील (370 कि.मी.) तक फैला** होता है, **जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)**[53] कहा जाता है।
- **ग्लोबल कॉमन्स या वैश्विक साझा क्षेत्र:** खुला समुद्र क्षेत्र कुल महासागर क्षेत्र के **लगभग 64% यानी लगभग दो-तिहाई क्षेत्र को कवर करता है और इसे ग्लोबल कॉमन्स** माना जाता है।
  - इस पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इस पर सभी देशों को **पोत-परिवहन, ओवरफ्लाइट, आर्थिक गतिविधियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, या समुद्र में केबल बिछाने जैसी अवसंरचना के लिए समान अधिकार** प्राप्त होता है।

BBNJ समझौते के बारे में

- **नाम:** इसे औपचारिक रूप से **"राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर समझौता[54]"** कहा जाता है।
- **UNCLOS के तहत:** यह **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)[55]** के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - जब भी BBNJ समझौता लागू होगा, तो यह UNCLOS के अंतर्गत **तीसरा कार्यान्वयन समझौता** होगा। **अन्य दो समझौते निम्नलिखित हैं:**
    - **UNCLOS के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता:** यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है; तथा
    - **1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता:** यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्रों में फैले तथा अत्यधिक प्रवासी मछली प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित है।

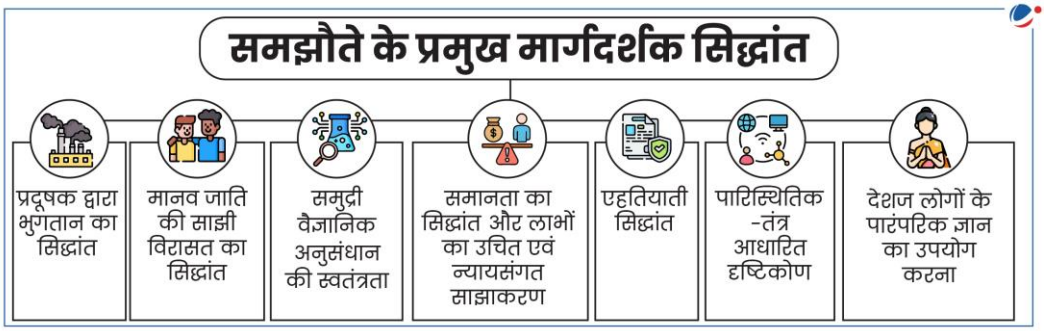

- **अंगीकरण:** इस समझौते को 2023 में अपनाया गया था। यह **दो वर्षों तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।**
  - यह **60 देशों द्वारा अभिपुष्टि के 120 दिन** बाद लागू हो जाएगा। यह एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि** होगी।

---

[52] Biodiversity Beyond National Jurisdiction

[53] Exclusive Economic Zone

[54] Agreement on Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction

[55] United Nations Convention on the Law of the Sea

- जून 2024 तक, **91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 8 पक्षकारों ने इसकी अभिपुष्टि** की है।

- **उद्देश्य:** वर्तमान एवं दीर्घावधि में राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना।

BBNJ समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **इसके लागू होने का दायरा:** यह **राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे के समुद्री क्षेत्रों (ABNJ)**[56] पर लागू होता है, जिसमें **खुला समुद्र** भी शामिल है।
  - यह **किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसैन्य सहायता पर लागू नहीं** होता है।
  - इसका केवल **भाग-II गैर-वाणिज्यिक सेवा में किसी भी सरकारी जहाज** पर लागू होता है। यह भाग **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों** से संबंधित है।
- **संस्थागत व्यवस्था:** संधि के तहत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of Parties: COP):** COP में संधि के पक्षकार शामिल होंगे और यह **निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय** होगा। हालांकि, यह **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** पर कुछ मामलों पर निर्णय नहीं ले सकेगा।

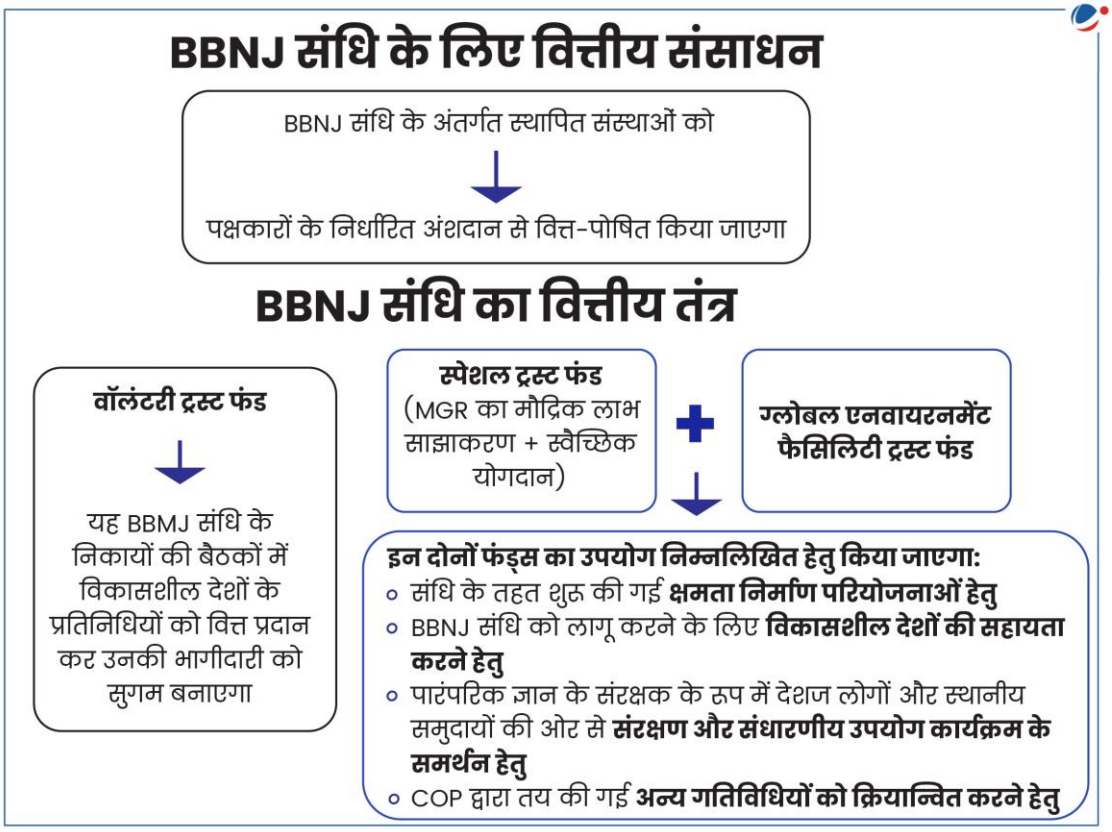

  - **वैज्ञानिक एवं तकनीकी निकाय (Scientific and Technical Body: STB):** COP को STB द्वारा **वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह** प्रदान की जाएगी।
  - **क्लियरिंग-हाउस मैकेनिज्म (CHM):** CHM मुख्य रूप से **ओपन-एक्सेस प्लेटफॉर्म** होगा और एक **केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा।
    - यह BBNJ संधि के **चार मूलभूत घटकों** के संबंध में सूचना को उपलब्ध, प्रदान और उसका प्रसार करने में सक्षम बनाएगा।
  - **विषय विशिष्ट अन्य समितियां:** इनमें **पहुंच एवं लाभ-साझाकरण समिति**[57]; **क्षमता निर्माण एवं समुद्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समिति**[58]; **वित्त समिति** (Finance committee) तथा **कार्यान्वयन एवं अनुपालन समिति**[59] शामिल हैं।
- **वित्तीय तंत्र:** इसके तहत एक **वित्तीय तंत्र** स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। यह तंत्र पर्याप्त, सुलभ, अतिरिक्त और पूर्वानुमानित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा। यह **COP के तहत कार्य** करेगा।

---

[56] Areas Beyond National Jurisdiction

[57] Access and benefit-sharing committee

[58] Capacity building and transfer of marine technology committee

[59] Implementation and Compliance Committee

BBNJ संधि के चार मूल घटक	
समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण शामिल है	• **समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR):** MGR से तात्पर्य **समुद्री पादपों, प्राणियों, सूक्ष्मजीवों या अन्य जीवों से प्राप्त सामग्री** से है। ये आनुवंशिक रूप से कार्यात्मक इकाइयां होती हैं, जिनका वास्तविक या संभावित मूल्य होता है। • **लाभ साझाकरण:** समझौते के तहत **ABNJ और संबंधित डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन (DSI)** से संबंधी MGRs से जुड़े लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। ○ ज्ञातव्य है कि **DSI की परिभाषा पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं** बन पाई है। वर्तमान में, इसकी परिभाषा में **DNA और RNA से लेकर प्रोटीन, मेटाबोलाइट्स, पारंपरिक ज्ञान, पारिस्थितिकी परस्पर क्रिया** आदि तक शामिल हैं। • **पारंपरिक ज्ञान:** MGR तंत्र में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान से जुड़े अधिकारों एवं दायित्वों को भी महत्त्व दिया गया है। • **कोई संप्रभु अधिकार नहीं:** कोई भी देश ABNJ से संबंधित MGRs पर संप्रभुता या संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकता।
समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण जैसे उपाय	• **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (Area-Based Management Tool):** इसका उद्देश्य **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के आपस में बेहतर रूप से जुड़े नेटवर्क** की स्थापना करना है। • **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Area: MPA):** MPA के तहत जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को **प्रतिबंधित या उस पर यथोचित नियंत्रण स्थापित** किया गया है। इस प्रकार MPA के सभी या निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ○ वर्तमान में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय MPA **अंटार्कटिका के रॉस सागर** में स्थित है। इसे **अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधन संरक्षण आयोग**[60] द्वारा स्थापित किया गया है।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment: EIA)	• **EIA फ्रेमवर्क:** ABNJ में किसी **गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन** के लिए इस संधि के तहत EIA फ्रेमवर्क (अर्थात, वैश्विक मानक) प्रदान किया गया है। • **EIA संबंधी अनिवार्यता:** इस समझौते में सभी पक्षकारों के लिए **EIA रिपोर्ट क्लियरिंग-हाउस मैकेनिज्म को भेजना अनिवार्य** किया गया है।
क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण	• **तंत्र:** इस समझौते के तहत पक्षकारों के लिए **विकासशील देशों की निम्नलिखित में सहायता हेतु तंत्र विकसित करने और उसे लागू करना अनिवार्य किया गया है:** ○ क्षमता निर्माण के लिए: तथा ○ अनुसंधान कार्यक्रमों और समर्पित पहलों के वित्त-पोषण के लिए। • **पहल:** क्षमता निर्माण पहलों में निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं: ○ उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूपों में डेटा और सूचना साझा करना; ○ सूचना का प्रसार करना, जैसे समुद्र संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान और EIAs के लिए; तथा ○ राष्ट्रीय विनियामकीय फ्रेमवर्क को विकसित और मजबूत करना।

BBNJ समझौते का महत्त्व

- **जैव विविधता का संरक्षण:** इसके तहत संसाधनों के अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्लास्टिक की डंपिंग सहित प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण और कई अन्य समस्याओं की जांच करके जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार, 2021 में लगभग **17 मिलियन टन प्लास्टिक** महासागरों में डंप किया गया था।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करना:** इससे समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र पर तापमान में वृद्धि, महासागर में घुलित ऑक्सीजन की कमी, महासागर का अम्लीकरण आदि के प्रभावों का शमन करने में मदद मिलेगी।

[60] Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

- **समतामूलक आर्थिक व्यवस्था:** इस समझौते में विकासशील देशों (चाहे वे तटीय हों या स्थलरुद्ध) के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इससे एक **न्यायसंगत और समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को साकार** करने में मदद मिलेगी।
- **भारत के लिए महत्त्व:**
  - **सामरिक विस्तार:** यह समझौता भारत को उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे क्षेत्रों में उसकी सामरिक उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
  - **संसाधन लाभ:** यह समझौता साझा मौद्रिक लाभों के अतिरिक्त भारत के समुद्री संरक्षण प्रयासों और सहयोगों को मजबूत करेगा। साथ ही, इससे वैज्ञानिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।
- **पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना:** इसमें एहतियाती सिद्धांत पर आधारित समावेशी, एकीकृत व पारिस्थितिकी-तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

निष्कर्ष

विशाल महासागरीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की बढ़ती मान्यता ने लंबे समय से लंबित BBNJ समझौते को अंतिम रूप देना संभव किया है। यह समझौता हाल ही में शुरू की गई महत्वाकांक्षी "30x30" पहल के तहत 2030 तक 30% समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के बारे में

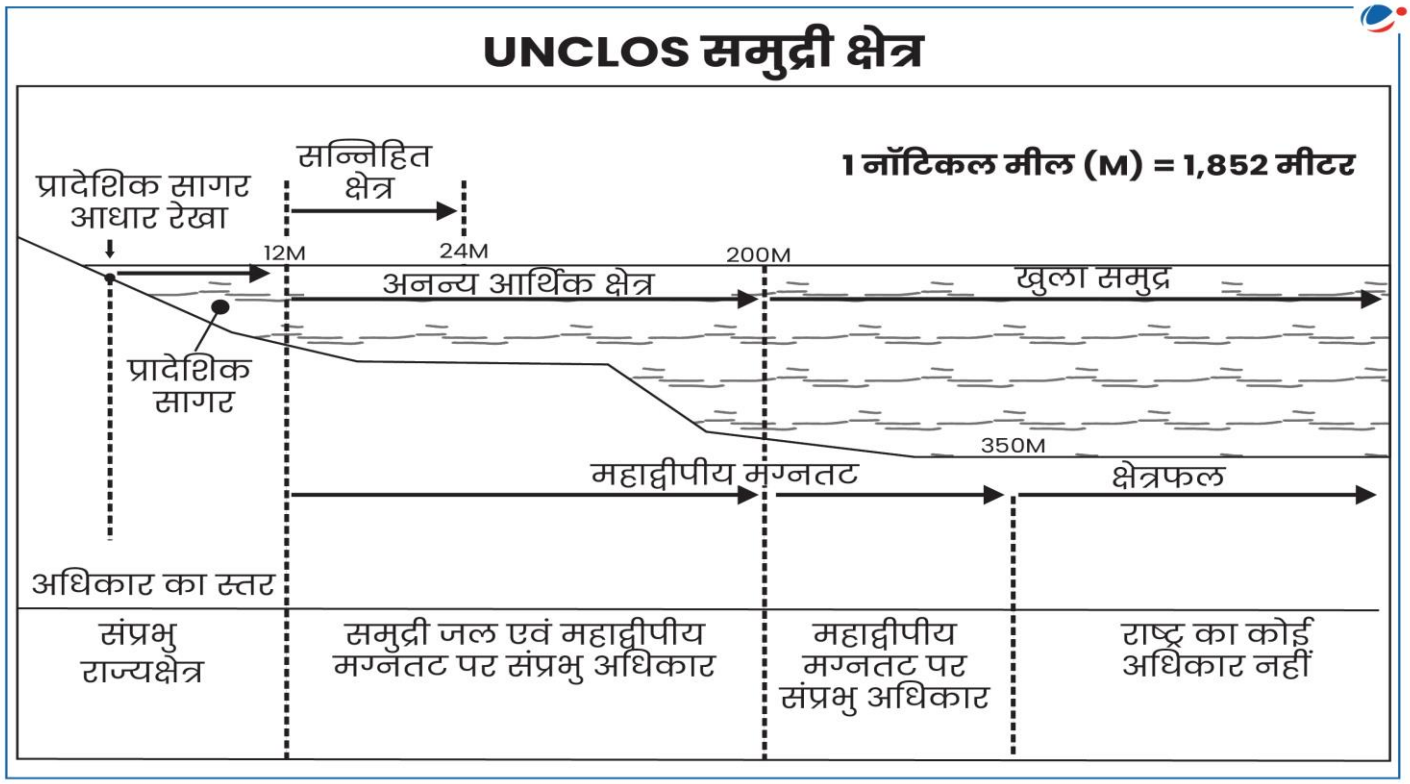

- **UNCLOS** एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संपूर्ण विश्व के समुद्रों और महासागरों के मामले में कानूनी व्यवहार (गतिविधि) और उनके संधारणीय उपयोग के लिए व्यापक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है।
  - इसे **1982 में अपनाया गया था तथा यह 1994 में लागू** हुआ था।
- **पक्षकार देश:** UNCLOS को अब लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति मिल गई है। भारत सहित 170 देश इसके पक्षकार हैं। इसे अक्सर **"महासागरों का संविधान (Constitution of the oceans)"** भी कहा जाता है।
- **प्रावधान:** यह महासागरों में गतिविधियों के संबंध में देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। साथ ही, इसमें **संप्रभुता, पैसेज राइट्स और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अधिकार** जैसे मुद्दों पर भी प्रावधान किए गए हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-नितल प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA):** UNCLOS राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे के समुद्र नितल में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ISA की स्थापना करता है।

- **प्रादेशिक सीमांकन (Territorial demarcation):** UNCLOS महासागरों के विविध क्षेत्रों का सीमांकन निम्नलिखित प्रकार से करता है:
  - **प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea):** यह **तट से 12 समुद्री मील** तक फैला होता है और संबंधित देश की इस पर **पूर्ण संप्रभुता** होती है।
  - **सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone):** यह **24 समुद्री मील** तक फैला होता है तथा एक **बफर जोन** के रूप में कार्य करता है। इसमें संबंधित देश के पास अपने प्रादेशिक क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने के लिए निर्धारित प्रवर्तन अधिकार होते हैं।
  - **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ):** इसका विस्तार **तट से 200 समुद्री मील** तक हो सकता है। इस पर संबंधित देश को **पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं** होती है, लेकिन **समुद्री संसाधनों के दोहन, संरक्षण और प्रबंधन** के लिए उसके पास **संप्रभु अधिकार और अधिकार-क्षेत्र** होता है।
  - **खुला सागर (High Sea):** इसमें समुद्र का वह हिस्सा शामिल है, जो उपर्युक्त में से किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए, यह **किसी भी देश के अधिकार-क्षेत्र में नहीं** आता है।
- **समुद्र-नितल जोनिंग प्रणाली (Seabed zoning system):** समुद्र नितल, उप-मृदा और उसमें मौजूद संसाधनों के लिए, UNCLOS ने निम्नलिखित जोनिंग प्रणाली स्थापित की है:
  - **महाद्वीपीय मग्नतट (Continental shelf):** यदि यह किसी देश के मुख्य भू-भाग से प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो यह उस **देश के प्रादेशिक समुद्र और यहां तक कि EEZ से भी आगे** तक फैला हो सकता है। इसके **संसाधनों के अन्वेषण और दोहन पर संबंधित देश का संप्रभु अधिकार** होता है।
  - **क्षेत्र (Area):** यह मानव जाति की साझी विरासत है और समुद्र नितल से संबंधित खनिज संसाधनों से जुड़ी गतिविधियां समग्र मानव जाति के लाभ के लिए ही संचालित की जाएंगी।

5.2. शहरी विकास और आपदा प्रतिरोध (Urban Development and Disaster Resilience)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेष रूप से मानसून के मौसम में विविध आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, भारतीय शहरों की आपदाओं और मौसमी चरम दशाओं से निपटने की तैयारी से जुड़ी खामियों को उजागर करती है।

भारतीय शहरों की सुभेद्यता/ असुरक्षा

- **जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण:** भारत की **30 प्रतिशत** से अधिक आबादी पहले से ही शहरों में रहती है और यह संख्या **2030 तक बढ़कर 40 प्रतिशत** हो जाने का अनुमान है।
  - जनसंख्या संकेन्द्रण और विकासात्मक घनत्व की अपनी प्रकृति के कारण, शहरी क्षेत्र जोखिमों को जन्म देते हैं।
- **अनियोजित शहरीकरण:** भारत में शहरीकरण का विकास काफी हद तक अनियोजित रहा है, जिसके कारण **पर्यावरण और संसाधन दोनों का ह्रास** हुआ है।
  - राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) के एक शोध-पत्र के अनुसार **चेन्नई, कोलकाता और मुंबई** जैसे महानगर 2014 से पहले ही **पर्यावरणीय क्षरण की अधिकतम सीमा** तक पहुंच चुके थे।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन से बुनियादी ढांचे पर और अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि जलवायु संबंधी आपदाओं जैसे कि **हीट वेव्स, शहरी बाढ़, चक्रवात** आदि की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि होती है।
  - अगस्त 2023 में **हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन** जिलों में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई थी, जिससे जीवन और आजीविका में बाधा उत्पन्न हुई थी।
- **मौजूदा सुभेद्यताएं:** शहरी परिवेश में पहले से ही विविध सुभेद्यताएं मौजूद हैं, जैसे शहरी गरीबी, शहरी रोजगार में अनौपचारिकता की अधिकता, सामाजिक असमानता आदि।

आपदा प्रतिरोधी शहर क्या है?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार, आपदा प्रतिरोधी शहर:

- यह एक ऐसा शहर होता है, जहां **समझदारी से भवन निर्माण संहिता का पालन** किया जाता है और **अनौपचारिक बस्तियों को बाढ़ क्षेत्र या खड़ी ढलानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं बनाया** जाता है।
- ऐसे शहर में एक **समावेशी, सक्षम और जवाबदेह स्थानीय सरकार** होती है, जो संधारणीय शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

- ऐसे शहर में एक ऐसा संगठन होता है, जहां आपदा से होने वाले नुकसान, खतरों, जोखिमों और जनता की असुरक्षा पर एक **साझा व स्थानीय सूचना आधार** बनाए रखा जाता है।
- ऐसे शहर में लोगों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर **अपने शहर की योजना बनाने, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार** दिया जाता है। साथ ही, **स्थानीय व स्वदेशी ज्ञान, क्षमताओं और संसाधनों** को महत्त्व दिया जाता है।
- **ऐसे शहर में आपदाओं के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने** के लिए आवश्यक कदम उठाए गए होते हैं। इन कदमों में अवसंरचनाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया होता है।
- ऐसा शहर घटना के बाद **प्रतिक्रिया करने, तत्काल रिकवरी रणनीतियों को लागू करने** और सामाजिक, संस्थागत एवं आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए **बुनियादी सेवाओं को शीघ्रता से बहाल करने** में सक्षम होता है।

शहरी आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पहल/ तंत्र

- **गवर्नेंस:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और इसके अंतर्गत आने वाली संस्थाएं- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009:** इसमें एक समग्र, सक्रिय, विविध आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक **सुरक्षित एवं आपदा प्रतिरोधी भारत** का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP), 2016:** यह योजना आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को फ्रेमवर्क और दिशा प्रदान करती है।
- **शहरी स्थानीय सरकार (ULG):** जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने में शहरी स्थानीय सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं।
    - ऐसी जिम्मेदारियों में भवन संहिता, भूमि उपयोग विनियम, शहरी नियोजन व क्षेत्रीकरण, बुनियादी ढांचा, अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन योजना एवं प्रतिक्रिया आदि को निर्धारित करना और लागू करना शामिल है।
- **सरकारी योजनाएं:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत/ AMRUT), सभी के लिए आवास (शहरी) योजना और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ, समावेशी और रहने योग्य बनाने पर केंद्रित हैं।
- **क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क: इसमें निम्नलिखित पांच श्रेणियों के संकेतक शामिल हैं:**
    - शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता; ऊर्जा एवं हरित भवन; गतिशीलता व वायु गुणवत्ता; जल प्रबंधन; तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
- **केंद्रीय बजट 2024-25:** बजट में शहरों के लिए **इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) प्रणाली** को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए ₹1,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-बसें किफायती और पर्यावरण के अनुकूल संचालन प्रणाली प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी उच्च प्रारंभिक लागत मुख्य चुनौती है। हालांकि, यह बजट समर्थन इनका परिचालन शुरू करने में मदद कर सकता है।

भारतीय शहरों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के समक्ष चुनौतियां

- **नियोजन का अभाव:** नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में 65 प्रतिशत भारतीय शहरों के पास मास्टर प्लान नहीं है। यहां तक कि जिन शहरों के पास मास्टर प्लान हैं वे भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थान के निर्णयों पर राजनीतिक प्रभाव के कारण आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इससे प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है।
- **कंक्रीटीकरण:** शहरी स्थानों को तेजी से कंक्रीट और डामर से ढका जा रहा है। इससे हरित स्थानों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वे हीट सिंक में बदल रहे हैं।
    - इस परिघटना को **शहरी ऊष्मा द्वीप** के नाम से भी जाना जाता है। यह जलवायु संबंधी चरम मौसमी दशाओं को और अधिक गंभीर बना देती है तथा जोखिम कारक को बढ़ा देती है।
- **चरमराता बुनियादी ढांचा:** अधिकांश भारतीय शहरों में सीवरेज और जल निकासी प्रणालियां भारी वर्षा से निपटने में अक्षम हैं। इसके कारण प्रत्येक मानसून के मौसम में भारतीय शहरों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना:** संकट के समय में मजबूत त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यक होती है। वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को धन, निवेश, कर्मचारियों, उपकरणों और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण की अत्यंत आवश्यकता है।

- **कार्य-प्रणाली में विभागीकरण:** विभाग प्रायः अलग-अलग कार्य करते हैं तथा जल, परिवहन, ऊर्जा जैसे संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से (बिना किसी समन्वय के) ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे परिणाम और अधिक जटिल हो जाते हैं।
- **निजी क्षेत्रक से वित्त-पोषण का अभाव:** ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्रक से वित्त-पोषण स्थिर बना हुआ है, जबकि बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण का गैप कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

आगे की राह

- **गवर्नेंस:** आपदा प्रबंधन का कार्य **नगरपालिकाओं को सौंपा** जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के दक्ष कार्यान्वयन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पदाधिकारियों को समुचित रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **वित्त:** जलवायु वित्त को **नगरपालिकाओं के स्वामित्व वाले भूमि बैंकों के निर्माण और संपत्तियों को वाणिज्यिक संगठनों को पट्टे पर देकर जुटाया** जा सकता है।
    - **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) वित्त-पोषण** के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए।
    - **निजी-सार्वजनिक साझेदारियां (PPPs)** निम्न-कार्बन और ऊर्जा-दक्ष विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण होंगी।
- **सहभागी योजना:** भविष्य की योजना और सुधारों को भागीदारीपूर्ण होना चाहिए। साथ ही, भारतीय शहरों में व्याप्त अनौपचारिकताओं और सुभेद्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- जापान में आपदा प्रबंधन एजेंसियां समुदायों के साथ मिलकर आपदा के समय में क्या करना है, इसके बारे में जागरूकता सृजित करती हैं।
- **प्रकृति आधारित विकास:** यदि निर्मित संरचनाओं में प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग किया जाए, तो प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जान-माल के नुकसान में कमी होगी।
    - उदाहरण के लिए- पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में, अधिकांश मौतें कंक्रीट की इमारतों में रहने वाले लोगों की हुई है।
- **सार्वजनिक और निजी स्थानों को हरित बनाना:** शहरों में अलग-अलग स्थानों पर हरित क्षेत्र के विशाल खंडों की बजाय कई छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करना सूक्ष्म जलवायु प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगा।
- **हरित गतिशीलता:** स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परिवहन में हरित गतिशीलता की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता है।
- **ज्ञान प्रबंधन नेटवर्क:** शहरों को ज्ञान प्रबंधन ढांचे का निर्माण और उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए अति-स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने हेतु व्यापक डेटा संग्रह की जरूरत होती है।
    - स्थान-विशिष्ट ज्ञान के साथ संसाधनों का सबसे अधिक कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह ज्ञान स्थानीय स्तर पर ही सर्वोत्तम तरीके से उत्पन्न होता है और समझा जा सकता है।

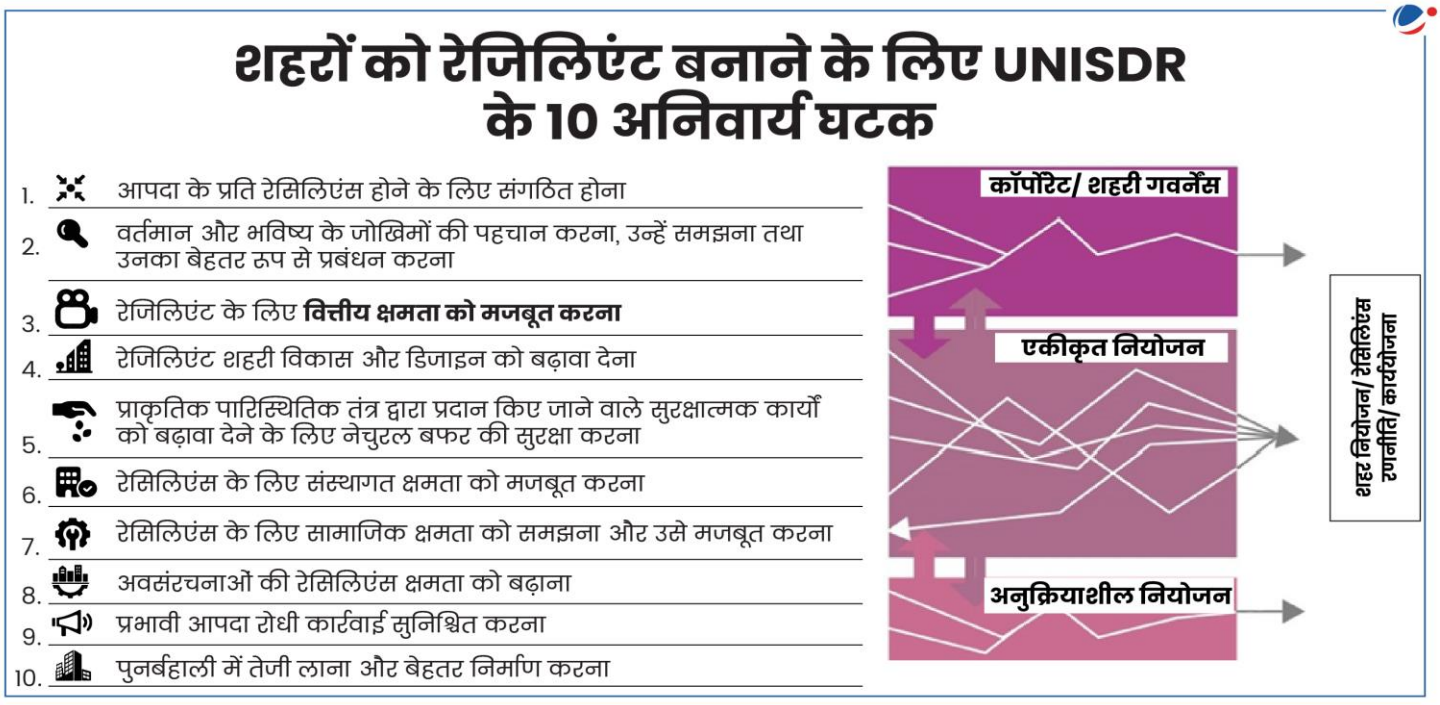

5.3. भूस्खलन (Landslides)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केरल के वायनाड जिले** के पहाड़ी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों की सबसे विनाशकारी भूस्खलन की घटनाओं में से एक घटित हुई।

भारत में भूस्खलन

- गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से चट्टानों, भू-सतह या मलबे आदि का बड़े पैमाने पर नीचे की ओर खिसकना या गिरना भूस्खलन कहलाता है।
    - **खड़ी ढलान:** खड़ी ढलानों के कारण पहाड़ जल प्रवाह या भूकंपीय गतिविधि के कारण होने वाले भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- **भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र (ILSM)**[61] के अनुसार, देश का लगभग **13.17%** भू-भाग **'भूस्खलन के प्रति संवेदनशील (Susceptible to landslides)'** है, जिसमें से **4.75% को 'अत्यधिक संवेदनशील (Very highly susceptible)'** माना जाता है।

डेटा बैंक

- भूस्खलन के कारण विकासशील देशों को **GNP के 1-2% के बराबर आर्थिक नुकसान** होता है।
- **भूस्खलन से होने वाली 80% मौतें विकासशील देशों में होती हैं।**
- **WHO** के अनुसार, 1998 से 2017 के बीच भूस्खलन से **4.8 मिलियन लोग** प्रभावित हुए और वैश्विक स्तर पर 18,000 से अधिक मौतें हुईं।
- **WRI इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के 70% भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र में अनौपचारिक बस्तियां हैं।**

- **सिक्किम का 57.6% भू-भाग भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र** है, जबकि हिमालय क्षेत्र के बाहर **केरल में सर्वाधिक 14% क्षेत्र 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी** में आता है।
- वैश्विक स्तर पर भूस्खलन के कारण होने वाली **कुल मौतों में से लगभग 8% भारत में** होती हैं।

भूस्खलन के कारण

हिमालयी क्षेत्र	पश्चिमी घाट
• **विवर्तनिक रूप से अस्थिर संरचना:** हिमालय एक युवा एवं सक्रिय रूप से गतिशील पर्वतमाला है। इस कारण यह भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे भूस्खलन होने का खतरा बढ़ जाता है। • **असंगठित संरचना:** असंपीडित या असंगठित भू-गर्भिक सामग्री के चलते भूस्खलन की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। • **जलविद्युत परियोजनाएं:** इन परियोजनाओं में किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जल का संचयन किया जाता है, जिससे आर्द्रता और दबाव दोनों बढ़ जाता है। इसके चलते भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है। • **विकास संबंधी गतिविधियां:** सड़क चौड़ीकरण और बड़ी निर्माण परियोजनाओं जैसे मानवीय हस्तक्षेप पहले से ही संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरण को और भी अस्थिर कर देते हैं।	• **मानसूनी वर्षा से प्रेरित भूस्खलन:** विशेष रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में होने वाली मानसूनी वर्षा और पूर्वी हिस्से में होने वाली चक्रवाती वर्षा के कारण मृदा अत्यधिक संतृप्त हो जाती है, जिससे भूस्खलन की घटना घटित होती है। • **नव-विवर्तनिक गतिविधियों के साथ भू-गर्भिक अस्थिरता:** आम तौर पर स्थिर रहने वाले इन क्षेत्रों में हाल के समय में हुई विवर्तनिक गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्र ऊपर की और उठे हैं, जो भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। • **वनों की कटाई:** देशज वृक्षों को काटने से मृदा की स्थिरता में कमी होती है, क्योंकि ये वृक्ष आम तौर पर मिट्टी की ऊपरी सतह को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। • **मानवजनित गतिविधियां** जैसे- खनन, मानव बस्तियां और निर्माण कार्य आदि।

भूस्खलन की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

- **अग्रिम चेतावनी एवं पूर्वानुमान प्रणाली:** हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूस्खलन के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC)[62] की स्थापना की है।
    - **भूसंकेत वेब पोर्टल** और **भूस्खलन मोबाइल ऐप** लांच किए गए हैं। ये भूस्खलन संबंधी पूर्वानुमानों को शीघ्रता से साझा करने और हितधारकों को भूस्खलन की घटनाओं पर स्थानिक और तात्कालिक जानकारी साझा करने तथा निरंतर अपडेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

[61] India Landslide Susceptibility Map

[62] National Landslide Forecasting Centre

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश:** भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देश भूस्खलन एवं संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- **समर्पित योजनाएं:** NDMA ने भूस्खलन-प्रवण राज्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS) की शुरुआत की है।
- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति:** यह एक रणनीतिक दस्तावेज है, जो भूस्खलन से संबंधित आपदा जोखिम को कम करता है और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। जैसे- जोखिम-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण करना, निगरानी और अग्रिम चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, विनियम और नीतियां, भूस्खलन का स्थिरीकरण और न्यूनीकरण, आदि।
- **सेंडाई फ्रेमवर्क:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 को 2015 के बाद के विकास एजेंडे में पहला महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। यह सदस्य देशों की विकास संबंधी परियोजनाओं को आपदा जोखिम से बचाने के लिए विशिष्ट कार्यवाहियों का एक सेट प्रदान करता है।

आगे की राह

- **छह राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के लिए ESA मसौदा अधिसूचना:** इस ESA मसौदा अधिसूचना को कानूनी रूप देने की योजना है। कानून बनने के बाद, इसके जरिए इन क्षेत्रों में उत्खनन, खनन और व्यापक अवसंरचना विकास जैसी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
- **भूमि उपयोग ज़ोनिंग विनियम:** पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय और साइट-विशिष्ट भूस्खलन ज़ोनेशन मानचित्रों (1:10k या उससे बड़े स्केल पर) के आधार पर भूमि उपयोग ज़ोनिंग विनियमों को लागू करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **स्लोप मॉडिफिकेशन विनियम: आइजोल नगर निगम** द्वारा अपनाए गए स्लोप मॉडिफिकेशन विनियमों को अन्य विनियामक निकायों द्वारा भी अपने भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।
- **राज्य विशिष्ट भूस्खलन शमन रणनीतियां:** प्रत्येक पर्वतीय राज्य में विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य-विशिष्ट भूस्खलन शमन रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है।
- **विकास संबंधी गतिविधियों को विनियमित करना:** उदाहरण के लिए- केरल में माधव गाडगिल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए।

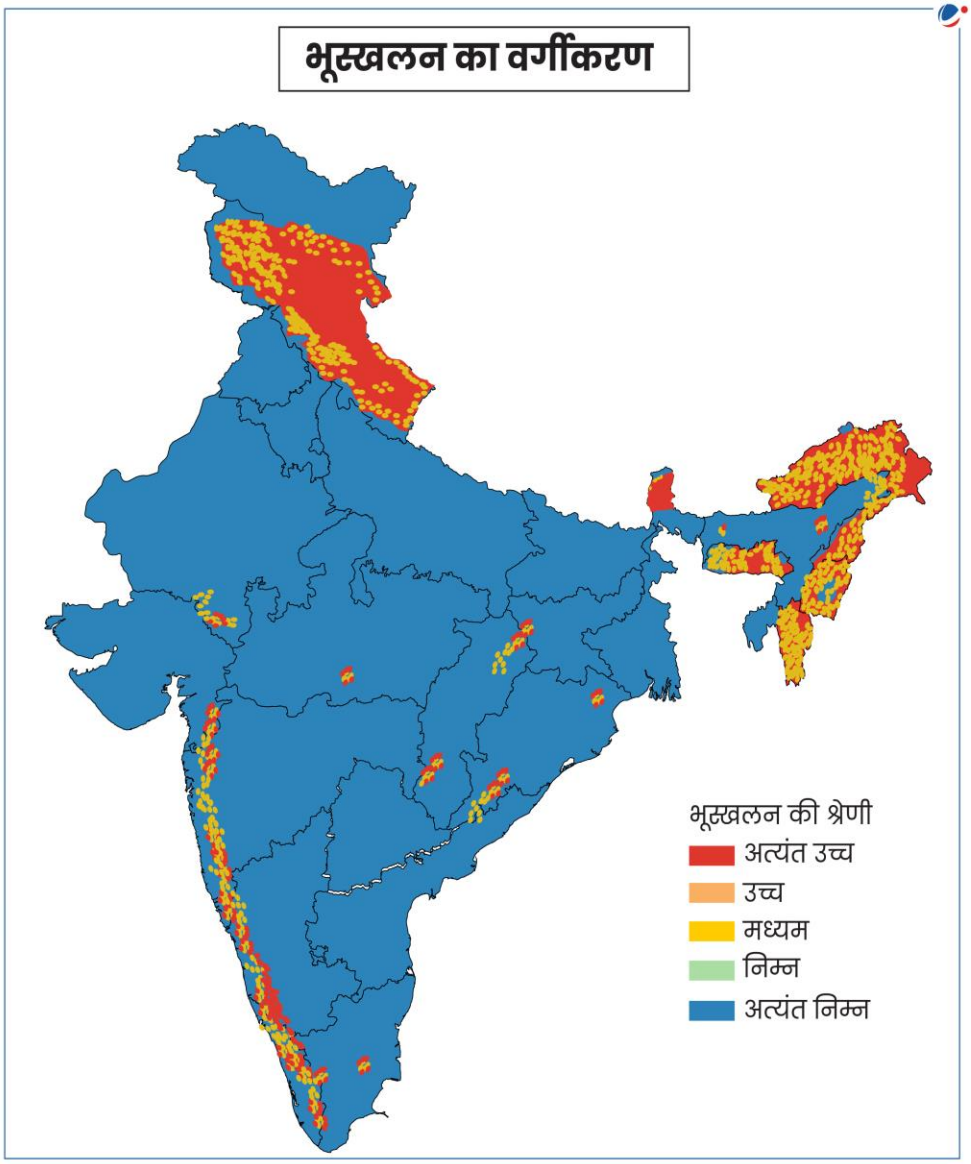

5.4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **पराग्वे** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है।

ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की स्थिति

- वर्तमान में संधारणीय विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे **पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं** हैं। पेरिस जलवायु समझौते के तहत **वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ISA के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान प्रयासों को जारी रखते हुए 2050 तक **वैश्विक उत्सर्जनों में केवल 4%** की मामूली कमी की जा सकेगी। इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि 2.4 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है।
- UNFCCC के अनुसार, पेरिस समझौते के तहत तय किए गए **1.5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए इस दशक के अंत तक **वैश्विक उत्सर्जन को 43% तक कम करने** की आवश्यकता है।
- IEA के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **2030 तक सौर ऊर्जा** उत्पादन में **1.6 से 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आवश्यकता** है।

सौर ऊर्जा: विकास और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों को बढ़ावा देने का एक माध्यम

- सौर ऊर्जा **सबसे सुलभ और बहुउपयोगी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत** है।
- **न्यूनतम लागत पर अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता:** इसकी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (LCOE) निम्न (0.049 डॉलर/kWh) है, जबकि यह प्रति वर्ष 1600-49800EJ उत्पादन करने में सक्षम है।
- हाइड्रो पावर और बायोएनर्जी जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में इसका **कार्बन फुटप्रिंट भी कम** है।
- सौर ऊर्जा में **उच्च विकेंद्रीकरण क्षमता** मौजूद है, **जैसे- ऑफ-ग्रिड सिस्टम।**

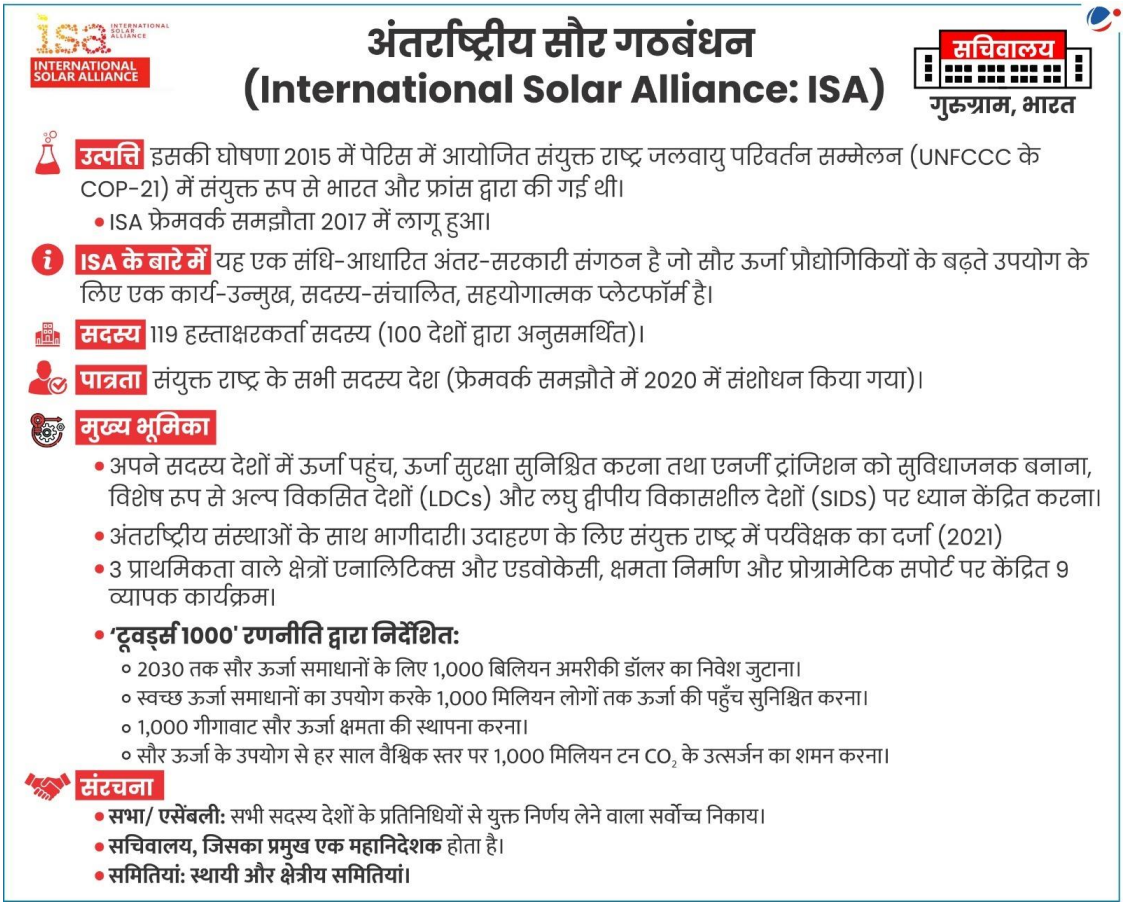

- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में **उन्नत तकनीकी विकास** हो रहा है।
- इसमें **21% की CAGR (2015-2022) की दर से उल्लेखनीय विकास दर** भी दर्ज की गई है, जो पवन, बायोएनर्जी और हाइड्रो एनर्जी से अधिक है।
- **कुल एनेर्जी मिक्स** में सौर ऊर्जा का अनुमानित योगदान **2030 तक 27%** होने का अनुमान है, जिसके लिए **3500 GW क्षमता निर्माण की आवश्यकता** है।

- वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी **2021 के 28%** से बढ़कर **2030 में 45%** होने का अनुमान है।

ISA का महत्त्व

- **ऊर्जा समता और न्याय:** यह एक नया दृष्टिकोण है, जो "वन साइज़ फ़िट फ़ॉर ऑल" से परे है।
  - इसके तहत उच्च आय वाले देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं, निम्न आय वाले देशों और SIDS के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- **सौर ऊर्जा को प्रयोगशालाओं से सड़कों तक लाना:** विशेष रूप से विकासशील और निम्न-आय वाले देशों के लिए प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों का लोकतांत्रिक तरीके से वितरण सुनिश्चित करना।
- **वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार का निर्माण:** इसके लिए, कम लागत और सहयोगात्मक विकास के जरिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए- पीएम कुसुम योजना के जरिए कृषि क्षेत्रक में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **मानकीकृत नीतियों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाना:** जोखिमों को कम करके निवेशकों में विश्वास पैदा करना। उदाहरण के लिए- मानकीकृत नीलामी और पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPA) फ्रेमवर्क को अपनाना।
- **सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए मंच प्रदान करना:** वित्तीय क्षमता की कमी वाले विकासशील देशों में अनुसंधान एवं विकास में सुधार के लिए संसाधनों को जुटाना।
- **भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव: संधारणीयता के मामले में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व क्षमता के जरिए भारत के रणनीतिक हितों को पूरा करना।** उदाहरण के लिए- **मिशन लाइफ।**
  - भारत ISA के जरिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में **ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक "सेतु"** की भूमिका निभा सकता है।
  - भारत वैश्विक ऊर्जा अभिशासन के क्षेत्र में नए मानक भी स्थापित कर रहा है, जो **ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को दूर करेगा।** उदाहरण के लिए- तकनीकी के अधिक प्रसार, वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर जोर देना।

ISA के समक्ष चुनौतियां

- **सदस्य देशों के बीच समन्वय के मुद्दे:** समन्वय की कमी से विभिन्न पहलों के प्रभावी **कार्यान्वयन** में बाधा उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए- **सदस्यता से जुड़े अधिकार, व्यावहारिकता की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्त्व देने** जैसी समस्याएं संभावित बाधक हैं।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां:** वैश्विक सोलर फोटोवोल्टिक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व ऊर्जा समता की प्राप्ति में एक प्रमुख बाधा है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** कई विकासशील देशों में, विद्युत क्षेत्रक मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि निजी कंपनियां अक्षय ऊर्जा के विस्तार में मदद कर सकती हैं, लेकिन उनकी भागीदारी से आम लोगों की ऊर्जा तक पहुंच कठिन हो सकती है, जिससे निष्पक्षता एवं ऊर्जा तक समान पहुंच प्रभावित हो सकती है।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता से संभावित पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए- 50 स्वीकृत सौर पार्कों में से, 2023 तक केवल 11 का कार्य ही पूरा हो सका है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- ग्रिड एकीकरण से संबंधित तकनीकी बाधा।

आगे की राह

- **सौर ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना:** विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संबंधी लागत और उसे अपनाने में अंतर के कारण दुनिया भर में सौर ऊर्जा की असमान पहुंच बनी हुई है।
- **ऊर्जा सुरक्षा में समता सुनिश्चित करना:** इसमें **प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को ऊर्जा तीव्रता से अलग करना** और **जन-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करना** शामिल है।
- **ऊर्जा समानता पर ध्यान केंद्रित करना:** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के अलावा, सौर ऊर्जा के प्रसार में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, इसमें बॉटम-अप अप्रोच को विशेष रूप से अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

ISA, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर और ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस जैसी भारत की पहलें वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा पर नए विमर्श को आकार देने में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। यह "वसुधैव कुटुम्बकम" के सदियों पुराने भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है।

ISA द्वारा उठाए गए कदम

- **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG):** यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति को ट्रांसफर करने के लिए **एक साझा ग्रिड के जरिए विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ने** पर केन्द्रित है।
- **सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (STAR C):** यह क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।
- **ग्लोबल सोलर फैसिलिटी:** इसका उद्देश्य **अफ्रीका** भर में अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में **सौर ऊर्जा के लिए निवेश करने को प्रेरित करना** है।
- **सोलर पार्क अवधारणा के तहत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना:** यह ISA के सदस्य देशों में समूहों/ क्लास्टर्स के रूप में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने पर केंद्रित है।
- **मिड-करियर पेशेवरों के लिए ISA सोलर फैलोशिप:** इस फैलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए योग्य पेशेवर कार्यबल को कौशल प्रदान करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव:** इस महोत्सव का उद्देश्य प्रभावशाली वैश्विक साझेदारी के लिए अनुकूल परिवेश बनाना है।

केस स्टडी

- **केरल के कायमकुलम में भारत का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र** स्थापित किया गया है।
- **सूर्य नूतन:** यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) द्वारा विकसित एक हाइब्रिड किचन-कनेक्टेड इनडोर सोलर कुकिंग सॉल्यूशन है।
- **सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात पर कैनाल-टॉप-सोलर पैनल:** यह पहल भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है और ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में भी सुधार करती है।
- **नॉर्थ सी 1 (NS1):** यह नीदरलैंड में स्थित दुनिया का पहला ऑफशोर सोलर सी फार्म है।
- **सोलशेयर (SOLshare):** यह बांग्लादेशी स्टार्टअप **ICT-सक्षम नेटवर्क** के माध्यम से **सोलर पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग** सिस्टम में क्रांति ला रहा है।

5.5. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अगले चरण के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस अगले चरण की अवधि 2024 से 2029 तक के लिए है।

बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम

- **इस प्रोग्राम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** और **लेसर फ्लोरिकन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा।**
  - भारत में बस्टर्ड की चार प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में बस्टर्ड की **दो** अन्य प्रजातियां हैं- **बंगाल फ्लोरिकन, मैक्वीन बस्टर्ड।**
- **पृष्ठभूमि:** इस प्रजाति के लिए रिकवरी योजना **सबसे पहले 2013 में** राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत **शुरू की गई** थी। बाद में 2016 में इसे 'बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट' नाम दिया गया।
  - सर्वप्रथम बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट **पांच वर्ष (2016-21)** की प्रारंभिक अवधि के लिए शुरू किया गया था। **अब इस प्रोजेक्ट की अवधि को 2033 तक बढ़ा दिया गया है।**
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, लगभग 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और 1,000 से कम लेसर फ्लोरिकन वनों में मौजूद हैं।
- **यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है:** भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा।

लेसर फ्लोरिकन के बारे में

- लेसर फ्लोरिकन (साइफियोटाइड्स इंडिकस) **बस्टर्ड फैमिली (ओटिडिडे) का सबसे छोटा पक्षी** है।
- **संरक्षण स्थिति**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची-I** में सूचीबद्ध।
  - **IUCN की रेड लिस्ट: क्रिटिकली एंडेंजर्ड** श्रेणी में शामिल।
- **पर्यावास स्थान:** राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में।
- **खतरें:** प्रजनन स्थलों में कीटनाशकों का उपयोग; असामयिक घास की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के कारण कृषि-घास के मैदानों का कुप्रबंधन आदि।

- **वित्त-पोषण एजेंसी:** राष्ट्रीय **प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण** (CAMPA)[63]
- **भागीदारी एजेंसियां:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; राजस्थान वन विभाग; गुजरात एवं महाराष्ट्र वन विभाग
- **प्रोजेक्ट के उद्देश्य:**
  - **कंजर्वेशन ब्रीडिंग: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन** का बाह्य-स्थाने/ एक्स-सीटू संरक्षण सुनिश्चित करना।
  - **व्यावहारिक अनुसंधान:** संरक्षण क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, खतरों को चिह्नित करना, आबादी और पर्यावास की स्थिति का आकलन करना और प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
  - **क्षमता निर्माण और आउटरीच:** संरक्षण के क्रियाकलापों या तौर-तरीकों में सुधार करना, हितधारकों को संवेदनशील बनाना और स्थानीय भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - **सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट का प्रायोगिक कार्यान्वयन:** प्रयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से सर्वोत्तम पद्धतियों/ प्रणालियों का प्रदर्शन करना।

- **सहयोगी एजेंसियां:**
  - **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी:** यह एक अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है। यह **1883** से प्रकृति संरक्षण के कार्य को बढ़ावा दे रहा है।
    - **अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता** पर आधारित कार्रवाई के जरिए प्रकृति (मुख्य रूप से जैविक विविधता) का संरक्षण करना।
  - **अन्य**: इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंजर्वेशन / रेनेको; कॉर्बेट फाउंडेशन; ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल; जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट; द ग्रासलैंड्स ट्रस्ट।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- **संरक्षण स्थिति**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I और IV** में सूचीबद्ध।
  - **IUCN रेड लिस्ट: क्रिटिकली एंडेंजर्ड** श्रेणी में शामिल।
  - **CITES: परिशिष्ट-I** में सूचीबद्ध।
- **प्रमुख विशेषताएं**
  - **पर्यावास:** यह भारतीय उपमहाद्वीप की **स्थानिक या एंडेमिक** पक्षी प्रजाति है। कृषि-घास का मैदान (Agro-grassland) इनके पर्यावास के लिए आदर्श स्थान है।
    - भारत में, इसकी **अधिकांश आबादी राजस्थान और गुजरात** में पाई जाती है। इनकी कुछ संख्या **महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश** में भी मिलती है।

[63] Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

- **आहार:** यह एक सर्वाहारी पक्षी है। ये घास के बीज, टिड्डे और बीटल जैसे कीट और कभी-कभी छोटे कृंतक तथा सरीसृप जीवों को भी खाते हैं।
- **अन्य**
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) सामने की ओर अधिक दूर तक नहीं देख पाते हैं।
  - ये मुख्य रूप से मानसून के मौसम में प्रजनन करते हैं और मादा GIB खुले मैदान में एक बार में एक ही अंडा देती है।

- **GIB का महत्त्व:** इन्हें घास के मैदानों के स्वास्थ्य के संकेतक या घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की धड़कन माना जाता है।

GIB के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा:** इसके प्रमुख पर्यावास क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जैसे- मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, (राजस्थान), नलिया घास का मैदान (लाला बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य)।
- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme):** इसके तहत संरक्षण संबंधी प्रयासों के अंतर्गत GIB को भी शामिल किया गया है। यह वन्यजीव पर्यावासों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - GIB के संरक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- **कंजर्वेशन ब्रीडिंग:** कैप्टिव दशाओं में आबादी का विकास करके उन्हें वनों में छोड़ना और इन-सीटू संरक्षण का समर्थन करना।
  - **उदाहरण के लिए- राजस्थान के सैम, रामदेवड़ा** में GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र कार्यरत हैं।
- **कानूनी संरक्षण: वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की अनुसूची-I में शामिल है, जो इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाता है।
- **क्षमता विकास:** जैसे- कृत्रिम इन्क्यूबेशन और गर्भाधान तकनीकों का प्रशिक्षण देना।
  - **उदाहरण के लिए- 2022-23 में अबू धाबी में स्थित नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर (NARC) में** कर्मियों को **कृत्रिम प्रजनन तकनीकों** का प्रशिक्षण दिया गया।
- **सुप्रीम कोर्ट में वाद:** सुप्रीम कोर्ट **GIB और लेसर फ्लोरिकन संरक्षण कार्यक्रम** की निगरानी भी कर रहा है। साथ ही, दोनों प्रजातियों के संरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका उसके समक्ष लंबित है।

निष्कर्ष

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए बहु-स्तरीय सहयोग की आवश्यकता है। यह प्रयास मात्र एक प्रजाति तक सीमित न होकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करने पर केंद्रित होने चाहिए। इसलिए नि:संदेह हमें जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक संरक्षण सफलता की राह में समन्वित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

नोट: *ग्रेट इंडिया बस्टर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के मामले के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अप्रैल, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1.1 देखें।*

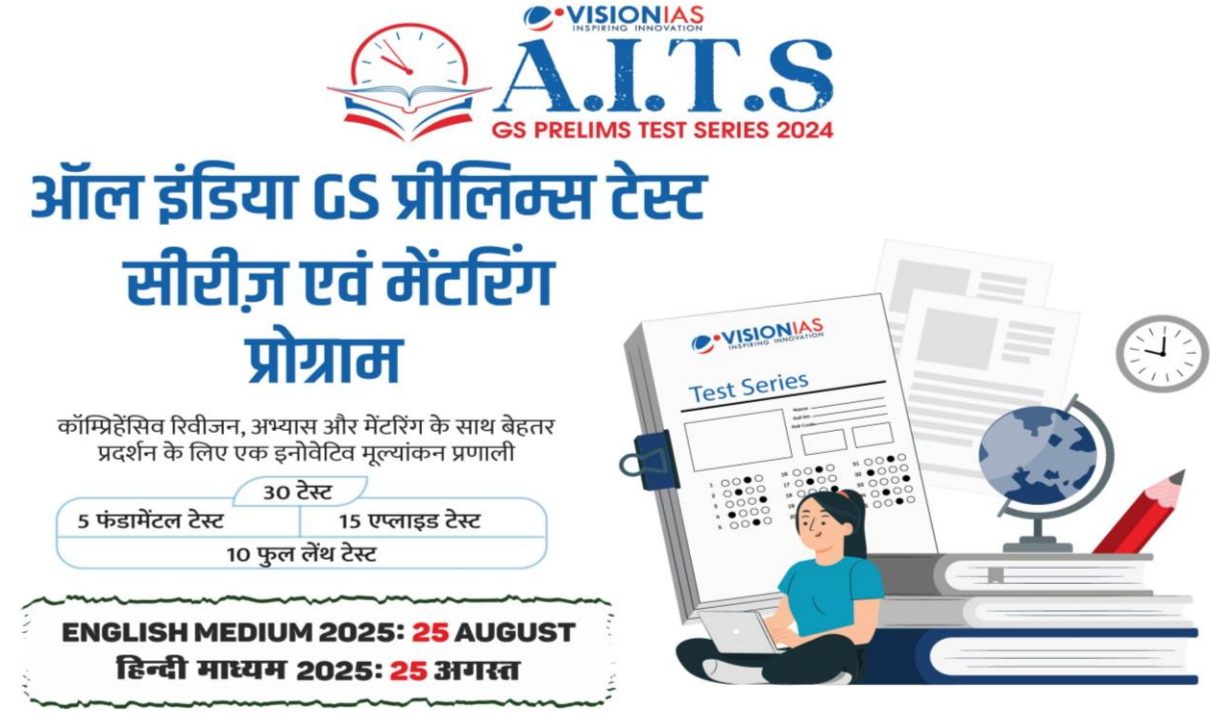

5.6. मृदा स्वास्थ्य (Soil Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मोरक्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में, यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर 'विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक (World soil health index)' स्थापित करके अपने सदस्य देशों को समर्थन देने का संकल्प लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

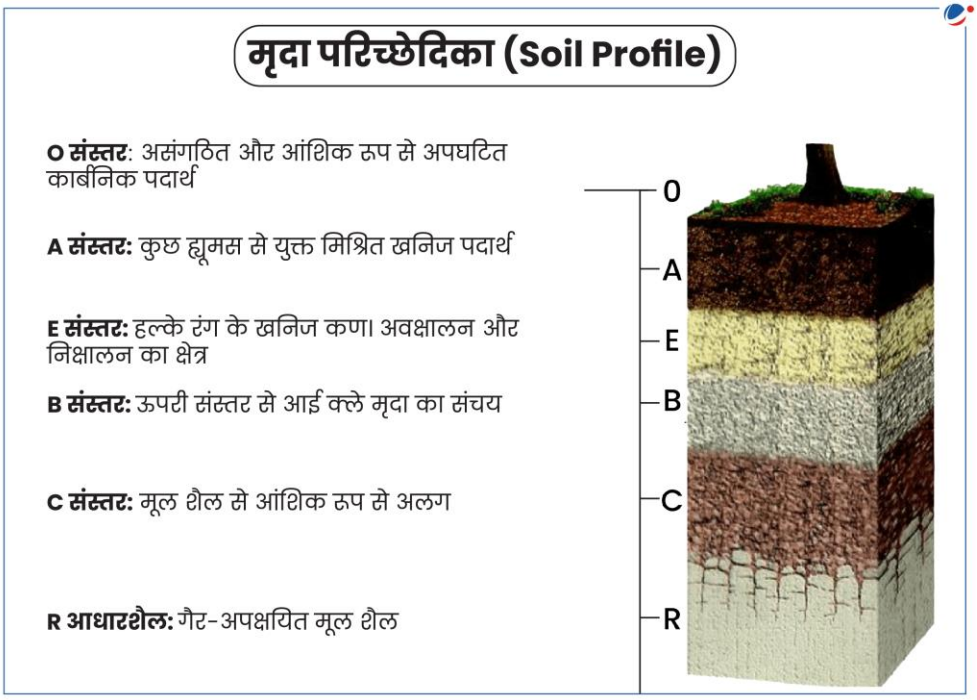

- **विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक**
  - इसके तहत विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिक-तंत्रों में **मृदा की गुणवत्ता का विश्लेषण एवं तुलना** करने वाले मानदंडों के लिए मानक तय किए जाएंगे।
  - यह **मृदा क्षरण** की प्रवृत्ति **या मृदा सुधार** हेतु उपायों की पहचान भी करेगा।
  - जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा।
  - मृदा प्रबंधन प्रभावशीलता की **समझ को बढ़ाएगा।**
- **इसके अतिरिक्त,** यूनेस्को अपने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत 10 प्राकृतिक स्थलों में लंबे समय तक मृदा और भू-क्षेत्रों के संधारणीय प्रबंधन के लिए एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेगा।

मृदा के बारे में

- पृथ्वी की सतह पर **चट्टानी मलबे और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण** से मृदा का निर्माण होता है।
- **मिट्टी के निर्माण के कारक:** यह उच्चावच, मूल चट्टान/ शैल, जलवायु, वनस्पति, जीव, समय और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होती है।
- **महत्त्व:** स्वस्थ मृदाएं पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु को नियंत्रित करने, खाद्य का उत्पादन करने एवं जल को शुद्ध करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **मृदा क्षरण के बारे में**
  - **मृदा क्षरण** वास्तव में मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक गिरावट है।
  - यह कार्बनिक पदार्थों की हानि, मृदा की उर्वरता और संरचनात्मक स्थिति में गिरावट, क्षरण, लवणता, अम्लता या क्षारीयता में प्रतिकूल परिवर्तन, और जहरीले रसायनों, प्रदूषकों या अत्यधिक बाढ़ के कारण हो सकता है।
  - **विश्व मरुस्थलीकरण एटलस** के अनुसार, **75% मृदा का पहले ही क्षरण** हो चुका है। इसका सीधा प्रभाव **3.2 बिलियन लोगों** पर पड़ रहा है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो **2050 तक 90% मृदा का क्षरण** हो जाएगा।
  - इसरो द्वारा बनाए गए भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (2021) के अनुसार, **कुल निम्नीकृत (Degraded) भूमि 96.4 मिलियन हेक्टेयर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.32% है।**

मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक

- **वनों की कटाई:** वनस्पति के विनाश से मृदा का क्षरण तेजी से होता है, इससे **हवा और जल से कटाव/ अपरदन के प्रति मृदा की संवेदनशीलता बढ़ती** है। इसके कारण कार्बनिक पदार्थों की हानि होती है। साथ ही, मृदा संघटन, संतुलन और उर्वरता में भी कमी आती है।

- इसरो के भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (जून 2021) के अनुसार, 2018-19 के दौरान **भारत में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थलीकरण/ भूमि क्षरण, वनस्पतियों के विनाश** के कारण हुआ है।

- **लवणीकरण/ क्षारीकरण:** अकुशल नहर सिंचाई जल प्रबंधन जैसी गतिविधियों से अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लवणीकरण की समस्या हो सकती है, जिससे वनस्पति/ पौधों के जड़ वाले भाग में नमक/ लवण जमा हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **पंजाब की लगभग 50% कृषि योग्य भूमि** लवणता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है।
- **अनुचित फसल-चक्र:** जनसंख्या वृद्धि, भूमि की कमी जैसे अनेक दबावों के कारण अनाज (चावल और गेहूं) आधारित गहन फसल चक्र से मृदा की उर्वरता में गिरावट होती है।
- **अतिचारण**: इसमें भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर चराई का दबाव उस क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो जाता है। इसके कारण यहां पर वनस्पति की मात्रा एवं भूमि की गुणवत्ता दोनों में गिरावट देखने को मिलती है।
  - उदाहरण, गुजरात के बन्नी घास के मैदानों का क्षरण।

मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **जैविक खेती को बढ़ावा देना:** जैविक खेती को अनेक योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)[64], राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (NMOOP)[65] आदि।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** इस कार्ड में **12 मापदंडों** के आधार पर मृदा की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण दर्ज होता है। इन 12 मापदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **वृहद-पोषक तत्व: नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटैशियम (K);**
  - **द्वितीयक-पोषक तत्व: सल्फर (S);**
  - **सूक्ष्म पोषक तत्व: जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज (Mn)।**
  - **भौतिक मापदंड: pH लेवल, विद्युत चालकता (EC), जैविक कार्बन (OC)।**
- **वन आवरण में सुधार: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)[66], 2021** के अनुसार, 2 वर्षों में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इससे मृदा के कटाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- **फसल अवशेषों/ पराली को जलाने से रोकना:** फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनका उचित पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा:** बॉन चैलेंज एक वैश्विक लक्ष्य है। इसका उद्देश्य 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि और वनों की कटाई वाले भू-क्षेत्रों को वापस उनकी पुरानी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना है।

आगे की राह

- **संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना:** विविध फसल चक्र को अपनाने से **मृदा स्वास्थ्य** में सुधार होता है, कीटों में कमी आती है, सूक्ष्मजीव की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है और उपज में सुधार होता है।
- **मृदा आवरण को अधिकतम करना:** साल भर मिट्टी को ढके रखने के लिए चारागाह और फसल भूमि, दोनों में मृदा को ढकने/ आवरण प्रदान करने वाली फसलों की बुवाई की जा सकती है।
  - घास, झाड़ियां, फसलें, यहां तक कि पराली जैसे सुरक्षात्मक वनस्पति आवरण की उपस्थिति **हवा की गति को कम कर देती है और इससे मृदा का कम क्षरण होता है।**
  - इसके अलावा, वनस्पति की जड़ प्रणाली मृदा को संगठित और मजबूती से बांधे रखती है।
- **बाधाओं को कम करना: जुताई को सीमित करना, रासायनिक इनपुट का इष्टतम उपयोग करने** जैसे उपाय अपनाना।

---

[64] Mission for Integrated Development of Horticulture

[65] National Mission on Oilseeds & Oil Palm

[66] India State of Forest Report

- **एकीकृत भूमि उपयोग योजना:** मृदा पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रकों में अलग-अलग उपयोगों एवं उपयोगकर्ता की मांगों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन करना चाहिए।
- **परिशुद्ध खेती (Precision Farming):** GPS, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां आवश्यक हो, वहां पर सही मात्रा में जल, पोषक तत्व और कीटनाशकों का उपयोग किया जाए।
- **समुदाय-आधारित मृदा संरक्षण:** सहभागी मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन करने में मदद करने वाले उपयुक्त दृष्टिकोण/ साधनों की पहचान और/या विकास करना चाहिए।

5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.7.1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'स्टेट ऑफ द वर्ल्डस फॉरेस्ट्स 2024' रिपोर्ट जारी की (FAO Released State of The World's Forests 2024 Report)

इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम है: **"नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना (Accelerating Forest solutions through innovation)"।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वनों की कटाई (डिफोरेस्टेशन) की दर** 1990-2000 में 15.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी, जो 2015-2020 में घटकर 10.2 मिलियन हेक्टेयर (ha) प्रति वर्ष हो गई थी।
    - वर्ष 2010-2020 के बीच **वन क्षेत्र में औसत वार्षिक निवल वृद्धि** के मामले में **भारत तीसरे स्थान** पर रहा।
- **भारत में गैर-काष्ठ (Non-Timber) वनोत्पाद, लगभग 275 मिलियन लोगों की आजीविका** का आधार हैं।

वन क्षेत्रक में नवाचार की आवश्यकता क्यों है?

- **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों (जंगल की आग, कीट हमले आदि) का बढ़ना:** ऐसे संकटों से निपटने के लिए नई वन एवं भूमि प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **जैव-अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना:** शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाली जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) को बढ़ावा देने हेतु काष्ठ-आधारित वनोत्पादों के विविध और दक्षतापूर्वक उपयोग में नवाचार की आवश्यकता है।
- **गैर-काष्ठ वनोत्पादों में अवसरों की खोज करना:** जंगलों से प्राप्त होने वाले **कई खाद्य पदार्थों** (जैसे-मछली) में प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये उच्च पोषण सामग्री के स्रोत हैं।

वन क्षेत्रक में नवाचार के समक्ष बाधाएं

- **नवाचार संस्कृति का अभाव:** यह जिज्ञासा, रचनात्मकता एवं जोखिम लेने के प्रयासों को हतोत्साहित करता है।
- **अलग-अलग प्रकार की पूंजी की कमी:** मानव पूंजी की कमी (कौशल की कमी); प्राकृतिक पूंजी की कमी (वन संसाधनों तक सीमित पहुंच); सामाजिक पूंजी की कमी (सीमित भू धारण-अधिकार) आदि नवाचार को बाधित करती हैं।
- नीतिगत समर्थन नहीं मिलने से **नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की दर धीमी** रही है।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिशें

- **नवाचारों को मान्यता देने एवं पुरस्कृत** करने से नवाचार अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।
- वन-क्षेत्रक से जुड़े हितधारकों के **कौशल, क्षमता और ज्ञान को बढ़ावा** देना चाहिए। इससे हितधारकों में नवाचारों के विकास एवं उन्हें अपनाने व प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ेगी।

- **ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर** प्रदान करने चाहिए। साथ ही, समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए।
- सभी के लिए **वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति को आसान** बनाना चाहिए।

5.7.2. संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन (United Nations Water Convention)

आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया। इसे **"सीमा-पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन"** कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **1992 में हेलसिंकी (फिनलैंड)** में अपनाया गया था। यह **कन्वेंशन 1996** में लागू हुआ था।
- यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन** है। कन्वेंशन के पक्षकारों को दो या दो से अधिक देशों में बहने वाली किसी भी नदी के जल का उचित और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना तथा उसका संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- भारत इस **कन्वेंशन का पक्षकार नहीं** है।

नोट: संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेंशन यानी "अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन" **1997** में अपनाया गया था। **सिंधु जल संधि (1960)** इसी के अनुरूप है।

5.7.3. नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स- ए ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट शीर्षक से UNEP ने रिपोर्ट जारी की (Navigating New Horizons, A Foresight Report Released By UNEP)

इस रिपोर्ट में अलग-अलग महत्वपूर्ण वैश्विक बदलावों का उल्लेख किया गया है। ये बदलाव **प्रदूषण, जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन रूपी 'ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस'** को बढ़ा रहे हैं।

- रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि **वैश्विक बहुसंकट** एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और वैश्वीकरण का परिणाम हैं। वैश्विक बहुसंकटों में वर्तमान में सामना किए जाने वाले कई आघात जैसे- युद्ध, चरम मौसम, महामारी आदि शामिल हैं।

विविध बदलाव, संकेत और संभावित व्यवधान

- **मानव और पर्यावरण के बीच बदलते संबंध:** इसके दुष्परिणामों में शामिल हैं; बढ़ता रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), जलवायु परिवर्तन के कारण निर्जन स्थानों में वृद्धि आदि।
- **महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी और उनके लिए प्रतिस्पर्धा वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को नया आकार दे रही है:** उदाहरण के लिए- पृथ्वी की कक्षाओं में अंतरिक्ष मलबे का बढ़ना।
- **डिजिटल परिदृश्य में नवाचार का बढ़ना:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि को अपनाया जा रहे है।
- **ऑटोनॉमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार प्रणालियां:** बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे जैविक अभिकारकों (एजेंट्स) के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ रहा है।
- **बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन:** विश्व की लगभग 1.5% आबादी को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा है।
- **इको-एंग्जायटी:** पर्यावरण और जलवायु संकट के खतरे से संबंधित नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है।

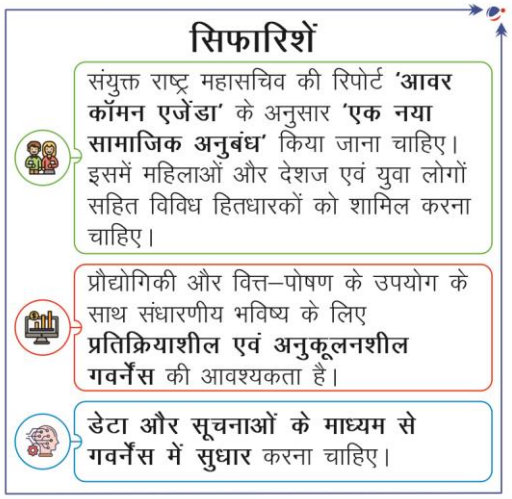

5.7.4. जलवायु परिवर्तन और सीमांत किसान (Climate Change and Marginal Farmers)

यह रिपोर्ट **फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (FEED)** ने जारी की है। यह फोरम **सीमांत किसानों (Marginal farmers) की सहायता** करने और अलग-अलग मंचों पर उनके मुद्दों को उठाने के लिए गठित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **चरम मौसम के कारण संकट:** एक तिहाई से अधिक **सीमांत किसानों को पांच वर्षों में कम-से-कम दो बार चरम मौसमी घटनाओं** का सामना करना पड़ा है।
- **कृषि आय में कमी:** 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण **किसानों की वार्षिक कृषि आय में औसतन 15-18% कमी** हो सकती है। यह कमी **असिंचित क्षेत्रों में बढ़कर 20-25% तक** हो सकती है।
- **आजीविका विविधीकरण:** जलवायु प्रभावों के कारण 86% से अधिक सीमांत किसानों ने कृषि के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। वैकल्पिक आजीविका में किसी अन्य जगह रोजगार हेतु **अस्थायी प्रवास करने जाना, मनरेगा के तहत काम** करना आदि शामिल हैं।
- **जलवायु अनुकूल कृषि (CRA) पद्धतियों को अपनाने में बाधाएं:** उच्च प्रारंभिक लागत, विकल्पों के बारे में सीमित ज्ञान, भू-जोत का आकार छोटा होना और भौतिक संसाधनों की कमी **जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों** को अपनाने में मुख्य बाधाएं हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर (GACSA)** जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह प्लेटफॉर्म **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** ने विकसित किया है।
- **भूमि उत्पादकता (land productivity) की बजाय जल उत्पादकता (Water Productivity)** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
    - जहां **भूमि उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर भूमि पर अनाज उत्पादन की गणना** की जाती है, वहीं **जल उत्पादकता** में कृषि भूमि में **प्रति घन मीटर जल की खपत की तुलना में अनाज उत्पादन** की गणना की जाती है।
- किसानों को **शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता और विस्तार सहायता पर मिशन मोड एप्रोच** प्रदान करने की जरूरत है।

5.7.5. स्प्रिंग इनिशिएटिव (Spring Initiative)

संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट (PRI) ने एक नई पहल "स्प्रिंग" की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य **2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक स्थिति को फिर से बहाल** करना है।

स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में

- यह **200 निवेशकों के गठबंधन** द्वारा समर्थित है। ये निवेशक **संयुक्त रूप से 15 ट्रिलियन की परिसंपत्ति का प्रबंधन** करते हैं।
- **उद्देश्य:**
    - प्रकृति के नुकसान से समाज को होने वाली हानि से निपटना;
    - वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने हेतु कॉरपोरेट जगत की पहलों को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक पोर्टफोलियो वैल्यू बनाना।
- यह पहल **कॉर्पोरेट गवर्नेंस** के एक महत्वपूर्ण पहलू, **"उत्तरदायी राजनीतिक भागीदारी"** पर केंद्रित है।

5.7.6. फंड फॉर रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज (Fund For Responding to Loss and Damage)

हानि और क्षति कोष के बोर्ड ने इस कोष का नाम बदलकर **"फंड फॉर रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज" (FrLD)** कर दिया है।

- साथ ही, यह निर्णय भी लिया गया कि **फिलीपींस** इस फंड के बोर्ड का होस्ट देश होगा।

FrLD के बारे में

- इसकी स्थापना **2022 में शर्म अल-शेख (मिस्र) में UNFCCC पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 27वें सत्र (COP-27)** में की गई थी।
- **उद्देश्य:** यह फंड **विकासशील देशों** को जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले **नुकसान एवं क्षति की भरपाई** करने में मदद करेगा।
- **लॉस एंड डैमेज (हानि और क्षति)** उन नकारात्मक परिणामों को व्यक्त करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिमों से उत्पन्न होते हैं। इन जोखिमों में **समुद्री जलस्तर में वृद्धि, लंबी अवधि तक हीट वेव्स, मरुस्थलीकरण, समुद्र का अम्लीकरण** आदि शामिल हैं।

5.7.7. एक स्टडी के अनुसार, वायु प्रदूषण से परागण करने वाले कीटों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है (Air Pollution Harms Pollinators More: Study)

- हाल ही में यह स्टडी रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण से **मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को अधिक नुकसान** पहुंचता है। वहीं फसल को नष्ट करने वाले **कीटों पर इनका नगण्य प्रभाव पड़ता** है।
- **इस स्टडी के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **गंध-आधारित संचार में व्यवधान:** कीटों के लिए गंध आधारित पथ वास्तव में वायुजनित रासायनिक संकेत होते हैं। कई जीव इन गंधों के आधार पर संचार करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वायु प्रदूषक गंध के इन निशानों को बदल देते हैं। इससे मधुमक्खियों और ततैयों

(Wasp) की फूलों, साथियों या शिकार का पता लगाने की क्षमता बाधित हो जाती है।

- **जैविक प्रभाव:** वायु प्रदूषण की वजह से आहार, विकास, बचाव और प्रजनन जैसे जैविक व्यवहारों में परिवर्तन आता है। वायु प्रदूषण की वजह से इन जीवों में **आहार ढूंढने की क्षमता सबसे अधिक प्रभावित** हुई है।
- **ओजोन सबसे हानिकारक प्रदूषक:** ओजोन के चलते लाभकारी कीटों के जीवन जीने की क्षमता लगभग 34% तक कम हो गई है। **नाइट्रोजन ऑक्साइड** का भी इन जीवों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **कम प्रदूषण के बावजूद नुकसान:** वायु प्रदूषण के निम्न स्तर पर भी कीटों के व्यवहार या क्षमता में परिवर्तन देखा गया है।

- **परागण और परागणकों (Pollination and pollinators) के बारे में**
  - परागण (**Pollination**) पौधों के प्रजनन का अनिवार्य हिस्सा है। एक फूल के नर परागकोश (Male anther) से मादा वर्तिकाग्र (Female stigma) पर पराग कणों स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है:
    - **स्व-परागण (Self-pollination):** यदि परागकण समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्व-परागण कहते हैं।
    - **पर-परागण (Cross-pollination):** जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्रॉस-परागण कहते हैं।
- परागणक (जैविक या अजैविक) वास्तव में **परागण के एजेंट या माध्यम होते हैं।** परागण निम्नलिखित तरीके से हो सकता है:
  - **अजैविक तरीके से:** हवा और पानी के द्वारा;
  - **जैविक तरीके से:** कीड़े (मधुमक्खियां, ततैया, भृंग, आदि), पक्षी और चमगादड़ आदि के द्वारा।

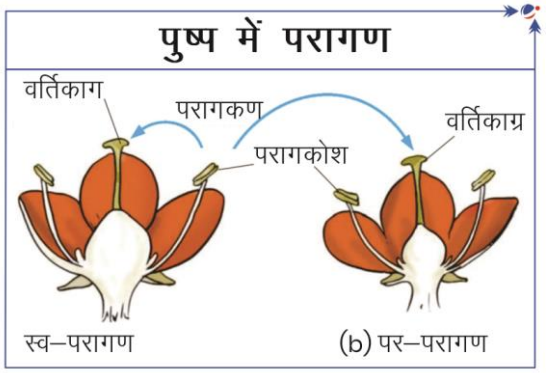

5.7.8. ग्लेशियल जियोइंजीनियरिंग पर श्वेत-पत्र (White Paper on Glacial Geoengineering)

वैज्ञानिकों के एक समूह ने ग्लेशियल जियोइंजीनियरिंग पर एक ऐतिहासिक श्वेत-पत्र जारी किया।

- ग्लेशियल जियोइंजीनियरिंग वास्तव में ग्लेशियर यानी हिमानी के आस-पास की **जलवायु प्रणाली में कृत्रिम संशोधन है।** यह संशोधन **आइस शेल्फ के पिघलने की गति को धीमा करने और समुद्री जल स्तर में वृद्धि को कम** करने के लिए किया जाता है।

प्रस्तावित 'ग्लेशियल जियोइंजीनियरिंग रणनीतियां'

- **महासागरीय ऊष्मा परिवहन उपाय:** इस रणनीति के तहत आइस शेल्फ के सामने समुद्र नितल (सीबेड) पर अवरोधक के रूप में **तलछट से युक्त पट्टी या रेशेदार आवरण** बनाया जाता है। यह अवरोधक **गर्म परिध्रुवीय गहरे जल को आइस शेल्फ के पास आने से रोकने** के लिए बनाया जाता है, ताकि आइस शेल्फ को गर्म जल के संपर्क में आने से रोका जा सके।
- **बेसल-हाइड्रोलॉजी उपाय:** यह रणनीति आइस-शीट्स से पिघले जल को ले जाने वाली धाराओं के प्रवाह को धीमा करने के लिए अपनाई जाती है।
  - इस उपाय के तहत ग्लेशियर नितल से होकर छिद्र बनाकर जल निकासी चैनल बनाए जाते हैं। ये चैनल्स पिघली हुई बर्फ के जल की धाराओं की दिशा बदल देते हैं और आइस शीट्स के नुकसान को कम कर देते हैं।

जियोइंजीनियरिंग के बारे में

- जियोइंजीनियरिंग **पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों में कृत्रिम रूप से और बड़े पैमाने पर संशोधन करने की प्रक्रिया** है। यह प्रक्रिया मानव की गतिविधियों से वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए अपनाई जाती है।
- **जियोइंजीनियरिंग की श्रेणियां:**
  - **सोलर जियोइंजीनियरिंग/ सौर विकिरण प्रबंधन (SRM):** इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाले विकिरण की मात्रा और वैश्विक औसत तापमान को कम करना है।
    - इसमें एरोसोल इंजेक्शन, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, एल्बिडो (यानी पृथ्वी से सौर विकिरण का परावर्तन) सुधार, ओशन मिरर जैसी तकनीकें अपनाई जाती हैं।
  - **कार्बन जियोइंजीनियरिंग/ कार्बन डाइऑक्साइड हटाना (CDR):** इसका उद्देश्य वायुमंडल से **कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)** को हटाकर वायुमंडल में इसकी मात्रा को कम करना है।
    - इसके लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, महासागरीय क्षारीयता में वृद्धि, महासागरीय जल की उर्वरता बढ़ाने जैसे उपाय किए जाते हैं।

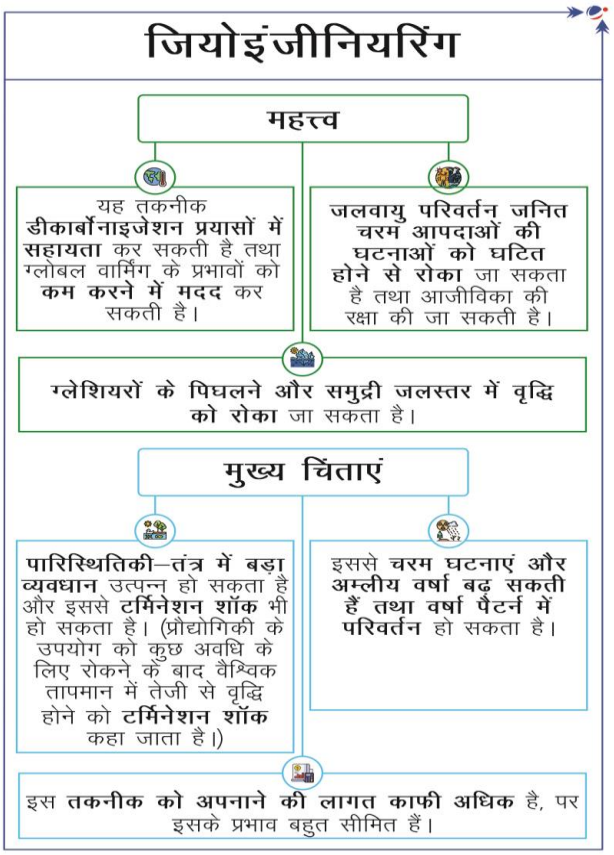

5.7.9. डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट (Dual Tower Solar Thermal Plant)

चीन ने विश्व के पहले **डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट (TPP)** का अनावरण किया है। यह **ऊर्जा दक्षता में 24% तक की बढ़ोतरी** कर सकता है।

डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट की विशेषताएं

- **सूर्य के प्रकाश की ट्रैकिंग:** इस **संयंत्र में दो 200 मीटर ऊंचे टावर** हैं। प्रत्येक टावर पर हजारों दर्पण लगे हुए हैं, जो स्वचालित रूप से **सूर्य की गति को ट्रैक** करते हैं और **94% परावर्तन दक्षता** प्राप्त करते हैं।
- **अतिरिक्त हीट का भंडारण:** संयंत्र में **मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज (Molten salt storage) का उपयोग थर्मल बैटरी** के रूप में किया जाता है। इससे यह रात में भी निरंतर बिजली उत्पादन के लिए दिन के समय एकत्रित की गई अतिरिक्त हीट को संग्रहीत कर सकता है।

5.7.10. रोजवुड पर CITES की रिपोर्ट (Cites Released Report on Rosewood)

CITES ने "CITES रोजवुड्स: द ग्लोबल पिक्चर" रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स (CITES)** में सूचीबद्ध शीशम (Rosewoods) प्रजाति की **विशेषताओं, पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका, पुनर्जनन दर और इनके समक्ष खतरों का विवरण** प्रस्तुत किया गया है।
- इस तरह की सूचनाओं से CITES के पक्षकार देशों को **उपलब्ध जानकारी के आधार पर "गैर-हानिकारक निष्कर्ष (Non-Detriment Findings: NDFs)"** निकालने में मदद मिलेगी।
    - **"गैर-हानिकारक निष्कर्ष"** CITES के तहत एक **अनिवार्य वैज्ञानिक विश्लेषण** है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि CITES के **परिशिष्ट I और II में सूचीबद्ध** प्रजातियों के नमूनों की निर्धारित मात्रा के **निर्यात से प्राकृतिक वनों में उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरा** नहीं है।

रोजवुड (शीशम) के बारे में:

- इसे **"पैलिसेंडर (Palisander)"** भी कहा जाता है। इसमें फैबेसी (लेगुमिनोस) फैमिली की कई प्रकार की **उष्णकटिबंधीय सख्त हार्डवुड्स** शामिल हैं।
    - **शीशम (रोजवुड) CITES के परिशिष्ट II** में शामिल है।
    - **डलबर्जिया लातिफोलिया** (मालाबार शीशम) और **डलबर्जिया सिस्सू** (शीशम) रोजवुड प्रजातियां **भारत** में पाई जाती हैं। ये दोनों **IUCN की लाल सूची** में क्रमशः **वल्नरेबल** और **लीस्ट कंसर्न** के रूप में सूचीबद्ध हैं।
    - **अफ्रीकी रोजवुड,** IUCN की लाल सूची में **एंडेंजर्ड श्रेणी** में सूचीबद्ध है। अफ्रीकी रोजवुड **पश्चिमी अफ्रीकी देशों की मूल यानी नैटिव प्रजाति** है।
- **मुख्य उपयोग:** रोजवुड का अधिकतर इस्तेमाल फर्नीचर और संगीत वाद्य-यंत्र बनाने में किया जाता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:**
    - **मृदा की उर्वरता बढ़ाने में:** डलबर्जिया प्रजाति की अपघटित हो रही पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन प्रचुर मात्रा प्राप्त होते हैं। ये अपघटित पत्तियां निम्नीकृत (डिग्रेडेड) मृदा की उर्वरता वापस लाने में मदद कर सकती हैं।
    - **नाइट्रोजन स्थिरीकरण में:** रोजवुड की कुछ प्रजातियों का मृदा के जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती हैं।

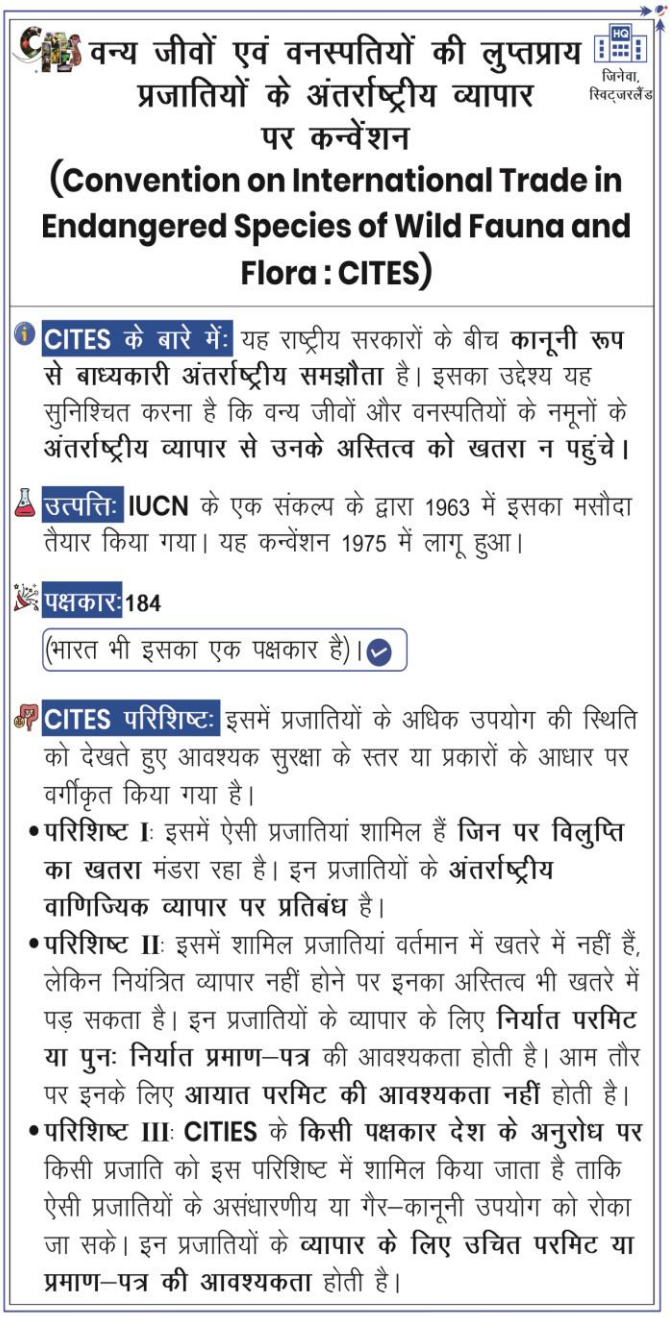

वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)

HQ जिनेवा, स्विट्जरलैंड

CITES के बारे में: यह राष्ट्रीय सरकारों के बीच **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे।**

उत्पत्ति: **IUCN** के एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा तैयार किया गया। यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ।

पक्षकार: **184**

(भारत भी इसका एक पक्षकार है)।

CITES परिशिष्ट: इसमें प्रजातियों के अधिक उपयोग की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा के स्तर या प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

- **परिशिष्ट I:** इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं **जिन पर विलुप्ति का खतरा** मंडरा रहा है। इन प्रजातियों के **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध** है।
- **परिशिष्ट II:** इसमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं हैं, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए **निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण–पत्र** की आवश्यकता होती है। आम तौर पर इनके लिए **आयात परमिट की आवश्यकता नहीं** होती है।
- **परिशिष्ट III: CITES** के **किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर** किसी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है ताकि ऐसी प्रजातियों के असंधारणीय या गैर–कानूनी उपयोग को रोका जा सके। इन प्रजातियों के **व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण–पत्र की आवश्यकता** होती है।

5.7.11. एक्विलारिया मैलाकेंसिस (अगरवुड) {Aquilaria Malaccensis (Agarwood)}

CITES ने **भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान** बना दिया है। इस कदम से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।

अगरवुड के बारे में:

- एक्विलारिया मैलाकेंसिस (अगरवुड) **पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान और दक्षिण-पूर्व एशिया** के कुछ हिस्सों का **स्थानिक सदाबहार** वृक्ष है। यह **काफी कीमती और सुगंधित** वृक्ष है।
- **आर्थिक उपयोगिता:** इस सुगंधित पादप के तेल और चिप्स, दोनों का बाजार में अत्यधिक मूल्य है।

संरक्षण:

- **IUCN स्थिति:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड;
- **CITES:** परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध;
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-IV में सूचीबद्ध।

5.7.12. मेगाफौना (Megafauna)

पुरातत्वविदों ने **आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शुतुरमुर्ग (ostrich) का विश्व का प्राचीनतम घोंसला** खोजा है। यह घोंसला 41,000 साल पुराना है। इसमें **शुतुरमुर्ग के कई अंडे** प्राप्त हुए हैं।

- यह घोंसला भारतीय उपमहाद्वीप में **मेगाफौना के विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी** प्रदान कर सकता है।

मेगाफौना के बारे में

- मेगाफौना शब्द का इस्तेमाल एक **निश्चित वजन सीमा (आमतौर पर 50 किलोग्राम) से ऊपर के जीवों** के लिए किया जाता है।
- मेगाफौना को उनके आहार के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है-
  - **मेगाहर्बिवोर्स-** पादपभक्षी;
  - **मेगाकार्निवोर्स-** मांसभक्षी; और
  - **मेगाओम्निवोर्स-** पादप और मांसभक्षी, दोनों।
- **प्लेइस्टोसिन युग** के अंत के बाद से मेगाफौना को मानवजनित दबाव के परिणामस्वरूप **काफी नुकसान** (खासकर मेगाहर्बिवोर्स और मेगाकार्निवोर्स को) हुआ था।
- कुछ विलुप्त मेगाफौनल प्रजातियों में **वूली मैमथ, सेब्र-टूथ्ड, जायंट स्लॉथ** आदि शामिल हैं।

5.7.13. जेरडॉन्स कोर्सर (Jerdon's Courser)

जेरडॉन्स कोर्सर को पिछले एक दशक से अधिक समय से नहीं देखा गया है।

जेरडॉन्स कोर्सर के बारे में

- यह **निशाचर पक्षी** है। यह **केवल पूर्वी घाट** में पाया जाता है।
- यह केवल **आंध्र प्रदेश** में पाया जाता है। यह विशेष रूप से **कडप्पा के श्रीलंकामलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य** में मिलता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - यह **वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (IDWH)** योजना के तहत शामिल है।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध है।
  - **IUCN स्थिति:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।

5.7.14. वोल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria)

एक नवीन अध्ययन के अनुसार, वोल्बाचिया बैक्टीरिया ने इनकार्सिया फोरमोसा नामक ततैया (wasps) में कुछ इस तरह परिवर्तन किया कि उसने नर को जन्म ही नहीं दिया। इससे नर की संख्या कम हो गई।

- ई. फोरमोसा ततैया, **फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले व्हाइटफ्लाइज कीट** की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है।

वोल्बाचिया बैक्टीरिया के बारे में:

- यह आमतौर पर नेमाटोड और आर्थ्रोपोड, खासकर कीड़ों में पाया जाता है।
- यह बैक्टीरिया **कीड़ों के अंडों में पाया** जाता है, परन्तु **यह उनके शुक्राणु में नहीं** पाया जाता है। यही कारण है कि **केवल मादाएं ही इस बैक्टीरिया को अपनी संतति तक पहुंचा** सकती हैं जबकि नर ऐसा करने में सक्षम नहीं है।
  - इसके परिणामस्वरूप, वोल्बाचिया अपने होस्ट कीड़ों में परिवर्तन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। इससे ये कीड़े नर की तुलना में अधिक मादा संततियों को जन्म देते हैं।
  - वोल्बाचिया का **ट्रा जीन** इस गुण को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **संभावित उपयोग:**
  - वोल्बाचिया को होस्ट करने वाले मच्छरों का उपयोग बीमारी फ़ैलाने वाली मच्छर प्रजातियों की संख्या को कम करने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए- **AE एजिप्टी मच्छर।**

5.7.15. सिंट्रिचिया कैनिनर्विस (Syntrichia Caninervis)

वैज्ञानिकों ने एक **रेगिस्तानी काई (Moss) 'सिंट्रिचिया कैनिनर्विस'** की खोज की है। यह काई **मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियों का सामना** करने में सक्षम है।

- **काई** टैक्सोनोमिक डिवीजन **ब्रायोफाइटा** में छोटे व गैर-संवहनी फूल रहित पादप हैं।
- काई आमतौर पर **आर्द्र-छायादार स्थानों** में पाई जाती है। यह खारे पानी को छोड़कर विश्व के लगभग सभी पारितंत्रों में पाई जाती है।

सिंट्रिचिया कैनिनर्विस के बारे में

- यह **अंटार्कटिका और मोजावे रेगिस्तान** सहित पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर स्थानों में पाई जाती है।
- यह **मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने हेतु पहली संभावित अग्रणी प्रजाति** हो सकती है।

5.7.16. अराकू कॉफी (Araku Coffee)

प्रधान मंत्री ने **'मन की बात' कार्यक्रम** में अराकू कॉफी का जिक्र किया है।

अराकू अरेबिका कॉफी के बारे में

- इसकी खेती **आंध्र प्रदेश और ओडिशा** के पहाड़ी इलाकों में की जाती है।
- **आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका कॉफी को 2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** दिया गया था।
- इसका नाम **पूर्वी घाट (आंध्र प्रदेश) में स्थित अराकू घाटी** से लिया गया है।
  - अराकू घाटी के **गर्म दिन और ठंडी रातें तथा लौह-समृद्ध मृदा** कॉफी के पौधे को धीरे-धीरे पकने देती है। इसी कारण अराकू कॉफी सुगंधित और बहुत स्वादिष्ट होती है।
- आदिवासी समुदायों द्वारा इसका उत्पादन **जैविक पद्धति** से किया जाता है। इस पद्धति के तहत **जैविक खाद, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन प्रथाएं** अपनाई जाती हैं।

5.7.17. उमलिंग ला दर्रा (Unming La Pass)

न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने उमलिंग ला दर्रे पर **100 किलोग्राम के मैक्स टेक ऑफ वेट (MTOW) मानव रहित हवाई वाहन (UAV) का सफलतापूर्वक** परीक्षण किया।

उमलिंग ला दर्रे के बारे में:

- यह **पूर्वी लद्दाख में लद्दाख पर्वत श्रृंखला के साथ-साथ 19,024 फीट की ऊंचाई** पर स्थित है।
- इसके अलावा, यह विश्व की **सबसे ऊंची मोटर यान परिवहन योग्य सड़क** होने के लिए भी प्रसिद्ध है।
  - यह सड़क **'प्रोजेक्ट हिमांक' के तहत सीमा सड़क संगठन (BRO)** ने बनाई थी।
- **सड़क का भू-सामरिक महत्त्व:** इसके निर्माण से **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।
  - इसके अलावा, **चिसुम-डेमचोक सेक्टर में लेह तक स्थानीय कनेक्टिविटी** में सुधार हुआ है और लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है।
- **लद्दाख में अन्य महत्वपूर्ण दर्रे:** खारदुंग ला, चांग ला, तांगलांग ला, आदि।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

©Vision IAS

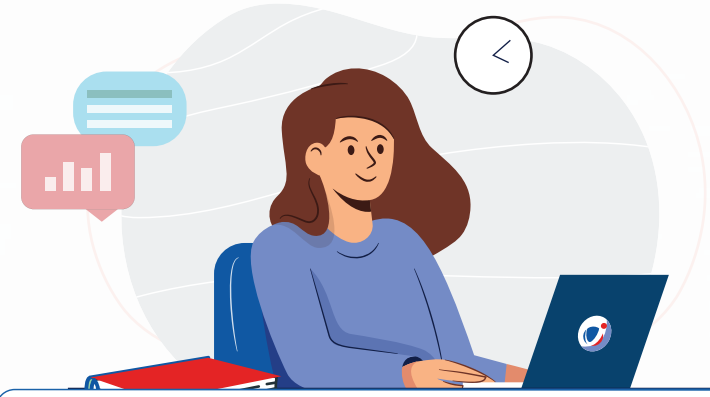

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. भारत में खेल इकोसिस्टम (India's Sports Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा जबकि इससे पहले आयोजित टोक्यो ओलंपिक (2020) में भारत 48वें स्थान पर था। इस तरह ओलंपिक पदक तालिका में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में **छह पदक** जीते हैं। इसमें **कोई स्वर्ण पदक शामिल नहीं** है। भारत ने एक रजत और पांच कांस्य पदक जीते हैं। हालांकि टोक्यो ओलंपिक (2020) में भारत ने सात पदक जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य पदक शामिल थे।
- पदक तालिका रैंकिंग में गिरावट के बावजूद, **पेरिस 2024 में भारत ने ओलंपिक में अब तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** किया। गौरतलब है कि रियो ओलंपिक (2016) में भारत ने केवल दो पदक जीते थे।
- **कॉमनवेल्थ गेम्स (2022) और समर डेफलंपिक्स (2021)** जैसे खेल आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है।
    - गौरतलब है कि हाल के वर्षों में देश में खेल इकोसिस्टम में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए जिसका असर कुछ अन्य खेल आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन से दिखता है। हालांकि पेरिस ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि भारत के खेल इकोसिस्टम में कई कमियां मौजूद हैं।

क्या आप जानते हैं?

> **भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है।** साथ ही, भारत ने **2036 तक विश्व के शीर्ष दस राष्ट्रों** में और **2047 तक शीर्ष पांच** में शामिल होने का **लक्ष्य** निर्धारित किया है।

भारत में खेल इकोसिस्टम

- **खेल राज्य सूची का विषय है।** इसलिए, देश में खेलों के प्रसार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों पर है। इसमें खेल सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है।
- हालांकि, **केंद्र सरकार** अपनी अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों के **पूरक के रूप में सहायता** प्रदान करती रहती है।
- खेल राजस्व उत्पन्न करते हैं और देश की **सॉफ्ट पावर** को बढ़ाते हैं। साथ ही, **खिलाड़ियों को स्वस्थ और सेहतमंद रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान** देते हैं।
    - इन लाभों के बावजूद, **भारत की केवल 6% आबादी ही खेलों में भाग लेती हैं**। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह अनुपात लगभग 20% है और जापान में तो यह 60% तक है।

भारत के खेल इकोसिस्टम की चुनौतियां

- **प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान में कमियां**: दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस ओलंपिक में केवल 117 एथलीटों को भेजा। वहीं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 594, फ्रांस के 572 और ऑस्ट्रेलिया के 460 एथलीट शामिल हुए थे।
    - यह **प्रारंभिक चरण में खेल प्रतिभा की पहचान करने की प्रक्रिया में कमियां और स्काउटिंग तंत्र** मजबूत नहीं होने के कारण है।
- **संसाधन की कमी:** भारत का खेल बजट संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन जैसे देशों की तुलना में कम है। आवंटित फंड का कम उपयोग भी बड़ी समस्या है।
    - उदाहरण के लिए- मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **खेलो इंडिया योजना** के लिए 2019-20 में **आवंटित 500 करोड़ रुपये में से केवल 318 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।**
- **अवसंरचना की कमी:** खेल अवसंरचना की कमी है, विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों तथा बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में।
    - अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली **अधिकांश खेल सुविधाएं** हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक जैसे **कुछ राज्यों में ही केंद्रित हैं।**

- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:** भारत की खेल गवर्नेंस प्रणाली पर राजनेताओं और नौकरशाहों का प्रभुत्व बना हुआ है। खेल गवर्नेंस प्रणाली पर अक्सर भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- जनवरी 2023 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली कई खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के तत्कालीन अध्यक्ष और महासंघ के कोचों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
- **एथलीटों के प्रबंधन में कमी:** उदाहरण के लिए- विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल के दिन 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत ने एक निश्चित रजत और संभावित स्वर्ण पदक को खो दिया।
    - इसी तरह, महिला पहलवान अंतिम पंघाल वजन कम करने के लिए 48 घंटे तक भूखे रहने के बाद थकावट के कारण मुकाबला में हार गई।
- **अन्य चुनौतियां:** खेल के अवसरों और दी जा रही सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता की कमी है, उत्कृष्ट श्रेणी के कोचिंग स्टाफ की कमी है, लैंगिक असमानताएं मौजूद है, निजी क्षेत्रक का सहयोग नहीं मिल पाता है, आदि।

भारत में खेल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **बजटीय सहायता:** केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 2014-15 से 2023-24 के बीच लगभग दोगुना हो गया है।
- **खेलो इंडिया कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम जमीनी स्तर और शीर्ष स्तर पर एथलीटों की पहचान करने और उनके विकास के लिए शुरू किया गया है।
- **खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति/KIRTI) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 9 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों को लक्षित करना है ।
- **खेल गतिविधियों को मुख्यधारा में लाना:** फिट इंडिया मूवमेंट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष योजना:** यह योजना **एथलीटों के एक ऐसे विकासात्मक समूह** को फंड देती है जो ओलंपिक खेलों में पदक की संभावित दावेदार होते हैं। कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस कोष में योगदान कर सकते हैं।
- **टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS):** भारत के शीर्ष एथलीटों को वित्त पोषण, विशेष उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, शीर्ष स्तरीय कोचिंग और मासिक भत्ता सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।
- **एक स्कूल-एक खेल नीति:** रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूलों के लिए यह पहल शुरू की है। इसके तहत संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहचाने गए कम से कम एक खेल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उभरते एथलीट की खेल क्षमता का अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है।

भारत में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **मानसिकता में बदलाव लाना:** माता-पिता को उन लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलते हैं। जैसे- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में वरीयता।
    - इसके अलावा, कॉर्पोरेट्स को अपने कर्मचारियों को सेहतमंद रखने के लिए खेल को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए।
- **खेल प्रतिभा पूल को बढ़ाना**
    - **युवा प्रतिभा को बढ़ावा देना:** स्कूलों और **समुदाय-आधारित खेल कार्यक्रमों में अधिक टूर्नामेंट आयोजित करने, पोषण सहायता प्रदान करने और** खेलों में आने वाले **सामाजिक अवरोधों और लैंगिक असमानता को दूर करने पर बल** देना चाहिए।
        - **केरल सरकार** की **'एक पंचायत, एक खेल का मैदान'** पहल एक ऐसा मानक है जिसे राज्यों में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सकता है।
    - **एक राज्य-एक खेल नीति:** खेलों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और खेल अभिरुचि पैदा करने के लिए क्षेत्र-विशेष के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
        - राजस्थान सरकार ने **'ग्रामीण ओलंपिक'** जैसे स्थानीय खेल मेगा इवेंट आयोजित किया है। ऐसे इवेंट को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **खेल महासंघों की गवर्नेंस संरचना में सुधार:** शीर्ष पदों पर स्वतंत्र भर्ती की प्रक्रिया अपनानी चाहिए तथा खेल महासंघों के कार्यों और नीति निर्माण, दोनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **खेल क्षेत्र के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग:** चूंकि भारतीय कंपनियां अपना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)[67] फंड मुख्यतः गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के जरिए व्यय करना पसंद करती हैं। इसलिए पूरे देश में खेलों में विशेषज्ञता प्राप्त NGOs के गठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

[67] Corporate social responsibility

- **कई खेलों का समर्थन करना:** भारतीय कॉरपोरेट और उद्यमी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इससे इन खेलों का लगातार प्रसार सुनिश्चित होता है
    - **बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए IPL जैसी लीग को प्रायोजित करके** प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, टीमों के स्वामित्व और खेल सुविधाओं के निर्माण में भी इनकी मदद ली जा सकती है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** पोषण विशेषज्ञों और एथलीटों के सहायक स्टाफ के लिए प्रदर्शन मापदंड लागू करना और अंतिम क्षण में गलत प्रबंधन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।

ओलंपिक खेलों के बारे में

- **उत्पत्ति:** आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत **1896 में एथेंस (ग्रीस)** में हुई थी। इसमें 14 देशों ने नौ खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। तब से, ओलंपिक खेलों का **हर 4 साल पर आयोजन किया जाता रहा है।**
- **आदर्श वाक्य (मोटो):** ओलंपिक खेलों का मोटो **'फास्टर-हायर-स्ट्रॉन्गर'** है। यह वाक्य एथलेटिक, तकनीकी, नैतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से ओलंपिक खेल आंदोलन के उद्देश्य को दर्शाता है।
- **ओलंपिक ध्वज:** इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। **इस ध्वज में पांच इंटरलॉकिंग रिंग (छल्ले) हैं। ये रिंग/ छल्ले 'दुनिया के पांच महाद्वीपों' के प्रतीक हैं,** जो **ओलंपिक आंदोलन के क्षेत्र** हैं।
- **ओलंपिक मशाल:** यह अग्नि के सकारात्मक मूल्यों का प्रतीक है। ओलंपिक टॉर्च रिले के साथ यह मशाल खेलों के आयोजन करने वाले देश की यात्रा करती है। यह रिले खेलों की शुरुआत से कुछ महीने पहले शुरू होती है।
- **पेरिस 2024:** इसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए थे; ब्रेकिंग (ओलंपिक में पहली बार), स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग।
- **कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS):** इसे **1983 में स्थापित** किया गया था। इसका मुख्य कार्य **एथलीट्स के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं से निपटना** है।
    - इसे **पेरिस कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त** है। इस कन्वेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी (**IOC**) के अध्यक्षों और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और ओलंपिक

- भारत ने **1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक** खेलों में पहली बार भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व **एंग्लो-इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड** ने किया था।
- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का गठन 1927 में किया गया** था और उसी वर्ष इसे IOC से **मान्यता** प्राप्त हुई थी। इसके प्रथम **अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा** थे।
    - IOA **राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समन्वय करता है** ताकि **टीमों को ओलंपिक** और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों **के लिए भेजा जा सके।**

6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.2.1. भारत में टीकाकरण (Immunisation in India)

"WHO/ UNICEF- राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज (WUENIC) 2023 के अनुमान" जारी किए गए

WUENIC 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक अनुमान**
  - 2023 में बाल टीकाकरण कवरेज में रुकावट आई थी। इसकी वजह से लगभग **2.7 मिलियन (27 लाख) बच्चों को या तो कोई भी टीका नहीं लगाया गया था या सभी टीके नहीं** लगाए गए थे।
  - बिना टीकाकरण वाले **50% से अधिक बच्चे संघर्ष से प्रभावित 31 देशों** में रहते हैं।
- **भारत में टीकाकरण की स्थिति**:
  - 2023 में, **1.6 मिलियन बच्चे डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस (यानी DPT) तथा खसरे के टीके से वंचित** रह गए थे।
  - भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में **सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण को शामिल नहीं** किया गया है। गौरतलब है कि भारत की महिलाओं में **सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर** है। भारत में महिलाओं में कैंसर के **18% नए मामले सर्वाइकल कैंसर** के होते हैं।
    - वैसे, अंतरिम बजट 2024-25 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए **9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम** की घोषणा की गई हैं।
  - भारत में **2 मिलियन बच्चे जीरो डोज चिल्ड्रन** हैं।
    - जीरो डोज चिल्ड्रन वे बच्चे हैं, जो नियमित टीकाकरण से किसी न किसी वजह से वंचित रह जाते हैं।

भारत में टीकाकरण

- भारत में **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) 1985** से चलाया जा रहा है।
- **2014 में मिशन इंद्रधनुष** शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से पूर्ण वंचित और आंशिक टीकाकरण वाले सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण** करना है।
  - इस मिशन के तहत अब तक **5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका** लगाया जा चुका है।
- **2023 में इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0** शुरू किया गया था। यह एक **कैच-अप टीकाकरण** अभियान है। इसका उद्देश्य **टीकाकरण से वंचित 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण** करना है।
  - इस कार्यक्रम के तहत **12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके** लगाए जाते हैं। **ये 12 बीमारियां हैं-** डिप्थीरिया, काली खांसी (पर्टुसिस), टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस-B, मेनिन्जाइटिस, निमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE), रोटावायरस, डायरिया तथा खसरा-रूबेला (MR)।

6.2.2. WHO तंबाकू उपयोग समाप्ति दिशा-निर्देश (WHO Tobacco Cessation Guideline)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वयस्कों में **तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए अपना पहला नैदानिक उपचार दिशा-निर्देश** जारी किया है।

- इससे उन **750 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ताओं को मदद मिलने** की उम्मीद है, जो सभी प्रकार के **तंबाकू उत्पादों** को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें मुश्किल लगता है।
- **विश्व के 1.25 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से 60 प्रतिशत से अधिक लोग (750 मिलियन)** इसका सेवन छोड़ना चाहते हैं, फिर भी 70 प्रतिशत के पास तंबाकू की लत छोड़ने से जुड़ी प्रभावी सेवाओं तक पहुंच नहीं है।
  - **कारण:** अदक्ष स्वास्थ्य प्रणालियां, संसाधनों की कमी आदि।
- नैदानिक उपचार में **दवा और व्यवहार संबंधी उपायों** को शामिल किया गया है।

6.2.3. खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (State of Food Security and Nutrition)

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2024" जारी की गई।

- यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र की पांच विशेष एजेंसियों** ने तैयार की है। ये एजेंसियां हैं- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।**
- इस रिपोर्ट की थीम **"भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त-पोषण"** पर केंद्रित है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्त-पोषण को मापने की नई परिभाषा एवं पद्धति की आवश्यकता क्यों हैं?

- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले **वित्तीय संसाधनों पर स्थिति स्पष्ट नहीं** है।
- वित्त-पोषण को मापने की कई परिभाषाएं मौजूद हैं। इसके चलते कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे- **कई क्षेत्र वित्त-पोषण से वंचित रह जाते हैं या उन्हें कम वित्त-पोषण प्राप्त होता है; संस्थानों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है और प्रगति पर नजर रखने में समस्या** आती है।

इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए **वित्त-पोषण की एक नई परिभाषा** दी गई है।

- इसमें **सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के उपयोग को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने वाले वित्त-पोषण** के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इन संसाधनों में **घरेलू और विदेशी, दोनों स्रोतों से प्राप्त** वित्तीय संसाधनों को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य **पौष्टिक एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उस तक पहुंच, उपयोग और निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य जोखिमों को सहने की **कृषि खाद्य प्रणालियों की क्षमता को मजबूत** करना भी है।

वित्त-पोषण में वर्तमान कमी

- **कृषि पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय बहुत कम** है। निम्न आय वाले देशों (LIC) और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों (LMIC) में प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि भी नहीं हो रही है।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण पर **आधिकारिक विकास सहायता और अन्य सरकारी व्यय का एक चौथाई से भी कम हिस्सा व्यय** किया जाता है। साथ ही, दानी उद्योगपतियों या संस्थाओं की **प्राथमिकता में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए दान करना शामिल नहीं** है।

6.2.4. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते (Operation Nanhe Farishtey)

रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 7 वर्षों में 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत **84,119 बच्चों को बचाया है।**

'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के बारे में

- यह देश के सभी भारतीय रेलवे ज़ोन्स में **देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के प्रति समर्पित एक मिशन** है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024
प्रारंभ: 28 जून | दोपहर 1 बजे
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें {Genetically Modified (GM) Crops}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों फसलों के एनवायर्नमेंटल रिलीज़ की मंजूरी के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दो न्यायाधीशों की पीठ का विभाजित फैसला:**
  - **एक न्यायाधीश ने** माना कि 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा दी गई मंजूरी "दोषपूर्ण" और सार्वजनिक हित के सिद्धांत के विपरीत है।
    - न्यायाधीश ने कहा कि **FSSAI ने** GM सरसों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया है।
  - **दूसरे न्यायाधीश ने** माना कि दी गई मंजूरी में कोई खामी नहीं है। न्यायाधीश ने केंद्र सरकार द्वारा सख्त निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं।
- **न्यायालय द्वारा पारित निर्देश:** केंद्र सरकार को GM फसलों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। इस नीति को राज्यों, किसान समूहों आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए।

बार्नेज़-बारस्टार प्रणाली:

- क्रॉस-परागण को सुगम बनाने के लिए, बार्नेज़ जीन युक्त मेल स्टेराइल (MS) लाइन्स को बारस्टार जीन युक्त फर्टिलिटी रेस्टोरर (RF) लाइन्स के साथ क्रॉस कराया जाता है।
- बार्नेज़ और बारस्टार लाइन्स में बार (Bar) जीन भी पाया जाता है, जो हर्बिसाइड फॉस्फिनोथ्रीसिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
- बर्नेज़-बारस्टार प्रणाली का उपयोग पहले ही कनाडा (1995), अमेरिका (2001), जापान (2001) और ऑस्ट्रेलिया (2002) में HT कैनोला (सिस्टर क्रॉप ऑफ मस्टर्ड) हाइब्रिड के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जा चुका है।

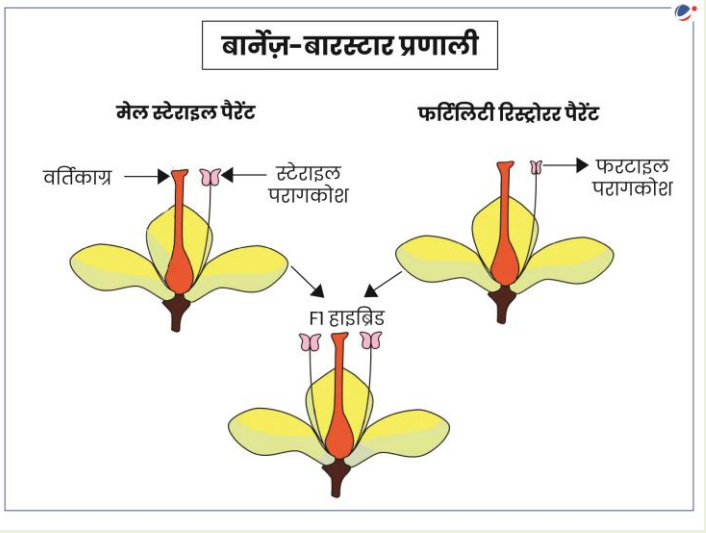

आनुवंशिक संशोधन (GM) क्या है?

- इसमें किसी **सजीव के DNA में परिवर्तन किया जाता है। यह कार्य DNA के किसी मौजूदा हिस्से में परिवर्तन करके** या एक नया जीन जोड़कर किया जा सकता है।
- **कार्यप्रणाली:** जब कोई वैज्ञानिक किसी पादप में आनुवंशिक संशोधन करता है, तो वह पादप के जीन में **एक बाहरी जीन डालता है। इस बाहरी जीन को ट्रांसजीन** कहा जाता है।
  - यह एक पादप से दूसरे पादप में, एक पादप से एक अन्य प्राणी में या एक सूक्ष्मजीव से एक अन्य पादप में स्थानांतरित किया जा सकता है।

GM सरसों फसल (DMH-11) के बारे में

- **DMH-11 को** सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा विकसित किया गया है।
  - इससे **पहली GM खाद्य फसल** के व्यवसायीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  - हालांकि GM सरसों को अभी तक व्यावसायिक खेती के लिए **मंजूरी नहीं दी गई है।**
- **DMH-11** सरसों की दो किस्मों (**'वरुणा' और पूर्वी यूरोपीय 'अर्ली हीरा-2'**) के बीच **क्रॉसिंग** से प्राप्त हुआ है।

- **पारंपरिक प्रजनन** द्वारा ऐसा करना कठिन है, क्योंकि सरसों स्व-परागण करने वाली फसल है, अर्थात् नर भाग से पराग **उसी पौधे के मादा भाग को परागित और निषेचित करता है।**

- यह संकरण (क्रॉस) मृदा जीवाणु **बैसिलस एमाइलोलिकेफैसिएंस से बर्नेज़ और बारस्टार जीन को मिलाने के बाद किया गया है।**

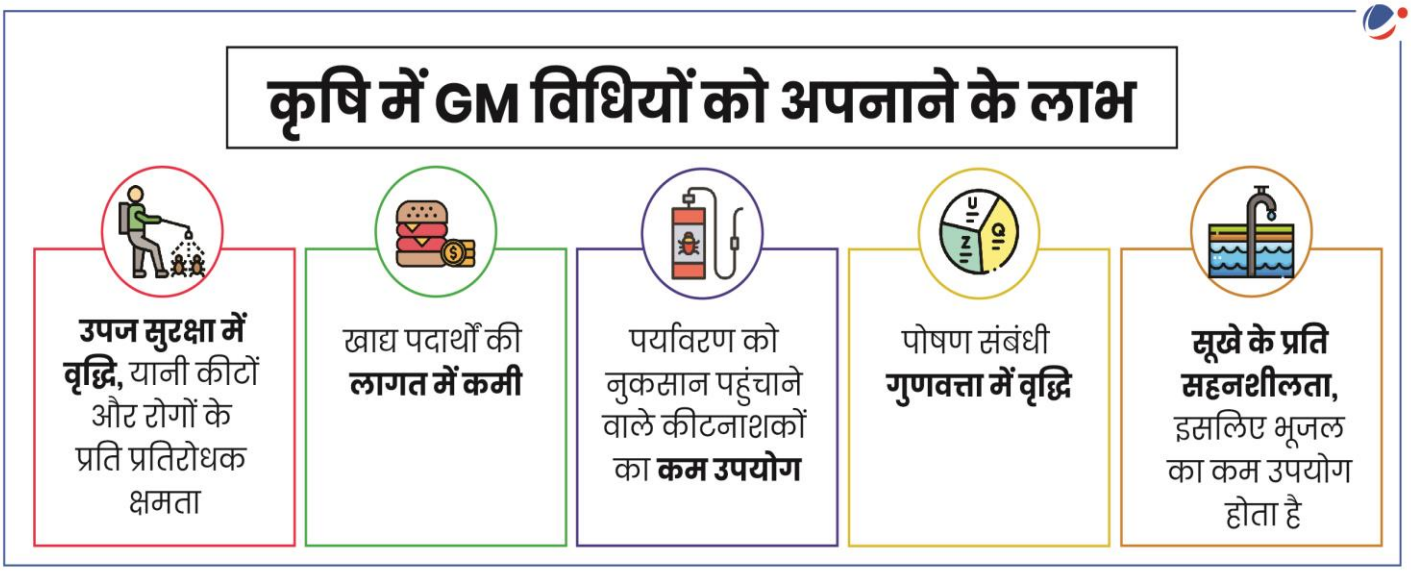

भारत में अन्य आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें

- **बी.टी.-कॉटन:** यह **पहली** गैर-खाद्य और व्यावसायिक खेती के लिए **2002 में स्वीकृत एकमात्र GM फसल है। इसे बॉलवर्म के व्यापक संक्रमण** से बचाने के लिए बनाया गया था। 2018-19 में, भारत में कुल कपास उत्पादक क्षेत्र के **95% हिस्से में** बी.टी.-कॉटन की खेती की गई।
- **बी.टी.-बैंगन:** 2009 में बी.टी.-बैंगन को व्यावसायिक खेती के लिए GEAC द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन **जन विरोध** के बाद तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC)[68] **द्वारा इस पर 10 साल के लिए रोक लगा दी गई थी।**
  - GEAC ने 2020-23 के दौरान **8 राज्यों में** स्वदेशी रूप से विकसित बी.टी.-बैंगन की **दो नई किस्मों (जनक और BSS-793)** के फील्ड ट्रायल की अनुमति दी है।

भारत में GM फसलों से संबंधित विनियामकीय फ्रेमवर्क

- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:** यह FSSAI की मंजूरी के बिना GM खाद्य के आयात, विनिर्माण, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
- **आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (Review Committee on Genetic Manipulation: RCGM):** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत, यह समिति GM सजीवों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करती है।
- **राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (State Biotechnology Coordination Committee: SBCC):** यह आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों (GMO) से निपटने वाले विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा और नियंत्रण संबंधी उपायों की समीक्षा करती है।
- **जिला स्तरीय समिति (DLC):** यह **SBCC या जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** को विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन या गैर-अनुपालन के संबंध में **निरीक्षण, जांच और रिपोर्ट करती है।**

[68] Technical Expert Committee

- **GM फसल अनुमोदन प्रक्रिया:** इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा संबंधी पहलुओं का गहन वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के बाद केस-टू-केस आधार पर दिया जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee: GEAC)

GEAC के बारे में: यह एक वैधानिक समिति है। इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए "खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण/ उपयोग/ आयात/ निर्यात और भंडारण के नियम 1989" के तहत किया गया है।

संबंधित मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC)

संरचना:

- **अध्यक्ष:** विशेष सचिव/ अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC)।
- **सह-अध्यक्ष:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि।

कार्य:

- **आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड (GE)** जीवों और उत्पादों के प्रायोगिक रूप से फिल्ड ट्रायल्स सहित पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करना।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में **खतरनाक सूक्ष्मजीवों और रिकॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों** का मूल्यांकन करना।

GM फसलों के बारे में चिंताएं

- **मानव स्वास्थ्य:** GM हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) फसलों की खेती मुख्य रूप से **ग्लाइफोसेट पर निर्भर करती** है, जिसे 1974 से USA में एक हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2015 में ग्लाइफोसेट को **"संभावित कैंसरकारी"** के रूप में वर्गीकृत किया था।
- **जैव-विविधता का ह्रास: बार जीन** की उपस्थिति GM सरसों के पौधों को ग्लूफोसिनेट अमोनियम के छिड़काव के प्रति हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बनाती है। ग्लूफोसिनेट अमोनियम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शाकनाशी है।
  - हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) जैसी विशेषता भारत में प्रचलित मिश्रित खेती के अवसर को प्रभावित कर सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह उस क्षेत्र की सभी वनस्पतियों को प्रभावित करेगा, जहां HT फसल की खेती की जाती है।
- **संदूषण: GM फसलों** का जीन वन्य और खरपतवार वाली फसलों, गैर-GM फसलों और खाद्य पदार्थों तथा जैविक खेती के लिए खतरा पैदा करता है।
  - **उदाहरण** के लिए- **कनाडा** में **GM कैनोला, सन, गेहूं और पिग्स के साथ** 'ट्रांसजीन के प्रसार' की घटनाएं हुई हैं।
- **मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं पर प्रभाव:** हर्बिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग किसी क्षेत्र की खरपतवार प्रजाति एवं आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है और इसके चलते पराग या मकरंद की उपलब्धता कम हो सकती है।
  - **उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका** में **मोनार्क तितली** की आबादी पर HT फसलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **कॉर्पोरेट नियंत्रण: सीड मार्केट** में कॉर्पोरेट जगत के अत्यधिक प्रभुत्व ने पहले ही किसानों के लिए उच्च कीमतों, सीमित विकल्पों जैसी चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

- **आय में हानि:** विभिन्न फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण फार्म-गेट कीमतों में भारी गिरावट आती है, **किसानों को बेहतर मूल्य हासिल करने में बाधा होती है** और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।
    - **बी.टी. कॉटन इसका** एक उदाहरण है जहां फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास: नई बीज किस्मों के अनुसंधान एवं विकास** में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, जो इस क्षेत्रक की संधारणीयता के लिए कम हानिकारक एवं अधिक रेजिलिएंट हो।
- **विनियामक स्वीकृति के लिए निम्नलिखित जानकारी का प्रसार करना:**
    - पादप का विवरण, उसकी बायोलॉजी और आनुवंशिक संशोधन।
    - संभावित **एलर्जेनसिटी और विषाक्तता का आकलन।**
    - नये प्रोटीन की उपस्थिति का विवरण।
- **'GM फसलों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव' पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**
    - केंद्र सरकार को राज्यों के परामर्श से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फील्ड ट्रायल की प्रक्रिया **नियंत्रित दशाओं में और कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से की जाए।**
    - GEAC का नेतृत्व **जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के** किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे वैज्ञानिक आंकड़ों और इसके निहितार्थ की समझ हो।
    - **बी.टी. कपास** की सफलता का बेहतर आकलन करने के लिए **व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए।**

7.2. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मानकों और विनियामकीय फ्रेमवर्क के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, अवसंरचना और संस्थागत समर्थन के वित्त-पोषण के लिए **योजना दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

जारी दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **बजटीय परिव्यय:** वित्त वर्ष 2025-26 तक 200 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य:** ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स की मूल्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के अंतर्गत कमियों की पहचान करना।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) योजना कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) होगी।
- **कार्यान्वयन पद्धति:**
    - SIA **परीक्षण सुविधाओं की** पहचान करेगी।
    - SIA परीक्षण सुविधाओं की **स्थापना** के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से **प्रस्ताव आमंत्रित करेगी (Call for proposals: CfP)।**
    - **परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee: PAC) द्वारा** प्रस्तावों का मूल्यांकन **किया जाएगा।**
    - **चयनित एजेंसियों को** मंजूरी देने के लिए PAC द्वारा MNRE को सिफारिश की जाएगी।
    - SIA द्वारा कार्यकारी एजेंसी (Executing Agency: EA) को **लेटर ऑफ अवार्ड** जारी किया जाएगा।
- **वित्त-पोषण और वित्त को जारी करना:** MNRE पूंजीगत लागत के 100% (सरकारी संस्थाओं के लिए) तक का वित्त-पोषण करेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH_2) क्या है?

- इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में सौर, पवन, हाइड्रो जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं (H2O) को हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित किया जाता है।

- GH2 का उत्पादन बायोमास से भी किया जा सकता है, जिसमें बायोमास का गैसीकरण करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- **GH2 के उपयोग:** फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEVs), विमानन और समुद्री क्षेत्रक, उद्योग {उर्वरक रिफाइनरी, इस्पात, परिवहन (सड़क, रेल)}, शिपिंग, बिजली उत्पादन।
- पूंजीगत लागत का 70% (गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए)।

हाइड्रोजन के प्रकार

रंग						
प्रकार	ब्लैक/ ब्राउन हाइड्रोजन	ग्रे हाइड्रोजन	ब्लू हाइड्रोजन	फ़िरोज़ा (Turquoise) हाइड्रोजन	पिंक हाइड्रोजन	ग्रीन हाइड्रोजन
प्रक्रिया	कोल गैसीफिकेशन	मीथेन रिफॉर्मेशन	CCUS के साथ मीथेन रिफॉर्मेशन और कोल गैसीफिकेशन	पायरोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस	इलेक्ट्रोलिसिस/ बायोमास/ गैसीफिकेशन
स्रोत	कोयला	प्राकृतिक गैस	जीवाश्म ईंधन	मीथेन	नाभिकीय ऊर्जा	नवीकरणीय ऊर्जा

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के बारे में

- **2023** में **₹19,744 करोड़** के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया।
- **अवधि:** चरण I (2022-23 से 2025-26) और चरण II (2026-27 से 2029-30)।
- **उद्देश्य:** ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को ग्लोबल हब बनाना।

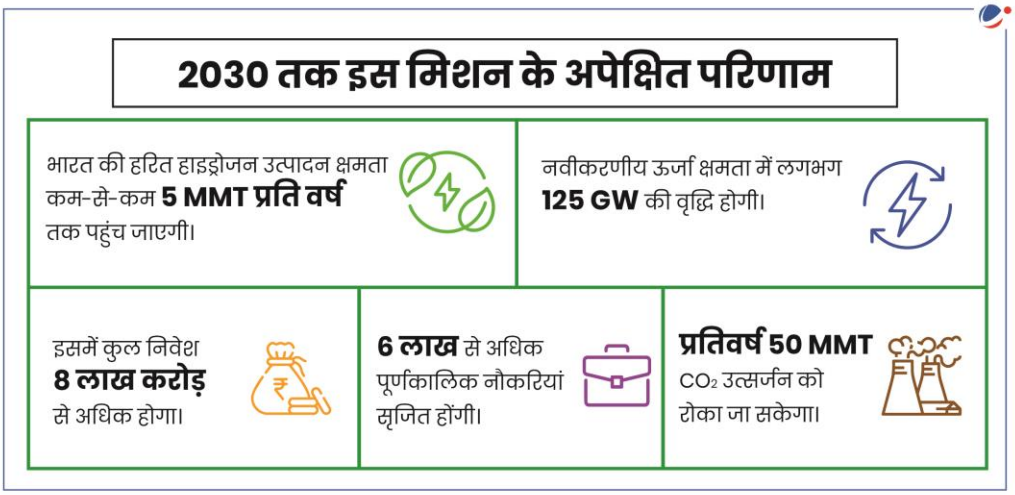

- **मुख्य घटक:**
  - निर्यात और घरेलू उपयोग के माध्यम से **मांग सृजन को सुगम बनाना।**
  - **स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) प्रोग्राम:** इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
  - इस्पात, मोबिलिटी, शिपिंग, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उपयोग, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए **पायलट परियोजनाओं** को संचालित करना।

- **ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास:** उदाहरण के लिए- इस संबंध में 3 पत्तनों की पहचान की गई है-
  - दीनदयाल (कांडला, गुजरात), पारादीप (ओडिशा) और V.O. चिदंबरनार (तूतीकोरिन, तमिलनाडु)।
  - विनियमों और मानकों का **एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना।**
  - **अनुसंधान एवं विकास** कार्यक्रम।

NGHM के तहत उठाए गए प्रारंभिक कदम

- **गेल लिमिटेड** ने इंदौर (मध्य प्रदेश) में सिटी गैस वितरण ग्रिड में हाइड्रोजन को मिश्रित करने वाली भारत की पहली परियोजना शुरू की है।
- **NTPC लिमिटेड ने NTPC सूरत (गुजरात)** में PNG नेटवर्क में **8%** तक ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करना शुरू कर दिया है।
- NTPC द्वारा **ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और लेह** में हाइड्रोजन आधारित फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) बसें चलाई जा रही हैं।
- **ऑयल इंडिया लिमिटेड** ने **60-किलोवाट** क्षमता वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस विकसित की है, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव और फ्यूल सेल का एक हाइब्रिड है।

ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के समक्ष चुनौतियां

- **आर्थिक रूप से व्यवहार्यता:** नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की वर्तमान लागत **4.10 डॉलर से 7 डॉलर प्रति किलोग्राम** है। यह ग्रे या ब्राउन हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभी भी बहुत अधिक है।
- **हाइड्रोजन भंडारण में कठिनाई:** हाइड्रोजन को गैस के रूप में भंडारित करने के लिए आमतौर पर **उच्च-दबाव वाले टैंकों (350-700 बार)** की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसे तरल रूप में भंडारित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन का क्वथनांक **-252.8 डिग्री सेल्सियस** होता है।
- **कौशल की कमी:** हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में, कार्यबल की मांग **लगभग 2.83 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयों से संबंधित डिजाइन और प्लानिंग, स्थापना, चालू करना आदि शामिल हैं।
- **संसाधनों की कमी:** ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन **जल के इलेक्ट्रोलाइज़ेशन द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 9 लीटर जल की** आवश्यकता हो सकती है (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार)।
- **कार्बन गहनता और सुरक्षा पर वैश्विक मानकों का अभाव:** ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा, परिवहन, भंडारण, सुरक्षा और उपयोग के नियम विभिन्न देशों में व्यापक रूप से भिन्न हैं।

आगे की राह

- **लागत कम करना: भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत को 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाना है।** इसके लिए कम लागत वाली अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइजर का स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और तकनीकी प्रगति का उपयोग किया जाएगा।
- **प्रोत्साहन:** नए क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की व्यवहार्यता अभी भी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए-** निर्यात बाजारों को लक्षित करते हुए ग्रीन इस्पात के लिए **उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।**
- **अनुसंधान एवं विकास:** भारत को 2030 तक व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और बायो-हाइड्रोजन जैसी वैकल्पिक विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए **अनुसंधान एवं विकास पर 1 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहिए।**
- **ग्रीन हाइड्रोजन मानकों और एक लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत: डिजिटल (AI/ ML से लैस) लेबलिंग** और ट्रेसिंग मेकैनिज्म सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजन शुरू किया जाना चाहिए।
  - BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) जैसी सार्वजनिक संस्थाएं इस प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं।
- **अंतर-मंत्रालयी अभिशासन संरचना का निर्माण: विश्व स्तर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के साथ** एक इंटरडिसिप्लिनरी **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)** बनाई जानी चाहिए, जो मिशन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक संसाधन प्रदान कर सके।

7.3. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **'व्हाइट पेपर: रिस्पांसिबल AI फॉर ऑल (RAI) ऑन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT)'** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पेपर **नीति आयोग के RAI सिद्धांतों** के तहत फर्स्ट यूज़ केस के रूप में FRT की जांच करता है। साथ ही, इसका लक्ष्य भारत में FRT के जिम्मेदार और सुरक्षित विकास एवं तैनाती के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करना भी है।

फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) के बारे में

- फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली है जो जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके **किसी व्यक्ति की पहचान या सत्यापन के लिए इमेज या वीडियो संबंधी डेटा का उपयोग** करती है।
- इसका उपयोग **दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए** किया जा सकता है:
  - **1:1 पहचान का सत्यापन:** इसमें चेहरे का नक्शा प्राप्त किया जाता है, ताकि डेटाबेस में व्यक्ति के फोटोग्राफ के साथ मिलान किया जा सके। **उदाहरण के लिए- फोन को अनलॉक करने के लिए 1.1 का उपयोग किया जाता है।**
  - **1:n व्यक्ति की पहचान:** इसमें फोटोग्राफ या वीडियो में व्यक्ति की पहचान करने के लिए पूरे डेटाबेस के साथ मिलान किया जाता है। **उदाहरण के लिए- बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग और सर्विलांस के लिए 1:n का उपयोग किया जाता है।**

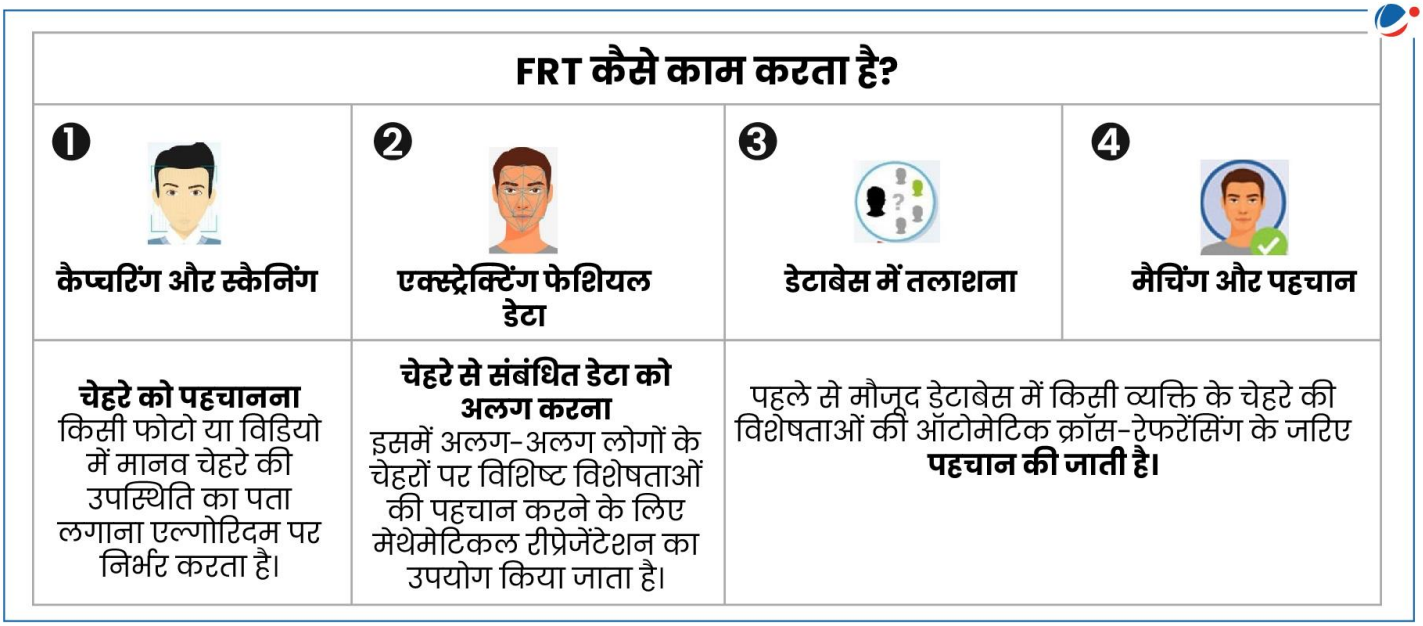

FRT के उपयोग और यूज-केस

- **सुरक्षा संबंधी उपयोग**
  - **कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में:**
    - संदिग्ध अपराधियों के साथ-साथ **संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने में। उदाहरण के लिए-** अपराधियों की रियल टाइम में पहचान के लिए **उत्तर प्रदेश का 'त्रिनेत्र'।**
    - **गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान: उदाहरण के लिए-** फोटो मिलान और गुमशुदा बच्चों की पहचान के लिए **तेलंगाना का 'दर्पण'।**
    - **मॉनिटरिंग और सर्विलांस: उदाहरण के लिए- चीन की स्काईनेट परियोजना।**

        - **आव्रजन और सीमा प्रबंधन:** उदाहरण के लिए- **कनाडा का 'फेसेस ऑन द मूव'** नकली पहचान का उपयोग करके देश में प्रवेश करने वाले लोगों को रोककर सीमा सुरक्षा को सक्षम करता है।
    - **भीड़ नियंत्रण:** उदाहरण के लिए- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला 2021 के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैन टिल्ट और ज़ूम सर्विलांस कैमरे का उपयोग किया गया।
- **गैर-सुरक्षा संबंधी उपयोग**
    - उत्पादों, सेवाओं और सार्वजनिक लाभों तक पहुंच के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके **व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन और प्रमाणीकरण करना। उदाहरण के लिए- फेशियल रिकग्निशन आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना।**
    - **सेवाओं तक पहुंच में आसानी: उदाहरण के लिए- डिजी यात्रा के माध्यम से हवाई अड्डों पर** संपर्क रहित ऑनबोर्डिंग।
    - **शैक्षणिक संस्थानों में यूनिक आई.डी. का उपयोग: उदाहरण के लिए-** शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच के लिए प्रमाणीकरण हेतु **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 'फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशनल'।**

FRT प्रणालियों से जुड़े जोखिम क्या हैं?

- **गलत पहचान: FRT प्रणालियां** निम्नलिखित खामियों के कारण गलत पहचान का कारण बन सकती हैं-
    - **ऑटोमेशन पूर्वाग्रह और डेटाबेस में कम प्रतिनिधित्व: यह त्वचा के रंग, जाति, जेंडर आदि** के आधार पर AI प्रणालियों में असमानताओं को जन्म दे सकता है।
    - जवाबदेही की कमी।
    - **तकनीकी कारक:** इसमें **आंतरिक कारक,** जैसे- **चेहरे के भाव, उम्र बढ़ना**, प्लास्टिक सर्जरी आदि और **बाह्य कारक,** जैसे- **रोशनी, फोटो की पोज में परिवर्तन**, अवरोधन या फोटो की गुणवत्ता शामिल हैं।
    - **गड़बड़ियां या व्यवधान**: FRT प्रणाली को मामूली बदलावों से प्रभावित किया जा सकता है जो मनुष्यों के लिए महत्वहीन होते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी को अप्रभावी बना सकते हैं।
    - **मानव ऑपरेटरों के प्रशिक्षण का अभाव**: FRT सिस्टम के आउटपुट को सत्यापित करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए मानव ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है।
- **जवाबदेही, कानूनी दायित्व और शिकायत निवारण के संबंध में चिंताएं:** इसमें FRT प्रणालियों के व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा से संबंधित कम्प्यूटेशनल एल्गोरिदम एवं सुरक्षा में जटिलता के कारण उत्पन्न चिंताएं शामिल हैं।
- **अधिकार-आधारित मुद्दे:** सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में **सूचनात्मक स्वायत्तता के अधिकार (right to informational autonomy)** को संविधान के **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत **निजता के अधिकार** के एक पहलू के रूप में मान्यता दी है। FRT सिस्टम इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं क्योंकि:
    - **उद्देश्य से भटकाव:** व्यक्तिगत डेटा, जैसे- बायोमेट्रिक फेशियल इमेज का उपयोग इसके तय उद्देश्य के विपरीत या अन्य कार्यों के लिए करना सूचनात्मक स्वायत्तता की अवधारणा के विरुद्ध है।
    - **डेटा लीक:** डेटा सुरक्षा संबंधी कमजोर संस्थागत पद्धतियां **डेटा उल्लंघन एवं व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच को संभव बना सकती है।**
    - **सार्थक सहमति का अभाव:** बिना पर्याप्त वैकल्पिक साधनों के सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक लाभों या अधिकारों तक पहुंच के लिए फेशियल रिकॉग्निशन को अनिवार्य बनाने से सार्थक सहमति का क्षरण होता है।
    - **निजी सुरक्षा उपयोग:** FRT का उपयोग करके संदिग्ध व्यक्तियों को चिह्नित करने के लिए निजी सुरक्षा फर्मों को प्रोत्साहित करने से **अत्यधिक और संभावित रूप से अनुचित निगरानी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।**

आगे की राह: FRT के जवाबदेह उपयोग के लिए नीति आयोग की सिफारिशें

- **निजता और सुरक्षा का सिद्धांत: पुट्टास्वामी मामले** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित **वैधता, तर्कसंगतता और आनुपातिकता** के **त्रि-आयामी परीक्षण को** पूरा करते हुए **डेटा सुरक्षा व्यवस्था** स्थापित करना।

- **उदाहरण के लिए- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023:** इसका उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना; व्यक्तियों के डेटा संरक्षण अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए इसे प्रोसेस करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करना है।

- **समग्र अभिशासन फ्रेमवर्क:** FRT प्रणाली के उपयोग से होने वाली किसी भी हानि/ क्षति के लिए देयता की सीमा निर्धारित करना चाहिए।
- **प्राइवेसी बाय डिजाइन (PBD) सिद्धांतों को अपनाना:** उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति जैसे सिद्धांतों को लागू करना, ताकि उनकी निजता सुनिश्चित की जा सके।
- **जवाबदेही के सिद्धांत: जनता का विश्वास हासिल करने** के लिए पारदर्शिता, एल्गोरिदम संबंधी जवाबदेही और AI पूर्वाग्रहों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
  - FRT से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए एक सुलभ **शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित करना।
- **सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना:** स्पष्टीकरण, पूर्वाग्रह और त्रुटियों से संबंधित FRT के मानकों का प्रकाशन करना।
- **सकारात्मक मानवीय मूल्यों के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत:** नैतिक निहितार्थों का आकलन करने और शमन संबंधी उपायों के पुनरीक्षण के लिए **नैतिकता समिति** का गठन करना।

7.4. भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम (India's Ballistic Missile Defence Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के दूसरे चरण (फेज-II) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण (Flight-test) किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **फेज-II एयर डिफेंस (AD) एंडो-एटमोस्फियरिक मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से लॉन्च किया गया** था। परीक्षण के दौरान लक्षित मिसाइल को एक दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के प्रारूप के तौर पर प्रक्षेपित किया गया था। भूमि व समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली के रडारों द्वारा इस टारगेट का पता लगा लिया गया था।
- फेज-II एयर डिफेंस (AD) एंडो-एटमोस्फियरिक मिसाइल एक **स्वदेशी रूप से विकसित 2-चरण वाली सॉलिड-प्रोपेल्ड जमीन से प्रक्षेपित होने वाली मिसाइल प्रणाली है।**
  - इसका उद्देश्य एंडो से लो एक्सो-एटमोस्फियरिक क्षेत्रों में दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना है।
- इस परीक्षण से **5000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की** भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के बारे में

- BMD प्रणालियां ड्रोन, लड़ाकू जेट और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों जैसे **हवाई हमलों से बचाव के लिए** इंटरसेप्टर लांच करती हैं, जो आने वाली मिसाइलों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देती हैं।
- विश्व की अन्य महत्वपूर्ण मिसाइल रक्षा प्रणालियों **में THAAD (अमेरिका), आयरन डोम (इजराइल), पैट्रियट (अमेरिका) आदि शामिल हैं।**

भारत के BMD कार्यक्रम का विकास

- भारत के BMD कार्यक्रम को **साल 2000 में** चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों और उप-महाद्वीप के **न्यूक्लियराइजेशन के चलते मंजूरी दी गई थी।**
- इसके विकास का कार्य दो चरणों में हुआ:
  - **चरण-I: शत्रु देशों की 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को** रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया।
    - इसमें 3 घटक शामिल हैं- **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD), आश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD)** और **स्वॉर्डफिश रडार** (BMD प्रणाली के लिए विकसित लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार)।
    - चरण 1 का **सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है** और इसे **तैनात भी किया गया है।**
  - **चरण-II:** शत्रु देशों के 5,000 किलोमीटर की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया।
    - इसमें दो मिसाइलें, **AD-1 और AD-2 शामिल हैं।**

- **AD-1** एक **लंबी दूरी की** इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ विमानों को भी लो एक्सो-एटमोस्फियरिक और एंडो-एटमोस्फियरिक क्षेत्र में रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **AD-2 मिसाइल का उद्देश्य 3000-5500 कि.मी.** की **मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्यों को रोकना** है।

क्रूज मिसाइल

- यह अपनी पूरी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान भरते रहने के लिए **जेट इंजन से संचालित** होती है।
- **अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है** और तेजी से दिशा बदलने में सक्षम होती है।
- **आम तौर पर इसकी रेंज कम होती है,** लेकिन यह टारगेट के ऊपर चक्कर लगा सकती है या आसानी से रास्ता बदल सकती है।
- यह नेविगेशन के लिए अक्सर **GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और भूदृश्य के मानचित्र का संयुक्त रूप से उपयोग** करती है।
- यह आमतौर पर **छोटे व एकल हथियार (पारंपरिक या परमाणु हथियार)** ले जाने में सक्षम होती है।
- **इसका पता लगाना मुश्किल होता है,** लेकिन एक बार पता लगाने के बाद इसे रोकना या इंटरसेप्ट करना आसान है।
- उदाहरण के लिए- **ब्रह्मोस मिसाइल।**

बैलिस्टिक मिसाइल

- **इसका आरंभिक चरण बूस्ट के लिए रॉकेट द्वारा संचालित होता है,** उसके बाद पूरी उड़ान में कोई बूस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह **एक चाप नुमा बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है।** इस प्रक्षेप पथ में यह पहले वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ती है फिर नीचे की और गति करते हुए लक्ष्य पर हमला करती है।
- आमतौर पर इसकी **रेंज अधिक होती है** और उच्चतम गति भी अधिक होती है।
- यह **मुख्य रूप से इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम** और कभी-कभी GPS पर निर्भर करती है।
- यह कई हथियारों सहित **बड़े पेलोड** ले जा सकती है।
- **प्रारंभिक चरण में पता लगाना आसान होता है,** लेकिन आगे के चरण में इसकी गति के कारण इसे रोकना या इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है।
- उदाहरण के लिए- **पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें।**

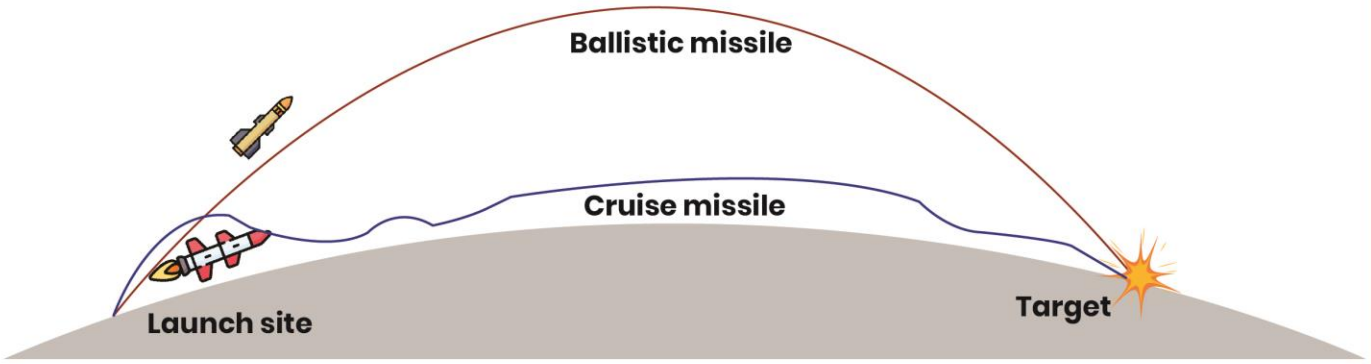

BMD कार्यक्रम का महत्त्व

- **सामरिक: घरेलू BMD क्षमता भारत के रक्षा मामलों में सामरिक स्वायत्तता के लक्ष्य** के अनुरूप है। **साथ ही, यह भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेट-सिक्योरिटी प्रदाता** बनने के दृष्टिकोण को साकार करती है।
  - **उदाहरण के लिए-** रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण **S-400 एयर-डिफेंस मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी में देरी ने अनिवार्य रूप से सुरक्षा जरूरतों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने की समस्या की ओर इशारा किया है।**

- यह क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है, भारत की रक्षा क्षमताओं के बारे में विरोधियों की धारणाओं और संभावित रूप से उनके रणनीतिक अनुमानों को भी प्रभावित कर सकता है।

- **सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में** बदलते सुरक्षा परिवेश और **दो परमाणु राष्ट्रों से एक साथ उत्पन्न खतरों के** कारण BMD प्रणाली का विकास आवश्यक हो गया है।
  - एक प्रभावी BMD प्रणाली भारत को **परमाणु हथियारों के संबंध में 'नो फर्स्ट यूज' की नीति को कायम रखते हुए परमाणु दबाव को बेअसर करने में भी मदद करेगी।**
  - यह आकस्मिकताओं के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि **देशों द्वारा तर्कहीन कार्रवाई और दक्षिण एशिया में गैर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से बढ़ते खतरे के मद्देनजर।**
- **तकनीकी:** एक प्रभावी BMD प्रणाली अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, दूरसंचार और एयरोस्पेस जैसी ड्युअल यूज प्रौद्योगिकियों आदि में भी प्रगति ला सकती है।
- **कूटनीतिक:** यह अमेरिका, रूस आदि प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों और अप्रसार संबंधी वैश्विक प्रयासों में इसकी भूमिका को प्रभावित कर सकता है।

BMD प्रणालियों से संबंधित चुनौतियां/ चिंताएं

- **हथियारों की दौड़:** BMD **मौजूदा न्यूक्लियर ऑर्डर को बदल सकता है और रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।** यह BMD प्रणालियों को विफल करने और एक दूसरे पर श्रेष्ठता हासिल करने हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **लागत और संसाधन:** भारत में अनुसंधान, विकास, परीक्षण और तैनाती के लिए पर्याप्त धन जुटाना और संसाधन आवंटित करना हमेशा से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अभाव है।
- **अंतर-संचालन और विकास**: मौजूदा सैन्य अवसंरचना के साथ BMD क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए योजनाओं को सावधानीपूर्वक तैयार करने की आवश्यकता होती है, ताकि वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के दौरान सुचारू समन्वय एवं कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
  - **संभावित शत्रुओं की ओर से विकसित हो रही उन्नत और अप्रत्याशित मिसाइल क्षमताओं के अनुरूप** रक्षा क्षमताओं को भी विकसित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत के BMD क्षमताओं को विकसित और तैनात करने के प्रयासों के साथ-साथ **'प्रोजेक्ट कुशा'** जैसी परियोजनाएं भारत की निवारक क्षमता एवं संभावित खतरों से बचाव की क्षमता को काफी बढ़ा सकती हैं। इससे देश के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। 'प्रोजेक्ट कुशा' के उद्देश्य स्टील्थ फाइटर, विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, UAV जैसे हवाई खतरों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना है।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.5.1. ग्लोबल INDIAai समिट 2024 (Global INDIAai Summit 2024)

हाल ही में, भारत द्वारा आयोजित **'ग्लोबल इंडियाएआई (INDIAai) शिखर सम्मेलन, 2024'** संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)** के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए थे। ज्ञातव्य है कि **भारत 2024 में GPAI का अध्यक्ष** (लीड चेयर) है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम

- भारत ने **AI को लोकतांत्रिक बनाने** और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने पर बल दिया।
- **OECD-OCDE और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) द्वारा AI पर एक नई एकीकृत साझेदारी** की घोषणा की गई।
- GPAI के सदस्य **GPAI के भविष्य के विजन** के बारे में आम सहमति बनाने पर राजी हुए। इस कदम से **नई दिल्ली 2023 GPAI मंत्रिस्तरीय घोषणा को मान्यता** मिली।

7.5.2. क्वांटम गवर्नेंस (Quantum Governance)

हाल ही में, **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय** ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों को लेकर हमारी बढ़ती अपेक्षाओं के प्रति सचेत किया है।

- हालांकि, **क्वांटम प्रौद्योगिकियों में काफी क्षमताएं** (जैसे-क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर्स) हैं, इसके बावजूद **खासकर डिजिटल सुरक्षा में संभावित दोहरे उपयोग के कारण इसके दुरुपयोग का जोखिम** बना रहता है।
- इस संबंध में, कई शोधकर्ताओं ने क्वांटम गवर्नेंस के जरिए इसकी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और मानव जाति के लिए इसके लाभों का पता लगाने का आह्वान किया है।

क्वांटम गवर्नेंस के बारे में

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** उन पहले संगठनों में से एक था, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग गवर्नेंस पर पहली बार चर्चा की थी।
- इसके लिए 'क्वांटम गवर्नेंस' फ्रेमवर्क बनाया गया था। यह फ्रेमवर्क **पारदर्शिता, समावेशिता, पहुंच, गैर-हानिकारकता, समानता, जवाबदेही और सामान्य कल्याण** के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **महत्त्व:**
  - क्वांटम गवर्नेंस प्रौद्योगिकी में विश्वास कायम करके **जिम्मेदार क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में तेजी** ला सकता है।
  - डिजाइन और विकास चरणों के दौरान क्वांटम कंप्यूटिंग नैतिकता को ध्यान में रखकर **प्रारंभिक नैतिक विचार को प्रस्तुत** करता है।
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नैनोटेक, परमाणु आदि से संबंधित नैतिक सिद्धांतों को लागू करके** अन्य प्रौद्योगिकियों से सीखने के प्रयास में मदद करता है।
- **चुनौतियां:**
  - शोधकर्ता **मुक्त क्वांटम फ्रेमवर्क का समर्थन** करते हैं, जबकि राष्ट्रीय नीतियां क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं।
  - निजी क्षेत्रक का लाभ-कमाने का दृष्टिकोण जिम्मेदार व मुक्त क्वांटम विकास में बाधा बन सकता है।
  - वर्तमान में क्वांटम गवर्नेंस में **उत्तरदायी नवाचार नीतियों के प्रभाव के सीमित साक्ष्य मौजूद** हैं।

क्वांटम प्रौद्योगिकियों के बारे में

- क्वांटम प्रौद्योगिकी **क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित** है। यह प्रौद्योगिकी **20वीं सदी की शुरुआत में विकसित** हुई थी। क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य **क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करना है,** जो एटॉमिक और सब-एटॉमिक स्तर पर पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं।
- **उपयोग:** यह सुरक्षित संचार व बेहतर पूर्वानुमान के जरिए आपदा प्रबंधन, कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, क्रिप्टोग्राफी आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **भारत द्वारा की गई पहलें**
  - **राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन**, 2023 शुरू किया गया है;
  - देश में 21 क्वांटम हब और पूरे भारत में 4 क्वांटम रिसर्च पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

नोट: *भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में और अधिक जानने के लिए जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.4 देखें।*

7.5.3. स्नोब्लाइंड मैलवेयर (Snowblind Malware)

स्नोब्लाइंड' नामक एक नया **मैलवेयर एंड्रॉइड फोन को निशाना** बना रहा है।

स्नोब्लाइंड मैलवेयर के बारे में

- यह मैलवेयर किसी यूजर की बैंकिंग और अन्य संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस को निशाना बनाता है।
  - **मैलवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर,** कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल है जो जानबूझकर कंप्यूटर, किसी नेटवर्क या सर्वर को नुकसान पहुंचाता/ पहुंचाती है।
- आमतौर पर ओरिजिनल दिखाई देने वाले दुर्भावनापूर्ण ऐप को डाउनलोड करने के क्रम में डिवाइस इस वायरस की चपेट में आ जाता है।
- यह **एंड्रॉयड फोन में बदलाव** कर देता है, ताकि इसका पता नहीं चल पाए। फिर संवेदनशील जानकारी चुराने और ऐप को दूर से

नियंत्रित करने के लिए यह **एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का दुरुपयोग** करता है।

7.5.4. प्राकृतिक रूप से विद्यमान DNA एडिटिंग टूल (Naturally Existing DNA Editing Tool)

वैज्ञानिकों ने "ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म" नामक प्राकृतिक रूप से मौजूद DNA एडिटिंग टूल की खोज की है।

- **ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म (BRM) गतिमान जेनेटिक तत्वों (Mobile Genetic Elements) या "जंपिंग जीन"** पर आधारित होती है। ये जंपिंग जीन DNA के एक हिस्से से खुद को अलग करके दूसरे हिस्से में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार ये जीन किसी जीव के DNA अनुक्रम को बदल सकते हैं। ये जीन **सभी प्रकार के जीवधारियों** में मौजूद होते हैं।
- जंपिंग जीन DNA के ही खंड होते हैं। इनमें रीकॉम्बिनेज एंजाइम के साथ-साथ जीन के सिरों पर DNA के अतिरिक्त खंड होते हैं, जिसके चलते ये जीन DNA से जुड़ जाते हैं और DNA अनुक्रम मे कुछ बदलाव भी कर देते हैं।
- जीन एडिटिंग से किसी जीवित सजीव में **DNA अनुक्रम को जोड़कर या हटाकर उसके जेनेटिक मटेरियल में बादलाव** किया जाता है। इसका उद्देश्य **पादप/ प्राणी की कुछ विशेषताओं में सुधार करना या जेनेटिक रोग** को दूर करना होता है।

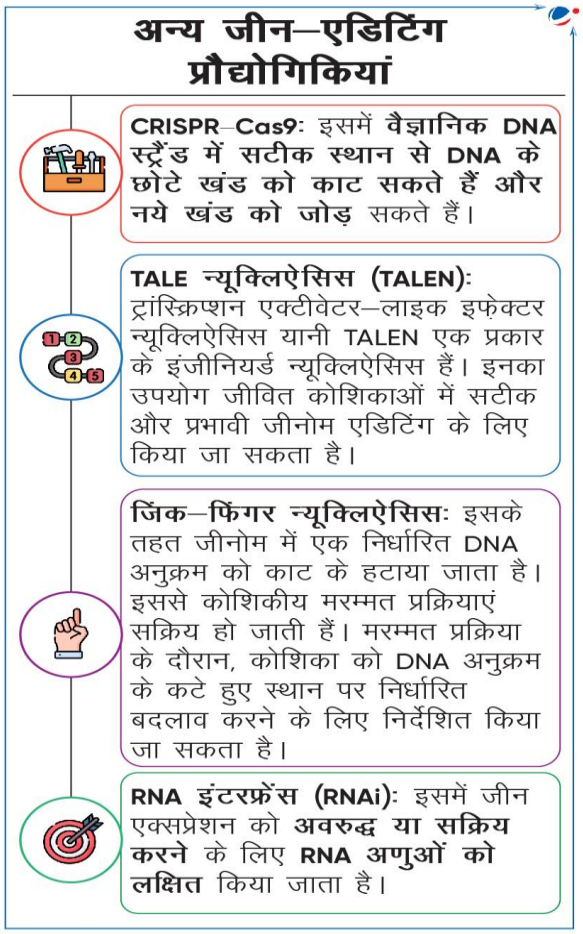

ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म के बारे में

- जंपिंग जीन के सिरों पर DNA के अतिरिक्त खंड होते हैं। ये अतिरिक्त खंड रीकॉम्बिनेज प्रक्रिया के दौरान एक साथ जुड़ सकते हैं। इससे DNA की संरचना में बदलाव हो सकता है। यह परिवर्तन अंततः डबल हेलिक्स वाले DNA को सिंगल-स्ट्रैंडेड RNA मोलेक्युल्स में परिवर्तित कर देता है।
- ये ब्रिज RNA मोलेक्युल्स स्वयं को DNA खंड में अपने मूल स्थान (डोनर/Donor) और DNA खंड में किसी नए स्थान (टारगेट/ Target) दोनों से जुड़ सकते हैं। इससे DNA में अपेक्षित बदलाव किए जा सकते हैं।
- इसमें डोनर और टारगेट लूप को अलग-अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे DNA में नए अनुक्रमों को जोड़ने या रिकम्बाइन करने में आसानी होती है।

ब्रिज रीकॉम्बिनेज मैकेनिज्म का महत्त्व

- यह शोधकर्ताओं को बहुत लंबे DNA अनुक्रमों पर जीन को पुनर्व्यवस्थित, रिकंबाइन, इन्वर्ट और स्थानांतरित करके अलग जीन एडिटिंग करने में सक्षम बनाता है।
- इससे **बीमारियों से लड़ने के लिए अधिक सटीक जीन एडिटिंग चिकित्सा और उपचारों का विकास** हो सकता है।

7.5.5. माइटोकॉन्ड्रियल रोग {Mitochondrial Disease (MITO)}

माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन नामक नई **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रक्रिया** माइटोकॉन्ड्रियल रोग के इलाज में सक्षम हो सकती है। वर्तमान में **ऑस्ट्रेलिया** में इस पर परीक्षण चल रहा है।

- **माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का पावरहाउस** है। यह कोशिकाओं के जीवन के लिए आवश्यक **90% ऊर्जा** का उत्पादन करता है।

माइटोकॉन्ड्रियल रोग (Mito) के बारे में

- यह **वंशानुगत चयापचय (मेटाबोलिक) रोग** है। यह रोग **DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन** के कारण होता है।
- यह **भोजन और ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलने की माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता** को बाधित करता है।
- **DNA के दो प्रकार होने की वजह से इस रोग के भी दो प्रकार होते हैं:**
  - **न्यूक्लियर DNA:** यह माता और पिता, दोनों से विरासत में मिलता है।
  - **माइटोकॉन्ड्रिया का DNA:** यह केवल माता से प्राप्त होता है।

7.5.6. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज (Monoclonal Antibodies)

भारत में निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का परीक्षण 2025 में शुरू होने की संभावना है।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में:

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (moAbs या mAbs), प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह कार्य करने वाले **प्रयोगशाला में बनाए गए प्रोटीन होते हैं।**
  - एंटीबॉडी **शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग होते हैं** जो एंटीजन (बाहरी तत्व) को ढूंढ कर उन्हें नष्ट कर देते हैं।
- **उपयोग:**
  - रोग के **निदान में** (जैसे, एलिसा),
  - **रोगों के उपचार में** (कैंसर, संक्रमण, ऑटोइम्यून विकार, आदि)
  - फ्लोरोसेंट टैग की मदद से रक्त/ ऊतक में **कोशिका प्रकारों का विश्लेषण करने में।**

7.5.7. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (Electro-encephalography: EEG)

वर्ष 2024, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) की खोज का शताब्दी वर्ष है।

EEG के बारे में

- यह एक **मेडिकल टेस्ट** है। इसके तहत **न्यूरॉन्स द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का मापन** किया जाता है।
- इसमें छोटी मेटल डिस्क्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें **इलेक्ट्रोड** कहा जाता है। ये डिस्क्स कपाल से जुड़ी होती हैं।
- मस्तिष्क कोशिकाएं विद्युत आवेगों के माध्यम से संचार करती हैं। यह गतिविधि EEG रिकॉर्डिंग पर तरंग जैसी रेखाओं के रूप में दिखाई देती है।
- **उपयोग:** मिर्गी, तंत्रिका संबंधी विकार या मस्तिष्क से संबंधित किसी अन्य ट्यूमर, क्षति आदि का पता लगाने में सहायक है।

7.5.8. आदित्य-L1 ने हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की (ADITYA-L1 Completes Its First Halo Orbit)

आदित्य-L1 2024 की शुरुआत में लैग्रेंजियन पॉइंट-1 की **हेलो ऑर्बिट में पहुंचा था।** आदित्य-L1 को **लैग्रेंजियन पॉइंट की हेलो कक्षा के** चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में **178 दिन** लगे हैं।

लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में

- दो पिंडो वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में, लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं, जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर रहकर ही परिक्रमा करता है। सरल शब्दों में, लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में वह स्थान है, जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस स्थान का उपयोग अंतरिक्ष यान या उपग्रहों को **दो बड़े पिंडों (सूर्य और पृथ्वी)** के मध्य न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है।
- दो पिंडो वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए **कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं,** जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया जाता है।

हेलो ओर्बिट्स क्या होते हैं?

- ये एक **निश्चित त्रि-आयामी ओर्बिट्स** होते हैं। इन ओर्बिट्स में **दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अंतरिक्ष यान या उपग्रह आदि पर लगने वाला केन्द्रापसारी बल लगभग बराबर** हो जाता है।
- हेलो ओर्बिट्स किसी भी **3 पिंडों वाली प्रणाली** में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, **पृथ्वी-चंद्रमा-अंतरिक्ष यान।**
- हेलो ओर्बिट्स मुख्यतः तीन लैग्रेंजियन पॉइंट्स (L1, L2, और L3) से संबंधित होते हैं।

आदित्य-L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने के लाभ

- इससे मिशन का जीवनकाल 5 वर्ष सुनिश्चित होगा;
- ऑब्जेक्ट को नियत कक्षा में बनाए रखने में ईंधन की खपत कम होगी;
- सूर्य का बिना किसी अवरोध के लगातार अवलोकन संभव होगा आदि।

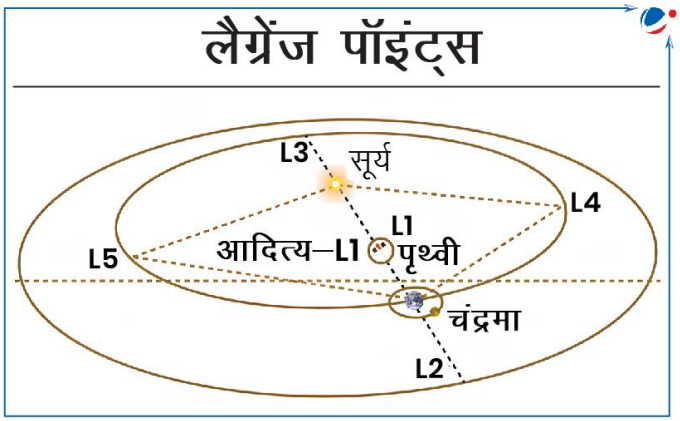

आदित्य-L1 मिशन (2023) के बारे में

- यह सूर्य का अध्ययन करने वाला **पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है।**
- **उद्देश्य:** सूर्य के **कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवनों, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CME)** का अध्ययन करना; सूर्य की चौबीसों घंटे तस्वीरें लेना आदि।
- **पेलोड:** यह अपने साथ 7 पेलोड्स (विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ: VELC; सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलिस्कोप: SUIT आदि) ले गया है।

नोट: *आदित्य L1 मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर, 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1 देखें।*

7.5.9. ग्रहीय रक्षा (Planetary Defence)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO/ इसरो) ने "ग्रह की रक्षा के वैश्विक प्रयास (Global Planetary Defense Efforts)" का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की।

- इस वर्ष **विश्व क्षुद्रग्रह दिवस (Asteroid Day) पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन** किया गया था। इस कार्यशाला में इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इसरो पृथ्वी ग्रह की रक्षा प्रयासों की तैयारी के लिए **एस्टेरॉयड अपोफिस का अध्ययन** करने का इच्छुक है। इसरो अध्यक्ष के अनुसार जब **2029 में अपोफिस पृथ्वी से 32,000 कि.मी. दूर होगा, तब इसरो उसका अध्ययन** करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य **क्षुद्रग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकना** है।

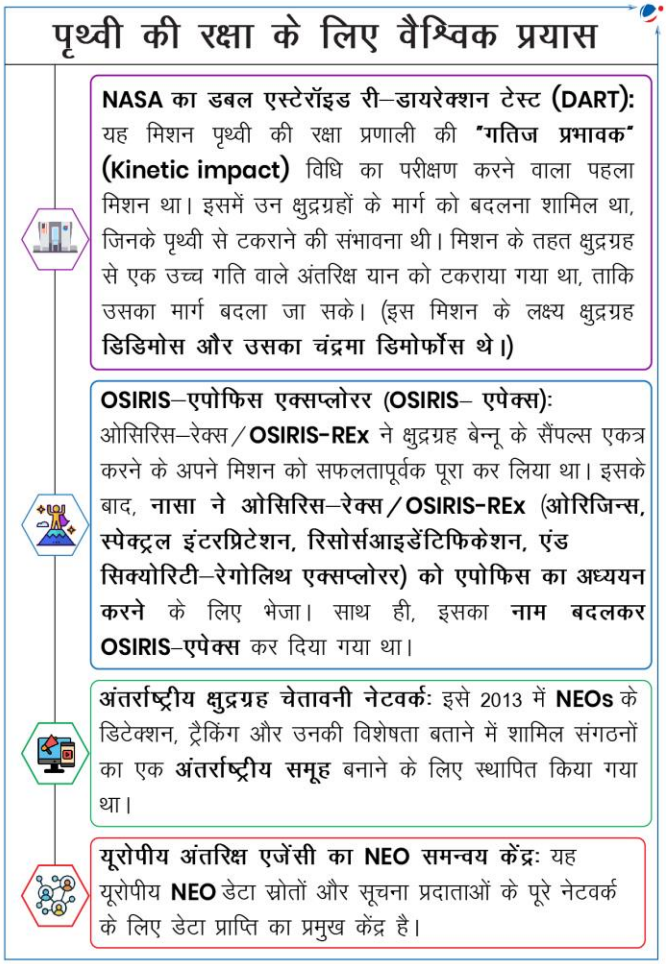

क्षुद्रग्रह अपोफिस के बारे में

- इसकी **खोज 2004** में की गई थी। यह एक **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (Near-Earth Object: NEO)** है। इसे पृथ्वी को प्रभावित करने वाले **सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों में से एक के रूप में पहचाना** गया है।
    - **सौर मंडल में अरबों धूमकेतु और क्षुद्रग्रह** हैं। इनमें से अधिकांश कभी पृथ्वी के पास नहीं आते हैं। जब कोई धूमकेतु या क्षुद्रग्रह की कक्षा उसे पृथ्वी के करीब लाती है, तो उसे **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत** किया जाता है।
- हालांकि, **मार्च 2021 में एक रडार अवलोकन अभियान** संचालित किया गया था। इसने **सटीक कक्षा विश्लेषण के साथ, खगोलविदों को यह निष्कर्ष निकालने** में मदद की थी कि **कम-से-कम एक सदी तक अपोफिस के हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने का कोई जोखिम नहीं है।**

ग्रहीय रक्षा (Planetary Defense)

- यह **क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के संभावित प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा** करने के उद्देश्य से किए गए **प्रयासों और रणनीतियों** को व्यक्त करता है।
    - इन प्रयासों व रणनीतियों में **डिटेक्शन, ट्रैकिंग, प्रभाव आकलन, मार्ग बदलने** सहित कई रणनीतियां शामिल हैं।
- **ग्रहीय रक्षा की आवश्यकता:** यदि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का मार्ग पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट करता है, तो उनके **आकार, गति, कोण और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान** हो सकता है। इससे **पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप और संभावित आगजनी से अरबों लोगों का जीवन खतरे में पड़** सकता है।

7.5.10. मार्स ओडिसी ऑर्बिटर (Mars Odyssey Orbiter)

हाल ही में, नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने **मंगल ग्रह पर स्थित सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स** की फोटो ली है।

मार्स ओडिसी के बारे में

- यह मिशन 2001 में लॉन्च किया गया था। यह **सबसे लंबी अवधि वाला लगातार सक्रिय ऑर्बिटल मिशन** है।
- यह पहला अंतरिक्ष यान है, जिसने **मंगल ग्रह की सतह का निर्माण करने वाले रासायनिक तत्वों और खनिजों** की प्राप्ति का मानचित्र बनाया है।
- **मार्स ओडिसी का उद्देश्य**
    - मंगल की उथली **उप-सतह में हाइड्रोजन की प्रचुरता** का पता लगाना।
    - मंगल की सतह पर प्राप्त खनिजों की **उच्च स्थानिक (Spatial) और वर्णक्रमीय (Spectral) रिज़ॉल्यूशन** वाली छवियां प्राप्त करना।
    - मंगल ग्रह के **नियर-स्पेस विकिरण वातावरण की विशेषताओं का पता** लगाना। इससे मंगल पर मानव को विकिरण से होने वाले खतरों का अनुमान लगाया जा सकता है।

7.5.11. लूनर केव (गुफा) (Lunar Cave)

शोधकर्ताओं को चंद्रमा पर एक भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है, जिस तक चंद्रमा की सतह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

- यह गुफा **सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी** नामक जगह पर मौजूद है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा की सतह पर एक **बड़ा व अंधकार युक्त बेसाल्टिक मैदान** है।
    - सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वह स्थल है, जहां चंद्रमा पर **मानव के पहले कदम** पड़े थे। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री **नील आर्मस्ट्रांग और एडविन 'बज' एल्ड्रिन** यहीं पर उतरे थे।

लूनर केव के बारे में

- माना जाता है कि **लूनर केव्स ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बने भूमिगत मार्ग हैं, जो चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों** से जुड़े हुए हैं।
- **इस खोज का महत्त्व:**
    - चंद्रमा और उसके ज्वालामुखियों के विकास में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी।
    - ये गुफाएं भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को सौर विकिरण, सूक्ष्म उल्कापिंड और अत्यधिक तापमान की स्थिति में आश्रय प्रदान कर सकती हैं।

7.5.12. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (Small Modular Reactors: SMRs)

बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि **केंद्र सरकार 'भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs)'** विकसित करने के लिए **निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी**।

- यह घोषणा **भारत की परमाणु नीति में ऐतिहासिक बदलाव** को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि **1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति नहीं** देता है।
- भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) **वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है अर्थात देश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)** पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
    - हालांकि, भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) से **अवधारणात्मक रूप से अलग** होंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स **कारखाने में निर्मित और आसानी से असेम्बल किए जाने वाले रिएक्टर्स से जुड़ी** एक पूरी तरह से नई अवधारणा है। इनके विपरीत, भारत स्मॉल रिएक्टर्स भारत की मौजूदा **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक** पर आधारित हैं।
    - BSRs भारत के ऊर्जा मिश्रण में **परमाणु ऊर्जा के योगदान को बढ़ा** सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में **परमाणु ऊर्जा का वर्तमान हिस्सा मात्र 1.6% है।**
- **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के बारे में**
    - ये **उन्नत परमाणु रिएक्टर** होते हैं। इनकी **प्रति यूनिट 300 मेगावाट (MW)(e) तक की विद्युत उत्पादन क्षमता** होती है।
    - वैश्विक स्तर पर **80 से अधिक SMR डिज़ाइन और कान्सेप्ट्स** हैं। उनमें से अधिकतर विकास के अलग-अलग चरणों में हैं।

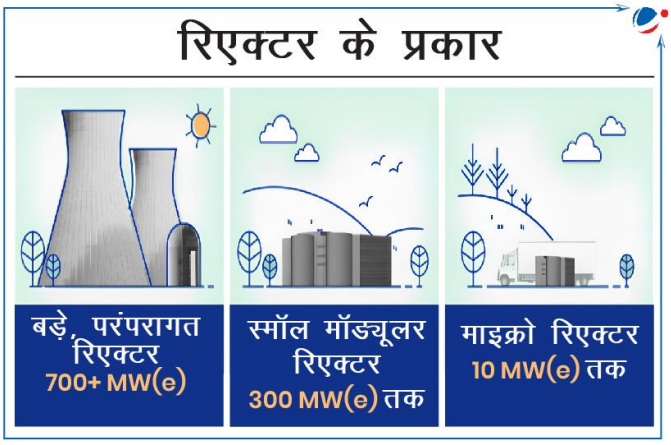

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का महत्त्व

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार इन रिएक्टर्स को ईंधन की कम आवश्यकता होती है। बार-बार रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं होती है अर्थात **प्रत्येक 3-7 साल में एक बार रिफ्यूलिंग** की जाती है। इनके विपरीत, **पारंपरिक रिएक्टर्स की 1-2 साल** में रिफ्यूलिंग की जाती है।
- **इन रिएक्टर्स का निर्माण जल्दी** हो जाता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि SMR की पूर्वनिर्मित यूनिट्स का **विनिर्माण कहीं ओर करके, उनकी शिपिंग की जा सकती है और उन्हें स्थापना स्थल पर इंस्टॉल** किया जा सकता है।
- ये पर्यावरण में **रेडियोधर्मी विकिरणों के असुरक्षित उत्सर्जन की संभावना को खत्म करते हैं या उसे काफी कम** कर देते हैं।

7.5.13. टोकामक फ्यूजन रिएक्टर (Tokamak Fusion Reactor)

चीन ने विश्व का पहला उच्च तापमान पर कार्यशील सुपरकंडक्टिंग टोकामक उपकरण 'HH70' बनाया है।

- इससे पहले, **यूरोपीय संघ और जापान ने जापान में विश्व का सबसे बड़े एवं सबसे उन्नत टोकामक फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA** शुरू किया था। साथ ही, **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के लिए संलयन (Fusion) संबंधी अनुसंधान** को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी।
    - **टोकामक** एक **नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मशीन** है, जिसका आकार **डोनट के समान टॉरॉयडल** है।
- **नाभिकीय संलयन (About Nuclear Fusion) के बारे में**
    - इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। इसमें **भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त** होती है।

- दूसरी ओर, **परमाणु विखंडन (Fission)** में ऊर्जा विमुक्त करने के लिए एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है।

- अधिकांश संलयन रिएक्टर **ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के मिश्रण का उपयोग** करते हैं। ये **हाइड्रोजन के परमाणु समस्थानिक** हैं, जिनमें **अतिरिक्त न्यूट्रॉन** होते हैं।

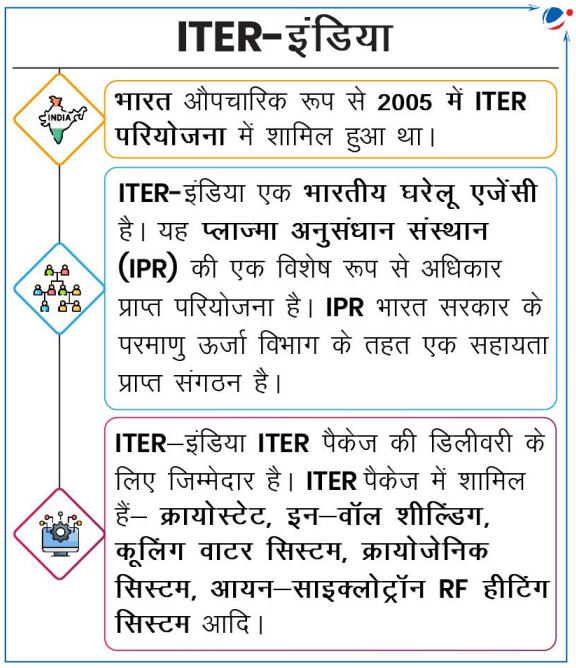

- **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के बारे में**
  - ITER **चीन, यूरोपीय संघ, जापान, भारत, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक वैश्विक वैज्ञानिक साझेदारी है।
    - यह **वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन** है।
  - **उद्देश्य:** भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में **परमाणु संलयन की व्यवहार्यता** सिद्ध करना।
  - यह संलयन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए **चुंबकीय परिरोध (Confinement) का परीक्षण करने वाला सबसे बड़ा टोकामक उपकरण** होगा।
  - ITER को लगभग 10 गुना ऊर्जा उत्पादन के साथ उच्च संलयन ऊर्जा प्राप्ति हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसे $Q \geq 10$ **क्षमता से युक्त प्लाज्मा उत्पादित** करने के लिए परिकल्पित किया गया है। यहां $Q \geq 10$ का अर्थ है- प्लाज्मा में 50 मेगावाट तापन शक्ति का समावेश करने से कम-से-कम 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा का उत्पादन होगा
    - यूनाइटेड किंगडम में **यूरोपीय जेट फैसिलिटी द्वारा टोकामक में संलयन ऊर्जा उत्पादन का वर्तमान रिकॉर्ड $Q = 0.67$** है।

7.5.14. Li-Fi तकनीक (Li-Fi Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने Li-Fi तकनीक प्राप्त करने के लिए **इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)** के तहत एक स्टार्ट-अप को फंड दिया है। इस तकनीक का उपयोग **भारतीय रक्षा क्षेत्रक (विशेष रूप से भारतीय नौसेना)** के लिए किया जाएगा।

- iDEX पहल **रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रक** में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है।
- iDEX पहल का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के तहत **रक्षा नवाचार संगठन** करता है।

Li-Fi (लाइट फिडेलिटी) तकनीक के बारे में

- यह एक **द्विदिशीय (Bidirectional) वायरलेस संचार** प्रणाली है। इसमें संचार के लिए **दृश्य प्रकाश (400-800 टेराहर्ट्ज़)** का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत, **Wi-Fi तकनीक में संचार के लिए रेडियो तरंगों** का उपयोग किया जाता है।
  - Li-Fi के तहत **प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED)** की सहायता से डेटा संचारित होता है।
- **Li-Fi की कार्यप्रणाली:**
  - LED ट्रांसमीटर की **अदृश्य ऑन/ ऑफ क्रिया बाइनरी कोड का उपयोग** करके डेटा ट्रांसमिशन को संभव बनाती है। बाइनरी कोड में शामिल हैं- LED को स्विच ऑन करना लॉजिक '1' है और LED को ऑफ करना लॉजिक '0' है।
    - इस प्रकार, सूचना को **प्रकाश में एन्कोड** किया जा सकता है।
- **Li-Fi के उपयोग:** यह तकनीक **एयरक्राफ्ट्स, अस्पताल (ऑपरेशन थिएटर), पावर प्लांट्स जैसी जगहों पर संचार में उपयोगी** है। ज्ञातव्य है कि यहां विद्युत चुंबकीय (रेडियो) अवरोध की वजह से सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न होती रहती है।
- **Wi-Fi की तुलना में Li-Fi के लाभ**
  - **तेज:** Li-Fi तकनीक कम अवरोध होने और हाई बैंडविड्थ से युक्त होने के कारण उच्च डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करती है।
  - **वहनीय और निरंतरता:** यह Wi-Fi की तुलना में 10 गुना अधिक वहनीय है। इसमें कम घटकों की आवश्यकता होती है और कम ऊर्जा का उपयोग होता है।
  - **सुरक्षित:** चूंकि, प्रकाश रेडियो तरंगों की तरह दीवारों से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए डेटा की गोपनीयता बनी रहती है।
- **Wi-Fi की तुलना में Li-Fi की कमियां**
  - वाई-फ़ाई की तुलना में Li-Fi द्वारा बहुत कम रेंज में ही डेटा संचार किया जा सकता है;
  - इस तकनीक का लाभ **प्रकाश की एक निश्चित रेंज में ही उठाया** जा सकता है।

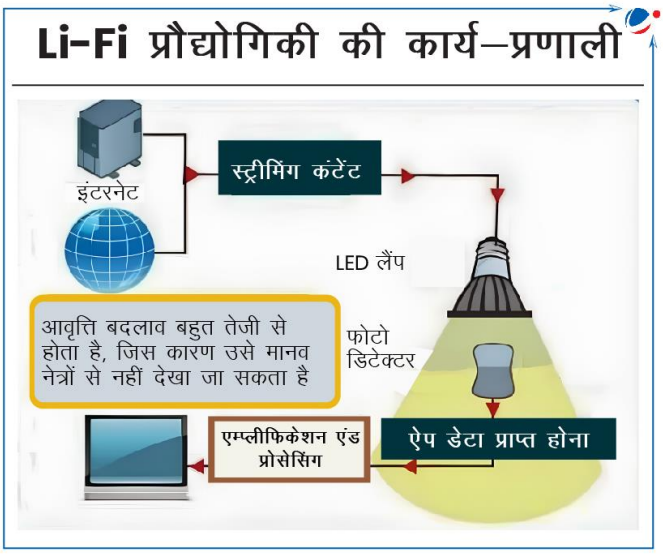

7.5.15. स्टील स्लैग (Steel Slag)

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) ने **सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्टील स्लैग के बारे में

- यह स्टील बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न **ठोस अपशिष्ट** है।
- इसमें **कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आदि के ऑक्साइड** होते हैं।
- **मुख्य उपयोग:** सड़क की आधार निर्माण सामग्री **(स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी: SSRT)** के रूप में; पोर्टलैंड सीमेंट और उर्वरक निर्माण में तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने हेतु मिश्रण सामग्री के रूप में।
- **स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के लाभ**
  - **तकनीकी लाभ:** सड़क को टिकाऊ बनाने में; स्किड (फिसलन) प्रतिरोध बढ़ाने में; बिटुमिनस की तुलना में किफायती आदि।
  - **पर्यावरण से जुड़े लाभ:** सालाना उत्पन्न होने वाले 19 मिलियन टन स्टील स्लैग अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है।

7.5.16. डार्क ऑक्सीजन (Dark Oxygen)

वैज्ञानिकों ने **प्रशांत महासागर में 13,100 फीट की गहराई** पर 'डार्क' ऑक्सीजन खोजी है।

डार्क ऑक्सीजन के बारे में

- एक अध्ययन के अनुसार, इसकी उत्पत्ति **समुद्र नितल पर मौजूद मैंटेलिक नोड्यूल्स** द्वारा होती है।
  - ऐसा प्रतीत होता है कि ये **प्राकृतिक धात्विक संरचनाएं समुद्री जल (H2O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित** कर देती हैं।
- यह खोज सिद्ध करती है कि हमारी **पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के अलावा, ऑक्सीजन उत्पत्ति** का एक और स्रोत है।
- पहले, यह माना जाता था कि **अधिकांश समुद्री ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले समुद्री पादपों** से उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया **सूर्य के प्रकाश** पर निर्भर करती है।
- यह खोज पृथ्वी के सबसे दुर्गम समुद्री वातावरण में **ऑक्सीजन की उत्पत्ति से संबंधित मौजूदा धारणाओं** को चुनौती देती है।

7.5.17. डेनिसोवन (Denisovan)

तिब्बत की **बैशिया कार्स्ट गुफा** में कुछ मानव हड्डियों के अवशेष पाए गए थे। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की पहचान **डेनिसोवन नामक पुरातन मानव प्रजाति के व्यक्ति** के रूप में की है।

डेनिसोवन के बारे में

- यह **होमिनिड की एक विलुप्त** प्रजाति है। वे **आधुनिक मानव के निकटता से संबंधित** थे।
- इस प्रजाति की आबादी का विस्तार **पिछले हिमयुग के दौरान साइबेरिया से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया** तक माना जाता है।
- डी.एन.ए. साक्ष्य से पता चलता है कि **डेनिसोवन्स निएंडरथल और आधुनिक मानव दोनों** से संबंधित हैं, या इन दोनों (निएंडरथल और आधुनिक मानव) के साथ मिले **(Interbred)** हों। ऐसा इसलिए कि तिब्बत में इंसान में डेनिसोवन के जीन प्राप्त हुए हैं।
- **होमो हीडलबर्गेंसिस को आधुनिक मानव और निएंडरथल, दोनों का सामान्य (कॉमन) पूर्वज** माना जाता है। होमो हीडलबर्गेंसिस संभवतः **अफ्रीका** में रहते थे।

7.5.18. लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर (Last Universal Common Ancestor: LUCA)

वैज्ञानिकों ने अनुमान प्रकट किया है कि LUCA की उत्पत्ति **पृथ्वी के निर्माण के मात्र 300 मिलियन वर्ष बाद** हो गई थी।

- ऐसा अनुमान है कि यह लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले की घटना है।

लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर (LUCA) के बारे में

- शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन के तीन रूपों यानी **बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया** की उत्पत्ति एक ही सूक्ष्मजीव 'LUCA' से हुई है।
  - हालांकि, LUCA के अस्तित्व से जुड़ा कोई जीवाश्म साक्ष्य नहीं मिला है।
- **वैज्ञानिकों के अनुसार LUCA की विशेषताएं:**
  - **अवायवीय:** यह ऑक्सीजन रहित परिवेश में रहता था।
  - **थर्मोफाइल:** यह गर्मी पसंद सूक्ष्म जीव था।
  - **मेटाबोलिज्म:** यह **हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन** पर निर्भर था यह उन्हें **अमोनिया** जैसे यौगिकों में परिवर्तित कर लेता था।

7.5.19. अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (International Mathematical Olympiad)

भारत छात्रों की छह सदस्यीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (IMO) 2024 में **4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 ऑनरेबल मेंशन** (Honourable mention) हासिल किया है।

- भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में **1989** में भाग लिया था, तब से लेकर अब तक का यह सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है।

अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में

- यह **हाई स्कूल** के छात्रों के लिए **गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर आयोजित की जाने वाली चैम्पियनशिप प्रतियोगिता** है। यह प्रतियोगिता **हर साल एक अलग देश में आयोजित** की जाती है।
- पहला **ओलंपियाड 1959 में रोमानिया** में आयोजित किया गया था।
- इस प्रतियोगिता में **स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक** प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, बेहतर प्रयास करने वाले छात्रों को **ऑनरेबल मेंशन** भी प्रदान किया जाता है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. असम के चराइदेव मोइदम्स (Assam's Charaideo Moidams)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम के चराइदेव मोइदम्स (Moidams) को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की **विश्व धरोहर सूची** में शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 'मोइदम्स' को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा **विश्व धरोहर समिति** (WHC)[69] **के 46वें सत्र के दौरान** की गई। यह सत्र **नई दिल्ली** में आयोजित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS)[70] ने असम के चराइदेव जिले में स्थित मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक संपदा श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी।
  - यह पहली बार है जब **पूर्वोत्तर राज्यों के किसी स्थल को विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया** है।
- विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसी स्थल के बारे में **जागरूकता का प्रसार** करता है, उसके **संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता** है, और उसके संरक्षण के लिए वित्तीय और विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करना आसान बनाता है।
  - भारत में अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 43 हो गई है। इनमें तीन स्थल- **चराइदेव मोइदम्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** और **मानस राष्ट्रीय उद्यान** असम में हैं।

विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में अन्य भारतीय पहलें

पहली बार भारत ने **विश्व धरोहर समिति** की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में भारत ने निम्नलिखित पहलों की घोषणा की है:

- भारत ने **यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को 1 मिलियन डॉलर का अनुदान** देने की घोषणा की है। भारत ने यह कदम ग्लोबल साउथ के देशों में मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए उठाया है।
- इस अवसर पर **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** ने **सांस्कृतिक संपदा समझौते (CPA)** पर हस्ताक्षर किए हैं। इस **समझौते का उद्देश्य** सांस्कृतिक संपदाओं की अवैध तस्करी को रोकना और पुरातात्त्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान में वापस लाना है।
  - **सांस्कृतिक संपदा समझौता** दरअसल **"सांस्कृतिक परिसंपत्ति के अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण पर निषेध और रोक लगाने के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970"** के अनुरूप है। दोनों **देश इस कन्वेंशन के पक्षकार** हैं।
- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी (ICCROM) के बीच समझौता:** इसका उद्देश्य मूर्त धरोहरों पर क्षमता निर्माण और अनुसंधान करना है।

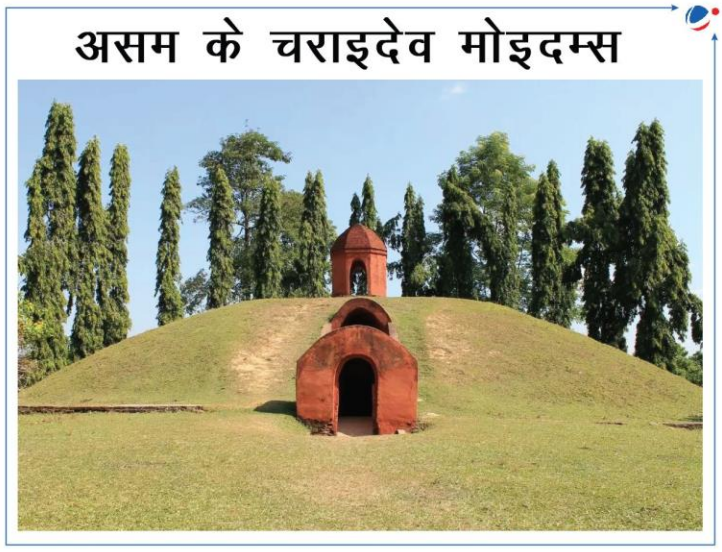

चराइदेव मोइदम्स के बारे में

- **अवस्थिति:** यह जगह पूर्वी असम में **पटकाई पर्वतमाला** की तलहटी में अवस्थित है।
- **शाही कब्रगाह स्थल:** चराइदेव **ताई-अहोम राजवंश (13वीं-19वीं सदी)** के शाही कब्रगाह हैं। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जा सकती है।
  - मोइदम्स का मतलब **'आत्मा के लिए घर'** होता है। इसे **स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन-बिंदु** माना जाता है।
- **स्थापत्य संबंधी विशेषताएं:** मोइदम्स के नजदीक बरगद का वृक्ष तथा ताबूत और पांडुलिपियों के लिए छाल वाले वृक्ष लगाए गए हैं।

[69] World Heritage Committee

[70] International Council on Monuments and Sites

इसके अलावा, **इनके पास जल निकाय भी निर्मित** किए गए हैं। प्रत्येक मोइदम में निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं:

- यह **मिट्टी का एक अर्धगोलाकार टीला** (गा-मोइदम) होता है जिसके शीर्ष पर **केंद्र में पवित्र संरचना (चाउ चाली)** बनी होती है।
- **अष्टकोणीय दीवार** (गढ़) जो **ताई ब्रह्मांड का प्रतीक** है।
- **ईंट-पत्थर से बना वॉल्ट** होता है। यह शव के लिए सुरक्षात्मक कक्ष के रूप में कार्य करता है। इस वॉल्ट के भीतर एक कब्रगाह गड्ढा (गरवहा) होता है। यहां मृतक का शरीर या ताबूत रखा जाता है।

क्या आप जानते है?

बुरंजी, असम में अहोम राजवंश के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के संकलन की एक शैली है। ये **शाही कब्रिस्तान क्षेत्रों और इसकी आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रामाणिक स्रोत** भी हैं।

- **सुरक्षा अधिकारी:** अहोम के शासनकाल के दौरान, मोइदम्स की सुरक्षा मोइदम फुकन नामक विशेष अधिकारियों और **मोइदमिया** नामक एक रक्षक समूह द्वारा की जाती थी।
- **मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास:** मोइदम्स में कब्रगाह में शवों के साथ भोजन, घोड़े, हाथी और कभी-कभी नौकर (ऐसी वस्तुएं जिनकी उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन में आवश्यकता होगी) के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- **शवाधान की विधियां:** अहोम साम्राज्य में **शवाधान की दो अलग-अलग विधियां** प्रचलित थीं। 17वीं शताब्दी से पहले शवों को रसायनों से संरक्षित करके उन्हें मोइदम में दफनाया जाता था। वहीं, बाद की अवधि में शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करके राख को मोइदम में दफनाया जाने लगा।
  - शवाधान विधियों का यह विकास क्रम **ताई-अहोम द्वारा स्थानीय संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान** करता है।
- **सांस्कृतिक निरंतरता:** 600 साल पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए **मी-डैम-मी-फी (पूर्वजों की पूजा)** और **तर्पण** जैसे वार्षिक अनुष्ठान अभी भी किए जाते हैं।
- **खोज:** मोइदम का विवरण पहली बार 1848 में **सार्जेंट सी. क्लेटन** द्वारा **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल** के जर्नल में प्रकाशित किया गया था।

चराइदेव के मोइदम्स की अनूठी विशेषताएं

- **बेहतर तरीके से संरक्षित:** हालांकि **मोइदम्स ब्रह्मपुत्र घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी पाए** जाते हैं, परन्तु चराइदेव में पाए जाने वाले मोइदम्स विशिष्ट माने जाते हैं। इसका एक कारण **उनका बेहतर तरीके से संरक्षित होना** भी है।
- **उन्नत इंजीनियरिंग:** मोइदम्स की स्थिर संरचना, वॉल्ट (शव-कक्ष) की इंजीनियरिंग, और **भूकंपीय प्रभाव को रोकने के लिए जल का उपयोग** आदि विशेषताएं अहोम के इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** हिंदू धर्म के प्रभाव से, अहोम लोगों ने भी अपने मृतकों का दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। आज भी यह शवाधान प्रथा **अहोम के पुजारी वर्गों और शाही अंगरक्षक कबीले में प्रचलित** है।

भारत में शवाधान की अन्य विधियां

अवधि/ शवाधान विधि	विशेषताएं
हड़प्पा सभ्यता	• कब्रगाह में शव को **पीठ के बल उत्तर-दक्षिण दिशा में लिटाया** जाता था। • हड़प्पा में ताबूत शवाधान का साक्ष्य मिला है। • **लोथल से युगल शवाधान के साक्ष्य** प्राप्त हुए हैं। • शवों को दफनाते समय उनके साथ **आभूषण और अन्य वस्तुए रखी** जाती थीं जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
महापाषाण काल	• यह संस्कृति अपनी विशिष्ट शवाधान विधि के जानी जाती है। इसमें **अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े प्रस्तर की खड़ी संरचना का इस्तेमाल** किया जाता था। • इस विधि की शुरुआत **नवपाषाण-ताम्रपाषाण काल** से मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए- ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनामगांव (महाराष्ट्र) से प्राप्त कलश-युक्त कब्रगाह। • **अधिकांश दक्षिण भारतीय महापाषाण स्थलों से लोहे की वस्तुएं प्राप्त** हुई हैं। इसलिए, महापाषाण काल को **'लौह युग'** भी कहा जाता है। • कब्रगाह के अंदर मिली वस्तुएं और मृदभांड इस बात का प्रमाण हैं कि महापाषाण कालीन लोग **'मृत्यु के बाद पुनर्जन्म'** में विश्वास करते थे। ○ कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में महापाषाण कालीन स्थल हायर बेन्कल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है।

यूनेस्को विश्व धरोहर समिति

उत्पत्ति: इसे 1972 में आयोजित यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान **विश्व धरोहर कन्वेंशन (WHC)** के तहत स्थापित किया गया।

उद्देश्य: **"फाइव Cs"** जिसमें शामिल हैं- **Credibility (विश्वसनीयता); Conservation (संरक्षण); Capacity Building (क्षमता निर्माण); Communication (संचार); और Communities (समुदाय)।**

मुख्य भूमिका:

- यह **किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय** लेती है।
- यह **विश्व धरोहर कोष** के उपयोग का तरीका निर्धारित करती है और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह विश्व धरोहर सूची में **शामिल संपदाओं के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट की जांच** करती है।
- **'संकट की स्थिति वाली विश्व धरोहर सूची' में संपदाओं के शामिल करने या हटाने पर निर्णय** लेती है।
- यह अपने सत्र के अंत में प्रतिवर्ष **विश्व धरोहर समिति के ब्यूरो** का चुनाव करती है।

सदस्य: कन्वेंशन के पक्षकार देशों में से **21 प्रतिनिधि** चुने जाते हैं। इन्हें आम सभा द्वारा छह वर्षों के लिए चुना जाता है। **भारत को 2021-2025 के लिए विश्व धरोहर समिति में सदस्य चुना गया है।**

प्रमुख भागीदार:

- **ICCROM:** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो सभी प्रकार की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है।
- **ICOMOS:** यह एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है, जो **स्थापत्य और भूक्षेत्र (landscape) आधारित धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है।**

नोट: *अहोम साम्राज्य के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.1 देखें।*

8.2. तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजनाएं (Pilgrim Corridor Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि **बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना शुरू की जाएगी।**

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों मंदिर एक-दूसरे से **लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर** स्थित हैं (बॉक्स देखिए)।
- **विष्णुपद और महाबोधि मंदिर** को **काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर** विकसित किया जाएगा।
  - **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर** की आधारशिला 2019 में रखी गई थी। इसे **श्री काशी विश्वनाथ धाम के नाम** से भी जाना जाता है।
  - इस कॉरिडोर का निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुलभ मार्ग उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजनाओं के बारे में

- ये कॉरिडोर परियोजनाएं **बड़े पैमाने पर अवसंरचना का विकास** हैं। इन्हें **धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण और** जीर्णोद्धार करने के साथ-साथ **आसपास के धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता** है। हाल के वर्षों में, भारत ने कई तीर्थयात्रा **कॉरिडोर** परियोजनाओं की घोषणा की है (मानचित्र देखिए)। इनका उद्देश्य इन **तीर्थ स्थलों को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों** में रूपांतरित करना है।

तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजनाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं:

- **संरक्षण और जीर्णोद्धार:** उदाहरण के लिए- **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर** परियोजना के तहत मंदिर के आस-पास के क्षेत्र का विस्तार किया गया। साथ ही, शीतला माता मंदिर, श्री राम मंदिर और श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य लघु आकार के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया।
- **विकास और विरासत का अद्भुत संयोग:** उदाहरण के लिए- महाकाल लोक कॉरिडोर में **'शिव पुराण'** की कथा को प्रदर्शित करने वाले भित्ति चित्र उत्कीर्ण हैं। यह कॉरिडोर **नंदी द्वार और पिनाकी द्वार** नामक दो राजसी प्रवेश द्वारों से घिरा है।
- **तीर्थयात्रियों के लिए सुखद एहसास:** तीर्थ कोरिडोर्स परियोजनाओं में कई नवीन सुविधाएं सम्मिलित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए- धार्मिक स्थलों पर भीड़ के दबाव को कम करना, प्राचीन मंदिरों का वर्चुअल संग्रहालय, शौचालय, दुकानें, सूचना केंद्र, भीड़ प्रबंधन सुविधाएं, धार्मिक स्थलों पर यात्रा सुगम बनाना (एस्कलेटर और रैंप) आदि।

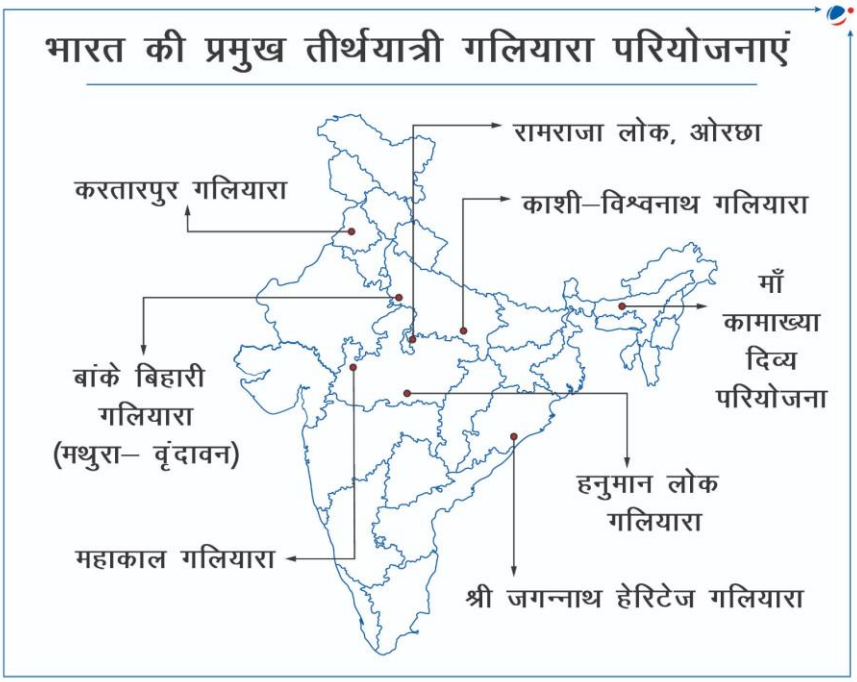

- **पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत ने पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह एक साल में 65.7% की वृद्धि है।
  - तीर्थ **कॉरिडोर** परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देंगी तथा रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और कई अन्य सहायक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।

तीर्थ यात्रा कॉरिडोर विकास परियोजनाओं से जुड़ी चुनौतियां

- **पुनर्वास की समस्या:** उदाहरण के लिए- ओडिशा सरकार ने जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण के लिए पांच गांवों के 17 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की है।
- **आस-पास की प्राचीन संरचनाओं को नुकसान:** उदाहरण के लिए- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान कुछ लघु एवं प्राचीन मंदिरों को हटाने पर चिंता जताई गई।
- **संधारणीयता संबंधी चिंताएं:** बड़े पैमाने पर निर्माण से स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निर्माण कार्य से प्रदूषण फैलता है, वनों की कटाई होती है और प्राकृतिक जल निकायों को नुकसान होता है।
    - इसके अलावा, अधिक तीर्थ-यात्रियों के आगमन से इन स्थानों के कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- **विरासत प्रभाव आकलन:** इससे आस-पास की प्राचीन संरचनाओं, उनसे जुड़े अनुष्ठानों और संबंधित समुदायों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **सामुदायिक भागीदारी:** योजना निर्माण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है। इससे संभावित संघर्षों को कम करने में मदद मिलेगी और भूमि अधिग्रहण में आसानी होगी।
- **संधारणीय पर्यटन:** इन **कॉरिडोर** परियोजनाओं को मिशन लाइफ/ LiFE के तहत एक कार्यक्रम **'ट्रैवल फॉर लाइफ'** के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए।
    - ट्रैवल फॉर लाइफ की योजना संधारणीय पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को प्रकृति के अनुकूल कार्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए बनाई गई है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025
▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM
BHOPAL: 23 जुलाई
LUCKNOW: 18 जुलाई
JAIPUR: 5 सितंबर
JODHPUR: 11 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

विष्णुपद मंदिर के बारे में

- **स्थान:** यह मंदिर **बिहार के गया में फल्गु नदी के तट** पर स्थित है।
- **प्रमुख देवता:** यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में बेसाल्ट पत्थर पर भगवान विष्णु के पदचिह्न बने हुए हैं, जिन्हें धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है।
    - **पदचिह्न को चार प्रतीकों-** शंख (शंख), पहिया (चक्र), गदा, कमल (पद्म) द्वारा चिह्नित किया गया है।
    - हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह पदचिह्न उस जगह का प्रतीक है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर के सिर पर अपना पैर रखकर उसे वश में किया था।
    - इस पवित्र स्थल का **उल्लेख महाभारत और रामायण** में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था।
- **जीर्णोद्धार:** वर्तमान संरचना का जीर्णोद्धार 1787 में **इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई** ने करवाया था।

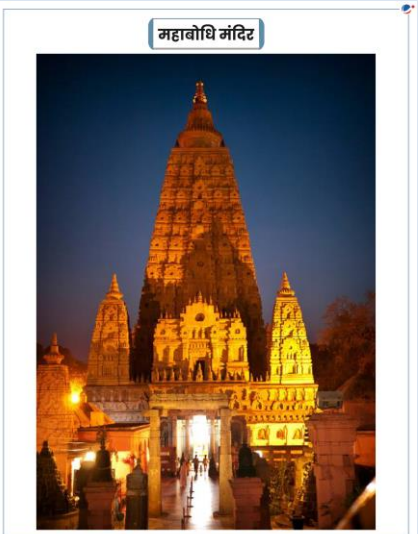

महाबोधि मंदिर परिसर

- **अवस्थिति:** बोधगया (बिहार)।
- **वैश्विक मान्यता:** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
    - इस स्थल पर पहला मंदिर **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक** ने बनवाया था।
    - वर्तमान मंदिर संरचना, **गुप्त काल के अंत से 5वीं या 6ठी शताब्दी** की है। यह ईंट से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में शामिल है।
- **मुख्य मंदिर:**
    - यह मंदिर भारत की क्लासिकल **स्थापत्य शैली में निर्मित है**। मंदिर का **शिखर (टॉवर) घुमावदार है**। इसके शीर्ष पर आमलक और कलश है।
        - इस मंदिर का निर्माण न तो पूर्ण रूप से **नागर शैली** में हुआ है और न ही पूर्ण रूप से **द्रविड़ शैली** में हुआ है।
        - वास्तव में यह नागर शैली में निर्मित मंदिर की तरह ऊपर की ओर संकरा है, लेकिन यह द्रविड़ मंदिर की शैली की तरह बिना मुड़े (पिरामिडनुमा) ऊपर उठता है।
        - मंदिर में दो **प्रवेश द्वार** हैं। एक **पूर्व की तरफ है** और **दूसरा उत्तर दिशा की ओर** है।
    - इसमें **हनीसकल और गीज डिजाइन से सुसज्जित मोल्डिंग सहित निचला तहखाना** भी है। इसके ऊपर बुद्ध की छवियों वाली आलों की एक श्रृंखला है।

क्या आप जानते हैं?

> महात्मा बुद्ध ने स्वयं **बौद्ध 'धम्म यात्रा' के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया था।** ये स्थान हैं- **लुंबिनी** (जहां उनका जन्म हुआ था); **बोधगया** (जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था); **सारनाथ** (जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था); और **कुशीनगर** (जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था)।

- **वज्रासन (हीरे का सिंहासन):**
    - यह पॉलिशदार बलुआ पत्थर का प्लेटफार्म है। यह वह जगह है जहां भगवान् बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था।
    - इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने उस स्थल पर बनवाया था जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था।
- **सात पवित्र स्थल**
    - **पवित्र बोधि वृक्ष:** यह मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह उस वृक्ष की पीढ़ी का माना जाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
    - **अन्य पवित्र स्थल:** अनिमेषलोचन चैत्य (प्रार्थना कक्ष), रत्नचक्र (आभूषण युक्त एम्बुलेटरी), रत्नघर चैत्य, अजपाल निग्रोध वृक्ष (इसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पांचवें सप्ताह ध्यान किया और ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर दिया), कमल तालाब, और राजयत्र वृक्ष।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. श्री जगन्नाथ मंदिर (Shree Jagannath Temple)

श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी के **पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला।** इस कक्ष को रत्न भंडार इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह की बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, रत्न आदि भंडारित हैं।

- 46 साल बाद रत्न भंडार को खोलने का उद्देश्य आभूषणों व बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाना और रत्न भंडार की मरम्मत कराना है। इसके लिए ओडिशा सरकार ने **सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिश्वनाथ रथ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया है। समिति के सदस्यों की उपस्थिति में ही रत्न भंडार खोला गया।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां

- श्री जगन्नाथ मंदिर के **'छप्पन भोग' प्रसाद में से एक, मगाजी लाडू को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** मिला है।
- मगाजी लाडू ओडिशा के **ढेंकनाल जिले** की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है।

रत्न भंडार के बारे में

- रत्न भंडार मंदिर के **जगमोहन के उत्तरी छोर** पर स्थित होता है। जगमोहन, मंदिर का **सभा कक्ष** है।
- इसके दो भाग हैं- पहला, **बाहर भंडार (बाहरी कक्ष)** और दूसरा, **भीतर भंडार (आंतरिक कक्ष)** है।
- इन कक्षों में तीन सहोदर देवताओं **(भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा)** के आभूषण हैं।

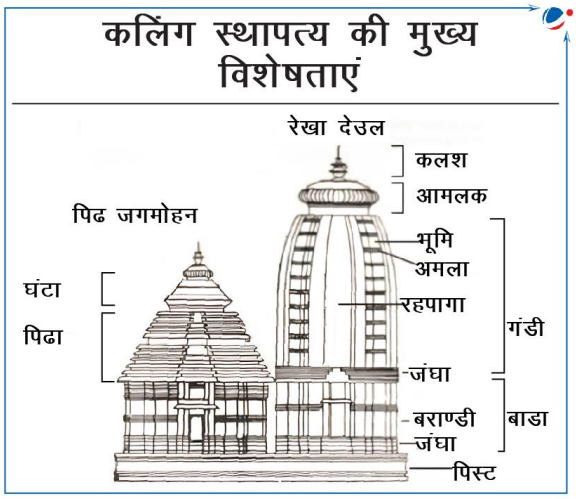

श्री जगन्नाथ मंदिर (व्हाइट पैगोडा), पुरी, ओडिशा के बारे में

- यह मंदिर भगवान **जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र (पवित्र त्रिमूर्ति)** को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ **विष्णु के अवतार** माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान **कृष्ण के एक रूप** को कहा जाता है।
- माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण **12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव** ने करवाया था।
- **श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में**
  - **स्थापत्य शैली:** यह मंदिर स्थापत्य की **कलिंग शैली** में निर्मित है। कलिंग शैली को **नागर शैली की एक उप-शैली** के रूप में जाना जाता है।
  - **मंदिर के मुख्यतः चार भाग हैं-**
    - **विमान या देउल (गर्भगृह):** मंदिर का विमान **नागर शैली में निर्मित रेखा देउल** में बना है। विमान को **शिखर** के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वक्राकार मीनार के समान है।
    - **जगमोहन:** यह **पीढा देउल** के रूप में है। इसमें **शिखर पिरामिडनुमा** हैं।
    - **नटमंडप:** यह **दर्शकों के लिए या नृत्य** कक्ष है।
    - **भोग मंडप:** यह विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए और प्रसाद अर्पण सभाकक्ष है।
  - मुख्य मंदिर की बाहरी दीवार के दोनों तरफ **भगवान् विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण** की गई हैं। दोनों ओर भगवान् विष्णु की **चार-चार आकृतियां** उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये भगवान विष्णु के **24 रूपों यथा- केशव, माधव, दामोदर, नारायण** आदि को दर्शाती हैं।

8.3.2. विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला (World's Oldest Cave Painting)

वैज्ञानिकों ने **इंडोनेशिया के सुलावेसी में लैंग करमपुआंग गुफा में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला** की खोज की है। यह चित्रकला **कम-से-कम 51,200 साल** पुरानी है।

- इससे पहले, सबसे पुरानी ज्ञात चित्रकला **सुलावेसी की लैंग तेंदोंग गुफा** में खोजी गई थी। यह कम-से-कम 45,500 साल पहले की थी।
- हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि **स्पेन की माल्ट्रावीसो गुफा में निएंडरथल** की पेंटिंग सबसे पुरानी है और यह लगभग **64,000 साल पहले** की है।

करमपुआंग गुफा चित्रकला के बारे में

- इसकी तिथि का पता **यूरेनियम-आधारित डेटिंग तकनीक** का उपयोग करके किया गया है।
- इसमें गहरे लाल रंग में एक **खड़े सुअर और तीन छोटी मानव** जैसी आकृतियों के चित्र हैं।
- यह चित्रकला प्राचीन लोगों की **मानसिक क्षमता** को प्रदर्शित करती है।

8.3.3. अपातानी जनजाति (Apatani Tribe)

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने **ताले वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश) से फ़ॉरेस्ट-ड्वेल्लिंग हॉर्न्ड फ्रॉग** की एक नई प्रजाति की खोज की है।

- इस नई प्रजाति का नाम **अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख अपातानी समुदाय** के नाम पर **"जेनोफ्रीस अपातानी"** रखा गया है।

अपातानी जनजाति के बारे में

- यह जनजाति **जीरो घाटी** में पाई जाती है। यह अपनी प्रभावी पारंपरिक ग्राम परिषद **'बुल्यान'** के लिए जानी जाती है।
- इस जनजाति के क्षेत्र को **यूनेस्को की अस्थायी सूची में 'लिविंग कल्चरल लैंडस्केप'** के रूप में शामिल किया गया है। लिविंग कल्चरल लैंडस्केप का आशय ऐसे क्षेत्र से है, जहां मनुष्य और पर्यावरण परस्पर निर्भरता की स्थिति में एक साथ सामंजस्यपूर्ण रूप में अस्तित्वमान होते हैं।
- **प्रमुख त्यौहार:** ड्री और म्योक।
- **मुख्य नृत्य:** दामिंडा और प्री नृत्य।

8.3.4. मास्को पीरो (रहस्यमय जनजाति) {Mascho Piro (Mysterious Tribe)}

हाल ही में, **पेरू** के सुदूर पेरू अमेजन में **शेष विश्व से अलग-थलग देशज मास्को पीरो जनजाति की अवस्थिति** का पता चला है।

मास्को पीरो (Mascho Piro) के बारे में

- इस जनजाति के सदस्यों की संख्या **750 से अधिक** है। इसे **अमेजन और दक्षिण-पूर्व पेरू** के जंगलों में शेष दुनिया से अलग-थलग रहने वाली **सबसे बड़ी जनजाति** माना जाता है।
- ये **घुमंतू शिकारी-संग्रहकर्ता** हैं।
- बाहरी लोगों का इस जनजाति से संपर्क करना इसलिए **निषिद्ध** किया गया है, क्योंकि इस जनजाति के लोग किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे लड़ने के लिए इनमें प्रतिरक्षा नहीं है।
- 2002 में इनके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए **माद्रे डी डिओस टेरिटोरियल रिजर्व** को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, इस रिज़र्व का बड़ा हिस्सा लकड़ी और अन्य उपज के लिए कंपनियों को बेच दिया गया है।

8.3.5. इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (Indian Newspaper Society: INS)

प्रधान मंत्री ने मुंबई में **INS टावर्स का उद्घाटन** किया।

INS के बारे में:

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआती स्थापना 1927 में मानी जाती जा सकती है। INS की स्थापना 1939 में इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी (IENS) के रूप में हुई थी।
  - स्टेट्समैन के श्री आर्थर मूर INS के पहले अध्यक्ष थे।
- **मुख्य उद्देश्य:** इस सोसायटी के साथ जुड़ने के इच्छुक भारत तथा एशिया के किसी भी अन्य देश के **प्रेस के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना।**
- **सदस्य:** प्रिंट मीडिया के मालिक, स्वामी और प्रकाशक।
- **मुख्य कार्य:**
  - भारत में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के प्रसार से संबंधित आंकड़ों को प्रमाणित करने वाली एक स्वतंत्र संस्था।
  - भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन करना।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

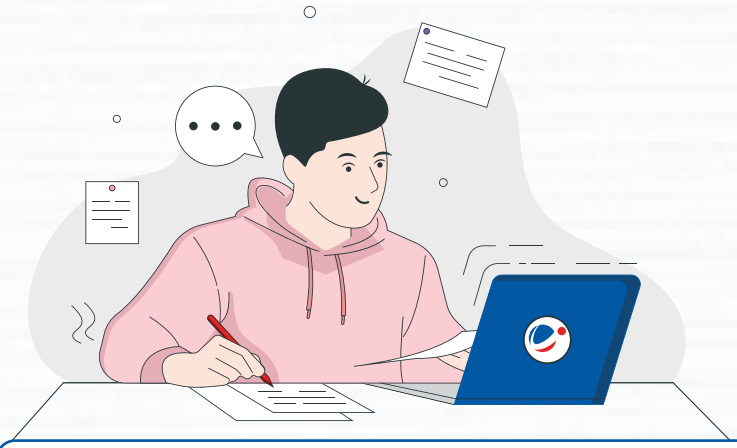

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. अच्छा जीवन: कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाने की कला (Good Life: The Art of Balancing Work and Leisure)

परिचय

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए, **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** के तहत **11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने** की घोषणा की गई। इसमें **"बच्चों के लिए आराम और अवकाश के अधिकार[71]"** को शामिल किया गया है। एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के हालिया शोध से पता चलता है कि पेंटिंग करना, बुनाई करना या मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी अवकाशकालीन यानी लेज़र गतिविधियां **कार्य की तुलना में हमारे कल्याण में अधिक वृद्धि** करती है।

हालांकि, किसी नौकरी के साथ ज्यादा जुड़ाव तनाव का कारण बन सकता है, जबकि नौकरी न होने से चिंता और अवसाद उत्पन्न हो सकता है।

अवकाश क्या है और इसका क्या महत्त्व है?

- अवकाश को अक्सर **फुर्सत या खाली समय** के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह व्यापक रूप से **चुनने का अवसर प्रदान करता है कि कुछ नया करना है अथवा नहीं।**
  - उदाहरण के लिए- **बेरोजगारी को अवकाश नहीं माना जाता** है, क्योंकि इसमें व्यक्ति चाहकर भी काम नहीं कर पाता है।
- वास्तविक अवकाश में लोगों को **आराम करने, अपने शौक पूरे करने, मनोरंजन, खेल और यात्रा जैसी गतिविधियों में शामिल होने** का अवसर मिलता है। हालांकि यह केवल तभी माना जाता है जब उक्त गतिविधियों में से किसी में भी शामिल होने अथवा न होने की **स्वतंत्रता** हो।
  - उदाहरण के लिए- **कार्य के लिए आवश्यक यात्रा करना अवकाश के महत्त्व को नष्ट कर देता है क्योंकि व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए बाध्य** होता है।
- इसके विपरीत अवकाश में व्यक्ति **आनंद, खुशहाली का अनुभव** करते हुए **प्रफुल्लित** होता है।

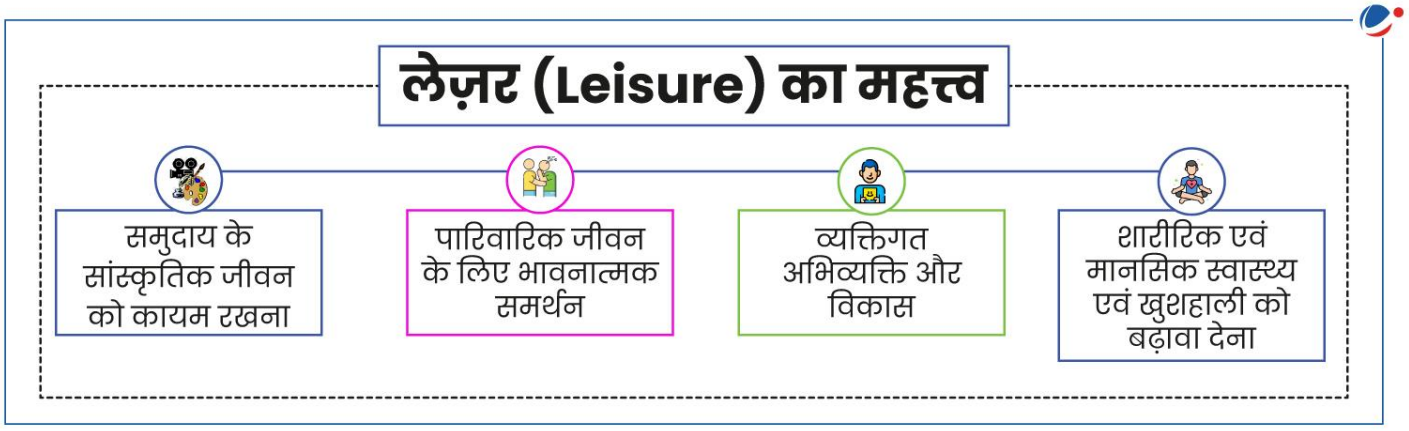

कार्य और अवकाश के बीच संबंध

कार्य और अवकाश प्रायः एक-दूसरे के पूरक होते हैं, हालांकि कभी-कभी इनके मध्य विपरीत संबंध भी होता है।

पूरक संबंध (Complimentary Relationship)

- **विकल्पों के चुनाव की स्वतंत्रता और आंतरिक प्रेरणा:** रॉबर्ट रॉबिन्सन ने एक बार कहा था कि "अवकाश एक ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए आप स्वेच्छा से तैयार होते हैं।" इस प्रकार, जब कोई कार्य का चुनाव हम अपनी पसंद के आधार पर करते हैं, तो यह अवकाश जैसा लग सकता है।

[71] The right of the child to rest and leisure

- उदाहरण के लिए- उपन्यास लिखना या समाचार-पत्रों के लिए कॉलम लिखना उन लोगों को अवकाश जैसा लग सकता है जो पढ़ने और लिखने में आनंद का अनुभव करते हैं।

- **कल्याण सुनिश्चित करना:** वोल्टेयर ने काम के लाभकारी पहलुओं पर जोर देते हुए कहा है कि **"काम बोरियत, बुराई और गरीबी को दूर करता है।"** इसलिए, अवकाश की तरह ही, कार्य भी लोगों की भलाई में योगदान दे सकता है।
  - उदाहरण के लिए- रोजगार लोगों को संबंध बनाने और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार करने का अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह मानसिक क्षति से निपटने और समस्या-समाधान संबंधी कौशल में सुधार करने में मदद करता है।

विपरीत संबंध

- **स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारियां: स्वतंत्रता और आनंद से युक्त अवकाश** से **रचनात्मकता, परफॉरमेंस** और **नौकरी से संतुष्टि के स्तर में सुधार** होता है।
  - दूसरी ओर **कार्य** करने के लिए अक्सर **प्रयास करने और जिम्मेदारी की आवश्यकता** होती है, जो **बाह्य अपेक्षाओं और लक्ष्यों से प्रेरित** होती है। यह **वित्तीय सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास** और **उपलब्धि की भावना** को बढ़ावा देता है। हालांकि, यह नीरस और थका देने वाला हो सकता है।
  - इस प्रकार, **यहां तक कि अवकाश संबंधी गतिविधियों**, जैसे कि पर्यटन, पढ़ने, या खेलने **के साथ-साथ कार्य के प्रति प्रतिबद्धता** हमारे लिए थकान, चिंता और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती हैं।
- **आत्म-अभिव्यक्ति बनाम व्यक्तिगत विकास:** कार्यस्थल पर एक निश्चित मानक से **खराब प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हो सकता** है। हालांकि, इन मानकों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना व्यक्ति की आत्म-अभिव्यक्ति की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, जो अवकाश का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है।
  - उदाहरण के लिए- जब छात्रों को केवल एकेडमिक और करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बिना अर्थ समझे जानकारी को रटने के लिए मजबूर किया जाता है, तब **स्कूली शिक्षा लर्निंग की एक आनंददायक गतिविधि नहीं रह जाती** है।

कार्य और अवकाश के पूरक एवं विपरीत संबंध एक अच्छे जीवन को पूरा करने के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

ऐसे कारक जो कार्य और अवकाश के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल बनाते हैं

- **कार्यस्थल की संस्कृति:** एक पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित कार्यस्थल संस्कृति में कर्मचारियों से जॉब क्रीप (अपने कार्य के लिए निर्धारित दायरे से बाहर जाकर अतिरिक्त कार्य करना) की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, कर्मचारियों को अपनी महत्ता सिद्ध करने या पदोन्नति पाने हेतु अतिरिक्त घंटों तक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ओवरवर्क का एक निरंतर चक्र बन जाता है।
  - **जॉब क्रीप की स्थिति** तब उत्पन्न होती है, जब कोई व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसके कार्य के निर्धारित दायरे के बाहर या उससे अधिक होता है।
- **तकनीकी प्रगति:** ई-मेल और सेल फोन जैसी तकनीक ने कार्यस्थल और घर के बीच अंतर को धुंधला कर दिया है, जिससे डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है।
- **अधिक कमाने की इच्छा:** कुछ लोग भविष्य के बारे में अनिश्चितता अथवा धन-संपत्ति की चाहत के कारण अपनी जरूरतों से अधिक काम करते हैं। वे प्रायः संतुष्ट होने के बजाय थकान होने तक काम करते रहते हैं।
- **भागदौड़ वाली संस्कृति:** समाज प्रायः व्यस्त रहने को सफलता की निशानी के रूप में महिमामंडित करता है, लोगों को लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अवकाश और भी कम होता जाता है।

कार्य और अवकाश के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के लिए आगे की राह

- **सकारात्मक कार्य संस्कृति:** सहभागिता आधारित, लोकतांत्रिक नेतृत्व कौशल को अपनाकर, खुले तौर पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर तथा कार्यस्थल पर टीम-बिल्डिंग संबंधी गतिविधियों का आयोजन करके सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - WEF के अनुसार, श्रमिकों को सप्ताह में एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी देने से वास्तव में उत्पादकता में वृद्धि ही होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (खुश होने की भावना) बढ़ता है और CO_2 का उत्सर्जन भी कम होता है।

- **सीमित तर्कसंगतता:** परफेक्शनिज्म का पीछा करने के बजाय, सीमित तर्कसंगतता को स्वीकार किया जाना चाहिए और लोगों को कभी-कभी कुछ कार्यों में असफल होने पर भी नकारात्मक परिणामों से छूट देनी चाहिए।
    - **'सीमित तर्कसंगतता'** शब्द निर्णय लेने वाले की **संज्ञानात्मक सीमाओं** को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत निर्णय लेने को संदर्भित करता है।
- **लचीलापन अपनाना:** यद्यपि प्रौद्योगिकी ने कार्यस्थल और घर के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया है, परन्तु यह महत्वपूर्ण लचीलापन भी प्रदान करता है।
    - कार्य की समय अवधि में लचीलापन और कार्य की हाइब्रिड पद्धतियों के कारण कार्य तथा निजी जीवन में संतुलन स्थापित होता है। इसकी सहायता से नौकरी में संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
- **सीमाएं निर्धारित करना:** काम के घंटे स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। कार्य और घरेलू जीवन के बीच अंतर बनाए रखने के लिए इन घंटों के बाहर काम-संबंधी ई-मेल देखने या कॉल उठाने से बचना चाहिए।

निष्कर्ष

अरस्तू और रवींद्रनाथ टैगोर दोनों ही एक **परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन बिताने के लिए अवकाश के महत्त्व** पर जोर देते हैं। अरस्तू का तर्क है कि सच्चा अवकाश व्यक्तियों को संगीत, कविता और दर्शन जैसे **श्रेष्ठ और रुचिकर गतिविधियों** में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इसी तरह, टैगोर यह चेतावनी भी देते हैं कि **अवकाश के बिना, हम केवल कर्मचारी** बनकर रह जाते हैं और किसी गहन उद्देश्य के बग़ैर बिना सोचे-समझे काम करते रहते हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप वर्तमान में एक अच्छे वेतन वाली MNC में कार्यरत हैं, जिसके लिए आपको क्लाइंट्स से मिलने के लिए अलग-अलग शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। आपका मासिक बोनस और उच्च पद पर दीर्घकालिक पदोन्नति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने एक महीने में कितने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की है। हाल ही में, आपकी माँ को स्टेज 2 कैंसर का पता चला है, जिसके लिए न केवल देखभाल की आवश्यकता है, बल्कि उनके उपचार के लिए आय का एक स्थिर और अच्छा स्रोत भी बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि, लगातार यात्रा करने, कार्य से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने और बार-बार अस्पताल जाने के कारण आपको शहर में आयोजित होने वाले एक नाट्य कला कार्यक्रम के लिए अभ्यास करने का समय कम मिल पाता है। आप नाट्य कला के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और बचपन से ही इसका अनुसरण करते आए हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से आपको बहुत खुशी मिलती है तथा आप दुनिया की भागदौड़ भरी खींचतान से अलग और सहज महसूस करते हैं। काम के बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने न केवल कार्यक्रम में आपको भूमिका निभाने के अवसर की संभावनाओं को कम कर दिया है, बल्कि आपको चिंता और मानसिक थकान से भी भर दिया है, जिससे आपके काम का प्रदर्शन भी खराब हो गया है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- वर्तमान समय में लोगों में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण तनाव के लिए जिम्मेदार कारणों पर चर्चा कीजिए।
- उदाहरण देते हुए, ऐसे उपाय सुझाइए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने हेतु अपनाने चाहिए।
- अपने काम, शौक और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए?

9.2. सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Infrastructure and Public Service Delivery)

परिचय

हाल ही में, बिहार में **15 से अधिक पुलों के ढहने की घटना** देखी गई। इसके बाद लगभग 15 इंजीनियरों को काम में लापरवाही बरतने और अप्रभावी निगरानी के लिए निलंबित कर दिया गया है। गुजरात में 2022 में **मोरबी पुल का ढहना**; दिल्ली, राजकोट और जबलपुर में **हवाई अड्डे की छत का गिरना** और कंचनजंगा एक्सप्रेस की कंटेनर मालगाड़ी से हुई टक्कर जैसी **सार्वजनिक अवसंरचना की विफलता** की पिछली घटनाओं में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। ये घटनाएं **सार्वजनिक अवसंरचना की खराब गुणवत्ता** और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में सरकार की **विफलता को उजागर** करती हैं।

सार्वजनिक सेवा वितरण

- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत** के अनुसार, **नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी** सरकार की होती है।

- **सार्वजनिक सेवा वितरण एक ऐसा तंत्र** है जिसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं स्थानीय, नगरपालिका या संघीय सरकारों द्वारा जनता को प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए- **सीवेज और अपशिष्ट का निपटान, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं।**
    - यह **सरकार और नागरिकों के बीच एक ठोस कड़ी के रूप में कार्य करता है और नागरिकों के बीच राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देता है।**
- **महत्त्व:**
    - **आर्थिक विकास:** गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण **गरीबी उन्मूलन, मानव पूंजी निर्माण और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद करता है।**
    - **संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना:** यह जेंडर, जाति आदि के कारण **उत्पन्न असमानताओं** को कम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TPDS के जरिए लक्षित सेवा वितरण।**

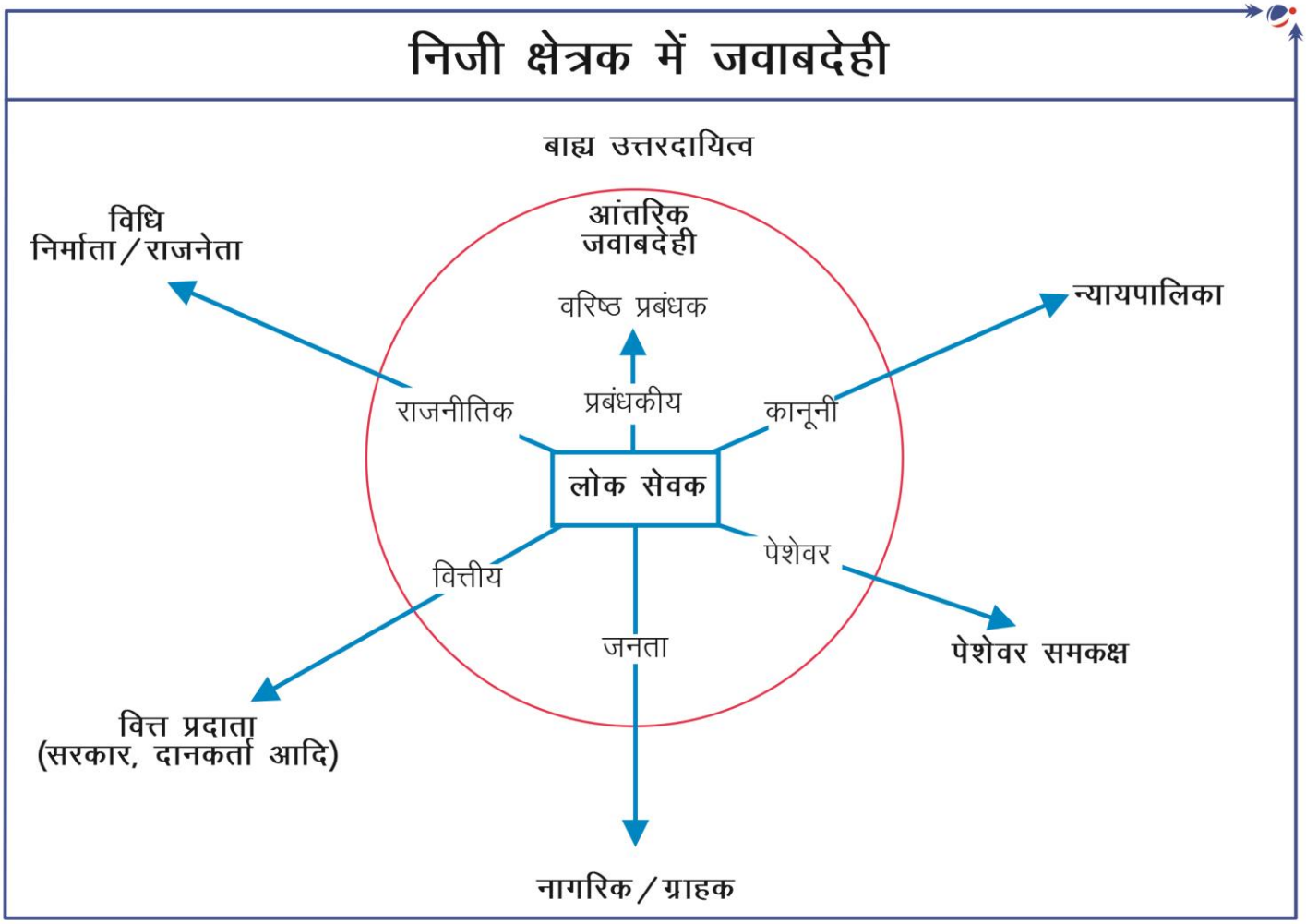

अवसंरचना के विकास के शासन में मौजूद नैतिक मुद्दे

- **अक्षम प्रशासनिक मशीनरी:** यह विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए- जिम्मेदारी पूरा करने में लापरवाही बरतना।
- **नीतिगत मुद्दे:** सेवा वितरण की **गुणवत्ता** की उपेक्षा की जाती है। इसके बजाय सौंपे गए कार्य के केवल न्यूनतम स्तर को ही पूरा करने के पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
    - **L1 अनुबंध विधि (सबसे कम बोली लगाने वाला जीतता है):** इसके तहत गुणवत्ता और सुरक्षा के बजाए **लागत को कम बनाए रखने को प्राथमिकता** दी जाती है।
- **भ्रष्टाचार:** लोक अधिकारी अपने विवेक का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण अधिकारियों, ठेकेदारों और शामिल अन्य हितधारकों के बीच **गठजोड़** का निर्माण होता है।
- **सत्यनिष्ठा की कमी:** जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र या तो हैं ही नहीं या प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेते हैं।

- उदाहरण के लिए- यमुना बैराज के गेटों के जाम हो जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ आई। ऐसा माना जाता है कि यह **कई प्राधिकरणों के शामिल होने** के कारण **रख-रखाव की कमी** और निश्चित **जवाबदेही की कमी** के कारण हुआ।

- **उदासीनता, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा की कमी जैसे मनोवृत्ति से जुड़े मुद्दे।**

सार्वजनिक सेवा वितरण में शामिल नैतिकता संबंधी मुद्दे

- **व्यावसायिक नैतिकता की कमी: सरकारी कर्मचारियों में अक्सर प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधकीय कौशल की कमी होती है।**
- **'सार्वजनिक सेवा' के प्रति निष्ठा की कमी:** सरकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक **कर्तव्य** और जिम्मेदारी से ज़्यादा **निजी लाभ को प्राथमिकता** देते हैं।
  - लोक सेवकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण **संरक्षण, पक्षपात जैसी समस्याएं उत्पन्न** होती हैं।
- **भ्रष्टाचार: पद और विवेकाधीन शक्तियों** का अनैतिक उपयोग भी एक समस्या बना हुआ है। उदाहरण के लिए- PDS वितरण में **लीकेज**, योजनाओं में **समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियां।**
- **जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी:** गंभीर त्रुटियों के प्रति **न्यायोचित और निष्पक्ष कार्यवाही** की कमी **भ्रष्ट आचरण के निवारण** को कमजोर करती है।

नागरिकों को केंद्र में रखने के लिए ARC (द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति) का सात चरणीय मॉडल

1. प्रदान की जाने वाली सेवाओं को **परिभाषित करना** और उनके संभावित लाभार्थियों की पहचान करना।
2. प्रत्येक सेवा के लिए **मानक** और मानदंड का निर्धारण करना।
3. निर्धारित मानकों को पूरा करने की **क्षमता** विकसित करना।
4. मानकों का **अनुपालन** सुनिश्चित करने का प्रयास करना।
5. निर्धारित मानकों के प्रतिकूल **प्रदर्शन की निगरानी करना।**
6. स्वतंत्र निगरानी तंत्र के जरिए **प्रभावों का मूल्यांकन करना।**
7. परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर **निरंतर सुधार करना।**

केस स्टडीज़

- **सेवाओं के अधिकार के लिए आयोग का गठन: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब** जैसे राज्यों द्वारा इन आयोगों का गठन किया गया है।
- 20 से अधिक राज्यों ने **सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार संबंधी कानून पारित किए हैं।** उदाहरण के लिए- **हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014**

सार्वजनिक सेवा वितरण में समस्याएं क्यों बनी हुई हैं?

- विभिन्न सेवा सुधार प्रणालियों के **प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव** है, जिसमें सिविल सेवकों के लिए नियम और विनियमन भी शामिल हैं।
- **प्रशासन में कठोरता:** प्रशासन में सुधारों और परिवर्तन के विरुद्ध अवरोध उत्पन्न किया जाता है।
- **राजनीतिक बाधाएं:** सार्वजनिक हित की तुलना में राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने से न्यायसंगत सार्वजनिक सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **जमीनी स्तर की नौकरशाही में नैतिक सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की उपेक्षा:** सुधार और परिवर्तन संबंधी अधिकांश प्रयासों के तहत प्रायः नौकरशाही के उच्च स्तर पर प्रशासनिक सुधारों पर फोकस किया जाता है।

सुशासन सुनिश्चित करने के उपाय

- **प्रशासनिक सुधार:** इसके तहत **नागरिक चार्टर,** एक **उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र** की स्थापना और प्रत्येक लोक सेवक की जवाबदेही तय करने जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- **न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM):** इसके तहत **निजी क्षेत्रक** की **कुशल प्रथाओं** को सार्वजनिक क्षेत्रक में लागू किया जाता है। (बॉक्स देखें)
- **मानव पूंजी का विकास:** सक्षम लोक सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा **सार्वजनिक सेवाओं के लिए नैतिक मूल्यों का विकास करना,** जैसे- **मिशन कर्मयोगी।**
  - **जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली नौकरशाही को संवेदनशील बनाना** क्योंकि वे **नागरिकों को सार्वजनिक सेवा प्रदान करने** के लिए उनके **सीधे संपर्क में रहते हैं।**

- **ई-गवर्नेंस: सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार** करने, **सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग** सुनिश्चित करने और नागरिकों के लिए **सेवाओं तक पहुंच** को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीक़े से उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- **SMART**[72] शासन; महाराष्ट्र का 'आपले सरकार' ऐप।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी:** कई स्तरों पर नियमित ऑडिट, दोषपूर्ण डिज़ाइन, सामग्री के उपयोग जैसी त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
    - उदाहरण के लिए- **'सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन' (PRAGATI)**[73] के लिए ICT-आधारित, बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म।

नवीन सार्वजनिक प्रबंधन (New Public Management: NPM) की प्रमुख विशेषताएं

- परिचालन संबंधी प्रबंधन से रणनीतिक नीतियों को **अलग रखना।**
- कार्यविधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ **परिणाम-उन्मुखता** को अपनाना।
- संगठनों या नौकरशाहों के हितों पर ध्यान देने के बजाय **नागरिक-केंद्रित उन्मुखता पर फोकस करना।**
- **प्रदाता से सक्षमकर्ता (Provider to enabler):** सेवा वितरण और रणनीतिक निर्णय लेने में **निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रकों** की भागीदारी में वृद्धि करना, उदाहरण के लिए- **कांट्रेक्टिंग-आउट और PPP.**
- **उद्यमी प्रबंधन संस्कृति को अपनाना,** उदाहरण के लिए- सकल गुणवत्ता प्रबंधन (TQM), IS 15700:2005.
    - IS 15700:2005 को **BIS** द्वारा शुरू किया गया है। यह **गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए भारतीय मानक** है।

निष्कर्ष

तेजी से बदलती दुनिया में, विशेष रूप से सेवा वितरण के मामले में **सरकार की भूमिका बढ़ गई है।** शासन की संरचना को **एकीकृत नौकरशाही पदानुक्रम** के स्थान पर एक ऐसी **बहु-स्तरीय संस्था** के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जो नागरिक समाज के रूप में व्याप्त हो और **सरकार तथा नागरिकों के बीच के अंतराल को कम-से-कम कर सके।**

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए:

आप एक ऐसे जिले के SDM हैं जहां गरीबी की दर बहुत अधिक है। आप खाद्य वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के प्रभारी हैं। साइट विजिट के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि X गाँव में गाँव के सरपंच ने कार्यक्रम के लिए आवंटित नि:शुल्क अनाज को हड़प लिया है। पिछड़ी जाति के परिवारों को आवंटित अनाज का केवल आधा हिस्सा ही उन्हें दिया गया है। जिले के DM और MP के साथ सरपंच के अच्छे संबंध हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. उपर्युक्त मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
2. उपर्युक्त स्थिति में आपके लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
3. आप उपलब्ध विकल्पों में से किस विकल्प का चुनाव करेंगे और क्यों?

9.3. लोक प्राधिकारियों के हितों का टकराव (Conflict of Interests of Public Officials)

परिचय

हाल ही में, एक अमेरिकी फर्म ने सेबी के अध्यक्ष पर सेबी की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे हितों के संभावित टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति सिविल सेवकों या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीच हितों के टकराव की एक नई संभावना प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके निजी हित और सार्वजनिक कर्तव्य शामिल हैं।

[72] Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent/ सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी

[73] Pro-Active Governance and Timely Implementation

हितों का टकराव क्या है?

- **परिभाषा:** OECD के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'हितों के टकराव' में एक लोक प्राधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव होता है। इस स्थिति में लोक प्राधिकारी के निजी हित उसके आधिकारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच हितों का टकराव दुनिया भर में सार्वजनिक चिंता का एक प्रमुख मुद्दा** बन गया है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्व-नियमन, कर्मियों के आदान-प्रदान, स्पांसरशिप जैसे नज़दीकी सहयोग के कारण बढ़ोतरी हुई है।
- **हितों के टकराव के प्रकार:**
    - **वास्तविक टकराव:** ऐसी स्थिति जहां लोक प्राधिकारी के **निजी हित** और **सार्वजनिक हित के प्रति उसके कर्तव्य** के मध्य टकराव हो।
        - **उदाहरण के लिए-** एक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य के स्वामित्व वाली कंपनी को एक आकर्षक अनुबंध प्रदान किया जाना।
    - **संभावित टकराव:** ऐसी स्थिति जहां लोक प्राधिकारी के निजी हित अभी तक सार्वजनिक हित में उसके कर्तव्य के साथ टकराव की स्थिति में नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है।
        - **उदाहरण के लिए-** किसी कंपनी के उत्पादों से संबंधित अध्ययन के लिए एक अकादमिक शोधकर्ता द्वारा उस कंपनी से धन प्राप्त किया जाना।
    - **अनुमानित टकराव:** यह एक ऐसी स्थिति है, जहां लोक प्राधिकारी का निजी हित ऐसा दिखता है जैसे कि यह उसके सार्वजनिक हित के कर्तव्य के प्रति टकराव की स्थिति में हो, हालांकि ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है।
        - **उदाहरण के लिए-** एक निर्वाचित अधिकारी का किसी लॉबिस्ट द्वारा आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेना, भले ही उसने किसी तरह की प्रत्यक्ष सहायता का अनुरोध न किया हो।

शामिल हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित
लोक प्राधिकारी	पेशेवर सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखना, कोड ऑफ एथिक्स और आचार संहिता, करियर में उन्नति आदि का पालन करना।
सरकार	नैतिक मानकों को लागू करना, कुशल और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण, शासन, सुशासन आदि में लोगों का भरोसा और विश्वास बनाए रखना।
नागरिक	सार्वजनिक सेवाओं तक निष्पक्ष पहुंच, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन और शासन इत्यादि।
व्यवसाय	सरकारी अनुबंधों में उचित और निष्पक्ष अवसर, अनुकूल कारोबारी माहौल, विनियामकीय उदारता आदि।
विनियामक निकाय	विनियामकीय प्रक्रियाओं में सत्यानिष्ठा बनाए रखना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और लोक हित की रक्षा करना आदि।

हितों के टकराव में शामिल नैतिक मुद्दे

- **सार्वजनिक विश्वास का कमजोर होना:** पक्षपाती निर्णय लेने की किसी भी धारणा या वास्तविकता से सार्वजनिक विश्वास कमजोर हो जाता है, जिससे जनता को सरकारी कार्रवाइयों की निष्पक्षता और तटस्थता पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए- इनसाइड ट्रेडिंग।
    - जनता के विश्वास की इस क्षति के परिणामस्वरूप **सरकारी निर्णयों और संस्थानों की वैधता भी कम** हो सकती है।
- **भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग:** इसके चलते **रिश्वतखोरी, पक्षपात और भाई-भतीजावाद जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है जो नैतिक और कानूनी मानकों के खिलाफ** हैं। उदाहरण के लिए- **आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला**।
- **तटस्थता और निष्पक्षता:** हितों के टकराव की स्थिति में लोक प्राधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण और गलत निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह का निर्णय प्रभावी रूप से तटस्थता और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है।

- **संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन:** हितों के टकराव की स्थिति में लोक प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो सीमित लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह का निर्णय समानता और निष्पक्षता जैसे नैतिक सिद्धांतों को कमजोर बनाते हैं।
- **ब्रांड पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव:** संभावित घोटालों, नकारात्मक मीडिया कवरेज आदि के कारण व्यवसायों की ब्रांड इमेज और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में हितों के टकराव को रोकने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क

लोक सेवकों के लिए

- **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964:**
  - इसके अनुसार, **सिविल सेवकों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करनी चाहिए** और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए;
  - सिविल सेवक को **अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए** और अपने **परिवार या अपने मित्रों को वित्तीय या भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए निर्णय नहीं** लेना चाहिए।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग** ने हितों के टकराव को रेखांकित करने वाली विभिन्न खरीदों, बोली और अन्य प्रक्रियाओं के लिए **दिशा-निर्देश जारी** किए हैं।
- **बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर सेबी की संहिता:** एक सदस्य को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो किया जा सके कि उसके अधीन किसी भी हित के टकराव से बोर्ड के किसी भी निर्णय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यवसायों के लिए

- **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166:** किसी कंपनी का निदेशक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो जो कंपनी के हित से टकराता हो, या संभवतः टकरा सकता हो।
- **सेबी** ने स्टॉक एक्सचेंज्स, मध्यवर्तियों जैसी विभिन्न संस्थाओं के हितों के टकराव से निपटने के लिए **दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

हितों के टकराव का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **प्रासंगिक हितों के टकराव की पहचान:** हितों के टकराव की स्थितियों की पहचान, प्रबंधन और समाधान करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभावी, पूर्ण और शीघ्र प्रकटीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।
- **नेतृत्व की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना:** सभी लोक अधिकारियों को अपने निजी हितों को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए जिससे जनता का विश्वास और संगठन की विश्वसनीयता बनी रहे।
- **हितों के टकराव की नीति का व्यापक प्रकाशन और समझ सुनिश्चित करना:** इसके लिए हितों के टकराव की नीति का प्रकाशन किया जाना चाहिए तथा इस बारे में नियमित रूप से रिमाइंडर जारी किया जाना चाहिए।

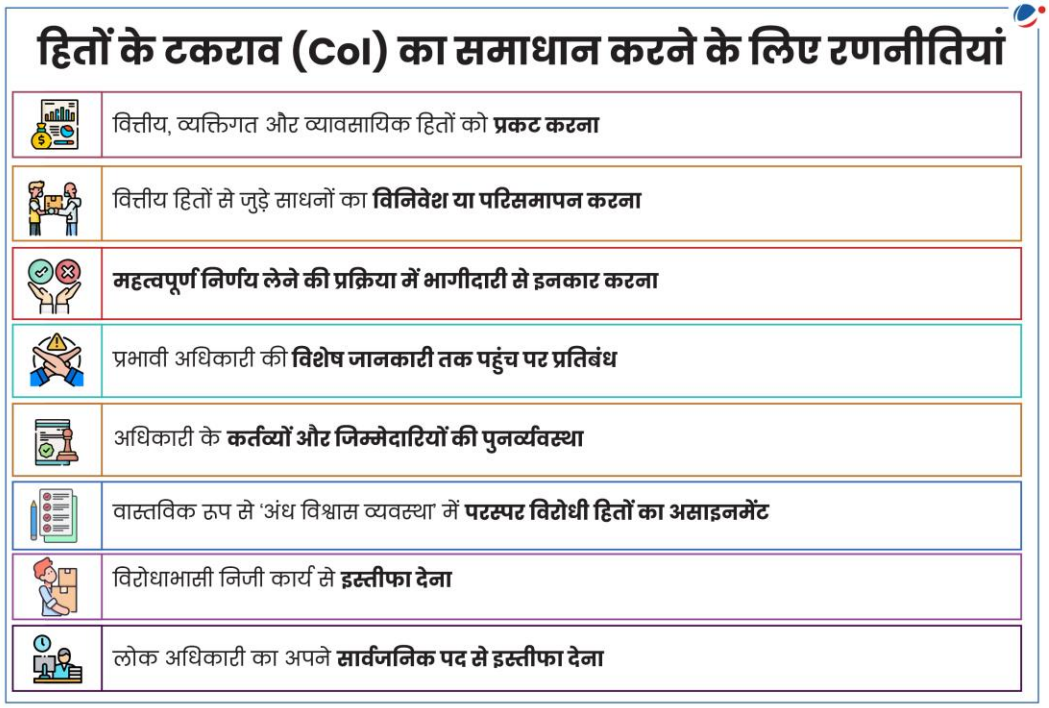

- **हितों के संभावित टकराव की स्थितियों के लिए 'जोखिम वाले' क्षेत्रों की समय-समय पर समीक्षा करना:** उदाहरण के लिए- आंतरिक जानकारी, उपहार और अन्य प्रकार के लाभ, बाहरी नियुक्तियां, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद की गतिविधि, आदि।

- **लोक सेवकों को रिवॉल्विंग डोर से रोकने के लिए कूलिंग ऑफ अवधि की शुरुआत:** कूलिंग ऑफ अवधि वह न्यूनतम समय अवधि है, जिसमें सेवानिवृत लोक अधिकारी को निजी क्षेत्रक में रोजगार स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
  - रिवॉल्विंग डोर व्यक्तियों के सरकारी से निजी क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक से सरकार की ओर स्थानांतरण को दर्शाता है।
- **स्वतंत्र निगरानी निकायों का गठन:** हितों के टकराव के नियमों की सक्रियता से निगरानी, जांच और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र निकायों या नैतिक आयोगों की स्थापना की जानी चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए-** अमेरिका के कई राज्यों में लोक प्राधिकारियों के आचरण के मानकों के संरक्षक के रूप में नैतिकता आयोग का गठन किया गया है।

> "मानवीय हितों के टकराव के चलते ही न्याय की आवश्यकता पैदा होती है। अर्थात्, यदि मानव के बीच हितों का टकराव न होता, तो हमें कभी न्याय शब्द का आविष्कार नहीं करना पड़ता, न ही उस विचार की कल्पना करनी पड़ती जिस पर यह आधारित है।"
>
> **— थॉमस निक्सन कार्वर**

निष्कर्ष

हितों के टकराव की समस्या का समाधान करना केवल कानूनी अनुपालन का मामला नहीं है, बल्कि नैतिक शासन का एक बुनियादी पहलू भी है। लोक प्राधिकारी विश्वास के पद पर आसीन होते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हितों के टकराव को रोकने, उसकी पहचान करने और उसे प्रबंधित करने हेतु मजबूत तंत्र की जरूरत है। पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि निर्णय नागरिकों के सर्वोत्तम हित में लिए जाएं, ताकि सार्वजनिक संस्थानों की वैधता बनी रहे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत किया जा सके।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए:

आप एक सरकारी विनियामक संस्था में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में, आपका एक करीबी दोस्त, जो एक सफल निजी कंपनी चलाता है, एक व्यावसायिक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया है। वह उस क्षेत्र में एक नया उद्यम शुरू करना चाहता है, जिसे आपका विभाग नियंत्रित करता है। इसलिए वह नियामक परिदृश्य जानने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता है। वह आपको आश्वासन देता है कि यह सिर्फ मैत्रीपूर्ण सलाह है और आपकी विशेषज्ञता की सराहना के प्रतीक के रूप में आपको कंपनी में एक छोटी हिस्सेदारी प्रदान करने की पेशकश करता है।

इस बीच, आपका विभाग ऐसी नई नीतियां तैयार करने की प्रक्रिया में है जो इस क्षेत्र के व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। आपको इन आगामी परिवर्तनों के बारे में अंदरूनी जानकारी है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में नैतिक मुद्दों और हितों के संभावित टकराव की पहचान कीजिए।
- इस परिदृश्य में आप क्या कार्रवाई करेंगे? लोक सेवकों के लिए नैतिक सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य सिद्ध कीजिए।
- तीन प्रणालीगत उपाय सुझाइये जिन्हें सार्वजनिक प्रशासन में हितों के ऐसे टकराव को रोकने के लिए लागू किया जा सकता है।

9.4. ऑनलाइन गेमिंग की नैतिकता (Ethics of Online Gaming)

परिचय

हाल ही में, ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता[74] जारी की गई है। इसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) के सहयोग से इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की डिजिटल गेमिंग समिति के सदस्यों के संयुक्त घोषणा-पत्र के रूप में जारी किया गया है।

[74] Voluntary Code of Ethics for Online Gaming Intermediaries

इस आचार संहिता के बारे में

- यह संहिता स्वैच्छिक प्रकृति की है, जिसका अर्थ है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- **उद्देश्य:**
  - **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना** और उन्हें खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स के बारे में **तथ्यों के आधार पर विकल्प चुनने में सक्षम** बनाना।
  - भारत में ऑनलाइन गेम्स के लिए **एक स्वस्थ वातावरण बनाना** और देश में **जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग की संस्कृति** को विकसित करना।
  - उद्योग के मानक को बेहतर बनाना और हस्ताक्षरकर्ताओं की **व्यावसायिक प्रथाओं में एकरूपता** लाना।

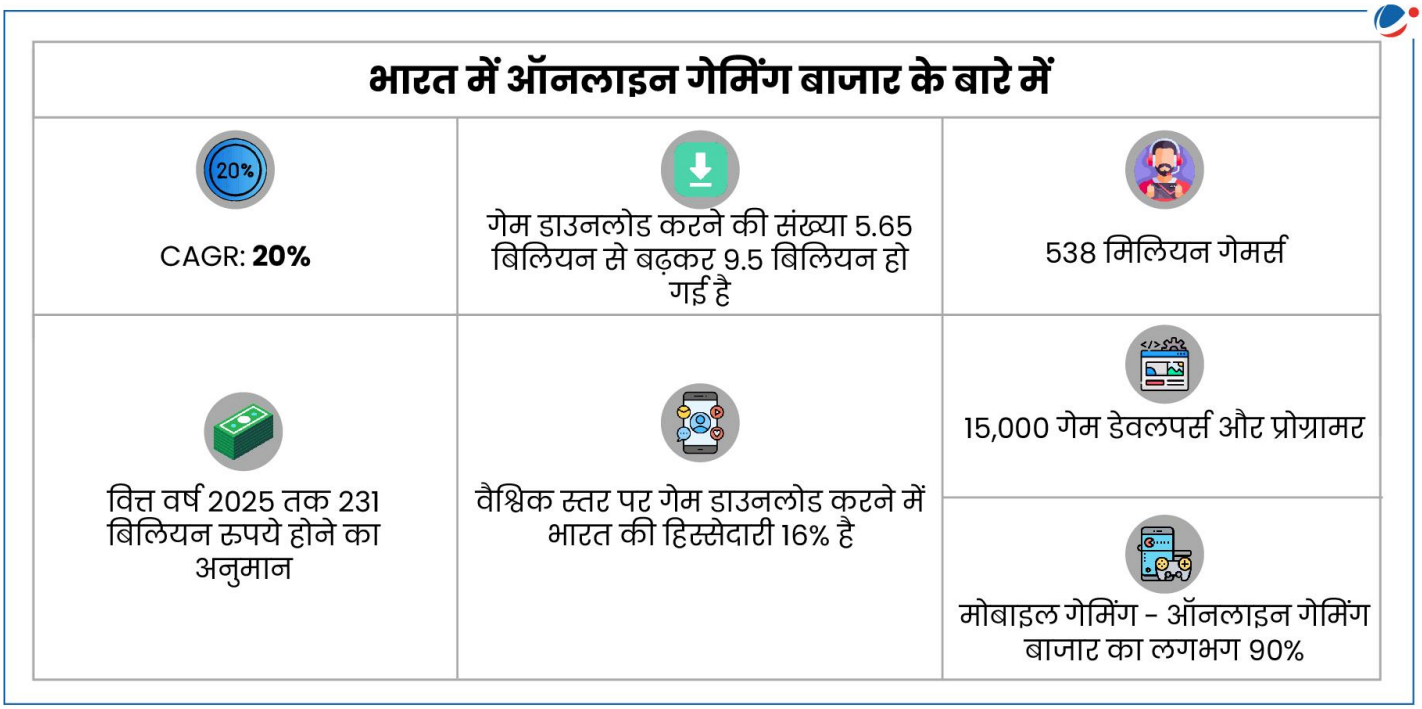

- **मुख्य प्रावधान: ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं:**
  - **जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग (Responsible Gaming):**
    - यूजर्स को जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग और सुरक्षा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
    - खिलाड़ी को अपनी मर्जी से बीच में गेम छोड़ने की सुविधा प्रदान करना। इससे खिलाड़ी स्वेच्छा से चुनी गई अवधि के लिए अपने एक्सेस को रोकने में सक्षम होंगे।
    - खिलाड़ी के व्यवहार पर नज़र रखने के लिए उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग करना।
  - **आयु सीमा (नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय):** 18 वर्ष से कम आयु के यूजर्स को वास्तविक धन पुरस्कार की पेशकश नहीं की जाएगी।
  - **फेयर गेमिंग:**
    - अपनी वेबसाइट और प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनलाइन गेम के मैकेनिक्स और नियमों को स्पष्ट रूप से बताते हुए नियम, शर्तें तथा गोपनीयता नीति का मसौदा तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना।
    - जहां प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूजर्स के खिलाफ भाग लेता है, वहां रियल-मनी गेम्स की पेशकश करने वाले OGIs किसी भी प्रतियोगिता या गेम की पेशकश नहीं करेंगे।
  - **वित्तीय सुरक्षा के उपाय:**
    - KYC अपडेट करना, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए नियंत्रण और निवारक उपाय लागू करना।
    - अनधिकृत भुगतान प्रणालियों के जरिए वित्तीय लेन-देन की अनुमति नहीं देना।

- **जिम्मेदारीपूर्ण विज्ञापन:**
  - निष्पक्ष और सत्यतापूर्ण विज्ञापन जारी करना, जिसमें नाबालिगों को अनैतिक रूप से प्रेरित नहीं किया जाए तथा आवश्यक अस्वीकरण और चेतावनियां शामिल हों।
  - रोजगार के विकल्प के रूप में ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार नहीं करना।
- **सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय गेमिंग:**
  - लागू डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुपालन में डिजिटल व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा को संसाधित और संग्रहीत करना, और
  - सुरक्षित गेमिंग के लिए साक्ष्य-आधारित सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानना और उन्हें एकीकृत करना।

प्रमुख हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित
गेमर्स	उपभोक्ता; समर्थक और अनैतिक प्रथाओं के संभावित पीड़ित।
गेम डेवलपर्स	गेमिंग अनुभव को बढ़ाना; ऐसी निष्पक्ष गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना; कंटेंट और मैकेनिक्स तथा नैतिक चिंताओं के संभावित लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार।
प्लेटफॉर्म प्रदाता	कंटेंट मॉडरेशन; यूजर्स सेफ्टी; नियमों का अनुपालन और बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जिम्मेदार।
विनियामक निकाय	उपभोक्ताओं की सुरक्षा; राजस्व सृजन; अवैध गतिविधियों की रोकथाम; कंटेंट प्रतिबंधित आयु सीमा सहित नियमों को लागू करना और जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना।
नागरिक समाज	हानिकारक कंटेंट और अत्यधिक गेमिंग से बच्चों की सुरक्षा; सामाजिक वैमनस्य को रोकना और नैतिक गेमिंग को बढ़ावा देना।

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी नैतिक चिंताएं

- **गेमिंग बनाम गैम्बलिंग:** गैम्बलिंग को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर अक्सर चिंताएं उत्पन्न होती रहती हैं।
  - गेमिंग में कौशल-आधारित गतिविधियां, रणनीतिक सोच और गहन अनुभव शामिल हैं, जबकि गैम्बलिंग में भाग्य के साथ अनिश्चित परिणामों पर पैसा लगाना शामिल है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के एक्शन और बातचीत को सावधानीपूर्वक ट्रैक करते हैं, खिलाड़ी के व्यवहार की प्रोफाइलिंग करते हुए व्यक्तिगत अनुभव भी प्रदान करते हैं।
  - ऐसे डेटा में व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा जैसे नाम, उम्र, बैंकिंग विवरण आदि भी शामिल होते हैं जो व्यक्ति की गोपनीयता, डेटा सहमति और निगरानी सीमाओं के संबंध में चिंताएं पैदा करते हैं।
- **फेयर प्ले:** दुर्भावना रखने वाले कारकों **द्वारा रियल-मनी गेम्स के परिणामों में हेरफेर** किया जा सकता है। इससे प्रतियोगिताओं की शुचिता कम हो सकती है और यूजर्स को वित्तीय नुकसान हो सकता है।
- **यूजर सेफ्टी:** कई बार यूजर्स के साथ उत्पीड़न, धोखाधड़ी, धमकाने, पहचान की चोरी और दुर्व्यवहार जैसा बुरा व्यवहार किया जाता है।
  - ऑनलाइन गेमिंग के रूप में **ऑफशोर बेटिंग ऐप्स** और इस क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को लेकर भी आशंकाएं हैं।
- **जवाबदेही:** ऐसे ऑनलाइन गेम्स के उदाहरण सामने आए हैं जो अनुचित व्यवहार अपना रहे हैं और नशे, सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं या यूजर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
  - गेमिंग कंपनियां भ्रामक विज्ञापन करती हैं, जो यूजर्स के कल्याण के लिए हानिकारक है।
- **सदाचार नैतिकता:** इसके अलावा, खेल में पात्रों के क्रियाकलापों में प्रदर्शित लक्षण वास्तविक जीवन में खिलाड़ियों के नैतिक निर्णयन को प्रभावित करते हैं।

भारत में गेमिंग के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क

- **खेलों में अंतर:** भारतीय कानून के तहत, गेम ऑफ स्किल यानी कौशल के खेल को आम तौर पर कानूनी माना जाता है, जबकि गेम ऑफ चांस को अवैध माना जाता है। यह कानूनी अंतर इस बात पर आधारित है कि स्किल बनाम चांस किस हद तक खेल के परिणाम को प्रभावित करता है।

- रम्मी, हॉर्स रेसिंग, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स को अक्सर गेम ऑफ स्किल माना जाता है जबकि कैसीनो गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी को अक्सर गेम ऑफ चांस माना जाता है।

- **संवैधानिक प्रावधान:** न्यायालय ने स्किल गेमिंग को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक संरक्षित गतिविधि के रूप में मान्यता दी है। यह अनुच्छेद कोई भी पेशा अपनाने या किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है।
  - संविधान की सातवीं अनुसूची भारत के प्रत्येक राज्य को "सट्टेबाजी और गैम्बलिंग" से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है। इसी के परिणामस्वरूप राज्यों ने इस संबंध में अलग-अलग नियम बनाए हैं।
    - उदाहरण के लिए- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने गेम्स ऑफ स्किल के लिए छूट को समाप्त करते हुए सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    - हालांकि, सिक्किम और नागालैंड ने विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली स्थापित की है।
- **ऑनलाइन गेमिंग के नियम:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021** में संशोधन के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक केंद्रीय कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित किया है।
  - इन नियमों का उद्देश्य खासकर जनता के लिए "ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स" तक पहुंच के मामले में गैम्बलिंग, यूजर क्षति और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** इसका उद्देश्य व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करना और डेटा प्रोसेसिंग को विनियमित करना है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** यह भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर भी लागू होता है। यह उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें सुरक्षा, सूचना प्राप्त करने, निवारण, सुने जाने और चुनने का अधिकार शामिल है।

> खेलों को नैतिक गुणों के विकास की प्रयोगशाला कहा जाता है, लेकिन वे अकेले इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। बल्कि उसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से संचालित किया जाना चाहिए।
>
>
>
> **— जेम्स नाइस्मिथ**

आगे की राह

- **प्राइवेसी एथिक्स और डेटा सुरक्षा:** खिलाड़ी की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गुमनामीकरण और एन्क्रिप्शन तकनीक प्रदान की जानी चाहिए।
  - इसके अलावा, **डेटा न्यूनीकरण का पालन** करना और **व्यक्तिगत डेटा संग्रह** के लिए सहमति की अनिवार्य शर्त के साथ यूजर्स को उनके डेटा पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करना चाहिए।
- **जिम्मेदारीपूर्ण गेमिंग:** उद्योग के हितधारकों, नियामकों और समर्थक समूहों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देते हुए सक्रिय उपाय और शैक्षिक पहलें आवश्यक हैं।
- **स्व-नियमन:** इन चुनौतियों से निपटने के लिए गेमिंग कंपनियों के भीतर स्व-नियमन लागू करना महत्वपूर्ण है। स्व-नियमन के पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
  - पहचान और आयु सत्यापन के साथ-साथ बेहतर नो योर कस्टमर (KYC) प्रोटोकॉल।

- परामर्श सहायता, खिलाड़ी हेतु सहायता सेवाएं, गेमिंग सत्र पर समय संबंधी सीमाएं आदि।
- नियमित ऑडिट और खिलाड़ी के व्यवहार की सकारात्मक निगरानी द्वारा जोखिम वाले खिलाड़ियों की पहचान करना।

- **एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम:** इनमें उच्च जोखिम वाले उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान, वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक स्थान के सत्यापन और धन के स्रोतों के सत्यापन में जियोलोकेशन सेवाओं का उपयोग शामिल होना चाहिए।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए:

एक गेमिंग कंपनी है, जो एक लोकप्रिय रियल मनी गेम की मेजबानी करती है। इस कंपनी पर अपने स्वयं के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बॉट्स के उपयोग का आरोप लगाया गया है। ये बॉट गेम के परिणामों में हेरफेर करते हैं और इस पर यूजर्स को आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लक्षित विज्ञापनों के लिए डेटा बेचे जाने के आरोपों के साथ ही कंपनी की डेटा संग्रह प्रथाओं के बारे में भी चिंताएं हैं।

उपरोक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इसमें शामिल विभिन्न हितधारकों और संबंधित नैतिक चिंताओं की पहचान कीजिए।
- ऑनलाइन गेमिंग के उद्भव के साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न नैतिक चिंताएं क्या हैं और इन नैतिक चिंताओं का कैसे समाधान किया जा सकता है?

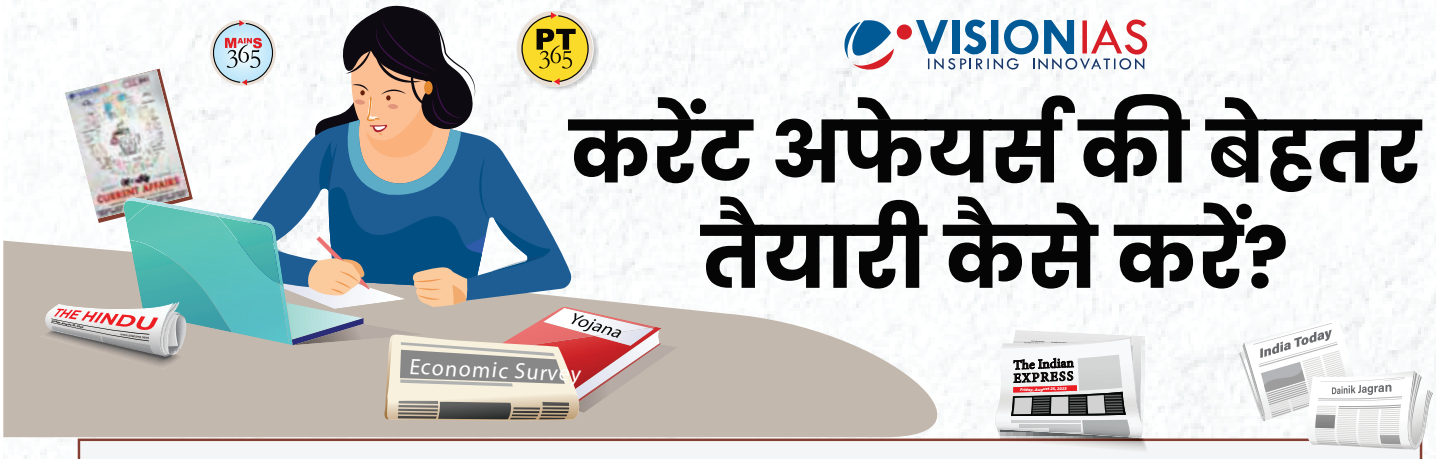

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय-सीमा को **31 मार्च 2025 तक** बढ़ाने की घोषणा की है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **स्मार्ट समाधानों वाले शहरों को बढ़ावा देना-** स्मार्ट समाधानों का उपयोग करते हुए शहरों की कोर अवसंरचना को मजबूत बनाना, पर्यावरण को संरक्षित करना और नागरिकों के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करना। • सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत विकास के ज़रिए **संवृद्धि को बढ़ावा देना।** • अन्य शहरों को प्रेरित करने एवं संधारणीय व समावेशी शहरी विकास के लिए **आदर्श मॉडल (Replicable models) बनाना।**	• **मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)। • **योजना की शुरुआत: वर्ष 2015** में की गई थी। • **वैधता अवधि:** 31 मार्च 2025 तक। • **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना। • **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार प्रत्येक शहर को प्रतिवर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रदान करती है। ○ राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय (ULB)[75] द्वारा समान आधार पर समान राशि प्रदान की जाएगी। ○ **संसाधन या फंडिंग के अन्य स्रोत:** ▪ वित्त आयोग के तहत अनुदान, ▪ नवीन वित्त तंत्र (जैसे- म्युनिसिपल बॉण्ड), ▪ सरकारी कार्यक्रम और उधार। • **चयन प्रक्रिया:** प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की अवधारणा के आधार पर **100 स्मार्ट शहरों** का चयन किया गया है। ○ **प्रतिस्पर्धा का चरण-1:** राज्यों द्वारा शहरों की शॉर्टलिस्टिंग। ▪ शहरों को समान मानदंड के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया जाता है। इस चरण में, प्रतिस्पर्धा अंतर्राज्यीय हुई थी। ○ **प्रतिस्पर्धा का चरण-2:** चयन के लिए चैलेंज राउंड। ▪ प्रत्येक संभावित स्मार्ट सिटी ने 'सिटी चैलेंज' में भाग लेने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए थे, ताकि स्मार्ट सिटी के रूप में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। • **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV):** स्मार्ट सिटीज़ मिशन का कार्यान्वयन एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के जरिए किया जा रहा है। ○ SPV स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की **योजना बनाएगा, आकलन करेगा, अनुमोदन करेगा, धनराशि जारी करेगा, कार्यान्वयन करेगा, प्रबंधन करेगा, संचालन करेगा, निगरानी करेगा और मूल्यांकन करेगा।** ○ इसे **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में शहरी स्तर** पर स्थापित किया गया है। ○ इसका **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धन** किया जाता है। इसमें दोनों की **50:50 इक्विटी शेयरधारिता** होती है। ▪ निजी संस्थाएं निवेश कर सकती हैं, लेकिन राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और ULB को ही अधिकतर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। ○ भारत सरकार स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत SPV को सशर्त अनुदान के रूप में धन प्रदान करेगी। इस धन को एक **अलग अनुदान निधि में रखा** जाएगा। • **रणनीति:** ○ क्षेत्र-आधारित विकास के निम्नलिखित **तीन मॉडल्स** अपनाए गए हैं: ▪ **रेट्रोफिटिंग (शहर में सुधार के लिए);**

[75] Urban Local Body

- **रिडेवलपमेंट (शहर के नवीनीकरण के लिए); तथा**
- **ग्रीनफील्ड (शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए)।**

○ इसमें क्षेत्र-आधारित विकास के साथ-साथ **पैन-सिटी पहल** का भी उपयोग किया जाता है।

- इसमें मौजूदा शहर-व्यापी अवसंरचना में **चयनित स्मार्ट समाधानों को लागू** करने की परिकल्पना की गई है।

- **अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण करना:** अमृत (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय/ HRIDAY) जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण करना।
- **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC):** 100 स्मार्ट शहरों में ICCCs का उपयोग साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।
  - ICCC नागरिकों को **यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल जैसे क्षेत्रकों में कई ऑनलाइन सेवाएं** प्रदान करता है।
- **वर्तमान स्थिति:** 3 जुलाई 2024 तक, 100 शहरों ने 7,188 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 90%) पूरी कर ली हैं।

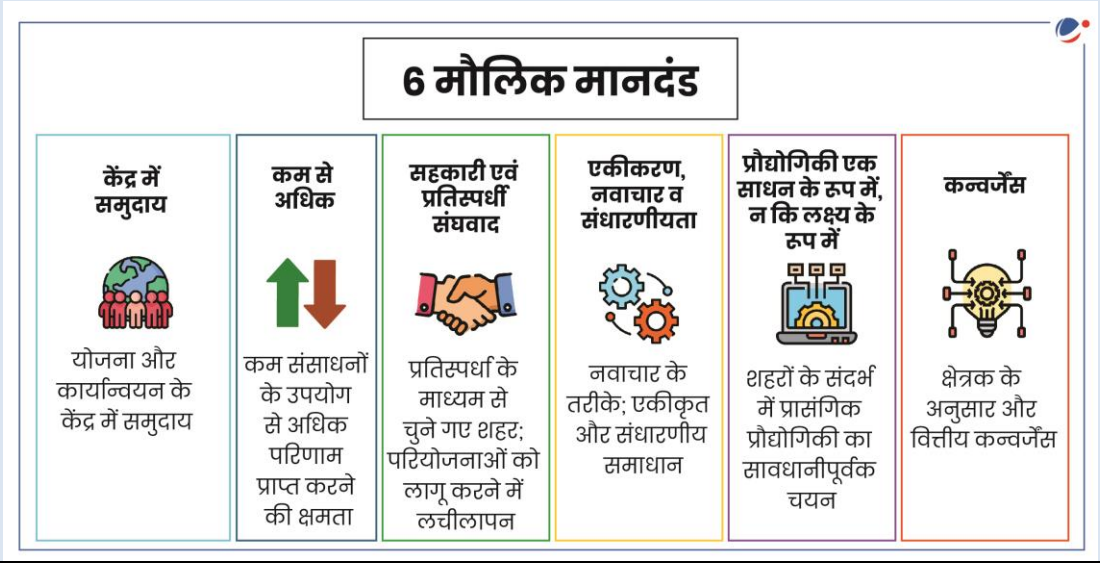

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

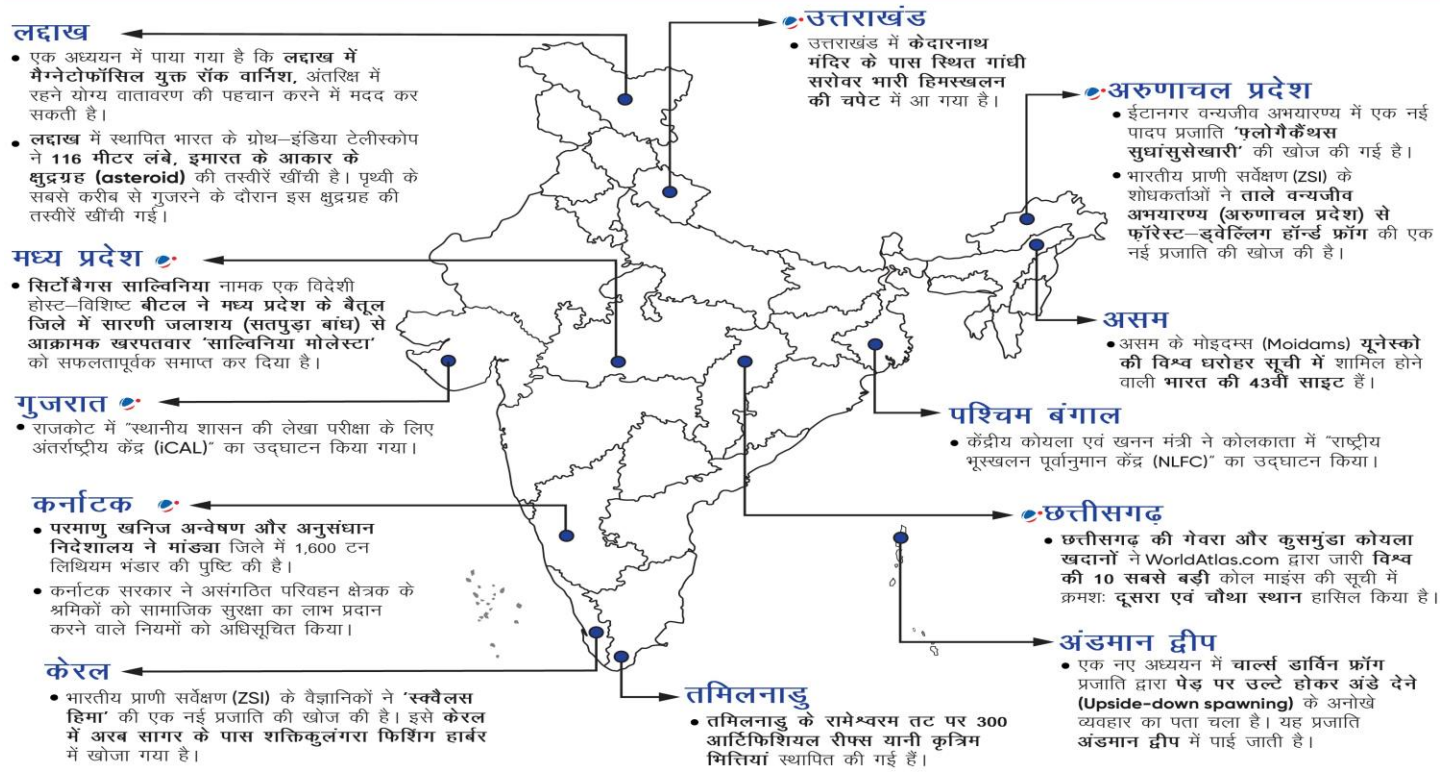

लद्दाख
- एक अध्ययन में पाया गया है कि **लद्दाख में मैग्नेटोफॉसिल युक्त रॉक वार्निश**, अंतरिक्ष में रहने योग्य वातावरण की पहचान करने में मदद कर सकती है।
- **लद्दाख** में स्थापित भारत के ग्रोथ–इंडिया टेलीस्कोप ने **116 मीटर लंबे, इमारत के आकार के क्षुद्रग्रह (asteroid)** की तस्वीरें खींची है। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने के दौरान इस क्षुद्रग्रह की तस्वीरें खींची गई।

उत्तराखंड
- उत्तराखंड में **केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन की चपेट** में आ गया है।

अरुणाचल प्रदेश
- ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में एक नई पादप प्रजाति **'फ्लोगैकैंथस सुधांसुसेखारी'** की खोज की गई है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने **ताले वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश) से फॉरेस्ट–डवेल्लिंग हॉर्न्ड फ्रॉग** की एक नई प्रजाति की खोज की है।

मध्य प्रदेश
- **सिर्टोबैगस साल्विनिया** नामक एक विदेशी होस्ट–विशिष्ट **बीटल ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारणी जलाशय (सतपुड़ा बांध) से आक्रामक खरपतवार 'साल्विनिया मोलेस्टा'** को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।

असम
- असम के मोइदम्स (Moidams) **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में** शामिल होने वाली **भारत की 43वीं साइट** हैं।

गुजरात
- राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL)" का उद्घाटन किया गया।

पश्चिम बंगाल
- केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कोलकाता में "राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC)" का उद्घाटन किया।

कर्नाटक
- **परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या** जिले में 1,600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की है।
- कर्नाटक सरकार ने असंगठित परिवहन क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने वाले नियमों को अधिसूचित किया।

छत्तीसगढ़
- **छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों** ने WorldAtlas.com द्वारा जारी **विश्व की 10 सबसे बड़ी** कोल माइंस की सूची में क्रमशः **दूसरा एवं चौथा स्थान** हासिल किया है।

अंडमान द्वीप
- एक नए अध्ययन में **चार्ल्स डार्विन फ्रॉग** प्रजाति द्वारा **पेड़ पर उल्टे होकर अंडे देने (Upside-down spawning)** के अनोखे व्यवहार का पता चला है। यह प्रजाति **अंडमान द्वीप** में पाई जाती है।

केरल
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने **'स्क्वैलस हिमा'** की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे **केरल में अरब सागर के पास शक्तिकुलंगरा फिशिंग हार्बर** में खोजा गया है।

तमिलनाडु
- **तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर 300 आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कृत्रिम भित्तियां** स्थापित की गई हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

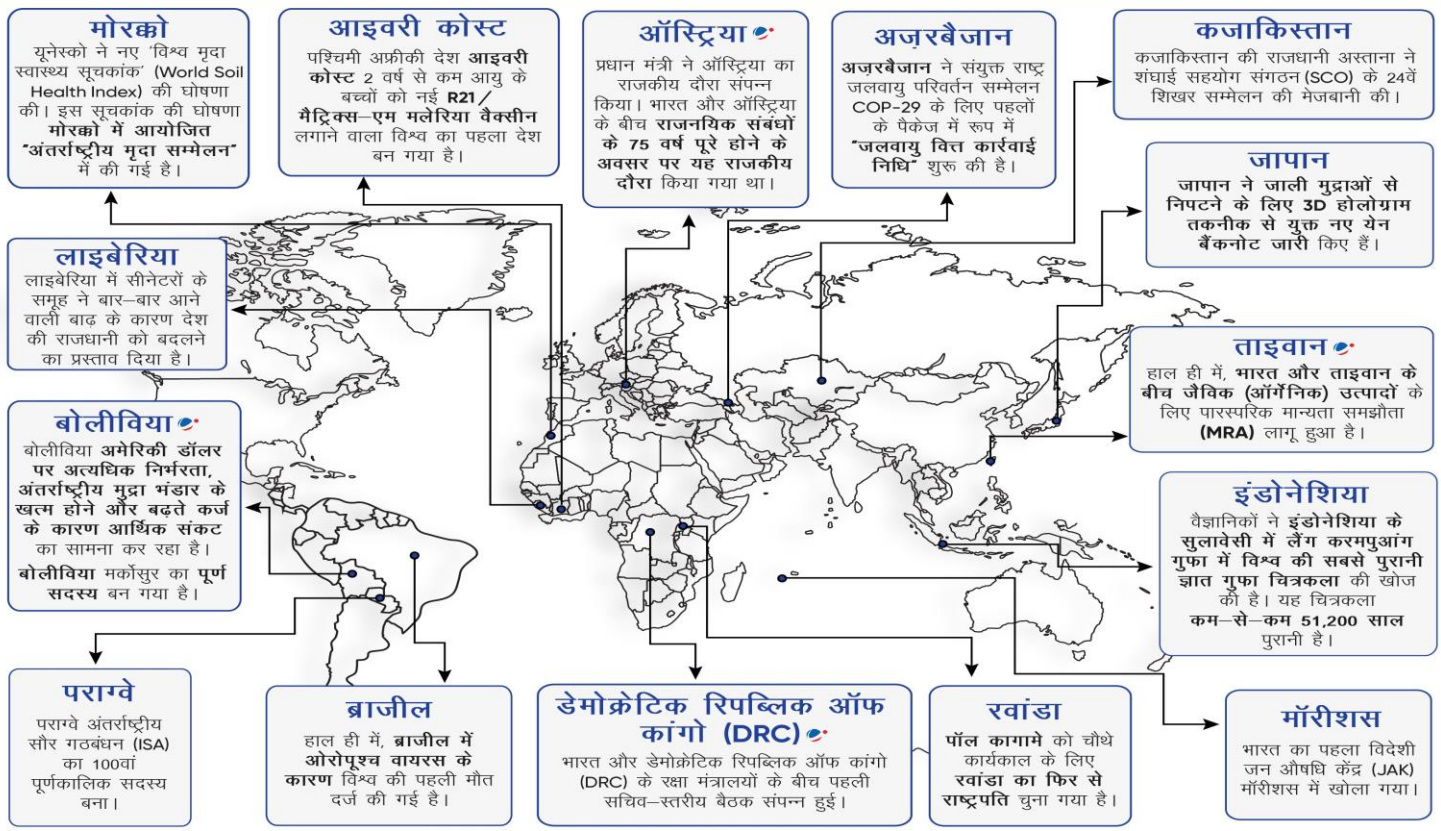

मोरक्को
यूनेस्को ने नए 'विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक' (World Soil Health Index) की घोषणा की। इस सूचकांक की घोषणा **मोरक्को में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन"** में की गई है।

आइवरी कोस्ट
पश्चिमी अफ्रीकी देश **आइवरी कोस्ट** 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नई **R21/मैट्रिक्स–एम मलेरिया वैक्सीन** लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।

ऑस्ट्रिया
प्रधान मंत्री ने ऑस्ट्रिया का राजकीय दौरा संपन्न किया। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह राजकीय दौरा** किया गया था।

अज़रबैजान
अज़रबैजान ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-29 के लिए पहलों के पैकेज में रूप में **"जलवायु वित्त कार्रवाई निधि"** शुरू की है।

कजाकिस्तान
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

जापान
जापान ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए येन बैंकनोट जारी किए हैं।

लाइबेरिया
लाइबेरिया में सीनेटरों के समूह ने बार–बार आने वाली बाढ़ के कारण देश की राजधानी को बदलने का प्रस्ताव दिया है।

ताइवान
हाल ही में, **भारत और ताइवान के बीच जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों** के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता **(MRA)** लागू हुआ है।

बोलीविया
बोलीविया **अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट** का सामना कर रहा है। **बोलीविया** मर्कोसुर का **पूर्ण सदस्य** बन गया है।

इंडोनेशिया
वैज्ञानिकों ने **इंडोनेशिया के सुलावेसी में लैंग करमपुआंग गुफा में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला** की खोज की है। यह चित्रकला **कम–से–कम 51,200 साल** पुरानी है।

पराग्वे
पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 100वां पूर्णकालिक सदस्य बना।

ब्राजील
हाल ही में, **ब्राजील में ओरोपूश्च वायरस के कारण** विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)
भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव–स्तरीय बैठक संपन्न हुई।

रवांडा
पॉल कागामे को चौथे कार्यकाल के लिए **रवांडा का फिर से राष्ट्रपति** चुना गया है।

मॉरीशस
भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र (JAK) मॉरीशस में खोला गया।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 महर्षि सुश्रुत (7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व)	• अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने **सुश्रुत जयंती–2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय 'सौश्रुतम् शल्य संगोष्ठी'** का सफलतापूर्वक आयोजन किया। **सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष 15 जुलाई** को मनाई जाती है। • ये **काशी (वाराणसी)** के रहने वाले प्राचीन युग के चिकित्सक थे। उन्हें **भारतीय चिकित्सा और शल्य–चिकित्सा के जनक** के रूप में भी जाना जाता है। • **महत्वपूर्ण योगदान:** ▸ इन्होंने **सुश्रुत संहिता** की रचना की थी। यह ग्रंथ **संस्कृत** में लिखित है। यह कृति **आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी (Great Trilogy)** में से एक है। अन्य दो हैं: महर्षि चरक द्वारा रचित **चरक संहिता** और वाग्भट्ट द्वारा रचित **अष्टांग हृदय।** ▪ इस संहिता में **रोग विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शल्य चिकित्सा** के बारे में व्यापक वर्णन किया गया है। साथ ही, इसमें **12 प्रकार के फ्रैक्चर, 6 प्रकार की डिस्लोकेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, राइनोप्लास्टी** आदि के उपचार के बारे में भी बताया गया है। ▸ **राइनोप्लास्टी** नाक की बनावट में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है।	**अन्वेषण भावना और समर्पण** • उन्होंने जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के अन्वेषण का बीड़ा उठाया, रोगियों की देखभाल में सुधार करने के लिए नवीन चिकित्सा क्षेत्रों में कदम रखा। • चिकित्सा पद्धतियों के संहिताकरण और उसमें सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने सर्जरी और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को चिरस्थाई बना दिया।
 संत ज्ञानेश्वर	• संत ज्ञानेश्वर महाराज की वार्षिक तीर्थयात्रा का समापन **आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन** हुआ। ▸ हर साल **वारकरी संप्रदाय** के अनुयायी **देहु और आलंदी से पालकी** यात्रा (इसे वारी कहते हैं) शुरू करते हैं तथा आषाढ़ी एकादशी पर यह यात्रा **पंढरपुर** में समाप्त होती है। ▪ **वारकरी** संप्रदाय में **भगवान विट्ठल की पूजा** की जाती है। • **संत ज्ञानेश्वर के बारे में** ▸ उनका जन्म **आलंदी (महाराष्ट्र)** में हुआ था। वे 13वीं सदी के **मराठी संत, कवि व दार्शनिक** थे। ▸ वे भक्ति आंदोलन, खासकर **महाराष्ट्र** के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। ▸ **योगदान** ▪ उन्होंने **भगवद गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी** नामक टीका लिखी थी और **अमृतानुभव** की भी रचना की थी। ▪ साथ ही, **अभंग नामक अनेक** भक्ति काव्यों की रचना की।	**सामाजिक समानता और करुणा** • सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देना और समावेशिता को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। • सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में सहानुभूति और देखभाल की वकालत करना, अधिक मानव केंद्रित तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल देना।

प्रशांत चंद्र (पी.सी.) महालनोबिस (1893–1972)

- **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने ई–सांख्यिकी पोर्टल** लॉन्च किया है। इसे **'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून)'** के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिकी डेटा के प्रसार को आसान बनाने के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना है।
  - उल्लेखनीय है कि **'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस' पी.सी. महालनोबिस** के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
- **पी.सी. महालनोबिस के बारे में**
  - **योगदानः**
    - उन्होंने **भारतीय सांख्यिकी संस्थान** की स्थापना की थी।
    - उन्होंने **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1950) और केंद्रीय सांख्यिकी** संगठन की भी स्थापना की थी।
    - महालनोबिस ने भारत की **दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) की रूपरेखा** तैयार की थी। इसीलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना को **महालनोबिस योजना** भी कहा जाता है।
      - इस योजना में **सार्वजनिक क्षेत्रक के विकास और तेजी से औद्योगीकरण पर ध्यान** केंद्रित किया गया था।
  - उन्होंने **'महालनोबिस डिस्टेंस'** की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यह वास्तव में एक **सांख्यिकीय माप** है।
  - **मान्यता**
    - उन्हें भारत सरकार ने **पद्म विभूषण से सम्मानित** किया था।
    - इसके अलावा, सरकार ने **महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना** की है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को **विकासशील देश या क्षेत्र में सांख्यिकी में जीवन भर की उपलब्धियों** के लिए दिया जाता है।
      - यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा समर्थित है।

संस्था निर्माता और विद्वता

- उनके प्रयासों और समर्पण के कारण, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की गई और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने इसमें सुधार किया।
- वे एक प्रतिभाशाली सांख्यिकीविद और अन्वेषक थे। उनके विद्वत्तापूर्ण योगदान ने भारत में नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों के विकास को बढ़ावा दिया।

चंद्रशेखर आजाद (1906–1931)

- पूरे देश ने चंद्रशेखर आजाद को उनके जन्मदिवस (23 जुलाई) पर याद किया।
- **चंद्रशेखर आजाद के बारे में**
  - इनका जन्म **अलीराजपुर रियासत** में हुआ था।
- **प्रमुख योगदान**
  - उन्होंने **15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग** लिया था।
    - इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस ने उनसे उनका नाम व पता पूछा तो उन्होंने **अपना नाम "आजाद"; पिता का नाम "स्वतंत्रता" और "जेल" को अपना घर** बताया था।
  - वे **हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** (HRA) में शामिल हो गए थे।
  - उन्होंने **1925 में काकोरी रेल डकैती** में भाग लिया था।
  - **लाला लाजपत राय** की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 1928 में **लाहौर में जॉन पी. सांडर्स** पर गोली चलाई थी।
  - उनकी सलाह पर **1928 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** (HRA) **का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन** (HSRA) कर दिया गया था।
    - 1929 में HSRA के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन वायसराय **लॉर्ड इरविन पर रेल द्वारा यात्रा के दौरान बम हमले का प्रयास** किया था।

नेतृत्व क्षमता और निडरता

- उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के समूह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था।
- उन्होंने स्वयं यह कसम खाई थी कि वे कभी भी अंग्रेजों के बंदी नहीं बनेंगे, इसलिए जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने अपनी कसम को निभाने के लिए खुद को गोली मार ली।

डॉ. कादंबिनी गांगुली

18 जुलाई को देशभर में डॉ. कादंबिनी गांगुली की जयंती मनाई गई।

- **डॉ. कादंबिनी गांगुली (1861–1923) के बारे में**
  - उनका जन्म **1861 में बिहार के भागलपुर** में हुआ था।
  - वे भारत में शिक्षित पहली **महिला डॉक्टर** थीं।
- **प्रमुख योगदान**
  - वे **ब्रह्म समाज की सदस्या** थीं।
  - वे **1889** में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के **पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में शामिल छह प्रतिनिधियों** में से एक थीं।
  - उन्होंने **कलकत्ता में महिला सम्मेलन (1906)** आयोजित करने में मदद की थी।
  - उन्होंने **कामिनी रॉय के साथ मिलकर बिहार और ओडिशा में महिला खनिकों की स्थितियों के बारे में जांच करने हेतु एक सरकारी समिति** के लिए काम किया था।
  - उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप **1891 में भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट अधिनियम** पारित हुआ था।

पेशेवर प्रतिबद्धता और सहानुभूति

- उन्हें महिला डॉक्टर बनने के लिए सामाजिक बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ बहुत संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अपनी मृत्यु तक किसी भी मेडिकल कॉल को अनदेखा नहीं किया।
- उन्होंने महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, खासकर कोयला खदानों में श्रमिकों के लिए।

पिंगली वेंकैया (1876–1963)

- प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी पुण्यतिथि (04 जुलाई) पर देश ने याद किया।
- **पिंगली वेंकैया के बारे में**
  - उनका जन्म **आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले** में हुआ था।
  - वे **गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास** रखते थे और **घोर राष्ट्रवादी** थे।
  - **प्रमुख योगदान**
    - **आंग्ल–बोअर युद्ध (1899–1902)** के दौरान उन्होंने **दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना** में एक सैनिक के रूप कार्य किया था।
    - पिंगली ने महात्मा गांधी के अनुरोध पर **भारतीय राष्ट्रीय ध्वज** का डिजाइन तैयार किया था।
    - उन्होंने **स्वदेशी आंदोलन** में भाग लिया तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए कई अन्य आंदोलनों में भाग लिया था।
    - 2022 में उनके 146वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में **"तिरंगा उत्सव"** मनाया गया था।
    - **साहित्यिक कृतियां:** 1916 में 'भारत देशनिकी ओका जातीय पताकम' (भारत का राष्ट्रीय ध्वज)।

समर्पण और उत्साह

- उनमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अत्यधिक समर्पण का भाव था और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- उन्होंने राष्ट्र के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में 'राष्ट्र ध्वज' का निर्माण किया था। **"उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी, भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज"।**

13. परिशिष्ट: SDGs की वर्तमान स्थिति (Appendix: Current Status of SDGs)

परिशिष्ट

SDG	वर्तमान स्थिति
1. गरीबी उन्मूलन	▶ विश्व में अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा **2019 के 8.9% से बढ़कर 2020 में 9.7% हो गया।** ▶ **यदि यही स्थिति जारी रही तो 2030 तक** वैश्विक जनसंख्या का **6.9% हिस्सा** अत्यधिक गरीबी का सामना कर सकता है।
2. शून्य भुखमरी	▶ यद्यपि 2022 में वैश्विक भुखमरी और खाद्य असुरक्षा का स्तर स्थिर हो गया, फिर भी **भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है।** ○ वैश्विक स्तर पर लगभग **10 में से 1 व्यक्ति** भूखमरी का सामना करता है। ▶ यदि यही स्थिति जारी रही तो **2030 तक 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 5 बच्चों में से 1 बच्चा** ठिगनेपन से प्रभावित होगा।
3. अच्छा स्वास्थ्य और कुशलक्षेम	▶ मातृ मृत्यु दर मोटे तौर पर 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अभी तीन गुना अधिक के स्तर पर बना हुआ है। ▶ **2022 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन इस दिशा में प्रगति की रफ़्तार धीमी हो गई है। ▶ **विश्व की आधी** से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ▶ यद्यपि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश संकेतक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी वर्तमान रुझान **2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।**
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	▶ 2019 तक, संपूर्ण विश्व में केवल 58% छात्रों ने पढ़ाई में न्यूनतम दक्षता प्राप्त की। ▶ विश्व स्तर पर, केवल **आधे प्राथमिक विद्यालयों** और मात्र **62%** माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
5. लैंगिक समानता	▶ **हर पांच में से एक लड़की की** शादी अभी भी **18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है** । लगभग **230 मिलियन** लड़कियों और महिलाओं को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का शिकार होना पड़ा है। ▶ औसतन प्रत्येक दिन महिलाएं, पुरुषों की तुलना में **अवैतनिक घरेलू** और देखभाल संबंधी कार्यों में 2.5 गुना अधिक घंटे व्यतीत करती हैं।
6. स्वच्छ जल और साफ़-सफाई	▶ वर्ष 2022 में, विश्व की लगभग **आधी** आबादी को वर्ष के कम से कम कुछ समय के लिए गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा। ▶ वर्तमान स्थिति के अनुसार, **2030 में 2 बिलियन** लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के बिना तथा **3 बिलियन लोग** सुरक्षित रूप से प्रबंधित साफ़-सफाई (Sanitation) के बिना जीवन यापन करेंगे।
7. वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा	▶ बिजली की उपलब्धता से वंचित लोगों की संख्या **2015** के **958 मिलियन से कम होकर** 2022 में 685 मिलियन हो गयी। ▶ अनुमान है कि **2030 तक 660 मिलियन** लोगों को अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं होगी तथा लगभग **1.8 बिलियन लोग** खाना पकाने वाले स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों से वंचित रह जाएंगे।

8. सभ्य या गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक संवृद्धि

- 2023 में अनौपचारिक नौकरियों में कार्यरत 2 बिलियन से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव का सामना करना पड़ा।
- प्रत्येक पांच में से एक युवा **शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण (NEET) में संलग्न नहीं है।**

9. उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना

- **2022** से विनिर्माण क्षेत्रक में वृद्धि **2.7% पर स्थिर हो गई है** और 2024 तक इसी स्तर पर जारी रहने की संभावना है।
- लघु उद्यमों को ऋण तक सीमित पहुंच जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे केवल 17% उद्यमियों के पास ऋण या क्रेडिट लाइन तक पहुंच की सुविधा है।

10. असमानताओं में कमी

- सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के कारण वैश्विक स्तर पर औसत आय के **आधे से भी कम** पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है।
- विश्व बैंक की मुख्य ऋणदाता निकाय में विकासशील देशों के पास केवल **39%** मताधिकार है, जो बैंक में उनकी **75%** की सदस्यता **से बहुत कम है।**

11. संधारणीय शहर और समुदाय

- **2022 में,** शहरी आबादी की 24.8% आबादी झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहती थी, जो 2015 के **25% से थोड़ा ही कम है।**
- प्रतिवर्ष, अनुमानतः **4.2 मिलियन** लोग परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं।
- वैश्विक स्तर पर, 2023 में प्रत्येक 10 में से केवल **6** शहरी निवासियों को ही **सार्वजनिक परिवहन की सुगम पहुंच प्राप्त थी।**

12. जिम्मेदारीपूर्वक खपत और उत्पादन

- दुनिया में हर दिन इतना खाना बर्बाद होता है कि इससे दुनिया के सभी भूखे लोगों को 1.3 बार खिलाया जा सकता है।
- 2000 से 2022 तक घरेलू सामग्री की खपत में **69% की वृद्धि हुई है।**

13. जलवायु कार्रवाई

- **2022 में, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 57.4 गीगाटन CO_2 के बराबर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया** (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार)।
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने** पुष्टि की है कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग **1.45°C ऊपर पहुंच गया।**

14. जलीय जीवन	▶ अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण, खराब प्रबंधन और अन्य कारकों के कारण वैश्विक मत्स्य संसाधनों की संधारणीयता **1974 में 90% से घटकर 2021 में 62.3% हो गई है।** ▶ **मई 2024 तक**, 18,200 समुद्री संरक्षित क्षेत्र और 199 अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय महासागर के **8.12% (2030 तक SDG लक्ष्य 10% है) भाग को कवर करते हैं।**
15. स्थलीय जीवन	▶ 2000 और 2020 के बीच कुल भू-क्षेत्र में वन क्षेत्र का अनुपात 31.9 प्रतिशत से **घटकर** 31.2 प्रतिशत हो गया। ▶ **अवैध वन्यजीव व्यापार** 2017 से **बढ़ रहा है**, जो कोविड-19 महामारी के दौरान चरम पर पहुंच गया था। ▶ 2015 और 2019 के बीच, प्रतिवर्ष कम से कम **100 मिलियन हेक्टेयर** उत्पादक भूमि का निम्नीकरण हुआ है, जिसके कारण वैश्विक खाद्य और जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
16. शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं	▶ 2022 और 2023 के बीच सशस्त्र संघर्ष में आम लोगों के हताहत होने की संख्या में **72% की वृद्धि हुई है।** ▶ 19% लोगों द्वारा रिश्वत देने या मांगे जाने की रिपोर्ट एक गंभीर चिंता का विषय है। ▶ वैश्विक स्तर पर जेल में बंद कैदियों की आबादी **2015 के 11.1 मिलियन से बढ़कर** 2022 में 11.5 मिलियन हो गयी।
17. लक्ष्य हासिल करने हेतु साझेदारी	▶ 2023 में, विकासशील देशों में वार्षिक रूप से SDG संबंधी निवेश अंतराल लगभग **4 ट्रिलियन डॉलर** (केवल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए **2.2 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है) रहने का अनुमान है।** ▶ वैश्विक स्तर पर, **प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति अभी भी इंटरनेट उपलब्ध नहीं** है, जो विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में अवसंरचना में निवेश और वहनीय **इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी** आवश्यकता को दर्शाता है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
22 अगस्त | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची